Seventeenth Series, Vol. XXIX No. 7

Thursday, February 8, 2024
Magha 19, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Fifteenth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXIX contains Nos.1 to 9)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Mamta Kemwal

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Anil Kumar Chopra

Maneesha Bhushan

Editor

© 2024 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXIX, Fifteenth Session, 2024/1945 (Saka)
No. 7, Thursday, February 8, 2024/ Magha 19, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 81 to 87	12-41
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 88 to 100	42-108
Unstarred Question Nos. 921 to 1150	109-696

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	697-720, 900
LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE	721
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS	
22nd and 23rd Reports	722
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE	
104th to 123rd Reports	723-725
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE	
Minutes	726
COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES	
30th to 33rd Reports	727
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE	
171st to 183rd Reports	728-729
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES	
98th to 101st Reports	730
STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY	
54th to 57th Reports	731
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE	
47th Report	732
STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS	
24th Report	732
STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS	
21st Report	732
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS	
50th to 52nd Reports	733

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

37th Report 734

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

186th and 187th Reports 735

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

364th to 369th Reports 736-737

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

152nd to 155th Reports 738

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 429 DATED 21.07.2023 REGARDING STEM CELL ALONGWITH REASONS FOR DELAY 739-748

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 356th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 340th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Ministry of Culture

Shri Devusinh Chauhan 749

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Need to tackle inflation, unemployment and farm-loan waivers 769-771

STATUATORY RESOLUTION RE: SEEKING APPROVAL OF THE HOUSE TO AMEND THE SECOND SCHEDULE OF THE CUSTOMS TARIFF ACT, 1975 778-779

MATTERS UNDER RULE 377 828-837

(i) Need to introduce ropeway system for visiting Mundeshwari Dham

Shri Chhedi Paswan 828

(ii) Regarding inclusion of temples of cultural and historical importance in Kerala under PRASAD Scheme

Shri T. N. Prathapan 829

(iii) Need to provide stoppage for Mumbai – Solapur Vande Bharat Express at Lonavala Railway Station

Shri Shrirang Appa Barne 830

(iv) Need to include Members of Parliament and State Legislatures in the protocol for flag hoisting/unfurling on the occasion of Republic Day and Independence Day

Dr. Alok Kumar Suman 831

(v) Need to resolve the electricity shortage in Jammu and Kashmir

Shri Hasnain Masoodi 832

(vi) Need for additional allotment of wheat, rice and Tur Dal (pulse) for Tamil Nadu

Shri C. N. Annadurai 833

(vii) Need to set up a Welfare Board for Brahmins

Dr. T. R. Paarivendhar 834

(viii) Need to address the grievances of cotton farmers of Ganganagar Parliamentary Constituency

Shri Nihal Chand Chouhan 835

(ix) Need to provide irrigation facility to marginal farmers in the country and also encourage them towards cattle rearing

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 836

(x) Need to conduct a national survey to collect data on migrant workers working in each state

Shri Rajiv Pratap Rudy 837

CONSTITUTION (SCHDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2024

AND

CONSTITUTION (SCHDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (AMENDMENT) BILL, 2024 838-899

AS PASSED BY RAJYA SABHA

Motions to Consider 838

Dr. Bharati Pravin Pawar 838-839, 892-897

Shri Saptagiri Sankar Ulaka 840-848

Shri Dharmendra Pradhan 849-852

Dr. DNV Senthilkumar S. 853-855

Prof. Sougata Ray 856-859

Shri N. Reddeppa 860-862

Shri Ramesh Chandra Majhi 863-864

Shri Girish Chandra 865-867

Shrimati Supriya Sadanand Sule 868-870

Shri Tapir Gao 871-873

Shri Abdul Khaleque 874-875

Shri Shrirang Appa Barne	876
Shri Dulal Chandra Goswami	877-878
Shri K. Navaskani	879-880
Shri S. Muniswamy	881-885
Shri Syed Imtiaz Jaleel	886-888
Shri Vincent H. Pala	889-891
CONSTITUTION (SCHDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2024	
Clauses 2 and 1	898
Motion to Pass	898
CONSTITUTION (SCHDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (AMENDMENT) BILL, 2024	
Clauses 2 to 4 and 1	899
Motion to Pass	899
WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) AMENDMENT BILL, 2024	901-993
AS PASSED BY RAJYA SABHA	
Motion to Consider	901
Shri Bhupender Yadav	901-903, 976-985
Shri B. Manickam Tagore	904-909
Shri Shankar Lalwani	910-911
Shri D.M. Kathir Anand	912-916
Shri N.K. Premachandran	917-922
Shrimati Vanga Geetha Viswanath	923-924
Shrimati Pratima Mondal	925-928

Shri Shrirang Appa Barne	929-931
Shri Sunil Kumar	932-933
Shri Anubhav Mohanty	934-936
Shri Ramshiromani Verma	937-938
Shrimati Supriya Sadanand Sule	939-943
Shri Gaurav Gogoi	944-948
Shri Ganesh Singh	949-953
Shri Vinayak Bhaurao Raut	954-955
Adv. A. M. Ariff	956-957
Shri Syed Imtiaz Jaleel	958-960
Shri K. Navaskani	961-964
Dr. Satya Pal Singh	965-968
Shri Gurjeet Singh Aujla	969-970
Shrimati Sarmistha Sethi	971-973
Shri Nihal Chand Chouhan	974-975
Clauses 2 to 15 and 1	985-992
Motion to Pass	993

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 913

Member-wise Index to Unstarred Questions 914-919

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 920

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 921

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shrirang Appa Barne

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, February 8, 2024/ Magha 19, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

… (व्यवधान)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर (विरुधुनगर): सर, तमिलनाडु के साथ अन्याय हो रहा है ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उस विषय पर प्रश्न काल में चर्चा हो चुकी थी और डिटेल में सरकार ने अपना उत्तर दे दिया था। माननीय रक्षा मंत्री जी खुद चेन्नई दौरे पर गए थे। बालू साहब ने उनको धन्यवाद दिया था। रक्षा मंत्री खुद जाकर आए हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल में आपको विषय उठाने दिया, शून्य काल में आपको विषय उठाने दिया। आपको शून्य काल में फिर से बोलने देंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो। प्रश्न काल में नहीं, शून्य काल में आपको बोलने का मौका दूंगा। आप कई बार यह विषय उठा चुके हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जीरो ऑवर में विषय उठाएं।

… (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, this is injustice with Tamil Nadu. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है बालू जी। प्लीज बैठिए। सदन आपका है। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं जीरो ऑवर में आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। सरकार ने ए. राजा जी के प्रश्न का पूरा जवाब दे दिया था। रक्षा मंत्री जी खुद होकर आ गए थे। कमेटी वहां होकर आयी थी।

… (व्यवधान)

11.02 hrs

At this stage, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। सदन चर्चा के लिए है, प्रश्न काल के लिए है। प्रश्न काल में आप चर्चा करें, विषय उठाएं।

… (व्यवधान)

11.02½ hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नंबर 81, श्रीमती प्रतिमा मंडल।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Q.N. 81.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नंबर 81 आपका तो नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : सर, मुझे असाइन किया गया है।

माननीय अध्यक्ष : आपको ऑथोराइज किया है। अगर आपको ऑथोराइज किया है तो आपको यहां लिखकर देना चाहिए।

(Q.81)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Sir, the hon. Minister has mentioned in his reply that 90 per cent of this block area was earlier covered under no-go restrictions. These restrictions were done away with by the Government recently. I am saying this because the Bay of Bengal is a beautiful but fragile ecosystem in India which houses many species of flora and fauna that constitute the natural heritage of our country. I call it fragile because due to increasing levels of green house gases in the past years, the impact of climate change is more and more visible in the area with increasing number of cyclones and inundations wreaking havoc.

Therefore, my question to the hon. Minister through you, Sir, is that whether the Ministry or ONGC has conducted any survey and considered the harm done by any excavation or drilling project to produce more fossil fuel energy that might have negative impact on such an ecosystems, not to mention the people who live in the area.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है और जिस उत्तर को संदर्भित करते हुए इन्होंने कहा है कि यह महानदी बेसिन का क्षेत्र नो-गो एरिया था और माननीय सदस्या ने जो चिंता व्यक्त की है। नो-गो एरिया को डिफेंस के सिक्योरिटी परपजेज के कारण से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इम्पोज़ किया हुआ था और आजादी के समय से था।

चूँकि, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सामर्थ्य, शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ा है, इसलिए हमने उस नो-गो एरिया को खोलने के बाद उस एक क्षेत्र में पेट्रो हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर्स का एक्सप्लोरेशन हो सके, उस दृष्टिकोण से काम प्रारंभ किया है।... (व्यवधान) मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि उसे खोलने के बाद कोणार्क और उत्कल दो ऐसे गैस रिजर्वायर्स आइडेंटिफाई हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के संज्ञान के लिए और माननीय सदस्या के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूँ, चूँकि सदस्या की चिंता निश्चित रूप से सही है और प्रशंसनीय है। उन्होंने यह कहा है कि ईको सेंसेटिव जोन्स खोलने के बाद वहां जिस तरह का फ्रेजाइल ईको सिस्टम है, उससे किसी भी तरह की चुनौती खड़ी हो सकती है, लेकिन इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले उसकी सारी एन्वायर्नमेंट क्लियरेंसेस और इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज़ होने के बाद ही इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। निश्चित ही भविष्य में वहां पर किसी तरह के एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हों, उसको सुनिश्चित किया जाएगा।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Sir, hon. Minister mentioned here that this process has to be completed for these two discoveries namely Konark and Utkal. We all know about the present infrastructural condition of the Konark Temple which is a heritage of our country. Why I am saying this because the Bay of Bengal is connected to ecosystem across the entire coastal line of India.

My second question to the hon. Minister, through you, is whether it is really worth investing in an excavation project in this area because if there is any accidental oil spill, it will pollute the whole Bay region including the interconnected ecosystem and the consequences of the same will be irreversible on the lives of millions of people.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है, वह एप्रिहेंशन पर बेस्ड है कि ऐसा होने पर ऐसा हो सकता है। किसी भी तरह के गैस एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन या इसके अन्यथा भी सरकार इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव लेती है तो वह सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध और मानक खड़े करके ही लेती है। चाहे ऑफशोर ड्रिलिंग का विषय हो या ऑनशोर ड्रिलिंग का विषय हो या फिर ऑफशोर, ऑनशोर में एक्सप्लोरेशन का विषय हो, सभी जगहों पर इस तरह की चुनौतियां होती हैं, जिनकी संभावनाएं माननीय सदस्या ने व्यक्त की है और वे बनी

रहती हैं। लेकिन फिर भी एटमोस्ट सारे प्रबंधन करने के बाद ही इस तरह की ड्रिलिंग्स की जाती हैं। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार इस तरह के सारे प्रबंधन करने के बाद ही वहां कमर्शियल प्रोडक्शन पर काम करेगी।

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I thank Shri Gajendra Singh Shekhawat who is deputed on behalf of Shri Hardeep Singh Puri, who is absent for some reason unknown to us. But still he has given us reasonable reply to the environmental apprehensions expressed by Shrimati Pratima Mondal.

Now, the reply is somewhat incomplete. It says: “Thereafter, commercial and technical assessments are conducted to determine the viability of developing the field. These evaluation activities take many months to complete.” And again it says: “Now, the Krishna Godavari basin is beginning commercial production and it will produce 7 per cent of our needs.”

Now, my question is this. What is the time frame by which we can expect commercial production from Konark and Utkal? What will be the process of allocation of this block? Earlier, the Krishna Godavari basin was allocated to Reliance which is a company owned by Ambani.

By what process will this new block be allocated? Ultimately, how far are we from fulfilling the domestic needs of fossil fuel or petroleum with these discoveries?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है कि उसके बारे में उत्तर में विस्तार से लिखा गया है कि जिस प्रक्रिया के तहत एक बार जब किसी भी तरह की संभावनाओं को पाया जाए, तब उसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन तक लाए जाने में किन-किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। एप्रेजल प्रोग्राम, जिसमें एक बार किसी पोटेंशियल को

आईडेंटिफाई करने के बाद उसके प्रोबेबल क्वांटिटी को असेस करने के लिए और उस एप्रेजल प्रोग्राम के बाद उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी को अध्ययन करने के लिए, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी के लिए estimation of size and characteristics of underlying gas or hydrocarbon fuel reservoirs को establish करने के लिए एवं उन दोनों चरणों को पूरा होने के बाद, उसकी commercial viability field development plan जो डायरैक्ट्रेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बंस दिया जाता है, इसमें सामान्यत: जो समय लगता है, वह लगभग पांच सालों का कालखंड होता है जिसमें यह पूरा एस्टैब्लिश होता है। लेकिन एक शुरुआत हुई है और निश्चित ही इस शुरुआत को माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इसके मॉनिटाइजेशन प्रॉसेस के समय को कम किया गया है, उसको कम करने के कारण, मैं विश्वास के साथ यह बात कह सकता हूं कि निश्चित ही पहले जितनी समय अवधि ऐसे पोटेंशियल फाइंडिंग्स से लेकर उसके कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन तक लगता था, उसमें निश्चित ही कम समय अवधि में हो पाएगा। माननीय सदस्य ने यह ब्लॉक बाद में, इसके एक्सप्लोरेशन और कॉमर्शियल पोटैंशियल एस्टैब्लिश होने के बाद में इसके हाइड्रोकार्बन फ्यूल और गैसेज का एक्सप्लोरेशन किसे दिया जाएगा, इसके बारे में प्रश्न किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की जो ओपन लीज पॉलिसी है, उसके तहत ओएनजीसी ने यह डिसकवरी की है और बाद में ओएनजीसी इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए अधिकृत है।

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मेरे मन में विडंबना है, क्योंकि माननीय गजेन्द्र शेखावत जी गृह मंत्रालय नहीं देखते हैं, तो क्या इनसे यह सवाल पूछना उचित रहेगा? फिर भी, मैं आपकी अनुमति से जरूर इनके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने 22 मार्च, 2021 को एक रिटेन प्रश्न का हवाला देते हुए, धर्मेन्द्र प्रधान जी जो मंत्री थे, एक विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि India's oil and oil equivalent gas import dependence वर्ष 2014-15 में 68.9 प्रतिशत थी, वर्ष 2015-16 में यह बढ़कर 72.2 प्रतिशत हो गई है, वर्ष 2020-21 में यह बढ़ कर 77.1 प्रतिशत हो गई, वर्ष 2021-22 में बढ़कर 85.5

प्रतिशत हो गई, वर्ष 2022-23 में बढ़ कर 87 प्रतिशत हो गई और 2023-24 के पहले 9 महीने में यह 87.5 प्रतिशत हो गई।

अध्यक्ष जी, इसका यह मतलब है कि जितनी हमारी खपत कच्चे तेल और खपत की है, उसका 87.5 प्रतिशत भारत इम्पोर्ट करता है, तो इस परिस्थिति में यह बिल्कुल साफ है कि पिछले 10 वर्षों में जो अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन है, उसमें कोई लंबा-चौड़ा काम नहीं हुआ। मेरा यह प्रश्न है कि जब यह बात सरकार को बिल्कुल साफ थी कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो क्या सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं बनता था कि जो इंटरमीडिएट्स और रिन्यूएबल्स हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता, जब कि यह बिल्कुल साफ था कि ओएनजीसी और जो बाकी कम्पनीज या प्राइवेट सेक्टर अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, उसका जो नतीजा है, वह बिल्कुल निल बट्टा सन्नाटा है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सहृदयता भरे शब्दों के साथ शुरुआत की है**,** उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं सदन के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि यह सही है कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल स्पेशली ऑयल की इम्पोर्ट डिपेंडेंसी पिछले दस वर्षों में कुछ हद तक बढ़ी है। जिस तरह से हम सब के लिए यह विषय संज्ञान में है कि इकोनॉमी की ग्रोथ, एनर्जी की रिक्वायरमेंट या फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी ट्राजेक्टरी या ग्राफ एकदम आइडेंटिकल होता है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके प्रधान मंत्री काल में भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंची है, हम 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से उसी के अनुरूप हमारी हाइड्रोकार्बन फ्यूल की आवश्यकताएं बढ़ी हैं, खपत बढ़ी है और उस खपत के बढ़ने के चलते हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेबिलिटी में कुछ हद तक इजाफा हुआ है। जहां तक माननीय सदस्य ने अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात की है, मैं गर्व और प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि जो एथेनॉल ब्लैंडिंग का प्रोग्राम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और हमने जो बायो फ्यूल पॉलिसी तैयार की थी, उस बायो फ्यूल पॉलिसी के चलते हुए आज हम 12 परसेंट एथेनॉल की ब्लैंडिंग पेट्रोल में कर रहे हैं। इसको 20 प्रतिशत तक ले जाने के लिए माननीय

प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम प्रतिबद्ध हैं। हमने अब तक जो 12 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया है, उसके चलते पिछले वर्षों में इस पॉलिसी को एडॉप्ट करने के बाद लगभग 24 हजार करोड़ रुपये का जो इम्पोर्ट है, विदेशी मुद्रा का निवेश कम हुआ है। इसके साथ-साथ जो एथेनॉल है, उसको एग्रो बेस्ड प्रोड्यूसेज से बनाया जाता है। इसलिए उसकी जो बचत है, वह बचत वन लाइन लीनियर होने के बजाय किसानों तक पहुंची है, वह डिसेंट्रलाइज हुई है। उस 23 हजार करोड़ रुपये की बचत, जो विदेशी मुद्रा की हुई है, उसका लगभग 60-70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा किसानों के घरों तक पहुंचा है। निश्चित ही हम एक तरफ इम्पोर्ट के क्वांटम को कम करने में कामयाब हुए हैं, इम्पोर्ट के बिल को कम करने में कामयाब हुए हैं। उसके साथ-साथ इस दृष्टिकोण से किसानों की आमदानी को बढ़ाने की दिशा में भी हम सकारात्मक सफलता प्राप्त कर पाए हैं।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 82।

श्री तेजस्वी सूर्या – उपस्थित नहीं।

श्री रविन्दर कुशवाहा जी।

(Q. 82)

श्री रविन्दर कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण एयरपोर्ट गोरखपुर, जहां से देश के कोने-कोने में उड़ानें प्रतिदिन संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ सीमावर्ती प्रदेश बिहार तथा पड़ोसी देश नेपाल को भी मिल रहा है। यात्री सुविधा हेतु, रात्रिकालीन विमान सेवा हेतु गोरखपुर एयरपोर्ट पर ये सुविधा यात्रियों हेतु कब तक शुरू करने का प्रस्ताव है?

बगल में कुशीनगर एयरपोर्ट है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानें नहीं हैं। वहां पर कब तक नियमित उड़ानें शुरू होंगी? हमारे यहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी की जन्मस्थली बलिया से पटना, वाराणसी, गोरखपुर एयरपोर्ट की दूरी 200-250 किलोमीटर है। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या वह बलिया में नए एयरपोर्ट की स्थापना का विचार रखते हैं? धन्यवाद।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय ने अपने प्रश्न में तीन प्रश्न पूछे हैं। सर्वप्रथम मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत में नागर विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाई तक पहुंचाना, यह हमारा संकल्प नहीं है, लेकिन हमने यह साकार करके जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया है। जिस देश में केवल 74 एयरपोर्ट्स होते थे, आज 149 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। जिस देश में केवल 6 करोड़ सालाना यात्री हवाई विमान से प्रस्थान और सफर करते थे, आज उसी देश में कोविड से पूर्व साढ़े 14 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है। इस वर्ष 15 करोड़ 20 लाख यात्रियों ने सफर कर लिया है मतलब पिछले रिकॉर्ड को भी हमने तोड़ दिया है।

हमारा अनुमान है कि हमने जो 15 करोड़ 20 लाख यात्रियों का कीर्तिमान स्थापित किया है, यह वर्ष 2030 तक डबल होकर हमारे देश में 30 करोड़ घरेलू यात्री बन जाएंगे। जहाँ हम लोग घरेलू यात्रियों के मामले में विश्व में सातवें नम्बर पर थे, वहाँ आज भारत विश्व में तीसरे नम्बर पर पहुँच चुका

है। यह विदेशी यात्रियों के मामले में सातवें नम्बर पर पहुँच चुका है। घरेलू यात्रियों और विदेशी यात्रियों को मिलाकर हम लोग पाँचवें नम्बर पर पहुँच चुके हैं।

प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि वर्ष 2027-28 तक देश की अर्थव्यवस्था को हम लोग पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तक ले जाएंगे। वहीं हमारा यह भी संकल्प है कि नागर विमानन क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को मिलाकर हमारा देश, जो पाँचवें स्थान पर हैं, उसे भी वर्ष 2030 तक तीसरे नम्बर तक पहुँचाना है।

इन्होंने तीन भागों में प्रश्न किये। पहला प्रश्न कुशीनगर के बारे में पूछा गया। कुशीनगर में सहारनपुर के लिए हमने उड़ान योजना के अंतर्गत बिड अवार्ड कर दिया है। हम जिन 14 रूट्स को कनेक्ट करेंगे, उन्हें हमने उड़ान 5.3 के अंतर्गत सम्मिलित किया है। वर्तमान में, हमने एक रूट अवार्ड कर दिया है। जहाँ तक, गोरखपुर का सवाल है, हम लोग यहाँ भी एयरलाइंस के साथ चर्चा कर रहे हैं। जब वे निर्णय लेंगे, तो उसका क्रियान्वयन भी हम करेंगे।

जहाँ तक बलिया की बात की गई, मैं सांसद महोदय से निवेदन करूँगा कि वे भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करें और मुझसे आकर मिलें। बलिया के लिए जो संभव होगा, उनके साथ चर्चा करके हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 तक केवल छ: एयरपोर्ट्स थे, आज उत्तर प्रदेश में 10 एयरपोर्ट्स संचालित हो चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में 10 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन आने वाले एक साल के अन्दर, जो 10 एयरपोर्ट्स की क्षमता है, अगले एक-दो माह में हम लोग 5 और एयरपोर्ट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसी के साथ सबसे बड़ा सपना केवल उत्तर प्रदेश की जनता का ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता के लिए जेवर में अंतर्राष्ट्रीय विमान तल इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा। जिस उत्तर प्रदेश में केवल छ: एयरपोर्ट्स थे और आज 10 एयरपोर्ट्स हैं, वे इस साल के अंत तक 16 हो जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अब संक्षेप में जवाब दीजिएगा।

माननीय सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे एक-एक लाइन में प्रश्न पूछें।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुणे शहर और पुणे शहर के आसपास की आबादी लगभग 2 करोड़ के ऊपर हो गई है।

माननीय अध्यक्ष : आप भूमिका न बाँधें, सीधे प्रश्न पूछें।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पुणे हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना का हवाई अड्डा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या पुणे में किसी अन्य स्थान पर हवाई अड्डा बनाने की सरकार की कोई योजना है? अगर सरकार इसे बनाना चाहती है, तो वह कितने समय तक बन जाएगा?

*__SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA:__ Sir, I would like to thank Honourable member for raising this query regarding Pune Airport. I am also Marathi. Hence, I am resolved and dedicated towards the overall development of Pune city. A new terminal has been constructed at Pune Airport. We will inspect and surely consider about all the possible requirements. We're going to inaugurate it very soon.

You should raise this issue with the state government and if the state government send us a proposal for second airport, we will definitely look into it.

State government had shared about the proposed site, but local farmers had also requested us in that regard.

So, its state government's responsibility to check the viability. They should check and send it again. We would definitely consider the proposal.*

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, I would like to ask the Minister about Tuticorin Airport and the runway. The work had been started much before COVID-19 period. Many excuses have been given. We will be following up with

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

the Minister also. He is well aware that the pace of work is very, very slow. The work of the terminal building and runway has not been completed. It is already very late and because of that, a lot of businesses and industries are suffering.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: First of all, let me thank her. She is extremely eager about getting this Airport operational. I would like to tell her that we are also very eager to do so. She is very much welcome to come and meet me. I will give her the full details and specification with regard to this Airport and I will jointly monitor this.

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवघर एयरपोर्ट दिया। राज्य सरकार की गलती के कारण सात मकान गिर नहीं रहे थे। 20 दिसंबर को हाई कोर्ट में मैंने केस लड़कर उन मकानों को गिराने का आदेश करा दिया, लेकिन आज तक वह आईएलएस नहीं लग पाया है, स्पेशल वीएफआर के बाद भी हमारी फ्लाइट्स वहाँ लैंड नहीं कर पा रही हैं। देवघर एयरपोर्ट के बारे में हाई कोर्ट का आदेश कब तक इम्पलीमेंट होगा?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : महोदय, सांसद जी आकर मुझसे जरूर मिलें। आईएलएस की प्रक्रिया हम लोग देश के कई एयरपोर्ट्स पर कर रहे हैं। वे जरूर मुझसे आकर मिलें, मैं उन्हें वस्तुस्थिति बता दूँगा।

श्री हसनैन मसूदी : सर, आप जानते हैं कि पिछले साल से श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए एयर ट्रैफिक बढ़ गया है।

माननीय अध्यक्ष : आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री हसनैन मसूदी : सर, क्या सरकार अवंतीपोरा एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाएगी?… (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न के साथ सम्मिलित नहीं है।… (व्यवधान) ये अवंतीपोरा के बारे में मुझसे आकर मिलें, मैं इन्हें अवगत करा दूँगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश माझी जी।

अब सब लोग आपसे मिल लेंगे तो इस प्रश्न को खत्म करते हैं । चलिए, आगे बढ़ते हैं । सभी लोग माननीय मंत्री जी से आकर मिल लेना । आप समय तय कर देना, सभी लोग आपसे आकर मिल लेंगे ।

श्री रमेश चन्द्र माझी : महोदय, धन्यवाद ।

महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया है ।

माननीय अध्यक्ष : हमने कहाँ मौका दिया है? क्या आप खुद ही बोलने का मौका ले रहे हो? नहीं-नहीं, अभी इसका समय नहीं है । मैं आपको अभी मौका नहीं दे रहा हूँ ।

प्रश्न संख्या 83,

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन जी ।

(Q.83)

DR. T. SUMATHY (*A)* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Sir, my question was whether the Government has initiated any startup fund for promoting the marginalised communities including the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The hon. Minister has given a detailed answer for which I am really thankful. I express my thankfulness to him through you.

He has also categorically appreciated our Tamil Nadu State, led proudly by our hon. Chief Minister *Thalapathy* M.K. Stalin as the best performer. It shows that our Tamil Nadu is a forerunner in this case as it has been in many fronts.

My question is whether the Ministry plans to collaborate with Tamil Nadu Government to learn from their successes and replicate effective strategies nationwide to ensure equitable economic growth and empowerment.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : महोदय, माननीय सदस्या ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी किया है, विशेष रूप से 7,559 स्टॉर्ट-अप्स रजिस्टर्ड हुए हैं। जब वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने थे, उस समय मात्र 350 स्टॉर्ट-अप्स देश में थे और इस समय वर्तमान में देश में 1,17,254 स्टॉर्ट-अप्स हैं। मैं कह सकता हूँ कि विशेष रूप से ये स्टॉर्ट-अप्स बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इन्होंने एसटी, एससी की बात कही है। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि एससी के लिए अभी जो पैसा सैंक्शन किया गया था, उसमें 523 करोड़ रुपये स्टॉर्ट-अप्स के लिए दे दिए गए हैं और 213 एससी कंपनियों को यह पैसा दिया गया है। इस तरीके से 736 करोड़ रुपये इसके लिए सैंक्शन किए गए थे। इतना पैसा इन्हें दे दिया गया है।

DR. T. SUMATHY (*A)* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Sir, my supplementary is, in the allocation of funds under the venture capital for

Scheduled Castes, what proportion is specifically designated for women entrepreneurs?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, एससी, एसटी के लिए स्टार्ट-अप लागत का 75 परसेंट वित्त पोषण किया जाता है। सामाजिक और न्याय मंत्रालय द्वारा बीएसएफ के अंतर्गत अम्बेडकर सामाजिक नवाचार मिशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जिसमें विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए पचास करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, बोल दीजिए कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और देते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 84,

श्री अशोक महादेवराव नेते जी।

(Q. 84)

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदय, हम सभी देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात यह है कि देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने सभी आवासहीन नागरिकों के लिए आवास देने का संकल्प किया है और यह स्वागत योग्य है। हम सभी इसके लिए आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का दिल से अभिनंदन करते हैं। देश के ऐसे गरीब लोग, जिन्होंने किश्तों पर टीवी, मोबाइल, फ्रिज, मोटर साइकिल आदि खरीदा है तथा जिनके पास केवल पांच एकड़ भूमि है, वे प्रधान मंत्री आवास की सुविधा से वंचित हो रहे हैं। क्या इन नियमों में छूट देने के लिए माननीय मंत्री जी विचार करेंगे?

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप हाँ या न बोल दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन कंडिशंस की बात कही है, वह प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी में लागू नहीं है। वह ग्रामीण के लिए शर्तें हैं। माननीय सदस्य को इस दृष्टिकोण से देखकर विचार करना चाहिए। सिर्फ अर्बन में केवल तीन लाख रुपये तक की इनकम और उसका देश में कहीं भी पक्का घर न हो, सिर्फ ये दो ही शर्तें हैं। यह डिमांड ड्रिवन स्कीम है, कोई कोटा नहीं है, जितने चाहे उतने घर दिए जा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 85,

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

(Q. 85)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, the National Highway 744 from Kadampattukonam to Chadayamangalam, Chadayamangalam to Pathady, Thenmala, Aryankavu to Tirumangalam is one of the prestigious projects in my Constituency. This is a Greenfield Highway. The land acquisition 3A Notification, and 3D Notification has been completed. It is quite unfortunate to note that the State Government is not willing and ready to share the land acquisition cost of 25 per cent. The work is standstill and the people are finding it very difficult to transact the land. The 3D Notification is cancelled.

My first supplementary question to the hon. Minister is that whether the Government is willing and ready to take up the project as a whole because the total cost of the project will come to around Rs.3000 crore. According to that, the 25 per cent cost will be just around Rs.300 crore. I would like to know whether the Government will take the responsibility to take it as a prestigious project at the entire expense of the Government of India so that the work can be completed.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप यह भी बता दो कि केरल में और अन्य प्रदेशों में एक किलोमीटर सड़क बनाने में कितना अंतर है।

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Respected Speaker, Sir, this is one of the important Highways and I accept it. Actually, this Highway is having four packages in Tamil Nadu and two packages in Kerala. This NH-744, four to six lane carriageway is under progress. It is included under Bharatmala Pariyojana Phase-I. In two packages, already 39 per cent work is completed. In Kerala, where it has two packages, we are already in consultation with the Kerala

Government. I have a meeting with the Chief Minister regarding the land acquisition cost. In Kerala, somewhere the land cost comes to around Rs.50 to Rs.70 crore per kilometre.

The rates are very high. Unfortunately, in Kerala, as there is road-side development and the buildings are there, we need to acquire land and also the houses. The cost is very high, and that is to be one of the biggest problems. When we discussed with the Chief Minister of Kerala, he accepted that they will bear 50 per cent of the cost. The Kerala Government has already contributed Rs. 5,000 crore as part of their share but the cost is very high. After that, they gave me an indication that their Government is not in a position to bear 50 per cent cost. This problem has arisen because of that. Then after discussion with the State Government and the Chief Minister, we found a way out and asked them to contribute only 25 per cent and make exemption for the GST of nine per cent from the State Government which will be notional loss. He accepted that but still we are waiting for a reply from the Government. My Secretary is constantly in contact with the Chief Secretary of Kerala. But still, we have not received a response from them. I am expecting that we will get a positive response from the Kerala Government as early as possible so that we will be in a position to take the decision and start the project.

Out of the five packages in Tamil Nadu, there are three packages for which the DPR is in progress. There are two packages in Kerala. First is at the Kerala-Tamil Nadu border near Aryankavu to Edamon and the other is from Edamon to

Kadampattukonam, which are also at the DPR stage. We will try to resolve this issue as this is a very important one.

In Tamil Nadu also, somewhere we are facing problem regarding getting the aggregate. I had a long discussion with the Chief Minister of Tamil Nadu also. We need cooperation from the State Government, particularly regarding giving aggregate and other permissions for mining, which is very essential. Without that, we cannot construct the road. So, I will appeal to both the Chief Ministers, as this is a very important road and we want to do it, and if they clear all these factors as early as possible, we will definitely start the project.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I thank the hon. Minister for the positive answer given by him. We all appreciate the hon. Minister of Road Transport and Highways, Nitin Gadkari ji for the wonderful performance as regards the National Highways. I do appreciate him for that. But at the same time, what if the State Government is not cooperating because this is Bharat Mala Project? As regards all other roads, the State Government has agreed. There are only two roads – the Cochin bypass and this road – for which they have not even given the concurrences. So, my specific question to the hon. Minister is, will the hon. Minister consider it as a special case if the State Government is not willing to contribute 25 per cent? You have also made another suggestion of the exemption of GST and royalty. Suppose the Government is not willing to do it, will it be considered as a special case? It is a very, very important road connecting the two States. Will it be considered a special case and the entire expense be borne by

the Government of India? It is a flagship programme in my constituency. So, I request you to kindly consider it as a special case.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Respected Speaker Sir, we are awaiting a reply from the State Government of Kerala, either positive or negative. In the meeting, the Chief Minister and the Chief Secretary have already accepted. So, we only need a formal written reply from them. If it is there, there will be no problem about all these factors. But I am positive and want to resolve the issue. In Kerala also, I admit that it is in a specific position and the land acquisition cost is very high. So, somewhere we need to find out some solution for that. We are positive. At least, you convince the Government. Let them send to me a written reply, whether positive or negative, and after that I will be in a position to decide about this issue.

SHRI DAYANIDHI MARAN: Thank you, Speaker, Sir. We have a very dynamic Minister. I am sure that this is the last Question Hour session for you in this Parliament Session. I would like to ask a very specific question about the greenfield project of Chennai-Bengaluru highway. You have already reviewed it and said that it will be completed in 18 months. Could you please give us details at what stage it is at present, and what is the likely date of its completion?

Secondly, for the five years I have been raising a question regarding the old Chennai-Bengaluru highway. I am asking it because especially from Chennai to Ranipet it is impossible to travel as the construction work is stagnated, which is because of the delay caused by the contractors, and because of this people are facing a lot of hardships. I would like you to answer for that.

Lastly, I would request you to share with us the timeframe in which the road from Thoothukkudi to Tirunelveli will be repaired. This road was damaged during the recent flood.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Respectable hon. Member, the connectivity between Bengaluru and Chennai with the express highway is very important because maximum people in Karnataka and Tamil Nadu use roads. So, this highway is very important from business and commercial point of view. We are working very fast on this highway. Some part of it is in Bengaluru and the other part is in Tamil Nadu. I inspected the highway from helicopter and I went up to the Tamil Nadu border. I would like assure the House and the hon. Member that we are trying our level best to complete this highway before December. After completion of this highway, the distance between Bengaluru and Chennai would remain only of two hours. That will create a good opportunity for development of industries, businesses and commercial activities.

Sir, I would like to say that I do not want to politicise the issue, and I would not make any comment against the Chief Minister of the State. But without getting aggregate or without getting the things which we need for road construction, how is it possible for us to complete the road? So, some of the things are related with the State Government and we always need cooperation. The problem is that the fly ash is not available. The thermal power plants are there. But they are not ready to give us fly ash and that is why the work is stuck.

I have already requested the hon. Chief Minister. The Chief Secretary and the State PWD Minister can organize a meeting with the contractors, NHAI

officers and the State Government officers. You can call a meeting. You understand what problems we are facing. On the basis of that, if we could find a way out, I promise you that the work will be completed.

I understand that the road is very important and also the types of problems people would be facing. I also want to find out a solution. Many times I have tried to have meetings with the people concerned. My request to the hon. Member is to take a review of this in Chennai. I am even ready to come to Chennai for that. We will resolve the issue and complete the project.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, kindly give a reply with regard to Thoothukudi road. It is also a very important road. *....(Interruptions)* It falls in my constituency. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : आप उनके वकील नहीं हैं, नो एडवोकेटिंग।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जा कर मंत्री जी से उनके चैम्बर में मिल लीजिएगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं, मैंने मंत्री जी को इजाज़त नहीं दी है।

श्री के. सुरेश जी।

… (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Thank you, Speaker, Sir. I would like to invite the kind attention of the hon. Minister, Shri Nitik Gadakari towards one very import project in Kerala. Actually, the Thirumangalam-Kollam National Highway was diverted to Edamon to Kadambattur. From Edamon to Kollam, 45 kilometres are permitted to have the National Highway status. Edamon-Punalur-Potta are in my

constituency and Kundra-Kollam is the existing highway. You diverted that to greenfield from Edamon to Kadambattur. Will the Edamon to Kollam stretch of the existing national highway continue or will you hand it over to the State PWD? My demand is that the balance portion of the road from Edmond to Punalur-Kottarakara 5.17 should be existing as national highway.

I would request you to give the national highway status to the balance portion of Edamon to Kollam.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Hon. Speaker, Sir, Edamon to Kollam covers a distance of 38.62 kilometres. The cost of the project is Rs.1,700 crore. The total project cost is coming to Rs.6,270 crore. The total length is Rs.208.5 kilometres, out of which five packages are in Tamil Nadu and two in Kerala. Now, this is to be executed by the NHAI and somewhere by the State PWD unit also. We take the responsibility of that and that will be treated State PWD Unit - NH Division.

We will just complete the DPR and consider the demand of the hon. Member to give this whole project to NHAI and get it completed by NHAI.

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नंबर 86, श्रीमती रमा देवी

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, इतने सारे सदस्य मंत्री जी की सराहना करते हैं, यह देखने वाली चीज है ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, गडकरी जी जब जवाब दे रहे थे, तब सारे मेम्बर्स उनकी सराहना कर रहे थे ।… (व्यवधान)

सर, दूसरी चीज, यह पहली बार मैंने देखा कि without resorting to cultification of our Prime Minister, he has dared to reply the question.

श्री नितिन जयराम गडकरी: प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पॉलिसी होती है, उसी का मैं जवाब देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 86,

श्रीमती रमा देवी जी।

(Q. 86)

श्रीमती रमा देवी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण सहायता, प्रौद्योगिकी सहायता, अवसंरचना विकास तथा कौशल विकास सहित क्षेत्रों में कई योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ दिया जा रहा है। उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम-विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से 18 तरह के पारंपरिक पेशों से जुड़े हुए कारीगरों एवं शिल्पकारों को गारंटी मुक्त लोन देने का प्रावधान भी किया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कोविड काल में जो कल-कारखाने बंद हो गए थे और अभी रुग्ण अवस्था में हैं, क्या केंद्र सरकार ने उनकी सहायता के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हाँ, तो बिहार सहित पूरे देश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? कोरोना काल में जो कारखाने बंद हो गए थे, रुग्ण हो गए थे, ऐसी स्थिति में कल-कारखानों का जो दशा है, उसमें क्या सुधार लाया जा रहा है? इसके बारे में माननीय मंत्री जी जवाब दें।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है कि कोरोना काल में एमएसएमई की जो यूनिट्स सिक हुई थीं, उनके लिए सरकार ने क्या किया है। विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने, कोरोना काल में हमारी जो यूनिट्स सिक हुई थीं, उनको तुरंत ही चालू करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एक ईसीएलजीएस योजना लागू की थी। उसके अंतर्गत सबसे पहले वर्ष 2020 में उन्होंने करीब 3 लाख करोड़ रुपये दिया था। इसके बाद वर्ष 2021 में 1.5 लाख करोड़ रुपये और दिया गया। अभी जो हमारी बजट आया, आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उसमें 50,000 करोड़ रुपये और दिया गया। इस तरह पाँच लाख करोड़ रुपये ईसीएलजीएस योजना के अंतर्गत इन यूनिट्स को दिया गया है।

महोदय, अभी तक एमएसएमई के अंतर्गत जो यूनिट्स हैं, उनको 3,62,000 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं और एमएसएमई को भी करीब 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जा चुकी है।

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष जी, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को बेहतर रूप में धरातल में पहुंचाने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे पैसे देने की बात कही है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। स्थानीय सांसद की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई नीति बनाई जा सकती है, जिसके माध्यम से सांसद अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एमएसएमई को प्रभावी रूप से शुरू करवाने के लिए अपना योगदान दे सके?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सांसद महोदया एक अच्छी सांसद हैं और अपने क्षेत्र में भी ढेर सारे काम करती हैं। विशेष रूप से मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वहां निरीक्षण के लिए सांसद जिले की विविध समितियों के मेंबर भी होते हैं और दिशा कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं। ये सारी योजनायें उन्हीं के अंतर्गत आती हैं। वे जिस योजना की चाहें समीक्षा कर सकती हैं, देख सकती हैं। वहां भेजकर कोई सुझाव देना चाहती हैं, तो उसे दे सकती हैं।

श्रीमती नवनित रवि राणा : अध्यक्ष महोदय, इंप्लायमेंट जेनरेटेड बाई एमएसएमईज़ पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, सोनीपत के बारे में मैं आपसे यह भी जानना चाहती हूं एमएसएमईज़ के अंतर्गत क्या सरकार अमरावती में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ स्थापित करने पर विचार कर रही है? इसके माध्यम से हमारे अमरावती में और महाराष्ट्र में कितनी इंप्लायमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जेनरेट हुई है?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में कुल 131.85 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है, जिसमें वहां करीब 29 हजार इंप्लाईज़ के लिए रोजगार जेनरेशन हुआ है। अमरावती जिले में 4.2 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है और उससे करीब 1 हजार लोगों को उसका लाभ मिला है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 87,

श्री ए. राजा जी।

(Q. 87)

SHRI A. RAJA: Sir, I should appreciate my colleague, the hon. Minister, that a detailed answer has been given by him. At the same time, with due respect to the hon. Minister, I am not fully satisfied with the answer. How many flights were cancelled due to various reasons? Broadly speaking, three reasons were given by the Minister. One is weather. The second one is technical. We are travelling at a time when we have advanced systems in the scientific field. I can understand the technical reasons due to which suddenly a flight can be cancelled. For weather and commercial reasons, it can be foreseen early and advance intimation must be given. Suppose, I booked a ticket. It may be for attending a funeral or it may be for attending a very important function. If the flight is cancelled, the consequences will be irreparable.

My first question is this. You are having omnipotent authority over the statutory body. I would like to know whether the Government is going to devise detailed guidelines with dos and don’ts to avoid such hardship because people are forced to sit on the tarmac and take food. The Director General of Civil Aviation rightly said that it is a violation of apron discipline. Such a grave incident has taken place. What will be the comprehensive policy of the Government with dos and don’ts and punitive provisions to avoid all these things?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, Raja ji has raised a very pertinent question. I would like to just take his attention to the data. When one actually sees the data of cancellations in our country this year, it is 0.3 per cent due to weather; it is 0.2 per cent due to commercial and operation reasons; and it is 0.2 per cent

due to technical reasons. You look at our fleet size which has doubled in the last ten years. You look at the number of air traffic movements per week which has grown by 22 per cent in the last two years only. Even if you take all three reasons for cancellations together, it comes to 0.7 per cent of our total air traffic movements in civil aviation across the country. This is the first point.

Secondly, he is absolutely right that in the event of a cancellation or a delay, there are two things that need to be taken care of and I would like it to emphasise to him.

He has only emphasised one area, which is the security concerns with regard to an airport being integral to the security of a country. Therefore, if there is any infringement on that, strict action must be taken. But along with that Raja ji has made another very important point also that any inconvenience to passengers on that account and the very fact that an aircraft in Mumbai was parked on the tarmac and passengers had to have their meals on a tarmac is unacceptable as far as we are concerned. There was no reason for that to have happened. The airline should have radioed the airport in advance. That plane should have been parked at an air terminal with an apron. Passengers should have been disembarked. They should have been given food properly. Then when the plane was ready, they should have been boarded again and then taken to their destination.

We have imposed a fine on both the airline and the airport because it is unacceptable to us on both counts, one inconvenience to passengers and second infringement of security. That though, I must say, happened due to a very adverse

fog condition. We have not experienced the kind of fog conditions that we have experienced this year in the last decade or even more than that. Even though that being the case, we have put in place now regulations with regard to delays. If a flight gets delayed by more than three hours, it is imperative that the airline cancel it. I would not brook any inconvenience to my passengers beyond three hours, and they should be put onto another flight.

Most importantly, with regard to ILS, CAT-I, CAT-II and CAT-III, we have close to about 33 ILS systems that we are putting in place in multiple airports today, 16 where equipment is being brought and from where we had only one airport with ILS system in 2014 with CAT-III system, we have now six airports with CAT-III systems and a total of 50 airports which have ILS, CAT-I and CAT-III.

SHRI A. RAJA: Sir, my second supplementary is with regard to tariff. My understanding may be right or wrong, but the tariff is not directly fixed by the Government. In other words, there must be some say in fixing tariff acceptable to the Government and the people.

As far as refund and traffic is concerned, I think that irrational ups and downs are there. Is the Government going to control it properly with due sense or not?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, this Question was about fog-related delays and not related to air fares. But I would like to inform Raja ji, through you that we are a deregulated sector and I do not think his intention is to want us to regulate a deregulated sector.

Having said that, we must also understand that the civil aviation industry not only in India but across the world is a seasonal industry. So, you have periods of high traffic and you have periods of low traffic. Most importantly, from Dussehra till middle of January is your high season. Then, from January to April is your low season. Then, children holidays start in May and you have high season again until June. Monsoon sets in and you have a low season. This is a trend across the world. Therefore, there are hikes in tariff in high season and there are lows in tariff in the low season.

It is important for us as Members of Parliament as well to compare apples to apples. So, you must compare a high tariff season with a high tariff season of last year and a low tariff season with a low tariff season of last year. And if we actually do that comparison, you will see that there has been a 10 to 12 per cent reduction in hike in tariffs across the board. The only time when there was an inordinate increase in tariff was on the 5th of June when I took a meeting in 2022 when we had two situations occurring at the same time. Firstly, we were in a high season and secondly unfortunately one of our airlines was totally on ground, namely Go First. So, 53 planes out of a fleet of 700 suddenly were just parked on the ground. This resulted in high tariff in four or five cities, namely Pune, Leh, Srinagar, Ahmedabad, Mumbai. I constituted a meeting immediately, and within two weeks of that those tariffs were also brought down with our Tariff Monitoring Unit from DGCA.

HON. SPEAKER: Supplementary by Shri A. Ganeshamurthi.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Member, please start speaking.

… (*Interruptions*)

[*] **SHRI A. GANESHAMURTHI:** Hon. Minister has given a detailed reply to the Questions raised by Shri A. Raja. I wish to seek some clarifications. When the flight services are cancelled due to technical glitches, floods and bad weather, will the Government try to provide for an alternative flight? Hundreds of new airports have been started. What is the use of these airports? Whether they are for the use of private players or for the use of poor and ordinary persons?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: We are in an industry which is in the air. Actually, flood is not something that affects directly; weather, of course, does but not necessarily floods.

As far as weather is concerned, I have already answered the question. Fog is something that we cannot ascertain before but when the Runway Visibility Range (RVR) is lower than 550m, that is a fog condition and depending on the category of ILS in Cat-1, Cat-2, and Cat-3, we can permit take-offs and landings. Let me assure the House that our capability in Delhi and in one or two other metros is even beyond the western world in terms of both. We need three conditions. We need an airport to have the capability, we need to have an airplane to have the capability, and we need pilots to have the capability. On all three counts, we are ahead of the western world.

---

[*] English translation of the speech originally delivered in Tamil.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 88 to 100
Unstarred Question Nos. 921 to 1150)
(Page No. 42 to 696)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir you said that you will allow me to speak.

माननीय अध्यक्ष : आपको पेपर्स ले होने के बाद मौका दिया जाएगा। You have raised the issue already.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, आपने यह विषय कई बार उठाया है।

… (व्यवधान)

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

आइटम नंबर 2, श्री कौशल किशोर जी

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): माननीय अध्यक्ष जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी की ओर से मैं कैंलेडर वर्ष 2022 में प्रत्येक प्रकार के सामान्य पूल रिहायशी आवास में होने वाली 5% रिक्तियों के लिए दिनांक 17.11.1997 के दिशानिर्देशों के संबंध में सामान्य पूल रिहायशी आवास के किए गए विवेकाधीन बिना बारी के आवंटनों के वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 11291/17/24]

12.02½ hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): माननीय सभापति जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी की ओर से, मैं 14वीं, 16वीं और 17वीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और परिवचनों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

चौदहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 36 चौथा सत्र, 2005

[Placed in Library, See No. LT 11292/17/24]

सोलहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या 33 तीसरा सत्र, 2014

[Placed in Library, See No. LT 11293/17/24]

3. विवरण संख्या 25 सातवां सत्र, 2016

[Placed in Library, See No. LT 11294/17/24]

सत्रहवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या 21 पहला सत्र, 2019

[Placed in Library, See No. LT 11295/17/24]

5. विवरण संख्या 17 दूसरा सत्र, 2019

[Placed in Library, See No. LT 11296/17/24]

6. विवरण संख्या 16 चौथा सत्र, 2020

[Placed in Library, See No. LT 11297/17/24]

7. विवरण संख्या 16 पांचवां सत्र, 2021

[Placed in Library, See No. LT 11298/17/24]

8. विवरण संख्या 15 छठा सत्र, 2021

[Placed in Library, See No. LT 11299/17/24]

9. विवरण संख्या 9 सातवां सत्र, 2021

[Placed in Library, See No. LT 11300/17/24]

10. विवरण संख्या 9 आठवां सत्र, 2022

[Placed in Library, See No. LT 11301/17/24]

11. विवरण संख्या 6 नौवां सत्र, 2022

[Placed in Library, See No. LT 11302/17/24]

12. विवरण संख्या 4 दसवां सत्र, 2022

[Placed in Library, See No. LT 11303/17/24]

13. विवरण संख्या 4 ग्यारहवां सत्र, 2023

[Placed in Library, See No. LT 11304/17/24]

14. विवरण संख्या 1 चौदहवां सत्र, 2023

[Placed in Library, See No. LT 11305/17/24]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह) : माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 5153(अ) जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में एनएच-8ङ के डिजाइन कि.मी. 287.430 से कि.मी. 379.100 तक गाडू-पोरबंदर खंड के 2एलपीएस/4एल खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 5327(अ) जो दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एनएच-179ए के डिजाइन कि.मी. 36.000 से कि.मी. 80.000 तक सेलम से वनियमबडी खंड तक चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 5328(अ) जो दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एनएच-179ए के डिजाइन कि.मी. 80.000 से कि.मी. 125.000 तक सेलम तिरुपतूर-वनियमबडी सड़क खंड के चार लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 5366(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में बीओटी (टोल) आधार पर समखियाली से संतालपुर खंड तक कि.मी. 339.200 से कि.मी. 430.100 तक एनएच-27 (पुराना एनएच-15) की छह लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 5368(अ) जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-330ए के डिजाइन कि.मी. 47.800 से कि.मी. 108.020 तक जगदीशपुर-अयोध्या खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 39(अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-47 के डिजाइन कि.मी. 0.400 से कि.मी. 121.248 तक हरदा-बैतूल खंड के चार या अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 149(अ) जो दिनांक 14 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-752जी के डिजाइन कि.मी. 50.200 से कि.मी. 98.800 तक नादुरबार (कोल्डे) – प्रकाशा - शहादा – खेतिया (एमपी/एमएच राज्य

सीमा) खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 298(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5327(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 299(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में एनएच-148बी के डिजाइन कि.मी. 236.600 से कि.मी. 239.480 और कि.मी. 244.540 से कि.मी. 287.548 तक मूनक-जखल-बुढलडा-भीखी खंड के 2 एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 300(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में एनएच-74 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 71.614 तक हरिद्वार-नगीना के चार लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 301(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में एनएच-31सी (नए एनएच-27) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 30.000 तक एनएच-31सी (नए एनएच-27) के कोचुगांव से श्रीरामपुर खंड तक चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 302(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कि.मी 16.350. से कि.मी. 97.200/0.000 तक (पठानकोट-जम्मू खंड), कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.305/9.370 (जम्मू बाइपास) तक और जम्मू उधमपुर खंड के कि.मी. 9.370 से कि.मी. 52.457/0.00 तक नगरोटा बाइपास सहित कि.मी. 9.800 से कि.मी. 21.500 तक तथा जम्मू और कश्मीर के एनएच-1ए (नए एनएच-44) के

जम्मू श्रीनगर खंड पर उधमपुर बाईपास के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 16.387/67.000 तक चार या अधिक लेन के खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 303(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-50 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 54.370 तक महाराष्ट्र सीमा से बीदर खंड के 2 एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 355(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-31 (पुराने एनएच-232ए) के डिजाइन कि.मी. 1.000 से कि.मी. 70.000 तक उन्नाव से लालगंज खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पन्द्रह) का.आ. 356(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-648 (पुराने एनएच-207) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 42.000 तक डोबासपेट से डोड्डाबल्लापुर बाईपास खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 11306/17/24]

(2) (एक) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11307/17/24]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 11308/17/24]

(5) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11309/17/24]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उप महानिदेशक (एनएमईईई) की नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें संशोधन नियम, 2023, जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 873(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 11310/17/24]

(2) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11311/17/24]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11312/17/24]

(3) (एक) पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर, तमिलनाडु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर, तमिलनाडु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11313/17/24]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, कानपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, कानपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11314/17/24]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली लिमिटेड के ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम, नानी दमन के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली लिमिटेड के ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम, नानी दमन का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 11315/17/24]

(ख) (एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11316/17/24]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): माननीय सभापति जी, श्री रामेश्वर तेली जी की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत पेट्रोरिसोर्सेस लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) भारत पेट्रोरिसोर्सेस लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 11317/17/24]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 11318/17/24]

(2) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11319/17/24]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11320/17/24]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023

का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 11321/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I rise to lay on the Table:-

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2022-2023, along with Audited Accounts.

   (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2022-2023.

2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11322/17/24]

3. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2022-2023, along with Audited Accounts.

   (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2022-2023.

4. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 11323/17/24]

5. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Rajkot, for the year 2022-2023, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Rajkot, for the year 2022-2023.

6. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 11324/17/24]

7. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, for the year 2022-2023

8. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 11325/17/24]

9. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Guwahati, for the year 2022-2023,

alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Guwahati, for the year 2022-2023.

10. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 11326/17/24]

11. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bathinda, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bathinda, for the year 2022-2023.

12. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 11327/17/24]

13. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2022-2023.

14. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 11328/17/24]

15. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Mangalagiri, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Mangalagiri, for the year 2022-2023.

16. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 11329/17/24]

17. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Raebareli, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Raebareli, for the year 2022-2023.

18. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, See No. LT 11330/17/24]

19. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Kalyani, for the year 2022-2023,

alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Kalyani, for the year 2022-2023.

20. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

[Placed in Library, See No. LT 11331/17/24]

21. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Medical Commission, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Medical Commission, New Delhi, for the year 2022-2023.

22. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

[Placed in Library, See No. LT 11332/17/24]

23. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2022-2023.

24. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

[Placed in Library, See No. LT 11333/17/24]

25. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, for the year 2022-2023.

26. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 11334/17/24]

27. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bilaspur, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of All India Institute of Medical Sciences, Bilaspur, for the year 2022-2023.

28. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

[Placed in Library, See No. LT 11335/17/24]

29. A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the HLL Biotech Limited, Thiruvanthapuram, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the HLL Biotech Limited, Thiruvanthapuram, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

30. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

[Placed in Library, See No. LT 11336/17/24]

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय सभापति जी, श्री बिश्वेश्वर टुडु जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) वाप्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाप्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 11337/17/24]

(ख) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11338/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I beg to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2022-2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11339/17/24]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi, for the year 2022-2023.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 11340/17/24]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 56 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020:-

(i) The National Commission for Indian System of Medicine (Ethics and Registration) Regulations, 2023 published in Notification No. F. No 20-28/2022-Reg./(Regulation)/(E) in Gazette of India dated 29th December, 2023.

(ii) The National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Unani Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. BUSS/MES(UNANI-UG-Regl)/2023 in Gazette of India dated 29th December, 2023.

(iii) The National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Sowa-Rigpa Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2023 published in Notification No. File No. 18-12/2022-BUSS (Sowa-Rigpa_UG-MES) in Gazette of India dated 29th December, 2023.

(iv) The National Commission for Indian System of Medicine (National Examinations for Indian System of Medicine) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No.Sec/NCISM/Reg(1)/2023 in Gazette of India dated 20th December, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 11341/17/24]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Unani Medicine, Bengaluru, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Unani Medicine, Bengaluru, for the year 2022-2023.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 11342/17/24]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Homoeopathy, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Homoeopathy, New Delhi, for the year 2022-2023.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

[Placed in Library, See No. LT 11343/17/24]

(10) A copy of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda (Amendment) Regulations, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. L-12015/16/2023-AS in Gazette of India dated 19th January, 2024 under Section 29 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020.

[Placed in Library, See No. LT 11344/17/24]

(11) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 11345/17/24]

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine

Research, Pasighat, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research, Pasighat, for the year 2022-2023.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 11346/17/24]

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2022-2023.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 11347/17/24]

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research

in Siddha, Chennai, for the year 2022-2023.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, See No. LT 11348/17/24]

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi, for the year 2022-2023.

(20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

[Placed in Library, See No. LT 11349/17/24]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): महोदय, श्री जॉन बर्ला जी की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 11350/17/24]

12.03 hrs

LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

माननीय सभापति : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 07 फरवरी, 2024 को सभा में प्रस्तुत अपने तेरहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित सदस्य को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए:-

1	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल	05.12.2023 **से** 21.12.2023

क्या सभा की यह इच्छा है कि समिति द्वारा अनुशंसित अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, *हां।*

माननीय सभापति : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्य को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

… (व्यवधान)

12.03½ hrs

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

22nd and 23rd Reports

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): महोदय, मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्यांक 14 के सीएण्डएजी लेखापरीक्षा पैरा सं. 6.1 के आधार पर हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) से संबंधित तांबा अयस्क ट्रेलिंग परिष्करण संयंत्र के निर्माण पर अनुपयोगी व्यय' विषय संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(2) 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित सड़क परियोजनाओं को ऋणों की समीक्षा (वर्ष 2020 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्यांक 18 के पैरा सं. 5.1 के आधार पर)' के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

12.04 hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

104th to 123rd Reports

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2023-24):-

(1) One Hundred fourth Report on 'Inventory Management in Ordnance Services'.

(2) One Hundred fifth Report on 'Loss of Revenue and Undue Benefit to the Licensee'.

(3) One Hundred sixth Report on 'Avoidable Payment of Compensation Charges for Low Power Factor- V.O. Chidambaranar Port Trust'.

(4) One Hundred seventh Report on 'Training of Officers in Indian Navy'.

(5) One Hundred eighth Report on 'Dredging activities in Kolkata Port Trust'.

(6) One Hundred ninth Report on 'Revenue loss to Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT)'.

(7) One Hundred tenth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Forty-eighth Report (17th Lok Sabha) on 'Levy of Anti-Dumping Duty on Imports'.

(8) One Hundred eleventh Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their

Fifty-first Report (17th Lok Sabha) on 'Assessment of Assessees in Entertainment Sector (DT)'.

(9) One Hundred twelfth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Sixty-first Report (17th Lok Sabha) on 'Non-utilisation of Solar Thermal Power Plant'.

(10) One Hundred thirteenth Report on 'Development of Railway Land for Commercial use by Rail Land Development Authority'.

(11) One Hundred fourteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their 66th Report (16th Lok Sabha) on 'Non-compliance by theMinistries / Departments in Timely submission of Action Taken Notes on the non-selected Audit Paragraphs (Civil and Other Ministries)'.

(12) One Hundred fifteenth Report on 'Catering Services in Indian Railways'.

(13) One Hundred sixteenth Report on Action taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in 49th Report on 'Assessment relating to Agricultural income'.

(14) One Hundred seventeenth Report on Action taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in 53rd Report on 'Excesses Over Voted Grants and Charged Appropriation (2019-20)'.

(15) One Hundred eighteenth Report on 'Inordinate delay in setting up of Indian National Defence University (INDU)'.

(16) One Hundred nineteenth Report on 'Loss of Revenue due to failure to revise Casual Occupation and Service Charges'.

(17) One Hundred twentieth Report on 'Short Assessment of rent'.

(18) One Hundred twenty-first Report on 'Disability Pension in Indian Army'.

(19) One Hundred twenty-second Report on 'Audit of Pay & Allowances in Police Department, UT, Chandigarh'.

(20) One Hundred twenty-third Report on Action taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in 72^{nd} Report on 'Irregularities in awarding of major works of SEEPZ, SEZ Authority, Mumbai'.

12.04½ hrs

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

Minutes

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 06.02.2024 को हुई 13वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

12.05hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

30th to 33rd Reports

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधीन विभिन्न विभागों/संगठनों/संस्थाओं में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

(3) गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल (सीआईएसएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(4) गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (सीआरपीएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

12.06 hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

171st to 183rd Reports

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 171वां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 172वां प्रतिवेदन।

(3) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), गुड़गांव के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 173वां प्रतिवेदन।

(4) कोरापुट डेपलवमेंट फाउंडेशन कोरापुट, ओडिशा के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 174वां प्रतिवेदन।

(5) राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए), चेन्नई के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 175वां प्रतिवेदन।

(6) राष्ट्रीय गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान (एनआईएचई), अलमोड़ा के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 176वां प्रतिवेदन।

(7) ऑरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम, तमिलनाडु के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 177वां प्रतिवेदन।

(8) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रोद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), अमेठी के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 178वां प्रतिवेदन।

(9) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्री सिटी चित्तूर के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 131वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 179वां प्रतिवेदन।

(10) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 143वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 180वां प्रतिवेदन।

(11) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 151वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 181वां प्रतिवेदन।

(12) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 149वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर उपभोक्ता मामले मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 182वां प्रतिवेदन।

(13) रेल सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 132वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर रेल मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 183वां प्रतिवेदन।

12.07 hrs

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

98th to 101st Reports

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर) : महोदय, श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी की ओर से मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) ‘महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 98वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (स्वीकृत)' के बारे में 99वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (अस्वीकृत)' के बारे में 100वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 101वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

12.08 hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

54th to 57th Reports

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'डिजीटल भुगतान और डाटा संरक्षण के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपाय' विषय संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

(2) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'नागरिक डाटा सुरक्षा और निजता' के बारे में समिति के 48वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'भारत में केबल टेलीविजन का विनियमन' विषय संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

(4) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग-पहलें और चुनौतियां' विषय संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

12.09 hrs

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

47th Report

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Sir, I beg to present the Forty-seventh Report (Hindi and English versions) on the subject 'A review of functioning of Zila Sainik Boards in the Country' of the Standing Committee on Defence.

12.10 hrs

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

24th Report

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, मैं 'तेल पीएसयू से जुड़ी मुकदमेबाजी' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.10 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS

21st Report

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): सभापति महोदय, मैं 'स्मार्ट सिटी मिशन: एक मूल्यांकन' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.11 hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

50th to 52nd Reports

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): सभापति महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित उपकरण उद्योग का चिकित्सा' विषय संबंधी 'संवर्धन50वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें' (2023-24)' के बारे में समिति के 41वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

(3) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित दन के लिए आयोजना उत्पा उर्वरक' तथा जीएसटी और आयात शुल्क सहित उर्वरकों पर आयात नीति के बारे में समिति के '43वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

12.11½ hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

37th Report

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I beg to present the Thirty-seventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development & Panchayati Raj on Rural Employment through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) – An insight into wage rates and other matters relating thereto pertaining to the Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

12.12 hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

186th and 187th Reports

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce:-

1. 186th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Eighty-first Report on 'Development of Trade and Industries in North Eastern Region'.
2. 187th Report on 'Comprehensive Strategy to Map Major Products and Countries to Maximize Exports and Minimise Imports'.

12.12½ hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

364th to 369th Reports

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

1. Three Hundred Sixty-fourth Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Three Hundred Forty-third Report on Demand for Grants (2023-24) of Ministry of Tourism.
2. Three Hundred Sixty-fifth Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Three Hundred Fiftieth Report on the subject 'Development of Greenfield and Brownfield Airports and Issues pertaining to Civil Enclaves in Defence Airports'.
3. Three Hundred Sixty-sixth Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Three Hundred Fifty-third Report on the subject 'Issue of Fixing of Airfares'.
4. Three Hundred Sixty-seventh Report on the subject 'Operation and Maintenance of National Highways and Management of Toll Plaza'.
5. Three Hundred Sixty-eighth Report on the subject 'Status of Ship Building, Ship Repair and Ship Breaking Industries in the Country'.

6. Three Hundred Sixty-ninth Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Three Hundred Fifty-second Report on the subject 'Functioning of Major Ports in the Country'.

12.13 hrs

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

152nd to 155th Reports

DR. SANGHAMITRA MAURYA (BADAUN): Sir, I beg to to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare:-

1. 152nd Report on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 144th Report on Demands for Grants 2023-24 (Demand No. 47) of the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare.
2. 153rd Report on Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations contained in the 145th Report on Demands for Grants 2023-24 (Demand No. 4) of the Ministry of Ayush.
3. 154th Report on Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations contained in the 143rd Report on Demands for Grants 2023-24 (Demand No. 46) of the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare.
4. 155th Report on Functioning of Central Government Health Scheme (CGHS).

____

12.13½ hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 429 DATED 21.07.2023 REGARDING STEM CELL ALONGWITH REASONS FOR DELAY*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (PROF. S.P. SINGH BAGHEL): Sir, I beg to lay the Statement correcting the reply given on 21.7.2023 to Unstarred Question No. 429 (Hindi and English versions) by Shri Sunil Kumar Pintu, MP regarding 'Stem Cell' and reasons for delay.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11289/17/24.

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
PROF. S.P. SINGH BAGHEL

राज्य मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
HEALTH & FAMILY WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA

723

No. Q-11034/31/2023-HR(ICMR)
Dated 05th February, 2024

To,

The Secretary General,
Lok Sabha, New Delhi

Sir,

Due to a typographical error, information given in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 429 answered on 21.07.2023 requires some correction. I propose to make a statement on 08.02.2024, correcting reply of the said Unstarred Question.

Two copies of the statement (English and Hindi version) proposed to be made, duly authenticated, are enclosed.

Yours faithfully,

(Prof. S.P. Singh Baghel)

कमरा सं. 650, छठा तल 'ए' विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110011, फोन : +91–11–23061998, 23062427
Room No 650, 6th Floor, 'A' Wing, Nirman Bhavan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011, Tele : +91-11-23061998, 23062427
E-mail : mos-hfw@gov.in

724

(Prof. S. P. Singh Baghel)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

STATEMENT TO BE MADE BY THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE CORRECTING THE STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 429 RAISED BY SHRI SUNIL KUMAR PINTU HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT ANSWERED ON 21/07/2023 REGARDING STEM CELL.

I beg to make a statement to correct the reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 429 raised by Shri Sunil Kumar Pintu, Hon'ble Member of Parliament answered on 21/07/2023.

Question	Previous Reply	Revised Reply
(a) the time by which the extensive report published by Directorate General of Health Services (DGHS) in January, 2022 on the list prepared by the specialists for practice of stem cell therapy and standard operating procedure for its monitoring and control is likely to be made public; and (b) if not, the reasons therefor?	(a) to (b): The Directorate General of Health Services (DGHS), Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has informed that while preliminary work was initiated at DGHS in January 2022, it could not be completed. However, a process has been established in MoHFW for development of comprehensive evidence-based guidelines using a rigorous and robust scientific process for clarity among stakeholders, including patients, clinicians, and the general public. The generation of such evidence includes collation of systematic reviews (SR) and meta-analysis (MA) of existing literature on well-defined clinical questions. Such rigorously developed evidence-based guidelines have the potential of translating the best available evidence of any healthcare intervention into practice.	(a) to (b): The Directorate General of Health Services (DGHS), Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has informed that while preliminary work was initiated at DGHS in January 2021, it could not be completed. However, a process has been established in MoHFW for development of comprehensive evidence-based guidelines using a rigorous and robust scientific process for clarity among stakeholders, including patients, clinicians, and the general public. The generation of such evidence includes collation of systematic reviews (SR) and meta-analysis (MA) of existing literature on well-defined clinical questions. Such rigorously developed evidence-based guidelines have the potential of translating the best available evidence of any healthcare intervention into practice.

The correcting statement may be brought to the notice of House.

Revised Reply 726

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 429
TO BE ANSWERED ON 21ST JULY, 2023

सत्यापित प्रति / Authenticated Copy
प्रो. एस. पी. सिंह बघेल
PROF. S. P. SINGH BAGHEL
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
Minister of State for Health & Family Welfare

STEM CELL

429. SHRI SUNIL KUMAR PINTU:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the time by which the extensive report published by Directorate General of Health Services (DGHS) in January, 2022 on the list prepared by the specialists for practice of stem cell therapy and standard operating procedure for its monitoring and control is likely to be made public; and

(b) if not, the reasons therefor?

ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(PROF. S.P. SINGH BAGHEL)

(a) to (b): The Directorate General of Health Services (DGHS), Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has informed that while preliminary work was initiated at DGHS in January 2021, it could not be completed. However, a process has been established in MoHFW for development of comprehensive evidence-based guidelines using a rigorous and robust scientific process for clarity among stakeholders, including patients, clinicians, and the general public. The generation of such evidence includes collation of systematic reviews (SR) and meta-analysis (MA) of existing literature on well-defined clinical questions. Such rigorously developed evidence-based guidelines have the potential of translating the best available evidence of any healthcare intervention into practice.

*****

old Ref 5726

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 429
TO BE ANSWERED ON 21ST JULY, 2023

STEM CELL

429. SHRI SUNIL KUMAR PINTU:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the time by which the extensive report published by Directorate General of Health Services (DGHS) in January, 2022 on the list prepared by the specialists for practice of stem cell therapy and standard operating procedure for its monitoring and control is likely to be made public; and

(b) if not, the reasons therefor?

ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(PROF. S.P. SINGH BAGHEL)

(a) to (b): The Directorate General of Health Services (DGHS), Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has informed that while preliminary work was initiated at DGHS in January 2022, it could not be completed. However, a process has been established in MoHFW for development of comprehensive evidence-based guidelines using a rigorous and robust scientific process for clarity among stakeholders, including patients, clinicians, and the general public. The generation of such evidence includes collation of systematic reviews (SR) and meta-analysis (MA) of existing literature on well-defined clinical questions. Such rigorously developed evidence-based guidelines have the potential of translating the best available evidence of any healthcare intervention into practice.

*****

727

<u>Delay Statement</u>

The authentication of the documents to ascertain the timeline of initiation of preliminary work on use of Stem Cell as standard of care for therapeutic use, took some time, due to which there was delay in laying the correct version of the reply.

Authenticated

(Prof. S.P Singh Baghel)
Minister of State for Health & Family Welfare
Government of India

738

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

श्री सुनील कुमार पिन्टू, माननीय संसद सदस्य द्वारा 21/07/2023 को स्टेम सेल के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 429 के उत्तर में संदर्भित विवरण को सही करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा दिया जाने वाला विवरण।

मैं, माननीय संसद सदस्य श्री सुनील कुमार पिन्टू द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 429 के उत्तर को सही करने के लिए एक बयान देना चाहता हूं, जिसका उत्तर 21/07/2023 को दिया गया था।

प्रश्न	पिछला उत्तर	संशोधित उत्तर
(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा स्टेम सेल थेरेपी की प्रैक्टिस के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई सूची और इसकी निगरानी और नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में जनवरी, 2022 में प्रकाशित व्यापक रिपोर्ट को कब तक सार्वजनिक किए जाने की संभावना है; और (ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	(क) से (ख): स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने सूचित किया है कि डीजीएचएस में प्रारंभिक कार्य जनवरी 2022 में शुरू किया गया था, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका । तथापि, रोगियों, चिकित्सकों और आम जनता सहित हितधारकों के बीच स्पष्टता के लिए एक कठोर और मजबूत वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए व्यापक साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों के विकास के लिए एमओएचएफडब्ल्यू में एक प्रक्रिया स्थापित की गई है। इस तरह के साक्ष्यों के निर्माण में अच्छी तरह से परिभाषित नैदानिक प्रश्नों पर मौजूदा साहित्य की व्यवस्थित समीक्षाओं (एसआर) और मेटा-विश्लेषण (एमए) का मिलान शामिल है। इस तरह के कड़ाई से विकसित साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों में किसी भी स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप के सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य को व्यवहार में लाने की क्षमता है।	(क) से (ख): स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने सूचित किया है कि डीजीएचएस में प्रारंभिक कार्य जनवरी 2021 में शुरू किया गया था, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका । तथापि, रोगियों, चिकित्सकों और आम जनता सहित हितधारकों के बीच स्पष्टता के लिए एक कठोर और मजबूत वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए व्यापक साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों के विकास के लिए एमओएचएफडब्ल्यू में एक प्रक्रिया स्थापित की गई है। इस तरह के साक्ष्यों के निर्माण में अच्छी तरह से परिभाषित नैदानिक प्रश्नों पर मौजूदा साहित्य की व्यवस्थित समीक्षाओं (एसआर) और मेटा-विश्लेषण (एमए) का मिलान शामिल है। इस तरह के कड़ाई से विकसित साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों में किसी भी स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप के सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य को व्यवहार में लाने की क्षमता है।

सही विवरण को सदन के संज्ञान में लाया जाए।

अतारांकित उत्तर 429

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 429
दिनांक 21 जुलाई, 2023 को उत्तर देने के लिए

सत्यापित प्रति / Authenticated Copy
प्रो. एस. पी. सिंह बघेल
PROF. S. P. SINGH BAGHEL
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
Minister of State for Health & Family Welfare

स्टेम सेल

429. श्री सुनील कुमार पिन्टू:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा स्टेम सेल थेरेपी की प्रैक्टिस के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई सूची और इसकी निगरानी और नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में जनवरी, 2022 में प्रकाशित व्यापक रिपोर्ट को कब तक सार्वजनिक किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (ख): स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने सूचित किया है कि डीजीएचएस में प्रारंभिक कार्य जनवरी 2021 में शुरू किया गया था, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। तथापि, रोगियों, चिकित्सकों और आम जनता सहित हितधारकों के बीच स्पष्टता के लिए एक कठोर और मजबूत वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए व्यापक साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों के विकास के लिए एमओएचएफडब्ल्यू में एक प्रक्रिया स्थापित की गई है। इस तरह के साक्ष्यों के निर्माण में अच्छी तरह से परिभाषित नैदानिक प्रश्नों पर मौजूदा साहित्य की व्यवस्थित समीक्षाओं (एसआर) और मेटा-विश्लेषण (एमए) का मिलान शामिल है। इस तरह के कड़ाई से विकसित साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों में किसी भी स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप के सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य को व्यवहार में लाने की क्षमता है।

*****

मिला उत्तर 730

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 429
दिनांक 21 जुलाई, 2023 को उत्तर देने के लिए

स्टेम सेल

429. श्री सुनील कुमार पिन्टू:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा स्टेम सेल थेरेपी की प्रैक्टिस के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई सूची और इसकी निगरानी और नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में जनवरी, 2022 में प्रकाशित व्यापक रिपोर्ट को कब तक सार्वजनिक किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (ख): स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने सूचित किया है कि डीजीएचएस में प्रारंभिक कार्य जनवरी 2022 में शुरू किया गया था, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। तथापि, रोगियों, चिकित्सकों और आम जनता सहित हितधारकों के बीच स्पष्टता के लिए एक कठोर और मजबूत वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए व्यापक साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों के विकास के लिए एमओएचएफडब्ल्यू में एक प्रक्रिया स्थापित की गई है। इस तरह के साक्ष्यों के निर्माण में अच्छी तरह से परिभाषित नैदानिक प्रश्नों पर मौजूदा साहित्य की व्यवस्थित समीक्षाओं (एसआर) और मेटा-विश्लेषण (एमए) का मिलान शामिल है। इस तरह के कड़ाई से विकसित साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों में किसी भी स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप के सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य को व्यवहार में लाने की क्षमता है।

*****

731

विलंब विवरण

चिकित्सीय उपयोग की देखभाल के मानक के रूप में स्टेम सेल के उपयोग पर प्रारंभिक कार्य शुरू करने की समय-सीमा सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों के प्रमाणीकरण में कुछ समय लगा, जिसके कारण उत्तर का सही संस्करण प्रस्तुत करने में देरी हुई।

प्रमाणीकृत

(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री

भारत सरकार

12.14 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 356th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 340th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Ministry of Culture*

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान): सभापति महोदय, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी की ओर से, मैं संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 340वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 356वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11290/17/24.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, शून्य काल में बोलने की इच्छा रखने वाले माननीय सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए, मेरा प्रारंभ में ही निवेदन है कि कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें, ताकि अधिक से अधिक माननीय सदस्यो को अवसर प्राप्त हो सके। Please cooperate.

श्री टी.आर. बालू जी।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Chairperson, Sir, finally, you have permitted me to speak on a very important subject matter that has to be settled as early as possible, at least now. See, when I am raising this issue there is no Cabinet Minister present here. Is there anybody present here? To whom I have to represent this matter? There is no Cabinet Minister, senior Minister to respond to my demand. They are giving least importance to Tamil Nadu. Whenever the subject relating to the State of Tamil Nadu is raised, there is nobody present to respond to my demand.

Hon. Chairperson, Sir, hon. Chief Minister of Tamil Nadu met the hon. Prime Minister of India twice. Also, the hon. Members of Parliament met the hon. Home Minister of India twice. Both the hon. Prime Minister and hon. Home Minister had promised categorically that they will definitely help Tamil Nadu on the flood situation. When I led a delegation to meet the hon. Home Minister of India, he had promised that on or before 27th January, they will extend all the required help to Tamil Nadu. Today is 8th of February. But so far, we have not got any reply from the hon. Home Minister. They are giving scant respect to Tamil Nadu. That is why, initially we wanted to raise this issue. Many a time this issue has been raised. We have told this to the media also. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu met the hon. Prime Minister. All the hon. Members of Parliament

belonging to Tamil Nadu represented the matter in various angles. But nothing is happening.

Sir, this is the sad part of this particular Union Government, not to extend help to the State of Tamil Nadu whenever there is a dire necessity concerning human needs. It is the human need only. They are not giving consideration to the human needs at all. It is very bad. I strongly condemn it. At least, now they have to come forward.

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गुना के निवासियों द्वारा रेल सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों को रेल लाइन से जोड़कर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पिछले 25 वर्षों से निरंतर मांग की जा रही है। यह रेलवे लाइन चंदेरी जैसी प्रसिद्ध नगरी के प्राचीन किले, एशिया के सबसे पड़े हैंडलूम पार्क, यहां की चंदेरी साड़ियां इत्यादि विश्व प्रसिद्ध हैं। यहां ईसागढ़ के आनंदपुर जैसे दार्शनिक स्थल हैं, जिन्हें जोड़ने का काम किया जाए।

रेल सुविधा नहीं होने से शासकीय व अशासकीय कर्मचारी व नागरिकों को दैनिक आवागमन में समस्याएं आ रही हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों को तहसील स्तर का दर्जा प्राप्त है, जिस कारण से यहां के व्यापारी अन्य क्षेत्रों से माल मंगाने हेतु रेल सुविधा की अत्यंत आवश्यकता है। अशोकनगर, पिपरई से ईशागढ़ होते हुए चंदेरी से ललितपुर तक रेल लाइन का सर्वे का कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन इसके निर्माण के लिए कोई बजट आवंटित नहीं हुआ है। इस लाइन की उपयोगिता को देखते हुए क्षेत्रीय जनता की निरंतर मांग के अनुसार रेलवे लाइन बिछाई जाने की परम आवश्यकता है। यह मार्ग पर्यटन और रेलवे के लिए राजस्व की वृद्धि के अनुकूल है। इस लाइन के निर्माण से मेरे क्षेत्र का समग्र विकास होगा।

मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त क्षेत्रों को रेलवे लाइन से जोड़ने हेतु बजट का आवंटन किया जाए, जिसके लिए आवश्यक बजट को रेलवे लाइन बिछाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि रेल

सुविधाओं से नागरिकों को आवागमन की सुविधा मिल सके और 25 वर्षों से भी अधिक से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सके।

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): Hon. Chairperson, Sir, I rise today to draw your attention to a matter of utmost importance that directly impacts the lives of thousands and thousands of citizens of Gulbarga. This issue at hand pertains to the critical need for a dedicated train service between Gulbarga and Bengaluru, a demand echoed by the common men who seek efficient and reliable connectivity for their daily lives.

Hon. Chairperson, Sir, I would like to place on record that as per the information obtained through the Right to Information Act for the year 2022-23, daily tickets booking between Bengaluru and Gulbarga and Gulbarg and Bengaluru respectively are 3262 and 2100.

The current scenario witnesses over 60-70 buses, both Government and private, commuting between Gulbarga and Bengaluru every day. Additionally, two flights operate on this route, and a considerable number of individuals rely on private vehicles. Taking all modes of transport into account, it is estimated that a minimum of 8000-10000 people travel one way between Gulbarga and Bengaluru on a daily basis.

However, the existing rail services face severe challenges. Systematic reductions in quotas for trains like the Basava Express and Solapur-Hassan Express have exacerbated the situation. The people of Gulbarga are left with limited options, often resorting to booking tickets from preceding stations and altering their boarding points such as Solapur.

Moreover, despite 77 years of Independence, there is a glaring absence of a dedicated train between Gulbarga and Bengaluru. The people of Gulbarga who contribute significantly to the growth and development of the Kalyan- Karnataka Region, find themselves dependent on these trains.

Therefore, I sincerely request the hon. Railway Minister, through you, to start the train service from Gulbarga to Bengaluru at the earliest.

Thank you, Sir.

माननीय सभापति : श्री राम मोहन नायडू किंजरापु जी- उपस्थित नहीं।

श्री दिनेश चन्द्र यादव जी – उपस्थित नहीं।

श्री प्रतापराव पाटिल जी – उपस्थित नहीं।

डॉ. मोहम्मद जावेद जी।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : सर, मैं किशनगंज से आता हूं। बिहार मोस्ट डेन्सिली पॉपुलेटेड एरिया है। यहां हर साल बाढ़ के कारण लाखों लोगों की तबाही होती है और हमारी हजारों एकड़ भूमि कट जाती है। ऐसा नेपाल और बंगाल से पानी आने से होता है। मेरी जल संसाधन मंत्रालय से रिक्वेस्ट है कि यह जो प्रपोज्ड कोशी-मेची लिंक है, इसको न बनाएं।

सर, दूसरी बात यह है कि जमीन और गांव बचाने के लिए बोल्डर पिचिंग हो या कंक्रीट वॉल दी जाए तथा फ्लो को फैलने से रोकने के लिए इसकी ड्रेजिंग की जाए, ताकि इससे लाखों लोगों को फायदा हो।

माननीय सभापति : कम शब्दों में पूरी बात कही जा सकती है।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज) : सर, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज, आजमगढ़ में दो प्रमुख सड़कें हैं, जो चार विधानसभाओं को प्रभावित करती है। भदूली से लेकर फूलपुर बेलवाई तक 54 किलोमीटर है और कप्तानगंज से अहिरौला मार्ग तक 23 किलोमीटर है, जो बहुत ही जर्जर स्थिति में हैं। इन सड़कों की

दशकों से मरम्मत नहीं की गई है और आज के दिन भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। मेरी सरकार से मांग है कि इन दोनों सड़कों का संज्ञान ले और इन पर धन आबंटित करके इनको बनवाने का काम करे।

महोदय, इसके साथ ही पीएमजीएसवाई के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र में 56 सड़कें हैं, जो फेस-1, फेस-2, फेस-3 के तहत चयनित की गई हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक केवल 8 सड़कें ही बन पाई हैं, बाकी सभी सड़कों का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार अधिकारियों से जानकारी लेकर इन सभी सड़कों का काम तेजी से कराने का का कार्य करे। मैं यह भी मांग करती हूं कि मेरे जिला अस्पताल आजमगढ़ में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते वहां के मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। वहां पर बहुत धन खर्च होता है और बहुत परेशानी होती है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी तीन बातें हो गई हैं।

श्रीमती संगीता आजाद : सर, मेरी सरकार से मांग है कि जिला अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर देने का काम करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान और इस देश का ध्यान हमारे इलाके में जो पिछले 20-25 साल में डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तिरुपति से पशुपति एक नक्सल कॉरीडोर बना, जिसके कारण हम लोगों के अमीर होते हुए भी, हमारे पास इतने माइन्स और मिनरल होते हुए भी हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं तथा आज भी वे विस्थापन एवं पलायन के शिकार हैं। पिछले 20-25 सालों से राजनीतिक स्थितियों के कारण एक ऐसा कॉरीडोर बन रहा है, जो असम के लखीमपुर से चल रहा है, वह बरपेटा और नागांव होते हुए, बंगाल के मालदा, मुर्शीदाबाद का इलाका, किशनगंज, अररिया, पुर्णिया, कटिहार, पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, जामतारा का पूरा एरिया बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा केन्द्र हो गया है। अन्य प्रकार की जो राज्य सरकारें हैं, उनको अलग-अलग समय पर येन-केन-प्रकारेण वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण मदद कर रही हैं।

हमारे यहां जो स्थिति है कि 36 परसेंट आदिवासियों की आबादी झारखंड में होती थी, आज वह 26 परसेंट है। मैंने कई बार कहा है कि डिलिमिटेशन पूरे देश भर में हो गया, लेकिन झारखण्ड में डिलिमिटेशन इसलिए नहीं हुआ कि आदिवासी पॉप्युलेशन मुसलमानों के कारण घट गयी और इस कारण से एक लोक सभा की सीट और तीन विधान सभा की सीट अनरिजर्व हो जाएगी, इसीलिए डिलिमिटेशन नहीं हो पाया। हम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करती है और अभी जो कांग्रेस के युवराज की यात्रा चल रही है, यही बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूट पर चल रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हमारी जो आदिवासी पॉप्युलेशन घट रही है, बांग्लादेश के मुसलमान उनसे शादी कर रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाइए। हमारी जमीन पर जो कब्जा कर रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाइए। साइबर क्राइम का एक बड़ा सेंटर जामताड़ा, देवघर और गोड्डा होता जा रहा है, उसको रोकिए। … (व्यवधान) तीसरा, एनआईए का एक ऑफिस वहां स्थापित कीजिए और एनआरसी पूरे देश में सबसे पहले हमारे यहां लागू करिए। … (व्यवधान) जिससे हम बांग्लादेशी मुसलमानों से अपना बचाव करें।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। इसको देख लेंगे।

… (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली के अंदर एक संवेदनहीन सरकार काम कर रही है। यहां के मुख्यमंत्री माननीय … * के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

दिल्ली के युवाओं के रोजगार के विषय पर केंद्र सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि वह इंटरफेयरेंस जरूर करे। दिल्ली में …* सरकार रही है। उसने 2015 में 70 वादों की सूची जारी की थी उस सूची में कहा गया था कि हम खाली पड़े 55000 पदों पर भर्ती करेंगे। फिर पांच साल के बाद वर्ष 2020 में Manifesto में वादा किया की सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी भी किया जाएगा।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

परन्तु सच्चाई कुछ और है। दिल्ली के युवाओं को भ्रमित करने के लिए पहले उन्हें Bus Marshal के तौर पर संविदा पर रखा। युवक और युवतियों दोनों की ही इसमें संख्या है। उनसे कार्यकर्ताओं के रूप में काम करवाया और कहा कि तुम्हें पक्का कर देंगे। 8000 Civil Defence Marshals को पहले Temporary नौकरी पर रखा। उसके बाद अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध होने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उन्हें 6 महीने तक सैलरी नहीं दी गयी। उसके बाद ... * की सरकार ने उनकी नौकरी समाप्त करने का निर्णय करने के साथ-साथ ही 8000 परिवारों के लगभग 40 हजार लोगों का भविष्य अंधकार में कर दिया है। क्योंकि उनका समय निकल गया और वे 22-23 साल के बाद 28-29 साल के हो गए। अब वे सरकारी नौकरी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं पहले भी कहा करता था कि वे नौजवानों को सिविल डिफेंस के नाम से भ्रमित कर रहे हैं। सर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। वे प्रदर्शन भी कर चुके हैं। एक कर्मचारी की मृत्यु भी हुई, उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल भेजा गया। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि दिल्ली एनसीटी है। दिल्ली के बजट में कोई प्रोविजन किया जाए और उन 60-70 हजार परिवारों की रक्षा के लिए आठ हजार सेल्फ डिफेंस के रूप में युवक-युवतियों को पुन: कहीं न कहीं नौकरी दी जाए। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस सेंसेटिव विषय पर बोलने का मौका दिया।

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Thank you, Sir. Tamil Nadu fishermen who belong to the areas of Rameshwaram, Kottaipattinam and Nagapattiniam are frequently arrested by Sri Lankan Navy. Recently, three days back, nearly 80 fishermen have been arrested and they are kept in jail in Sri Lanka. So far, nearly 250 boats belonging to Tamil Nadu fishermen are kept in the seashore of Sri Lanka. So, I request the Government to take steps to release these fishermen and their boats also.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Sir, Tiruchirappalli is located in the central part of Tamil Nadu. It is a corporation city. In and around, more than 50 lakh people are living there. It is a very important city. Many Central Government public undertakings like BHEL, ordnance factory etc., are there. Many institutions are also there.

Therefore, I urge the Government to expedite the Metro Rail Project in Tiruchirappalli as early as possible.

Sir, I would like to request the hon. Railway Minister to take up the issue of the construction of one RUB at Kariveppalan near Vellanur and Pudukkottai Stations. It is yet to be sanctioned. I also request one more ROB near Vellanur and Pudukkottai Stations. That has already been sanctioned but the work has not started. These two issues should be taken up.

I request the Railway Minister to approve a daily train from Manamadurai to Chennai *via* Karaikudi, Aranthangi, Peravurani to Chennai. I also request him to approve a daily train from Trichy to Bangalore. Another daily train from Pudukottai to Chennai via Trichy and Villupuram may also be considered. A new railway line should be taken up between Thanjavur and Pudukkottai. A daily day-time Intercity Express train should be taken up from Trichy to Chennai should also be considered. It should start in the morning from Trichy and also in the afternoon from Trichy to Chennai. One Kendriya Vidyalaya should also be started in Pudukkottai in Tiruchirappalli.

HON. CHAIRPERSON: You are putting a charter of demands.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: I have also spoken about them. Since it is a last Session, I am mentioning them again. I am just bringing them to the knowledge of the Government.

Sir, one service road should be taken up in Tiruchirappalli. The Metro Rail Service Project to Trichy is very important. It is likely to be announced as the second Capital of Tamil Nadu. Neary 50 lakh people will be benefited out of that. So, I request you to take up this Project in Tiruchirappalli.

Thank you, Sir.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, my submission is with regard to the under-trial prisoners in India. They are languishing in Indian jails for years together. The total number of under-trial prisoners as on 31st December 2022 is 1,34,799 and the breakup is one to two years, two to three years, three to five years, and above five years. They are languishing in Indian jails. Around 76 per cent of inmates in Indian prisons were under trial in 2022. In Delhi, the percentage of under-trial prisoners jumped to 90 per cent in 2020. It may also be noted that the Government of India inserted Section 436A in the Code of Criminal Procedure which provides for release of under-trial prisoners on bail who are undergoing detention for a period extending upto one-half of the maximum period of imprisonment specified for an offence under any law.

Sir, it may also be noted that a majority of under-trial prisoners belong to oppressed caste groups including the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes. This is really a very sad thing. It is blatant denial of

justice. Various upper courts have also cited that this situation will have to be dealt very seriously.

I, therefore, urge upon the Government to take it up very seriously and ensure justice to under-trial prisoners.

Thank you very much.

*__SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB):__ Hon. Chairman, Sir, in April, 2020, Covid 19 pandemic had wreaked havoc in the world. Humanity was scared. In such an atmosphere, the Central Government got passed 4 bills pertaining to the farmers. The farmers of Punjab did not care for their lives. Under their leadership, lakhs of farmers got together and started a protest at various places of Delhi borders. For 1 and 1/2 years, this conflict between farmers and Central Government continued. In this war of attrition, 700 farmers got martyred. The Government had to withdraw these black laws. Certain premises were made by the Government to the farmers. A law would be framed on MSP, it was said.

Today, we are in the year 2024. The tenure of this Government is about to end. But, no law was framed regarding MSP. Nor was Swaminathan Commission Report implemented. The farmers including the martyred farmers have been thoroughly cheated. I condemn this attitude of the Government and urge upon the Government to frame the MSP law in this very session.

Thank you.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR): Sir, the Ministry of Labour and Employment has been implementing the National Child Labour Project scheme for rescue and rehabilitation of child labourers under which the children in the age group of 9 to 14 years are rescued from work, enrolled in the NCLP Special Training Centres and are provided with bridge education before being mainstreamed into formal education system. Now, the NCLP scheme has been subsumed under the Samagra Shiksha Abhiyan scheme with effect from 1st April, 2021. The number of children who were rescued or withdrawn from work, rehabilitated and mainstreamed under NCLP scheme during 2021-22 and 2022-23 were about 18,137 and 13,761 respectively. The parents of the child labourers are benefitted from various poverty alleviation and employment generation programmes by different Ministries and Departments such as Health and Family Welfare Ministry, Women and Child Development, Social Justice, and Tribal Welfare, which improves their family income and enables the working children to attend school.

However, thousands of volunteers who have so far made success of the NCLP scheme during its long journey in the country have not been protected by the Government. At this stage, after working for more than 20 to 25 years in life, these volunteers will neither get any other alternative engagements nor will be able to compete with the youngsters. Now, these thousands of volunteers are helpless and struggling for their family livelihood. I, therefore, request the hon. Minister of Labour and Employment to please consider the issues of thousands of

volunteers who are so far engaged with the NCLP scheme, and made it a success in the country. Thank you.

* **SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity. Time and again I have been demanding this in this august House from the day I got elected to this House. In the Vaniyambadi Legislative Assembly segment of my Vellore parliamentary constituency, there is a long pending demand for construction of a Railway over bridge across Level Crossing No. 81. People travel from and to both the sides of the Level Crossing. As many as 120 to 140 trains ply in this railway route often causing a severe traffic halt at the LC No 81. But the people are unable to reach their office timely or to go attend other works on both sides as they face severe hardships. Those in the power earlier were not ready to take up this issue. Since the time I got elected as a Member of Parliament, till now I have been continuously raising this issue in this House. I therefore urge that that the construction work relating to the Railway over bridge, across LC 81 in Vaniyambadi, should immediately be started. This is one of my demands. Secondly, on Chennai to Bengaluru route, on the NHAI highway, in three places at Perumugai, Kandhaneri and Vettuvaanam road over bridges are to be constructed. Amount was allocated. Tender was called for and the work is yet to be started. What is the reason behind that delay? I urge that work should be expedited soon. Secondly, construction work is almost complete in the Vellore airport. Land for airport has been acquisitioned and given to the

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Airport Authority for carrying out developmental work. Equipment has been installed and testing is completed. Till date the airport is not opened and made functional. I therefore urge upon Hon Minister for Civil Aviation through you, Sir, to do the needful for the inauguration of Vellore airport at the earliest. Thank you.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

महोदय, बिहार राज्य के एनएच-107 का निर्माण कार्य पाँच वर्षों से एवं एनएच-106 कार्य दस वर्षों से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। मंत्रालय द्वारा पथ निर्माण कार्य पूर्ण होने की अंतिम समय-सीमा मार्च, 2022 और फिर मार्च, 2023 निर्धारित की गई थी। लेकिन इसमें भी काम पूर्ण नहीं होने के बाद अंतिम तिथि मार्च, 2024 निर्धारित की गई है। कार्य की शिथिलता को देखने से इसे पूर्ण होने में और कई वर्ष लगेंगे।

एनएच-107 के आरओबी का सिमरी-बख्तियारपुर, सहरसा सर्वा-ढाला, मठाही से पश्चिम, मधेपुरा से पश्चिम, दीनापट्टी हॉल्ट, मीरगंज चौक पर आंशिक कार्य करके छोड़ दिया गया है। सोनवर्षा राज, बैजनाथपुर चौक एवं भर्राही में अंडरपास का स्ट्रक्चर का कार्य तो हो गया है, लेकिन एप्रोच रोड नहीं बन रही है।

उसी तरह से एनएच-106 के माणिकपुर चौक पर फ्लाई ओवर ब्रिज का पीयर बनाकर छोड़ दिया गया। सुपर स्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा है। उदाकिशुनगंज से विहपुर के बीच कोसी नदी पर ब्रिज का काम धीमी गति से हो रहा है। फुलौत से उदाकिशुनगंज के बीच 30 किलोमीटर पथ निर्माण के कार्य की गति भी बहुत धीमी है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री से मांग करता हूं कि जनहित में एनएच-107 और एनएच-106 का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराएं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री अनुभव मोहंती – उपस्थित नहीं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairman, Sir. The unfortunate instances of churches being repeatedly vandalized in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, and continuing assaults on Christian missionaries and priests in various North Indian States by the right-wing affiliated groups propagated by ...* is alarming and threatening the fabric of secularism.

This violence is nothing but an assault on the fundamental rights of minorities and their right to worship and practice religion. The BJP-run Governments in these States are ...* by supporting these ...* by refusing to take any action against them.

The arrest of father Anil Mathew, a selfless priest who works for the welfare of the children who was wrongly implicated and jailed, shows the hatred against Chirstian missionaries and priests by the Madhya Pradesh Government.

I request the Government to immediately seek a report in this matter and the National Human Rights Commission must take suo motu cognizance of the matter immediately.

The rights of minorities are Constitutionally guaranteed. Instances like vandalizing and destroying hundreds of churches in Manipur, destruction of churches and placing saffron flags in churches, and assault on priests and missionaries cannot be tolerated in a secular country like India.

Sir, there is a need for the Central Government to table a white paper in the House on Manipur situation. This is a very serious and important matter. *....(Interruptions)* The minorities are facing serious problems in the northern part

---

* Expunged as ordered by the Chair.

of India after the Pran Pratishtha in Ram Mandir at Ayodhya. *....(Interruptions)* Churches are being attacked and priests are also being threatened. *....(Interruptions)* *

माननीय सभापति : ... डिलीट कर दीजिएगा।

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया।

असम सरकार मुसल्सल बेसहारा गरीबों का एविक्शन कर रही है और उनको खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर कर रही है। ये वे लोग हैं, जो फ्लड और इरोज़न की वजह से अपने घर और अपनी जमीन से महरूम हो गये हैं। सरकार की जिम्मेदारी लगभग 35-40 साल से वहाँ रहने वाले लोगों को घर देना था। मगर अफसोस है कि वह उनको बेघर करने में लगी है। मेरे कांस्टिट्यूएंसी के तहत धुबरी, जलेसर, बिलासीपाड़ा, गोआलपाड़ा और असम के दूसरे क्षेत्रों के लाखों लोग बेघर हो गये हैं। सरकार इन लोगों को नोटिस दिए बिना और कम से कम नोटिस का समय देकर उनके घरों को खाली करवाया जा रहा है। यह एक ज़ुल्म है, नाइंसाफी है और इनह्युमेन प्रैक्टिस है, जिसे फौरन रोका जाना जरूरी है।

इसलिए मैं आपके जरिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वह असम सरकार को ऑर्डर दे कि वह एविक्शन कराने के काम को फौरन बंद करे। जिन लोगों का एविक्शन हो गया है, उनको अल्टरनेटिव के रूप में लैंड दे और उनको घर बनाने के लिए पैसे भी दिए जाएं।

सर, जैसा कि आपको मालूम है कि गोआलपाड़ा, जलेसर, धुबरी के जिन इलाकों में एविक्शन हुआ है, उसे फौरन बंद किया जाए और उनको अल्टरनेटिव जमीन दी जाए।

[جناب بدرالدین اجمل (دھبری): جناب چیرمین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے زیرو آور میں بولنے کا موقع دیا۔

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

جناب، آسام سرکار مسلسل بے سہارہ غریبوں کا ایوِکشن کر رہی ہے اور ان کو کھُلےآسمان کے نیچے رہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فلڈ اور ایروزن کی وجہ سے اپنے گھروں اور اپنی زمینوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ سرکار کی ذمہ داری لگ بھگ 35-40 سال سے وہاں رہنے والے لوگوں کو گھر دینا تھا۔ مگر افسوس ہے کہ وہ ان کے بے گھر کرنے میں لگی ہے۔ میرے پارلیمانی حلقہ کے تحت دھُبری، جلیسر، بِلاسی پاڑا گولپاڑا اور آسام کے دوسرے علاقوں کے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ سرکار ان لوگوں کو نوٹس دئے بِنا اور کم سے کم نوٹس کا وقت دیکر ان کے گھروں کو خالی کروا رہی ہے۔ یہ ایک ظلم ہے، نا انصافی ہے، جسے فوراً روکنا ضروری ہے۔

اس لئے میں آپ کے ذریعہ مرکزی حکومت سے اپیِل کرتا ہوں کہ وہ آسام سرکار کو آرڈر دے کہ وہ ایوِکشن کرانے کے کام کو فوراً بند کرے۔ جن لوگوں کا ایوِکشن ہو گیا ہے، ان کو الٹر نیٹیو کی شکل میں لینڈ دے اور ان کو گھر بنانے کے لئے پیسہ بھی دیا جائے۔

جناب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گولپاڑا، جلیسر، دھُبری کے جن علاقوں میں ایوِکشن ہوا ہے اسے فوراً بند کیا جائے اور ان کو الٹر نیٹیو زمین دی جائے]

***श्री सुरेश पुजारी (बारगढ) :** At the outset I express my gratitude to Hon'be Prime Minister shri Narendra Modiji and Home Minister shri Amit Shahji for nominating many odias for Padma Awards, including many from the Western part of odisha, like Shri Haladhar Nag, shri Jeetendra Haripal, shri Mitrabhanu Gountia krishna atel etc.

This year in 2023-24, four odias, including two from Western odisha got padma award, Shri Binod pasayat from Sambalpur and Guru Bhagabat pradhan fron Bargarh, my constituency.

Sir Sambalpuri language is spoken by more than two crores of people in odisha.Sambalpuri music, dance, drama etc are very popular.It has its own grammar,words and literature.Exclusive musical instruments like Dhol, Mandal, Nishan, Tasha are used in Dance like Dal khai, Raserkeli etc. Now the time has come to include Sambalpuri language in the 8th schedule of the constitution.

Sir i will also request the government to install the statue of freedom fighter Veer Surendra Sai in the Parliament complex for his brave fight against the British rule, 37 years before the first war of independence in 1857.

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, in my state of Meghalaya, the banning of business in timber, the banning of coal mining business and the conversion of our limestones from minor minerals to major minerals by this Government has resulted in a greater compliance and loss of business, livelihood and jobs for the people of Meghalaya. These bans and regulations have disproportionately affected the vulnerable communities which were dependent on

---

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

these activities for income, but no alternative livelihood options were adequately provided to them.

Meghalaya has the highest dependency ratio with 65.6 per cent of the population below 45 years. Thus, job creation is crucial to prevent poverty and social issues. Particularly among the youth, unemployment fuels frustration and can lead to an increase in crime which has already been seen there. There has been an increase of 24 per cent in the last decade and also drug abuse is on the rise.

Sir, through you, I would request the Government to introduce provisions for re-skilling and up-skilling programmes, aligned with industry needs with a focus on vocational training, soft skills development, and digital literacy. There should be collaboration between the Government, educational institutions, and the private sector to create a future where Meghalaya's population becomes an asset, not a burden to the country and the State.

Thank you, Sir.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak in Zero Hour.

I would like to raise the issue of inclusion of five communities, especially from northern Andhra, in the Central List of OBCs. These communities are – Turpu Kapu, Sistakaranam, Sondhi, Kalinga Vysyas, and Arvala. Ever since I have become the Member of Parliament, I have been trying to get this done. In 2015, for this very issue, along with the representatives from these communities, I met the Prime Minister. On numerous occasions, I met with Minister for Social

Justice and Empowerment and also the National Commission for Backward Classes.

Ever since the formation of Mandal Commission in 1979, all these five communities have been fighting for their right to be included in the Central List of OBCs. If you look at their situation right now also, eight out of ten families in these communities are still reeling under poverty. Every day, they have to face very difficult challenges to compete equally with other communities in their society. Specially after the continuous pursuing, on 13th September, 2023 under the chairmanship of Gangaram Ahir ji, who is the Chairman for NCBC, a public hearing has been conducted in Delhi. All the representatives from these communities came to Delhi. They clearly explained their status. They explained the position that they are in right now. The NCBC has also reacted positively and whatever necessary information was supposed to come from the State Government, that has also been submitted to the NCBC, which has positively taken this appeal for being included in the Central List of OBCs and forwarded it to the Ministry of Social Justice and Empowerment.

My demand, through you, Sir, to the Central Government is to include them. The ball is now in the court of Ministry of Social Justice and Empowerment. They have to take the final step and give them justice, give them their rightful opportunities for education, employment, and the right to fight in the society. With this, I conclude my demand, Sir.

Thank you.

12.52 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Need to tackle inflation, unemployment and farm-loan waivers

***DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB):** Thank you, Hon. Chairman Sir. The NDA Government has written off the loans worth 14 to 15 lakh crores in the last 10 years of the rich corporates. Sir, today, the farmers of Punjab and Haryana, our daily wage workers and small shopkeepers – all are in a very miserable condition. If the Central Government can waive off lakhs of crores of rupees of corporates and industrialists, why can't they provide relief and succor to these common people? Why their loans are not being waived off? The farmers of Punjab and Haryana are gathering in Delhi on 13th February to protest against the wrong policies of farmers. You have not provided MSP, nor have you fulfilled your other promises. The Central Government must fulfill its promises. It must help the daily wage workers as well as small shopkeepers. Their loans must be waived off.

There was no trickle down effect when you provided relief to corporate and big businessmen. Poor people did not gain anything. Neither was poverty reduced. Nor did common people gain anything.The UPA Government had given labourers 100 days work under MNGEGA. At that time, the economy was worth one trillion. Now, there is rampant unemployment in the rural areas. Why don't you provide 200 days work under MNREGA? You should increase the daily wages to 400 or 500 Rs. per day. Their wages should be linked to inflation.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

Inequality is increasing by leaps and bounds in the country. Please help the poor and the common people. Thank you.

माननीय सभापति: आप यह विषय बजट पर चर्चा के समय उठा चुके हैं।

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर - उपस्थित नहीं।

श्री अनुभव मोहंती - उपस्थित नहीं।

श्री अनुराग ठाकुर।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): सभापति जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मनरेगा कांग्रेस के समय थी, तब 25-30 हजार करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता था, लेकिन आज 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा यदि किसी ने खर्च किया है, तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बार भी यदि 85 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है, तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने रखा है और देहाड़ी को बढ़ाने का काम भी हुआ है तथा विकास भी हुआ है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The Minister can respond. There cannot be a debate on it. Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, इतना ही नहीं, किसानों के लिए जितना काम मोदी जी की सरकार ने किया है**,** उतना पहले कभी नहीं हुआ।… (व्यवधान) हमने एमएसपी को बढ़ाया भी और खरीद को भी दोगुना करने का काम किया, आप इसे पहले नहीं कर पाए थे। किसानों के हित में जितना कार्य हमने किया, उतना किसी ने नहीं किया। पीएम किसान सम्मान निधि 2,80,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने दिए है।… (व्यवधान)

महोदय, सदन में जो सेंगोल लगा है, तमिलनाडु के लिए मान-सम्मान यदि किसी सरकार ने दिया है, तो मोदी जी की सरकार ने तमिलनाडु के लिए मान-सम्मान देने का काम किया ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप संक्षेप में बात रखिए। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि कृपया संक्षेप में बोलें ताकि अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख सकें।

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): महोदय, मेरे क्षेत्र में दिगलीपुर तहसील है। यहां सैडल पीक नेशनल पार्क है और वहां एक लामिया बे बीच है। इस बीच पर हजारों शिव भक्त अप्रैल के महीने में यहां से जल लेकर 50 किलोमीटर दूर शिवपुरी में एक मंदिर में जाते हैं। लोग साल में एक बार नेशनल पार्क से वहां जाते हैं और वहां शिवलिंग की स्थापना करते हैं। दुख की बात यह है कि फारेस्ट विभाग हर साल उस शिवलिंग को तोड़ देता है। मेरी आपके द्वारा अंडमान-निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है कि नेशनल पार्क में एक शिवलिंग की स्थापना करने की परमिशन दी जाए, ताकि श्रद्धालु भक्त एक दिन शांति से एक दिन पूजा करके वहां से जल ले जा सकें।

माननीय सभापति : आप एक मिनट में बात समाप्त कीजिए और एक ही विषय रखें। Only one subject please. There should not be any charter of demands.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सभापति जी, मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बजट में आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशाकर्ताओं को "आयुष्मान भारत" से जोड़ने का काम किया है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आंगनवाड़ी सहायिका और सेविका सहित आशा कार्यकर्ताओं को जो वेतन केंद्र सरकार से मिलता है, उसे बढ़ाने का काम किया जाए ताकि उनका कल्याण हो सके। वे बहुत ज्यादा काम करती हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं जिस मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूं और यह हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और यह स्ट्रेटेजिक प्वांट भी है। हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन

के लिए जगह है, एनटीपीसी है और मिलिट्री कंटोंमेंट भी है। हमारे शहर से कोलकाता या दूसरी जगह से एयरपोर्ट जाने में काफी दिक्कत होती है इसलिए हम बार-बार मांग करते हैं कि यहां एयर स्ट्रिप की विमान सेवा उपलब्ध हो। वहां उड़ान सेवा के लिए मैं बार-बार गुहार लगाता हूं।

*__श्रीमती परनीत कौर (पटियाला):__ Thank you, Chairman Sir, for giving me the time to speak on an urgent matter of public importance. Sir, I want to talk about the problems of Asha workers and Auganwadi workers. They are compelled to do a lot of work in every field. They demand at least 21,000 Rs. for each of them.

Through you, I urge upon the Government to kindly take their demand seriously. Thank you.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, Chairperson, Sir.

I would like to draw the kind attention of the hon. Railway Minister to a matter of urgent public importance. Under my Parliamentary Constituency Jaynagar there is a halt station named Matla.

13.00 hrs

The old name is Chandkhali. The Sealdah Canning line was made operational on 15th August, 2021. Since then, people have been availing the opportunity of travelling on four up and down trains, but the problem remains the same for students of schools, colleges and employees of different sectors because there is no halt train service at the prime time in the morning and evening. As a result, people have to travel long distances.

माननीय सभापति : यदि आप अपनी बात समय में पूरा नहीं करेंगी तो आपकी बात अधूरी रह जाएगी। Please complete now.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL: It will take much time and money. So, my request to the hon. Minister is to give at least two more halts at stations both in the morning and evening. In the morning, the requested halt timings are 7:23 am and 10:05 am and in the evening, it is 16:35 pm and 17:52 pm.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मुम्बई शहर में बी.डी.डी. चाल नामक चार गृह संकुल हैं। इनके अंग्रेजों के जमाने के होने की वज़ह से राज्य सरकार ने उनका पुनर्विकास करने का निर्णय लिया और उनके पुनर्विकास का काम शुरू भी किया, लेकिन इन चारों गृह संकुल में से तीन संकुल राज्य सरकार की जमीन पर हैं, जिसके कारण राज्य सरकार इनके पुनर्विकास का काम कर पाई। एक गृह संकुल मुम्बई पोर्ट ऑथोरिटी की जमीन पर है, मतलब केन्द्र सरकार की जमीन पर है। केन्द्र सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है।

महोदय, एक तरफ तो हम 'विकसित भारत' की बात कर रहे हैं, पक्के घर देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुरानी इमारत ढह गयी है, उसके पुनर्विकास की अनुमति देने के लिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): सभापति महोदय, मैंने आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार अन्तर्गत सारण जिला के जलालपुर प्रखण्ड मुख्यालय, जलालपुर में एक कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में पूर्व में भी कृषि विभाग से आग्रह किया था। फलस्वरूप, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मिशन शिक्षा/12-1 (पार्ट-II) दिनांक 20.05.2015 के माध्यम से बिहार सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद बिहार सरकार के कृषि सचिव के द्वारा जमीन संबंधी ब्यौरा Secretary and Director General, Government of India, Department of Agriculture Research and Education and Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan को अपने पत्रांक 2167/27.04.2021 के द्वारा भेज दिया गया, लेकिन अभी तक कृषि महाविद्यालय स्थापित नहीं किया जा सका है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सारण जिलान्तर्गत जलालपुर प्रखण्ड मुख्यालय में एक कृषि महाविद्यालय शीघ्र स्थापित करने हेतु अपने स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश देने का कष्ट करें।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं यहां पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण के अन्दर जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसके इससे वंचित रह जाने के मुद्दे को इस सदन में उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, 27 प्रतिशत के आरक्षण के अन्दर मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में, खास तौर से, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, जैसे कहार, कुम्हार, बिंद, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मौर्य, कुशवाहा, नाई, विश्वकर्मा समाज के लोग इस 27 प्रतिशत के आरक्षण से पूर्णतया वंचित रह जाते हैं और इन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इनकी स्थिति दलित समाज से भी ज्यादा दयनीय हो गयी है।

महोदय, वर्ष 2017 में भारत सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया था, जिसका काम ओबीसी आरक्षण के अन्तर्गत आरक्षण का असमान लाभ कुछ चन्द साधन सम्पन्न बिरादरी के पास रह जाता है, उसको बांटने का था, जिसमें 12 प्रतिशत अति पिछड़े वर्गों के लिए, जो पूरी तरह से वंचित है, 10 प्रतिशत उनके लिए जो थोड़े वंचित है, और 5 प्रतिशत जो साधन सम्पन्न हैं, उनके लिए करने का है। इसलिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करके इसको लागू करना अत्यंत ही जरूरी हो गया है

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): सर, मेरा लोक सभा क्षेत्र भावनगर की दो ब्रॉडगेज लाइनें – बोटाड और साबरमती, ढेसा और झेतलसर दोनों बन कर तैयार हो गयी हैं, खुद पीएम साहब ने उनका उद्घाटन भी कर दिया है, जो सालों से हमारी मांग थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? यह ब्रॉडगेज कनवर्जन पूरा हो गया है, उद्घाटन भी हो गया है, लेकिन हमारे भावनगर और बोटाड की जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं, जो लॉन्ग रूट की हैं, वे अभी भी पुराने रूट से जा रही है, जो लंबा रास्ता, मतलब 30 किलोमीटर ज्यादा लंबा रास्ता ले कर जाती हैं। सारी गुड्स ट्रेन ब्रॉडगेज रूट पर चलती हैं, लेकिन

पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती हैं। मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय से गुजारिश करती हूँ कि जब ब्रॉडगेज लाइन बन गयी है तो भावनगर और बोटाड की पैसेंजर ट्रेनें ब्रॉडगेज रूट पर चलाई जाएं।

***SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH):** Khanakul's Radhanagar in my Arambagh Lok Sabha constituency is the birthplace of Raja Rammohan Roy who had played a pivotal role in eradicating the practice of Sati. This government always talks about women empowerment, therefore I request them that please understand that 600 years old Gopinath temple, Radhaballabh temple, Ghanteswar temple are all located in and around this Radhanagar village. It is at the centre. In the year 1914, during British regime, the British engineer S.S.G. Tulechur had conducted the survey work of Santragachi Bishnupur railway via Radhanagar. When my Chief Minister was the Railway Minister, at that time, she had constructed the railway line of Bishnupur Tarakeswar and had also completed the survey of via Radhanagar route. But I don't know why after this government came to power in the year 2014, the survey work was halted. Thus I request the Railway Minister to connect Mayapur via Radhanagar to Raghunathpur without further delay; this has been a long pending demand of the people of Khanakul. They are emotionally attached to this project. Kindly get it done if you people really respect and love Raja Rammohan Roy.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय यहां पर उठाना चाहती हूँ। राजस्थान के सभी जिलों में हमारे जाट भाइयों को आरक्षण दिया गया है, लेकिन मेरे भरतपुर और धौलपुर के जाट भाइयों को आरक्षण नहीं दिया गया है।

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि इन भाइयों को आरक्षण दिया जाए, जिससे कि युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल रहे और आने वाले समय में भारत सरकार में अपना योगदान दे सकें।

***SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR):** Sir, Kerala is facing an acute crisis. Due to the incompetence of the State Government, they have time and again failed to submit required documents to the Centre; within the stipulated time, and due to this, the State has not got the financial help from the Central Government.

Sir, the people of Kerala are suffering due to this incompetency of the State Government.

Sir, the people of a State should not be victimized due to the failure of a State Government. Therefore, I request, you, to kindly disburse the funds that was due for Kerala.

Sir, there are several Centrally Sponsored Schemes, for which Kerala has not get its due. I am urging again, that the people of Kerala, should not be victimized for the failure of the State Government.

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): Sir, through you, I want to draw the kind attention of hon. Minister of Road Transport and Highways towards the progress of Bharat Mala Pariyojana (Coastal Highway) from NH-16 Tangi to Ratanpur and Ratanpur to Digha; NH-16 from Jamujhadi to Dhamra. About 70 kilometres area is coming under my Parliamentary constituency. Therefore, I request that the hon. Minister of Road Transport and Highways may kindly inform

---

* English translation of the speech originally delivered in Malayalam.

regarding the total project cost, project outlay and plan, time frame of the projects, details of the area covered village-wise with map, land acquisition and rehabilitation for the above two National Highways.

श्रीमती रेखा अरुण वर्मा (धौरहरा): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की तहसील महौली में रेलवे लाइन के समीप स्थित उरदौली गांव का रास्ता लाइन पर गार्डर लगा कर बंद कर दिया गया है, जिससे आस-पास के कई गांवों की आबादी का अवागमन अवरुद्ध हो गया है। रेलवे के नक्शे में गेट अंकित होने के बावजूद भी गेट बंद किए जाने से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जनता के हित में इस स्थान पर गेट संख्या 41 के पास निर्धारित फाटक को तत्काल चालू किया जाए और भविष्य के लिए अंडरपास का प्रावधान किया जाए।

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने प्रदेश दादरा और नागर हवेली के स्वास्थ्य विभाग के बारे में आपको अवगत कराना चाहती हूं। भारत सरकार की बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उनमें से आयुष्मान कार्ड योजना गरीबों के लिए काफी सराहनीय योजना है। इस योजना को समग्र भारत देश में गरीबों को कई बीमारियों का इलाज कराने में लाभ मिल रहा है। गरीबों के लिए यह योजना एक संजीवनी की तरह काम कर रही है। महोदय, पिछले कुछ समय से यह स्कीम बंद है, इसलिए प्रदेश की जनता को अपने इलाज कराने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो आयुष्मान कार्ड की सुविधा बंद है, उसे जल्द से जल्द फिर से शुरू कर लोगों की इलाज कराने में हो रही समस्याओं का हल करना चाहिए। साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की बहुत कमी है। उसको भी ध्यान में लेकर जरूरी दवाइयों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे के बहुत काम करवाए हैं। इसलिए, हमारी उम्मीद भी ज्यादा हो जाती है। मैं यह कहना चाहती हूं, क्योंकि आप भी अग्रवाल समाज से आते हैं, हमारे यहां पर अगरोहा है। सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि हिसार, अगरोहा और फतेहबाद होते हुए सिरसा

तक एक नई रेलवे लाइन बिछायी जाए। एलनाबाद से लेकर सिरसा तक भी नई रेलवे बिछायी जाए। इसके लिए रेल मंत्री जी से मेरा आग्रह है। इसके साथ-साथ चंडीगढ़ जो हमारी कैपिटल है, वहाँ से हमारे सिरसा को जोड़ा जाए, क्योंकि वह हमारी राजधानी है। यह मेरा आग्रह है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी तरफ से आदरणीय रेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Item No.32A, Shri Pankaj Chaudhary.

13.11hrs

STATUATORY RESOLUTION RE: SEEKING APPROVAL OF THE HOUSE TO AMEND THE SECOND SCHEDULE OF THE CUSTOMS TARIFF ACT, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

> "सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसरण में, यह सभा एतद द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या 01/2024-सीमा शुल्क, [सा.का.नि. 39 (अ), दिनांक 15 जनवरी, 2024] का अनुमोदन करती है, जिसका आशय सीटीएच 1703 के अंतर्गत आने वाले चीनी के निष्कर्षण या शोधन से उत्पन्न मोलासेस के निर्यात पर 18 जनवरी, 2024 से 50% निर्यात शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसरण में, यह सभा एतद द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या 01/2024-सीमा शुल्क, [सा.का.नि. 39 (अ), दिनांक 15 जनवरी, 2024] का अनुमोदन करती है, जिसका आशय सीटीएच 1703 के अंतर्गत आने वाले चीनी के निष्कर्षण या शोधन से उत्पन्न

मोलासेस के निर्यात पर 18 जनवरी, 2024 से 50% निर्यात शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. The design of development of NH 66 from Edapallycottah to Kavanadu is in an unscientific manner. The design and implementation of the work is in such a manner so as to obstruct the livelihood of the local population. An elevated highway on pillars connecting Neendakara and Vettuthara is highly necessiated. At least an underpass at Vettuthara is inevitable for connecting lakhs of local population on the east of the National Highway with the Highway. The proposed underpass and service road at Neendakara is insufficient for movement of heavy goods carriages. The demand for underpass at Parimanam, Edapallycottah are not materialised. An elevated highway on pillars at Ayathil also not considered.

Hence, I urge upon the Government to initiate urgent action to construct elevated highway on pillars connecting Neendakara and Vettuthara or underpass at Vettuthara, and also underpass at Edapallycottah and Parimanam, and an elevated highway on pillars at Ayathil in NH 66.

Thank you very much, Sir.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, a very massive statute of Sardar Vallabhbhai Patel is there in our country. But I would request the Government of India and the Prime Minister personally to set up a similar statute in Kolkata of Swami Vivekananda at his residence through Ramakrishna Mission, Belur Math which will be appreciated by whole of the country.

*__SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI):__ Hon Chairman Sir, Vanakkam, Construction of four lane work in my constituency, announced by the Union Government 4 years ago, is yet to be started. Moreover, the compensation to be given to the farmers affected by the road expansion work is very less. for acquiring land from them for construction of this four-lane highway. Thousands of persons from our district work in Gulf countries. They have been using Thiruvananthapuram airport for this purpose. This four-lane road was earlier announced up to Shengottai. I urge that this four-lane road should be extended up to Thiruvananthapuram. I request the Union Government through you that the affected farmers should be given more compensation and that too very soon. This is my demand. Thank you.

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति जी, मैं सदन का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहूंगा। यहां किसानों को जो कपास का बीज मिलता है, वह बीटी और नॉन बीटी मिलता है। पहले बीटी और नॉन-बीटी कॉटन अलग-अलग था। अब मिक्स कर दिया है, इसकी वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो पंजाब से कैमिकल युक्त गंदा पानी राजस्थान में आ रहा है, इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। केन्द्र सरकार ने 774 करोड़ रुपये की राशि पंजाब को एसटीपी लगाने के लिए दी थी। किसी भी फैक्ट्री पर अभी तक कोई एसटीपी चालू नहीं हुई है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पंजाब में जितनी भी कैमिकल युक्त फैक्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स हैं, उनमें 774 करोड़ रुपये की एसटीपीज़ लगाकर राजस्थान को शुद्ध पानी दिया जाए, ताकि राजस्थान में पीने और सिंचाई हेतु शुद्ध पानी फसलों और लोगों को मिल सके । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र थावे से नई दिल्ली की ओर और अन्य महानगरों के लिए सुपरफास्ट ट्रेन चलाने के लिए ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। संसद के रूल 377, अनस्टार्ड, स्टार्ड, जीरो ऑवर एवं बजट डिबेट के माध्यम से लगातार पिछले साढ़े 4 सालों से मैं थावे जंक्शन से सुपर फास्ट ट्रेन संचालन की मांग कर रहा हूं। यहां कामर्शियल फीजिबिलिटी के साथ-साथ हैवी पैसेंजर ट्रैफिक भी है, लेकिन रेलवे अधिकारियों का जवाब आता है कि यहां से रेवेन्यू नहीं प्राप्त होता है। यहां इतना पैसेंजर ट्रैफिक है कि ट्रेन के अभाव में यहां से डेढ़ सौ से दो सौ प्राइवेट बसेज़ चलती हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि गोपालगंज थावे से सुपर फास्ट ट्रेन दिल्ली एवं अन्य महानगरों को चलाई जाएं और वंदेभारत ट्रेन चलाई जाए।

*__SHRI SUSHIL KUMAR RINKU (JALANDHAR):__ Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak in this august House. Sir, through you, I would like to thank the Civil Aviation Minister of India, Shri Scindiaji. I met him twice. He has given the green signal to start Adampur airport in my Constituency, Jalandhar. I hope, the Adampur airport will start functioning shortly.

I urge upon the Government to name the airport at Adampur on the name of Shri Guru Ravidasji. The Punjab Legislative Assembly has unanimously passed this resolution. So, I urge upon the Hon. Minister Sir to kindly name the airport as Shri Guru Ravidas Airport.

Thank you.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

श्री कमलेश पासवान (बासगाँव): सभापति महोदय, हमारे यहां पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बनकर पिछले दो वर्षों से चल रहा है। हमारे यहां एक ही सड़क गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए होती थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते लखनऊ जाने की दूरी कम हो गई और वहीं दूसरी तरफ भीड़ भी कम हो गई।

सभापति जी, मैंने आदरणीय मंत्री जी से भी आग्रह किया था और दो-तीन बार मैं इस बात को सदन में भी उठा चुका हूं। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को देवरिया, गजपुर, खजनी, बासगांव होते हुए खजनी से जोड़ दिया जाए, तो निश्चित तौर पर यह सड़क लोगों आवागमन के लिए हो जाएगी और लगभग 50 लाख लोगों के लिए लखनऊ की दूरी भी कम हो जाएगी और ट्रैफिक भी कम हो जाएगा।

माननीय सभापति : श्री एस.आर. पार्थिबन : उपस्थित नहीं।

डॉ. रामशंकर कठेरिया जी।

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान में कोटा, कोटा से चंबल एक्सप्रेस-वे इटावा जनपद में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी बनाया है। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस-वे से जोड़ा है। जो चंबल एक्सप्रेस-वे स्वीकृत हुआ है, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि चंबल एक्सप्रेस-वे, विशेष रूप से अटल जी के नाम से वह स्वीकृत हुआ है, चंबल के किनारे-किनारे कोटा से होते हुए यह इटावा में आता है। आप जानते हैं कि पूरा चंबल एक्सप्रेस-वे के किनारे बहुत बड़ा क्षेत्र है।

जो कई सालों तक दस्यु सम्राटों की गोलियों की गड़गड़ाहट के कारण विकास से वंचित रहा है। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और चम्बल एक्प्रेस-वे बनने के कारण इस क्षेत्र का विकास हो सकेगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने जमीन चिन्हित कर ली है, इसके कारण किसानों ने पूरी जमीन पर फसल नहीं बोयी है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि चम्बल एक्सप्रे-वे जिसका नाम अटल एक्सप्रेस-वे रखा गया है, शीघ्र बनवाने की कृपा करें। इसके साथ ही चम्बल एक्सप्रेस-वे को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने का कष्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* **SHRIMATI SATABDI ROY (BANERJEE) (BIRBHUM):** In my Birbhum the adjoining road from Lohapur railway station to Morgram railway station is in extremely poor shape. I have flagged this issue umpteen number of times, I spoke to hon. Minister, to the General Manager, but to no avail. The platform from Guskara to Nalhati- Muraroi-Rajgram is so short and the train compartments are so long in comparison that when a train halts there it becomes very difficult for passengers to board or deboard. It is so inconvenient. During the Corona time, some trains were started with special fare. Now Covid situation no longer exists, but those trains continue to charge hiked fare. Why the pre Covid fares are not reintroduced? Bardhhaman- Malda Town Passenger train was introduced when Mamata Bandyopadhyay was the Railway minister. That train has been discontinued altogether, it is so surprising. Moreover there are some trains which stops while going up but does not stop in the down route and vice versa. I have raised these issues time and again with hon. Minister, with the GM, with DRM, but nothing happened. For last five years I have been making hue and cry and have become tired now. Kindly look into it.

***DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT):** Respected Chairman Sir, I wish to draw the attention of hon. Minister through you to the issue of Balurghat airport. Few years back Airport Authority of India handed over Balurghat airport to the state government in exchange of rupee one. The development work of this Balurghat airport was entrusted with the state government. The state government has developed that airport; it is now ready for operations. But since the state

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

government has not taken appropriate steps, despite being a part of the UDAAN scheme, no planes are at present flying from Balurghat airport; Thus I wish to request respected minister that, they should have a dialogue with the state government, so that if need be, the single engine aircraft which is operational till Cooch Behar, can be started from Balurghat airport. If this happens, then not only the people of Balurghat and South Dinajpur district, but those of Malda, Murshidabad, North Dinajpur, i.e. residents of about four five Lok Sabha constituency will benefit.

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): सभापति महोदय, देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 740 नये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रौमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के बजट में किया था। इन विद्यालयों के लिये 38800 शिक्षकों की नियुक्ति भी किये जाने का प्रावधान है। इस ट्राइबल मिशन के लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने 15000 करोड रूपये की राशि का आवंटन किया है। करोडों आदिवासी बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। मैं इसके लिये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय जनजातीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बनने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की सूची में मेरे ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आले वाले वाले पोहरी विधानसभा एवं भितरवार विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को शामिल करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग रखता हूं, 1 जनवरी 2004 के बाद देश में नियुक्त 70 लाख से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर शेयर बाजार पर आधारित नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया, जो किसी के हित में नही हैं। नई पेंशन व्यवस्था में वर्तमान समय में सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक एवं कर्मचारियों को मात्र 850

रूपये से 1243 रूपये तक की पेंशन दी गयी है, जिसके कारण सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक एवं कर्मचारी आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे है । पुरानी पेंशन व्यवस्था देश के कार्मिकों का संवैधानिक हक है, जो उसे संबंधित विभागीय सेवा की एवज में आर्थिक सामाजिक सुरक्षा दिया जाता हैं।

आज सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था और देश के योग्य बेरोजगार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होगा । नई पेंशन व्यवस्था निजीकरण व पूँजीवाद को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है।

इससे कर्मचारियों में अत्यंत रोष है।

माननीय सभापति जी, मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि 70 लाख से अधिक शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेरा-मेडिकल फोर्स के सैनिकों की आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा हेतु नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सभापति जी, देश में रेलों के सभी माल गोदामों में पीढ़ियों से लाखों श्रमिक काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगा था, उस समय भी इन श्रमिकों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 24 घंटे काम करके, खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल आदि की लोडिंग और अनलोडिंग करके लोगों के घरों तक पहुंचाया था। इनका आज तक ठेकेदारों द्वारा एक्सप्लाएटेशन हो रहा है क्योंकि अब तक इनकी कोई मजदूरी तय नहीं की गई है। जिस तरह से फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम है, उसी तरह से मैं मांग करता हूं कि उनके एसोसिएशन के लोगों से मिला जाए। पीढ़ियों से ये लोग काम कर रहे हैं। उनको 50 किलोग्राम की एक बोरी उठाने के लिए एक या दो रुपये मिलते हैं। इस काम को करने से उनकी कमर भी झुक जाती है और वे 500 रुपये भी कमा नहीं पाते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अब जब 4 कोड्स बन गए हैं तो इस तरह के अनस्किल्ड लेबर्स का पीस मील रेट तय किया जाए।

SHRI VIJAYKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): Sir, National Highway 47 is a very important road. The movement of multi-axle trucks on this road carrying boulders and building materials has damaged the road severely. So, I request the hon. Minister for allotment of sufficient funds for repairing the existing road.

Moreover, a four-way alternate road is also being built. But due to various constraints, the work of the new project is progressing very slowly. The major constraint is non-availability of land as well as pending payout to the land owners of 12 villages. Once this problem is settled, this project will be completed. So, I request the hon. Minister to give sufficient funds to improve the existing road and complete the new project immediately.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): माननीय सभापति जी, गरीबों एवं वंचितों को समर्पित माननीय मोदी जी की सरकार का एकमात्र लक्ष्य 'गरीब कल्याण और लोक कल्याण' है।

मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र से आता हूं। यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और गरीबी की मार झेल रहा है। यह क्षेत्र केवल कृषि पर आधारित है और जब कृषि साथ छोड़ जाती है तो लोगों को मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ता है। हमारे यहां सिंचाई के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के पहले नदी जोड़ो प्रोजेक्ट में केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारे क्षेत्र को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे मिला है, इससे यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और यहां चहुमुखी विकास भी हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि वर्ष 2016 में रेल बजट में पिंक बुक में हमारे यहां से महोबा, चरखारी, राठ, उरई, भिंड रेलवे लाइन जोड़ दी गई थी। इस रेल लाइन की लोगों की नितांत आवश्यकता है क्योंकि लोगों को बाहर जाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस कार्य को पूर्ण कराया जाए।

अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी की मंशा लोक कल्याण है, बुन्देलखण्ड की बहुत लंबे समय से पृथक प्रांत की मांग चल रही है। इसके पीछे यहां लोगों का उद्देश्य है कि चहुंमुखी विकास हो सके इसलिए बुन्देलखण्ड को राज्य बनाया जाए। धन्यवाद।

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Sir, I rise to request the hon. Minister of Road Transport and Highways for a road project in Tamil Nadu. The project is of an elevated corridor road from Chennai to Thara.

The estimated cost of this project is about Rs.1,900 crore. Each and every formality is completed. This project is pending owning to only thing. That is, the Central Government is asking the State Government not to levy State GST whereas the Central Government is levying Central GST. It is totally unfair. It is not right. If the tax is not to be levied, then both the taxes should not be levied. The Central Government should not ask the State Government not to levy the State GST.

The Central Government should not say that the State Government should not review when it is getting the taxes.

I, therefore, request that this project should be implemented.

Thank you.

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): शुक्रिया सर। मुरादाबाद, ब्रास सिटी से जबदस्त एक्सपोर्ट होता है। यहां पर एक एयरोप्लेन, एयरोड्रोम की सख्त जरूरत है। यह 10 साल से बन रहा है, लेकिन हमें बराबर तारीख पर तारीख मिलती रहती है, लेकिन इस हवाई अड्डे का उद्घाटन नहीं होता है। इसकी कनेक्टिंग रोड, जो जीरो पॉइंट से काशीपुर होती हुई कॉर्बेट नेशनल पार्क जाती है, उस पर इस कदर गड्ढे हैं कि अगर कोई मरीज एम्बुलेंस में जाएगा, तो सही-सलामत नहीं पहुंचेगा। इस पर बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं, जिससे हमें बहुत शर्मिंदगी होती है। अत: इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे भीलवाड़ा में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और वहां वायु-सेवा नहीं है। वहां एयर स्ट्रिप बनी हुई है। अत: जल्दी से जल्दी वहां पर वायुसेवा प्रारंभ की जाए, क्योंकि उसके पास ही चित्तौड़गढ़, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह वहां से मात्र 20 किमी दूर पड़ता है। इससे दोनों शहरों का कनेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Hon. Chairman, Sir, thank you so much for giving me this opportunity. I would like to draw your kind attention to the issue of price hike of petrol, diesel, cooking gas, and all other daily commodities. Their prices have increased immensely. During the course of NDA regime, the middle-class people and low-income groups are suffering unbearably. I would like to request the hon. Prime Minister to bring down the prices of these things as early as possible.

माननीय सभापति : संघमित्रा जी, कृपया इधर भी ध्यान दीजिए।

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): धन्यवाद महोदय, मैं आपके माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। इस सदन के माध्यम से मैं पूर्व में भी महिलाओं की शिक्षा पर कार्य करने वाली और बच्चियों के लिए प्रथम स्कूल खोलने वाली माता सावित्री बाई फुले जी की चर्चा कर चुकी हूं तथा उनकी जयंती पर महिला शिक्षिका दिवस घोषित करने की मांग भी कर चुकी हूं, लेकिन अभी पूर्व में बीते 31 दिसम्बर को इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने मन की बात में माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती पर अग्रिम बधाई देते हुए उनके कार्यों की जब चर्चा की, तो मन में एक बार पुन: जिज्ञासा जागृत हुई और उसका कारण यह भी है कि इस वक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के माध्यम से महापुरुषों और समाज सुधारकों को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। उनको सम्मान देने का कार्य हो रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से आदरणीय

प्रधान मंत्री जी से मांग करती हूं कि अपने कार्यकाल में ही माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती पर महिला शिक्षिका दिवस एवं बाबा ज्योतिबाफुले जी को भारत रत्न दिया जाए। धन्यवाद।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण इश्यू उठाने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज देश में जिस तरीके की हेट स्पीचेज हो रही हैं, उससे पूरे देश में माहौल खराब हो रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस पर सख्त कानून बनाया जाए और जब संविधान निर्माता यह कानून बना रहे थे, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सदन के अंदर ... (व्यवधान)

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय सभापति जी, देश के गरीबों के मसीहा प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री आवास योजना की जो प्रक्रिया चालू की है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपके माध्यम से विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में विकसित भारत यात्रा के दौरान श्री हेमराज, दिव्यांग व्यक्ति, जो 90 परसेंट विकलांग है, उसकी मां 8 साल पहले खत्म हो गयी है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। दिव्यांग एकल पुरूष को प्रधानमंत्री आवास और शौचालय दिया जाए। यह मैं मांग करती हूं। मैं सोचती हूं कि यह परस्थिति केवल मेरे क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि देश के अन्य जगहों पर भी इस तरह की परस्थितियां हैं।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्री एवं रेल राज्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ के मुख्यालय से लगा रेलवे स्टेशन चिलबिला जंक्शन जो जनपद मुख्यालय की आर्थिक राजधानी की पहचान रखता है। व्यापारिक गतिविधियों एवं जनपद प्रतापगढ़ की मुख्य मंडी स्थल से लगा हुआ रेलवे स्टेशन होने के कारण वहां बड़ी संख्या में बाहर से भी व्यापारियों का आवागमन उस स्टेशन पर हुआ करता है। हाल के दिनों में रेलवे स्टेशन पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा अभूतपूर्व परिवर्तन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि चिलबिला जंक्शन पर प्रतापगढ़ से अमेठी जाने वाले राजमार्ग की तरफ भी बाहर निकालने का रास्ता स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें] क्योंकि रेलवे स्टेशन के पश्चिम तरफ

अमेठी राजमार्ग से स्टेशन आने के लिए लोगों को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी अनावश्यक रूप से तय करनी पड़ती है। साथ ही, मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि रेल लाइन का विद्युतीकरण हो जाने के कारण फुट ओवरब्रिज अब अधिक ऊंचाई पर है। … (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): धन्यवाद सभापति महोदय। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको मैं सदन के लाना चाहता हूं। कल जम्मू-कश्मीर में पंजाब के नौजवानों को शहीद किया गया, जिनमें अमृतपाल और संदीप मसीह शामिल हैं।

सर, पाकिस्तान पहले तो कश्मीर के लोगों को निशाना बनाते थे, पहले पंजाब में टेररिज्म था, ये बच्चे वहां पर काम करने गए थे, उनको ए.के.-47 के बट से मारा गया। यह बहुत ही फिक्र की बात है। अभी उनकी बॉडीज पंजाब के अमृतसर में पहुंची है। अभी तक उनके डेथ सर्टिफिकेट नहीं बने हैं। इसका कारण क्या है? वहां की सरकार ने तो बोल दिया कि यह टेररिस्ट एक्ट है। लेकिन, अब उनके परिवारों का ख्याल रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पंजाब और कश्मीर दोनों पर अटैक किया गया है।

सर, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान जम्मू-कश्मीर के उन लोगों की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो महाराष्ट्र में रोजी-रोटी कमाने के लिए मजदूरी करते हैं। जो लोग हैं, वे विशेष तौर पर जम्मू से मुम्बई और मुम्बई से जम्मू बाई ट्रेन आते जाते रहते हैं। लेकिन, जम्मू से मुम्बई जाने के लिए सप्ताह में दो ही ट्रेन्स हैं। एक हजार लोगों का जम्मू से मुम्बई रोज आना-जाना लगा रहता है।

मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से प्रार्थना है कि जम्मू से मुम्बई के लिए रोज एक ट्रेन जाए और मुम्बई से जम्मू के लिए आए। ऐसा होगा तभी लोगों की परेशानियों का निजात मिल सकेगा। धन्यवाद।

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Sir, I wanted to raise this issue on December 13 when you were in the Chair, when unfortunate incidents happened in the House, but I could not get an opportunity to raise it. … (*Interruptions*)

Sir, this is an issue which concerns the man on the street. In India, we have six crore stray dogs. We are spending 150 million dollars in Rabies vaccines. About 36 per cent of all the Rabies cases in the world are in India. Recently in Chennai, one dog bit 29 people and they all had to be hospitalised because after testing it was found that the dog had Rabies. In Ahmedabad, an industrialist named Parag Desai who went for a walk in the morning was chased by a pack of dogs. In panic, he fell down. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please put the demand now.

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM: Sir, the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying or the Ministry of Health and Family Welfare do not take responsibility for this. The local bodies do not have the funds or the expertise to implement the Animal Birth Control (Dogs) Rules, according to which the dogs are to be caught and vaccinated. … (*Interruptions*)

So, through you, I would request the hon. Prime Minister to constitute a national task force and fund it to deal with this problem.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : जनाब, 6 और 7 फरवरी की दरमियानी रात को जम्मू के बनिहाल कस्बे में एक भयानक आग लगी थी । सारा बाजार खाक हो गया । 100 के करीब दुकानें नज़्र-ए-आतिश हुईं। जो सौदा सेफ जोन में था, वह भी नज़्र-ए-आतिश हुआ ।

जनाब, मेरी यह गुजारिश है कि लोग बे-आसरा हो गए, जिनकी रोजी-रोटी का वहां पर एहतिमाम होता था। सरकार से मेरी यह गुजारिश है कि इनके रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और कंपनसेशन के पूरे इंतजामात किए जाएं। रिहैबिलिटेशन के लिए अलग से एक जगह की व्यवस्था की जाए, ताकि ये बाजार वहां पर लग सकें।

[جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): جناب 6 اور 7 فروری کی درمیانی رات کو جموں کے بانیہال قصبہ میں ایک بھیانک آگ لگی تھی، سارا بازار خاک ہو گیا۔ 100 کے قریب دوکانیں نظرِ آتش ہوئیں۔ جو سودا سیف زون میں تھا وہ بھی نظرِ آتش ہوا۔

جناب، میری یہ گُزارش ہے کہ لوگ بےآسرا ہو گئے، جن کی روزی روٹی کا وہاں پر اہتمام ہوتا تھا ۔ سرکار سے میری یہ گزارش ہے کہ ان کے ریلیف ، ریہبیلیٹیشن اور کمپنسیشین کے پورے انتظامات کئے جائیں۔ ریہبیلیٹیشن کے لئے الگ سے ایک جگہ کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ بازار وہاں پر لگ سکے۔]

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि प्रयागराज विमानपत्तन पर विमानों का प्रचालन भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाता है। विमानों का प्रचालन सुबह से शाम तक होता है। ये संज्ञान में आया है कि प्रयागराज विमानपत्तन पर विमानों के प्रचालन हेतु आवश्यक लैंडिंग उपकरण आईएलएस सी82 भारतीय वायु सेना द्वारा ही स्थापित किए गए हैं।

सभापति महोदय, विमानपत्तन पर शीतकालीन कोहरे के कारण विमानों का प्रचालन बाधित रहता है। यदि प्रयागराज विमानपत्तन पर विमानों के प्रचालन हेतु आवश्यक लैंडिंग उपकरण आईएलएस सी83 को स्थापित कर दिया जाए, तो प्रयागराज में कोहरे के समय भी विमान उतर सकेंगे

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairman, Sir. I would like to raise a very important issue which I raised multiple times in this august House. But, unfortunately, even after your direction to the hon. Minister, he has not been responding on this issue.

Sir, the issue is with regard to the establishment of a Kendriya Vidyalaya in Jeypore. We have discussed this issue with the hon. Minister multiple times. We have also discussed it with the District Administration. The land has been procured. We have done everything possible, and a temporary accommodation has also been provided. But now when we are requesting the hon. Minister, he is saying that it is in a mission mode. He is also not responding to my raising the matter in the Parliament during Zero Hour. I have been raising this issue for the last three-four times in every Session.

I would request you to give a special direction to the hon. Minister of Education to establish a Kendriya Vidyalaya in Jeypore at the earliest. Thank you, Sir.

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती) : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । आंगनवाड़ी सेविकाएं पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रही हैं। उनकी बहुत छोटी-सी मांग है कि उनको सरकारी सेवाओं में शामिल करके पेंशन और ग्रेच्युटी दी जाए। उनकी 21,000 से 26,000 रुपये स्थायी मानदेय की मांग है।

महोदय, मेरी विनती है कि जो हमारी आंगनवाड़ी महिलाएं और आशा वर्कर्स हैं, वे कई वर्षों से हर गांव और घर में जाकर सबकी जानकारी लेती हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मदद की जाए। आशावर्कर्स सुपरवाइजर हैं। वे दीपावली में सिर्प 2,000 रुपये का बोनस मांग रही हैं। उनको बोनस देकर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वे पूरे गांव के गरीब लोगों को अपने साथ लेकर चलती हैं

और उनकी सेवा करती हैं। पूरा हाउस उनके साथ खड़ा होगा। मेरी विनती है कि हमें आशावर्कर्स की मदद करनी चाहिए।

*__SHRI K. NAVAS KANI (RAMANATHAPURAM):__ Hon Chairman Sir, Vanakkam. Coconut farmers live in my Ramanathapuram parliamentary constituency in huge numbers. Particularly in the area under Aranthangi Legislative Assembly segment coconut farmers are in good numbers. Coconut cultivation is done in more than 26 thousand hectares of land. More than 40000 families are dependent on coconut cultivation for their livelihood. In order to increase the income of coconut farmers and for them to get benefits every year, I urge that an industry related to manufacturing sub-products and by-products of coconut may soon be setup in my Ramanathapuram constituency. In the Ramanathapuram district of my constituency, in the areas surrounding Sayalkudi, palm growing farmers live in huge numbers. We have understood that protect of palm trees prevent soil erosion and provide soil health besides helping in increasing the ground water table. Our Hon Chief Minister of Tamil Nadu Shri M. K. Stalin has started a Scheme to sow 1 Crore palm seeds besides ensuring the protection of palm trees, as well. I urge that palm cultivation is very much necessary and Union Government should extend help to the State of Tamil Nadu by way of adequate allocation of fund. Thank you for this opportunity.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

[*] **SHRI SAUMITRA KHAN (BISHNUPUR):** Thank you, Sir. After bowing before Ma Sarada of Jairambati, I am able to finish all my tasks today. I will not take much of your time, I just want to inform you that the central government has 500 acres of land in Bishnupur. If the central government decides to establish an AIIMS in that area, thousands of people will get its benefits - because within the radius of one hundred kilometres, no central facility is there for healthcare. I am fortunate enough to serve the people as I wished - whether it is Bishnupur-Jairambati rail track till Mosadgram or something else. All I want now is an AIIMS at Bishnupur for the people of the region.

[#]**DR A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI):** Hon Speaker Sir, Vanakkam. I request the Hon Minister for Railways to provide two subways in my Krishnagiri parliamentary constituency. One Rail Subway is to be provided at kilometer 238 at K. Ettipatti Panchayat near Samalpatti Railway station on the Jolarper-Salem rail route as this rail route passes across Kunrathur-K. Etipatti road. Another Rail Subway is to be provided at Kalkumarapatti Village. These two Rail Subways are very much required for the benefit of the people of my constituency. As regards Kalkumarapatti village, the people do not have any other way to commute. They have to enter forest area to come out of their village. Therefore I request Hon. Railway Minister to order for setting up of two Rail Sub-ways *viz* one at Kunrathur – K. Ettipatti road and another one at Kalkumarapatti village of my constituency. Thank you.

---

[*] English translation of the speech originally delivered in Bengali.

[#] English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़) : सभापति महोदय, मुझे आपने जीरो आवर में बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर शताब्दी जो अप में रुकती है, लेकिन डाउन में नहीं रुकती है और एक वंदे भारत ट्रेन है । वंदे भारत अयोध्या और वंदे भारत बनारस दोनों ट्रेन्स का हमने भव्य स्वागत किया । देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने उन ट्रेनों को चलवाकर यात्रा बहुत सुलभ की ।

मेरा निवेदन है कि अगर अलीगढ़ में इन तीनों ट्रेनों का स्टोपेज मिलेगा तो वहां के यात्रियों को लाभ मिलेगा और राजस्व की भी प्राप्त होगी ।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं अपने क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या का बार-बार निवेदन करता आया हूं और आज भी आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि भारतमाला से जावरा, नागदा, उन्हेल, उज्जैन होते हुए पीथमपुर को नेशनल हाइवे किया जाए, क्योंकि मैं आज यहां सदन में बात कर रहा हूं, लेकिन वहां पर सौ प्रतिशत कोई न कोई एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही होगी ।

मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि इसको नेशनल हाइवे घोषित किया जाए । हमारे यहां उज्जैन में कहा जाता है कि "अकाल मृत्यु वह मरे, जो काम करे चाण्डाल का, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का ।"

मेरा आपसे निवेदन है कि इसको नेशनल हाइवे किया जाए ।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): महोदय, मेरे जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो हमारे धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के बारे में है । मैं उस मुद्दे को आपके समक्ष रखना चाहता हूं । विगत कई वर्षों से लगातार उड़ान स्कीम है, लेकिन बीच में राज्य सरकार ने इसको ऐलीवेटेड कॉरीडोर घोषणा के चलते उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि कोई ऐलीवेटेड कॉरीडोर नहीं है । अभी राज्य सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि इससे उपयुक्त जगह नहीं मिलेगी । राज्य सरकार ने अभी तक फॉरेस्ट एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस भारत सरकार को नहीं भेजा है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से तत्कालीन बात करके फॉरेस्ट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मंगाया जाए और उस काम को तत्काल शुरू किया जाए।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I wish to raise a very important matter related to my constituency regarding the Kendriya Vidyalaya at Thrikkakara.

Sir, in 2019, 29 Kendriya Vidyalayas were approved by the Government of India, out of which 28 temporary KVs have been started. Thrikkakara is an area where the Central Government has a huge number of institutions, including the NPOL, Akashvani, Telecom Department, Central Advertising Field Division etc. My humble request, through you, to the Education Minister is to start a temporary KV at Thrikkakara as soon as possible. Land is a huge hurdle, but we have already identified the land. The conversion of land has not been done by the State Agriculture and Revenue Department. Also, the CMI institution, which is at the forefront of educational institutions, has given 20 cents of land free of cost. My humble request to the Government is to start in the next academic year a temporary KV at Thrikkakara.

Thank you.

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): सभापति जी, मेरे साथी राम कृपाल यादव जी ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स के वेतन बढ़ोत्तरी के बारे में बात रखी है। मेरा भी मानना है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स बहुत मजबूती से काम कर रही हैं और छोटे बच्चों को ठीक तरह से संभालने का काम रही हैं। ऐसी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी हो, मेरा राम कृपाल यादव जी की बात को मेरा समर्थन है।

*__SHRI DEEPAK ADHIKARI (DEV) (GHATAL):__ Sir, thank you for providing me the opportunity to speak. I wish to speak in Bengali. I spoke about Ghatal Masterplan for the first time in Parliament. Today is my last day in the Parliament, and I again stand here to speak on the Ghatal Masterplan.

13.50 hrs (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

Since 1950, there has been a lot of pain in the hearts of the people of Ghatal regarding the issue of Ghatal Masterplan. This is not an issue pertaining exclusively to a political party-whether it is TMC or BJP. This issue is beyond that. Through you, I want to request the honourable Prime Minister to kindly look into the matter and implement the Ghatal Masterplan. So that the people whose lives were affected by the flood get the benefit out of this. I hope the dream that people of Ghatal had finally becomes a reality. Whether I stay as an MP or not, i just want to see the plight of the people of Ghatal getting reduced. I hope to see happiness in the faces of these people. I want to thank our honourable Chief Minister who provided me this opportunity to represent the people of Ghatal for 10 long years. I thank all the people of Ghatalconsistuency- the ones who voted for me and those didn't vote for me- I express my gratitude to all of you. Whether I am there or not, Ghatal will always have a special place in my heart.

Thank you.

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

श्री राहुल कस्वां (चुरू): महोदय, मैं आपके मार्फत कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया, उससे किसानों को बहुत फायदा मिला। पहले किसान बाजार से जो पैसा लेते थे, उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था लेकिन हाल ही में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के आने के बाद से मेरे लोक सभा क्षेत्र के किसानों को बहुत फायदा पहुंचा है।

HON. CHAIRPERSON: You put the demand.

श्री राहुल कस्वां (चुरू): महोदय, मेरी डिमांड है कि साल में एक-दो बार बैंकों में पैसा जमा करने के बाद, बैंक चार्जेज टीसीएस, टीडीएस के नाम पर पैसा काटता है, जिससे किसानों को बहुत लॉस होता है। किसान जब इनकम टैक्स भरता है, तो इससे उन्हें बहुत नुकसान होता है। मैं कहना चाहता हूं कि टीसीएस, टीडीएस को केसीसी के खातों में बंद करना चाहिए।

श्रीमती कविता सिंह (सिवान): धन्यवाद सभापति महोदय। महिलाओं के हित में यह सरकार बेहतर कार्य कर रही है तो मैं सदन के माध्यम से देश में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, आजीविका दीदियों, आशा दीदियों, मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों और सफाईकर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग करती हूं।

महोदय, कोरोना काल में इन महिलाओं ने बेहतर कार्य किया था और आज भी बेहतर कार्य कर रही हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, हापुड़ से तथा गाजियाबाद से नोएडा पहुंचने का कोई साधन नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी और छात्र वहां जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि स्मार्ट बस सिटी योजना के अंतर्गत हापुड़, गाजियाबाद और नोएडा के बीच में बस सेवा प्रारम्भ की जाए ताकि नौजवानों और छात्रों को सुविधा हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: So many Members are remaining. Please confine within 30 seconds. Just put the demand and close it.

Shri Khagen Murmu.

*__SHRI KHAGEN MURMU (MALDAHA UTTAR):__ Hon. Chairman Sir, I want to raise an extremely important issue through you. It has been a longstanding demand of the people to set up an airport and flight operations in Malda. I have raised this issue over and over again. Gour - a part of Malda District used to be the capital of Bengal, Bihar, and Odisha. Yet there is no airport in Malda. We have consistently raised this issue, and in reply, the hon. Minister has said that the onus lies on the state government and they have put this on lease. This airport can be constructed at the pre-decided venue or concerned ministry can find a new place to do it. I want to draw your attention to this issue. Thank You.

SHRIMATI NUSSRAT JAHAN (BASIRHAT): Sir, thank you so much for giving me the opportunity.

There is an urgent need to clear a 100-day work of people in Bengal under the MGNREGA scheme. Bengal should not be deprived of it. Our hon. CM has also met the Prime Minister and discussed about the Rs. 80,000 crore blocked, which is all in the interest of people and their hard-earned money. We want it back. Please look into it and release the money. Thank you.

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सभापति जी, धन्यवाद । अमृतसर, तरनतारन और कपूरथला ऐसा इलाका है, जहां पर 10 में से 9 सिख गुरू पधारे हैं। वह जैन, राधास्वामी, लव कुश और भगवान वाल्मिकी की भूमि है । सर, इसे टूरिस्ट सर्किट के तौर पर डेवलप किया जाए और अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स बढ़ाई जाए।

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति जी, पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था कि देश में कहीं भी बाढ़ न आए, कहीं भी सूखा न पड़े तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसी क्रम में उत्तराखंड से यूपी में गंगा मैया प्रवेश करती है इसलिए दोनों तटबंध पक्के किए जाए। उत्तराखंड से रामगंगा और बाणगंगा, एक शुक्रताल को जाती है और दूसरी अमरोहा को जाती है, उसकी खुदाई करके उसे वहां तक पहुंचाया जाए तथा मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूँ कि गंगा के दोनों तट पक्के किए जाए, जिससे बाढ़ से छुटकारा मिल सके।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Thank you, Sir. My submission is regarding the Angamaly-Kundannoor bypass. … (*Interruptions*)

Ernakulam is a suburban area … (*Interruptions*). According to official sources the vehicle population is the highest there. Kochin airport, Kochin port and other major institutions are there. Angamaly-Kundannoor bypass is the only remedy for transportation.

According to official source, 3a Notification is over. We are waiting for the 3A Notification. … (*Interruptions*) Only after this Notification land acquisition will start. So, please give direction for the same.

Thank you, Sir.

***SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. On the Salem-Chennai railway route, at the Savulupatti village of Kanavaipudur Panchayat, there is a narrow rail bridge. Heavy vehicles find difficulties in going through this over bridge. I therefore urge the Minister of Railways, through you, that this Rail over bridge should be expanded. Thank you for this opportunity.

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): सर, बेरी हरियाणा का एक बहुत प्राचीन कस्बा है। यह स्थान महाभारत कालीन माँ भीमेश्वरी देवी का स्थान है। यह सारे विश्व में प्रसिद्ध है और हरियाणा के प्रथम मुख्य मंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा की तथा जनरल दलबीर सिंह सुहाग की जन्मभूमि है। मेरा आपसे निवेदन है कि बेरी, झज्जर और डीघल को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। वहां पर नगरपालिका भी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बहादुरगढ़ से मांडोठी, मातन, छारा, दुजाना, बेरी, दुबल्धन, माजरा और दादरी तक रेलवे लाइन से जोड़ने से लाखों लोगों की आबादी को इसका फायदा मिलेगा। मेरी रेलवे मंत्री जी से प्रार्थना है कि इन्हें रेलवे लाइन से जल्दी ही जोड़ा जाए।

***SHRI P. VELUSAMY (DINDIGUL):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. Kodaikkanal hill station is situated in the Palani Legislative Assembly segment of my Dindigul parliamentary constituency. More than 1 lakh people stay in this constituency and engaged in agriculture. Due to the increased human-animal conflicts of wild animals including elephants, wild cows and wild boars, people and farmers are affected. Therefore, I request the Union Government to provide hanging solar lanterns in the areas where there is threat from these wild animals to the people. Thank you for this opportunity.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर घर को नल से जल देने की योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में भी इस पर काम चल रहा है। इसके अंतर्गत जो पाइप लाइन डाली जाती है और पाइप लाइन डालने के बाद रास्ता खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। मैं आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जैसे ही उसकी लाइन डाली जाए, उसके बाद तुरंत रास्तों को सही कर दिया जाए। इसके लिए विभाग को सरकार से निर्देश दिए जाने चाहिए।

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Sir, my submission is with regard to clear gross discrimination and injustice that is being done in the case of Haj pilgrims travelling from the embarkation point of Kozhikode airport. Sir, you know about it very well.

HON. CHAIRPERSON: What is the demand? Kindly put the demand.

… (*Interruptions*)

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Yes, Sir. Something has to be done about it. The pilgrims are compelled to pay excess amount without any reason. I think that retendering has to be done. … (*Interruptions*)

I request the Government to intervene in the matter urgently and help the pilgrims travelling from Kozhikode airport.

14.00 hrs

***SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE):** Hon Chairman Sir, Vanakkam Senganthal flower is a medicinal plant called as Kanvali Kizhangu or Gloriosa Superba is cultivated. Around 400 tonnes of this medicinal plant is cultivated. As this medicinal plant is sold in foreign countries for high prices, the private entities purchase these medicinal plants from farmers at very low prices. Therefore, I urge that a minimum price should be fixed by the Union Government for this medicinal plant besides procuring and exporting to foreign countries. Thank you for this opportunity.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे अनाज भंडारण केन्द्र बनाए गए हैं। लोगों ने अनाज भंडारण गृह लोन लेकर बनाए हैं, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि वहां भंडारण बहुत कम समय रहता है, तत्काल उसको दूसरे जिलों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहां के राइस मिलों में धान की पिसाई के लिए धान की उपलब्धता नहीं रहती है, जिसके कारण राइस मिलर्स परेशान हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितने भंडार गृह हैं, वे हमारे लोक सभा क्षेत्र के लिए…(व्यवधान)

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): सभापति महोदय, मैंने जोगीघोपा से अमीन गांव तक भाया बरपेटा, जोनिया, लैंको सिंघा, सरथेवाड़ी, अल्टरनेटिव लाइन के बारे में पहले ही कहा था। इनका दो बार सर्वे हुआ, लेकिन सरकार, रेल मिनिस्ट्री ने इसे रेल ऑफ रिटर्न के नाम पर रिजेक्ट कर दिया। अगर रेल लाइन नहीं बनेगी, तो उस इलाके के कृषि क्षेत्र का कैसे विकास होगा। सरकार धार्मिक पर्यटन की बात कहती है । बरपेटा शहर कई क्षेत्रों से घिरा है । यह शंकरदेव की कर्मभूमि है ।…(व्यवधान) बरपेटा धार्मिक पर्यटन के लिए भी जाना जाता है ।…(व्यवधान)

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में किशनगढ़, विजयनगर, नसीराबाद, बान्दनवाडा और मांगलियावास रेलवे स्टेशंस पर रेलों का ठहराव किया जाए। यह जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी है। वहां से मेड़ता की लाइन को भी जोड़ा जाए।

आपके माध्यम से यह मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है।

***SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR):** Thank you, Chairman Sir. I want to draw your attention to the fact that sacrilege has taken place in Punjab as far as Shri Guru Granth Sahib is concerned.

On 1st June, 2015, at Kot Kapura, Burjwar Singh, Sacrilege incident took place. On 12th October too, such an incident happened. On 14th October, agitation took place. There was a 'dharana'.

Sir, this is a serious incident of 2015. We have not got justice even till today. Sir, all these incidents of sacrilege of Shri Guru Granth Sahib happened during the tenure of Shiromani Akali Dal Government.

I urge upon the Government to constitute a Committee to probe this serious incident of sacrilege. The guilty must be given exemplary punishment so that no one can ever dare to indulge in sacrilege of Shri Guru Granth Sahibji. Thank you.

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Sir, through you, I demand from the Government of India grant of special status for Andhra Pradesh. After bifurcation, it is our dream, our demand, our request, and also the right of Andhra People. I would request you to increase the reservation, give ST status to 'Madasi Kuruva' which is called Kuruva Community, give ST status to Boya community, and also establish a special batallion for Boya community.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): सर, मेरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में तेजपुर एयरपोर्ट और पासीघाट एयरपोर्ट है । पहले फ्लाईबिग एयरलाइंस द्वारा कोलकाता-गुवाहाटी-तेजू और कोलकाता-गुवाहाटी-पासीघाट के लिए एयर सर्विस दी जाती थी, लेकिन फ्लाईबिग एयरलाइंस ग्राउंडेड होने के बाद यहां एयर सर्विस ठप हो गई।

इसलिए मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से मांग करता हूं कि तत्काल कोलकाता-गुवाहाटी-तेजपुर और कोलकाता-गुवाहाटी-पासीघाट के लिए अल्टरनेट एयरलाइंस की सर्विस दी जाए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के पूर्वी चम्पारण अंतर्गत फुलवरिया घाट पुल के एप्रोच का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एनएचएआई से जनहित में शीघ्र कराई जाए।

श्री दुर्गा दास उइके (बैतूल): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में पांच जनजाति राजाओं के किले हैं, जो काफी खराब स्थिति में हैं । वहां तीन प्रमुख धार्मिक स्थल हैं । सूर्य पुत्री मां ताप्ती का उद्गम स्थल मुलताई में है । मैं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन स्थानों का संरक्षण, अभिवर्धन करते हुए पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने की मांग करता हूं।

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): महोदय, बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है और सभी लम्बी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग टिकट ही मिलता है । मुजफ्फरपुर से दिल्ली वाया गोरखपुर आने में 18 घंटे से ज्यादा का समय लगता है।

मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि अगर मुजफ्फरपुर से दिल्ली वाया पाटलिपुत्र, दानापुर होते हुए ट्रेन चलाई जाए तो मात्र 14 घंटे में दिल्ली पहुंचा जा सकता है । मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह मांग है कि मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली वाया दानापुर के लिए एक ट्रेन दी जाए । धन्यवाद।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, मेरे यहां चार विधान सभा व लोक सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन, पाली, बिलाड़ा और औसियां हैं । अगर मारवाड़ जक्शन से पाली, जोधपुर, बिलाड़ा तथा ओसियां-तिवड़ी-मथानिया-जोधपुर के लिए रेल-बस चलाई जाती है तो शहर में जो मजदूर आते हैं,

उनको परेशानी नहीं होगी। वे रोड से आते हैं। इसलिए मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस रूट पर नियमित रेल-बस चलाई जाए तो आम मजदूर को बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।

श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली): महोदय, मैं महाराष्ट्र के हिंगोली क्षेत्र से आता हूं। इस हिंगोली क्षेत्र में सोयाबीन, कपास और तूर की बड़ी लागत है तथा लगभग 4 लाख 61 हजार किसानों ने पीक बीमा के लिए ऑनलाइन नोंदणी की थी। सोयाबीन पीक के लिए 3 लाख 21 हजार, कपास के लिए 65 हजार और तूर पीक के लिए 75 हजार किसानों ने ऑनलाइन नोंदणी की हुई है। हिंगोली जिले के पीक बीमा के लिए एचएफएफसी, ईआरजीओ कंपनियों ने अग्रिम रकम देने के विषय में… (व्यवधान) सर, एक मिनट दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और 4 लाख 61 हजार किसानों का यह विषय है। उनकी जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय जो अपील है, उसे खारिज किया गया है। उन्होंने दिल्ली में जो अपील की है तो कंपनी की तरफ से… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कौशलेन्द्र कुमार।

श्री हेमन्त पाटिल जी, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री हेमन्त पाटिल : सर, मेरी आपके माध्यम से विनती है कि 4 लाख 61 हजार किसानों की जो अपील है, उनकी अपील मान्य की जाए, कृषि मंत्री जी को बोला जाए और हिंगोली के किसानों को न्याय दिया जाए। धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहां लगभग लाखों पर्यटक डेली आते हैं। उसका कारण है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, ज़ू सफारी है, ग्लास ब्रिज, जो राजगीर में है, इसलिए वहां पर काफी पर्यटक आते हैं। मेरा अनुरोध है कि नालंदा में एक पांच सितारा होटल और एयरपोर्ट की व्यवस्था की जाए, जिससे आने-जाने वाले पर्यटकों को लाभ मिल सके।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र में आस्था के केंद्र श्री मेहंदीपुर बालाजी, श्री मदन मोहन जी मंदिर, करौली, मां राजराजेश्वरी कैला देवी,

मचकुंडधाम, धौलपुर के लिए भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि ये सभी पवित्र तीर्थस्थल हैं। लाखों की संख्या में हर महीने श्रद्धालु यहां पर आते हैं। कृपया काशी और उज्जैन कॉरीडोर की भांति यहां पर भी कॉरीडोर का विकास किया जाए, जिससे भक्तों को इन तीर्थस्थलों का और लाभ मिल सके। ये तीर्थस्थल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अत: मैं पुन: मांग करता हूं कि इन सभी तीर्थस्थलों पर कॉरीडोर की स्थापना तुरंत प्रभाव से की जाए। धन्यवाद।

14.09 hrs (Shri A. Raja *in the Chair*)

माननीय सभापति : श्री बिद्युत बरन महतो – उपस्थित नहीं।

श्री मुकेश राजपूत जी।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से 135 किलोमीटर पर आकर समाप्त हो जाता है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, जो वहाँ पर समाप्त हो जाता है, उसे आगे तक बढ़ाते हुए, फर्रुखाबाद होकर गंगा एक्सप्रेस-वे से मिला दिया जाए। इसके मिलने से फर्रुखाबाद में विश्व प्रसिद्ध संकिशा स्थान है, जहाँ पर भगवान बुद्ध का स्वार्गावतरण हुआ था और वहाँ बाबा नीम करोरी जी की तपोस्थली भी है। यहाँ पर विश्व से लोग आते हैं।

इसलिए आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर विचार किया जाए, जिससे इस पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा और इसके साथ-साथ उस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज़ादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में रेल विभाग को लगभग 7 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ।

अधोसंरचना निर्माण के कारण लम्बे समय से रद्द या विलम्ब हो रही ट्रेन्स को पुन: चालू करने के लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि कार्य का शीघ्र समापन करके फिर से ट्रेन्स को समय पर चलायी जाए। पहले जिन स्टेशंस पर स्टॉपेजेज थे, वहाँ पर पुन: स्टॉपेज की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया जाए। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है, उसके लिए मैं माननीय मोदी जी और माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा वहाँ और भी फास्ट ट्रेन्स चालू की जाए, मैं यह भी निवेदन करता हूँ।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, I wish to state in my constituency Sangrur, the river Ghaggar plays havoc year after year. I want the Water Resources Minister to strengthen its embankments, and dredging be done to remove the silt. Thank you.

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ताई-अहोम, मोरान, मोटोक, चुटिया और कोच राजबोंगशी टी-गार्डेन कम्युनिटीज को जल्दी एसटी स्टेटस मिले।

दूसरा, कालिता जनागोष्ठि की आबादी 50 लाख से ऊपर है, उनको भी सोशियो-इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिज़र्वेशन मिले, यह मेरी माँग है।

तीसरा, श्रीमंत् शंकरदेव जगद्गुरु के नाम पर भारत का जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पर उनके नाम पर शंकरदेव आसन शुरू किया जाए। मेरी ये ही कुछ डिमांड्स हैं।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के प्रतापगंज से भीमनगर रेलवे लाइन वर्ष 1934 के भूकम्प में ध्वस्त हो गया था, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता भी नहीं है।

अत: मेरा निवेदन है कि प्रतापगंज से भीमनगर रेलवे लाइन के सीमावर्ती क्षेत्र में रेल-लाइन का निर्माण किया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिले।

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि गोरखपुर-छपरा रेल खंड पर बनहट्टा स्टेशन पर मौर्य एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए। दादर एक्सप्रेस, वाराणसी-गोरखपुर पैसेंजर ट्रेन्स का ठहराव क्रिडापुर स्टेशन पर किया जाए।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र 75 वर्षों से अति पिछड़े क्षेत्रों में सम्मिलित था तथा यह विकास हेतु आशान्वित रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसे आकांक्षी जिले में सम्मिलित करके मोहनपुरा, कुंडलिया, रेशई, पार्वती आदि क्षेत्रों में डैम से 5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने की परियोजना है। मेडिकल कॉलेज, चार राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन की सौगात देकर इसे विकासशील क्षेत्र की दौड़ में सम्मिलित किया गया है।

मैं आपके माध्यम से, सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन फसलों का उत्पादन हमारे क्षेत्र में हो रहा है, उनकी प्रसंस्करण की ईकाई भी मेरे क्षेत्र में स्थापित करके औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का भी मार्ग प्रशस्त करें। इससे गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को अधिक से अधिक रोज़गार मिलेगा तथा देश को समृद्ध बनाने में राजगढ़ क्षेत्र की भी भूमिका रहेगी।

धन्यवाद।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, I rise to speak on the dues under MGNREGA to the State of West Bengal.

In three years, the dues to the State of West Bengal under MGNREGA have mounted to Rs. 7,300 crore. Twenty-one lakh daily wage workers have been deprived because of this very cruel step taken by the Centre. Along with the hon. Chief Minister of West Bengal, we have met with the hon. Prime Minister. He promised to look into this matter but has not done anything.

The hon. Chief Minister of West Bengal has promised that she will pay the dues to these 21 lakh workers by 21st February. But this is a gross violation of the federal principles.

HON. CHAIRPERSON: Please be brief.

PROF. SOUGATA RAY: I am just concluding.

There is a gross violation of federal principles. The Centre is using a false pretext. They are saying that something has been spoken about this scheme in West Bengal by AG. This is totally false. AG has said, 'Why have Utilisation Certificates not been submitted'? That is false.

I demand that the Centre should pay dues under MGNREGA to the State of West Bengal and save the poor.

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): महोदय, धन्यवाद।

मेरे लोक सभा क्षेत्र कटिहार अन्तर्गत कटिहार रेल डिविजन से कटिहार-मुकरिया के बीच छीटाबाड़ी और कटिहार-कुमेदपुर के बीच भगवान चौक में रेलवे आरओबी नहीं बनने से शहर को जाम का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से माँग करता हूँ कि कटिहार, भगवान चौक और छीटाबाड़ी में रेलवे आरओबी बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): महोदय, वर्ष 2024-25 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर की आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के नि:शुल्क इलाज की जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ।

मैं निवेदन करता हूँ कि तीन श्रेणियाँ और हैं, एक देश भर के दिव्यांगजन, दूसरे क्रॉस-जेंडर और तीसरी श्रेणी स्वयं-सहायता ग्रुप की महिलाओं की है। इनको भी 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज देने की कृपा करें। मैं सरकार से यह माँग करता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इन तीनों श्रेणियों को भी उसमें सम्मिलित करें। धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश की खरगौन बड़वानी लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ, जो जनजातीय बाहुल्य लोक सभा क्षेत्र है। यहाँ पर इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना का काम चल रहा है, लेकिन वह काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस बार के बजट में भूमि अधिग्रहण के लिए 716 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं एक आग्रह/निवेदन करता हूँ कि खंडवा से खरगौन-बड़वानी जो रेल लाइन है, जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है, उसे शीघ्र स्वीकृत किया जाए, जिससे मेरे लोक सभा क्षेत्र को लाभ मिल पाए।

महोदय, आपका पुन: धन्यवाद।

डॉ. राजदीप राय (सिल्चर): महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर समस्या सदन के सामने रखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का जो डेवलपमेंटल एजेंडा है, जिसके तहत पीएमजीएसवाई और जल जीवन मिशन जैसी स्कीम्स चल रही हैं। डिफेंस एंक्लेव के अंदर जो सिविलियंस रहते हैं, इन स्कीम्स को उन तक पहुँचने में दिक्कत होती है। आज माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रक्षा मंत्री जी की नजर में लाना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ सिल्चर लोक सभा क्षेत्र में काफी सारे डिफेंस एंक्लेव हैं। मसिम्पुर में असल राइफल्स और आर्मी की है। वहाँ पर कुछ-कुछ जगहों पर हमारे सिविलियन लोग रहते हैं। कहीं 100 परिवार, कहीं 200 परिवार, कहीं 250 परिवार रहते हैं। जो पट्टा लैंड पर रहते हैं, जो डिफेंस की लैंड नहीं है। वहाँ पर जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं पहुँचनी चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: Please put your demand. What is your demand?

DR. RAJDEEP ROY: My demand is that the Ministry of Defence should take a policy decision to allow JJM and Pradhan Mantri Sadak Yojana to reach there.

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, there is a remarkable growth and development that Tirupati City has experienced in recent years. The population has surged beyond 10 lakhs and continues to grow steadily. Reclassification of Tirupati City from Z- Category to a Y-Category city is required in terms of House Rent Allowance.

Reclassification will enhance House Rent Allowance for Central Government employees serving in the city. It is crucial for ensuring that the Government employees receive the benefits commensurate with the city's growth.

I request the Central Government, through you, to initiate necessary action for the reclassification of Tirupati City from its current status as a Z-Category city to a Y-Category city at the earliest.

Thank you, Sir.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में गरीब महिलाओं का एक बड़ा मोर्चा निकला था, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जमा की थी, उसमें 70, 80 और 90 तक की महिलाएं थीं। जब वे अपने हक के पैसे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक्स ने डुबा दिए हैं, करोड़ों रुपये ले कर भाग गए हैं, जब वे अपना पैसा मांगने के लिए गईं तो उनके ऊपर आँसू गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज की कई, जिसमें कई महिलाएं ज़ख्मी हुई हैं, मैं भी उस मोर्चे में शामिल था।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करे कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई है, उसे रद्द किया जाए, क्योंकि वे हक और मेहनत की कमाई मांग रहं थीं। इसी तरह से आदर्श जैसे घोटाले हिंदुस्तान में कई जगह हो रहे हैं । सरकार को कोई न कोई कानून बनाना चाहिए, वर्ना गरीबों के पैसे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक्स के अंदर जमा करते हैं, ऐसे ही मारे जाते रहेंगे।

केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को यह कहा जाना चाहिए कि यह एफआईआर वापस ली जाए और इस पर एक इंक्वायरी की जाए।

श्रीमती संध्या राय (भिंड): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र भिंड कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां की लगभग 70 प्रतिशत आबादी किसानों की है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि वहां पशु

चिकित्सालय महाविद्यालय खोला जाना बहुत महत्वपूर्ण है । अगर यह खुलता है तो वहां के क्षेत्रवासियों के लिए, वहां के युवाओं के लिए इस क्षेत्र में पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा विकल्प रहेगा।

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): महोदय, राष्ट्र माता, गौ माता को प्रणाम करते हुए मैं आपसे गौ माता के विषय मे कुछ मांगों का आग्रह करना चाहता हूँ। आज हमारे जीवन का मुख्य आधार गाय है, और उसे पूरे देश में तवज्जों नही दी जा रही है, और गायों की संख्या बहुत कम रह गई है, लोग गाय का पचगव्य तो प्राप्त करना चाहते है, लेकिन उसे पालने से दूर भागते है। किसानों को इसकी जिम्मेदारी का भार नियम, कानून बनाकर सौपना होगा, क्योंकि गाय हमेशा से कृषि का आधार रही है। इस लिए हमने गाय की पशु नहीं माता का दर्जा दिया है। 'गोमय वसते लक्ष्मी' वेदों में कहा गया है कि गाय के गौबर मे लक्ष्मी का वास होता है, और दिवाली के त्यौहार में गाय की पूजा होती है।

महोदय, आज भगवान प्रभु श्रीराम के मन्दिर स्थापना के अवसर पर देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, और इस ईश्वरीय राष्ट्रीय कार्य में गोमय गौबर घी, गोमूत्र, दूध आदि को प्राथमिकता से एकत्र किया जा रहा है। हमारे पास गाय रखने की जगह नहीं होती लेकिन कुत्ते पालने के लिए बहुत खर्च और जगह है और दूध, घी, खाद, गोबर, गौमूत्र, हमे गाय से चाहिऐ तो यह कैसे हो सकता है। गौ माता मानव जीवन का आधार है, हमें गाय के पालन हेतु सख्त नियम और कानून बनाने की आवश्यकता है, देश के हर किसान को गाय और खेत में वृक्ष रखना अनिवार्यता होनी चाहिए। जिसकी कुछ खास शर्तें हो, और गोमाता के पूर्ण विकास एवं बचाव के लिए रासायनिक खाद, उत्पादन, वितरण जैसे कार्य के लिए सरकारी सब्सिडी पूरी तरह बन्द होनी चाहिए तथा सम्पूर्ण देश में प्राकृतिक खाद्य का उपयोग हो, इसी प्रयत्न से हमारी गो माता बच सकती है, और गौ माता बचेगी तो मानव जीवन का उद्धार होगा । और किसान सम्मान योजना में प्राकृतिक दूध तथा गोबर खाद का राष्ट्रीय उत्पादन बढाने लिए गाय, वृक्ष, देसी बीज के स्वावलंबन एवं पर्याप्त संख्या गायों जैसे प्राणियों का संवर्धन अनवार्य रूप से तय करने की आवश्यकता है। मेरी आग्रह पूर्वक सरकार से यह मांग है कि ये मानदंड तत्काल रुप से लागू किए जाएं।

धन्यवाद

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): सभापति महोदय, देश में ओस्टोमी पेशेंट करीब पाँच लाख की संख्या में है। ये मरीज ऐसे बनते हैं कि उनके शरीर का मलमूत्र नैसर्गिक मार्ग से डिसचार्ज नहीं होता है। इसलिए उनको पेट में थैली यानी बैग लगानी पड़ती है। इससे उनका प्रवास जैसे कोई सफर करना है, गाड़ी में चलना है, उनके लिए यह बहुत कठिन परिस्थिति होती है। इसलिए, उनको विकलांग श्रेणी में लाना जरूरी है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से इसकी लगातार माँग करते आ रहा हूं। आज लगातार तीन वर्ष हो गये, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।

सभापति महोदय, मैं एक और माँग करता हूं। इस थैली की कीमत एक महीने में 3000 रुपये आती है। देश भर में पाँच लाख की आबादी है। इसलिए, मरीज को नि:शुल्क थैली उपलब्ध करवाया जाए और उनको विकलांग श्रेणी में लाना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रार्थना पूर्वक इसकी मांग करता हूं। जय हिन्द – जय महाराष्ट्र।

श्री संजय सेठ (राँची): सभापति महोदय, आपका जोहार। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के ऊपर रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अभी कल भी खुलासा हुआ है। वहां की पूर्व की सरकार वाट्सऐप पर चलती थी। इसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग भी है। वहां जेएससीसी का पेपर लीक हुआ। 9 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में था। मुख्यमंत्री के सहयोगी विनोद सिंह के घर से ई.डी. ने एडमिट कार्ड बरामद किया, चैट्स बरामद किये, आमने-सामने बैठाकर ई.डी ने पूछताछ की। अब आप बताइए, जेएससीसी के जो एडमिट कार्ड है, उनके सहयोगी के यहां बरामद हो रहा है, यह तो गंभीर घटना है।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से माँग करना चाहता हूं कि पेपर लीक की जो पूरी घटना हुई है, जो उसके चैट्स से बरामद हुआ है, उस पूरी घटना की सी.बी.आई. से जांच करायी जाए। आज झारखंड के जो 9 लाख युवा हैं, वे सड़कों पर हैं। यही मेरी डिमांड है।

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): सम्मानीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं। सबसे पहले मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र कवर्धा में बहुत ही शानदार केंद्रीय विद्यालय 25 करोड़ रुपये की लागत से और भव्यता के साथ बनकर तैयार हो गया है।

अभी सौभाग्य से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी यहां उपस्थित है। मैं उनका आभारी हूं। इसमें उनका सहयोग रहा है।

महोदय, मेरी जो मांग है, अब राजनंदगाँव जो लोक सभा क्षेत्र है, वह चार जिलों में विभाजित हो गया है। मानपुर-मोहला चौकी में एक केंद्रीय विद्यालय और एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जरुरत है। साथ ही साथ एक जो दूसरा जिला बना है, खैरागढ़ में भी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की सख्त आवश्यकता है। दोनों संवेदनशील क्षेत्र है और आदिवासियों से भरा हुआ क्षेत्र है। ऐसे लोगों को लाभ मिले, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित है, वह इसकी अनुमति प्रदान करेंगे और हमारे कवर्धा का उद्घाटन भी करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सर, वर्ष 2016 में नबरंगपुर, जैपुर और जैपुर-मलकानगिरी रेलवे लाइन के लिए ओडिशा गवर्नमेंट और रेलवे के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इस अंतरिम बजट नबरंगपुर, जैपुर और जैपुर-मलकानगिरी के लिए बजट का प्रोविजन किया है।

मेरा निवेदन है कि जितना जल्द हो सके इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद।

श्री संजय जाधव (परभणी): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी, महाराष्ट्र में तहसील पूर्णा अंतर्गत एक रेलवे जंक्शन है और उस रेलवे जंक्शन के अंदर रोज 80 हजार लीटर डीजल सप्लाई किया जाता है।

यहां डीजल में बहुत सारी चोरियां हो चुकी हैं। कम से कम तीन सौ करोड़ रुपये का घोटाला इस स्टेशन के अंतर्गत हुआ है। इसकी जांच अच्छी तरह से हो। जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं आपसे इसकी मांग करता हूं।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि खेलो इंडिया के अंतर्गत आज पूरी दुनिया में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा

है, हमारे नौजवान खेल के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आगरा जिले की चर्चा करना चाहता हूं। आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिला है। आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है। पूरी दुनिया के पर्यटक आगरा के अंदर ताजमहल देखने आते हैं। वहीं आगरा में फतेहपुर सीकरी, जो मुगल काल में भी भारत की राजधानी रहा है, वह भी एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है। फतेहपुर सीकरी को भी देखने के लिए पूरी दुनिया के पर्यटक आते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय जिला है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम नहीं है। आगरा ने क्रिकेट के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में, एथलेटिक्स में, अन्य खेलों में भी बहुत-बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी भारत को दिए हैं। मैं आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करता हं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्टर्स कॉलेज आगरा को दिया जाए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): सभापति महोदय, जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन्होंने भारी प्रदर्शन किया था। कुछ स्टेट्स के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और कुछ स्टेट्स के अंदर लागू नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करती है। मेरा अनुरोध है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सेंटर में भी और इसके अलावा जो दूसरी स्टेट्स हैं, जहां पर यह लागू नहीं है, इस तरह का कानून बनाया जाए कि यह सेंटर में लागू की जाए और जो स्टेट इसे नहीं लागू कर सके, उनको भी हिदायत दी जाए कि वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए।

श्री देवजी पटेल (जालौर): सभापति महोदय, कोआपरेटिव के माध्यम से लोगों को बहुत लूटा जा रहा था, जिसका एक पुराना किस्सा महाराष्ट्र का भी आया। सेम आदर्श कोआपरेटिव बैंक हमारे राजस्थान में और पूरे भारत में है। कई लोगों का उन लोगों ने पैसा ले लिया और आज वे पैसे वापस नहीं लौटा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि उनकी प्रापर्टीज़ सीज हो गई हैं। सभी प्रापर्टीज़ को एक जगह पर लाकर, उसे बेचकर लिक्विडेटर को पैसा देंगे, तभी जाकर वह पैसा लोगों तक पहुंच पाएगा।

कई लोगों ने पेट काटकर, अपनी बचत को वहां पर जमा किया। आदर्श के अंदर उनके सारे सपने डूब गए। हम पिछले बहुत समय से यह डिमांड कर रहे हैं कि आदर्श का पैसा उन लोगों को मिले, लेकिन लिक्विडेटर यह कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। वह कह रहा है कि ऑफिस चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि आदर्श का पैसा दिलवाने के लिए जैसे सहारा का पोर्टल बनाया है, वैसे ही कोई भी एक सिस्टम बनाकर उन लोगों को पैसा मिले, ताकि जिनका पैसा आदर्श में डूबा है, वे बेचारे अपनी जान न गंवायें और अपने आप को बचा पाएं। मैं यह डिमांड कर रहा हूं।

DR. T. SUMATHY (*A)* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, the long-awaited MRTS Phase-II Extension Project from Velachery to St. Thomas Mount Railway Station has begun long ago in 2008. Since 2019, I have been representing about the completion of this Project and urging the Union Government through letters submitted to hon. Railway Ministers. I have also raised this issue under Rule 377 but still the work has not yet been speeded up. It has been lagging far behind.

So, the five-kilometre stretch from Vellacheri to St. Thomas Mount is a major arterial route, and it has been a constant demand from the people of my constituency to complete it urgently. So, I would like to urge the Union Government, through you, to expedite the extension of MRTS from Vellacheri to St. Thomas Mount and complete it with immediate effect. Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): According to the National Sample Survey Organisation, India has around 40 lakh domestic workers, and nearly two-third of them are women. The rampant abuse and mistreatment of domestic

workers at the hands of employers is raising serious concerns about the violation of basic human rights. The recent spurt in cases of maid abuse in Delhi has brought to the forefront the need to bring a centralized legislation to protect their rights and regulate this largely unregulated industry. The absence of such a law leaves domestic workers vulnerable and exposes them to abuse and exploitation.

There are some steps which the Government need to take for the welfare of domestic workers. One, the placement agencies should be regulated. Two, the Government should link up with social workers for protecting the workers. Three, there is a need for authentic data of domestic workers.

I urge the Government to come up with a separate comprehensive law covering the entire gamut of provisions which must be brought in to protect domestic workers from exploitation. Thank you.

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दौंड़ तहसील है, दौंड तहसील में बरवन और पाटस नाम के दो छोटे गांव हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गांव है, वहां से एक बड़ा हाईवे जाता है। वहां लोगों की बहुत सालों से मांग है कि पाटस और बरवन अंडरपास के ब्रिज की इंट्री बड़ी होनी चाहिए, यह मांग सरकार के पास पेन्डिंग है। वहीं दौंड रेलवे स्टेशन है, वहां से बहुत सारे बच्चे, किसान पूणे जाते हैं, डीएमयू ट्रेन टाइम से नहीं चल रही है। मेरी गडकरी साहब और अश्विनी वैष्णव जी से मांग है कि दौंड तहसील के लिए थोड़ा वक्त निकालें, पाटस और बरवन में ब्रिज के अंडरपास को बड़ा करना बहुत जरूरी है और ट्रेन टाइम से चले क्योंकि बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक उग्रवाद की घटना घटित हुई है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। झारखंड के चतरा लोक सभा क्षेत्र के चतरा जिले में

कल उग्रवादी घटना हुई जिसमें दो पुलिसबल मारे गए हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायल पुलिस जवान की उचित चिकित्सा की व्यवस्था हो।

मान्यवर, यह घटना अफीम की खेती से जुड़ी है, सैकड़ों एकड़ जमीन पर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही थी। उसको समाप्त करने के लिए चतरा पुलिस लगातार अभियान चला रही थी। यहां एक बात सामने आती है कि इतने बड़े क्षेत्र, लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन में अफीम की खेती की जा रही है, वन भूमि में खेती हो रही है। वन अधिकारियों की संलिप्तता के बिना यह नहीं हो सकता। चतरा पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह इस अफीम की खेती को समाप्त करे। यह अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की साजिश है और टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री से मांग करता हूं कि इसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से जांच कराएं। इसके साथ-साथ, वन भूमि में अफीम की खेती कैसे हो रही है, इसकी भी जांच की जाए ताकि लोगों को न्याय मिले सके और उग्रवाद पनपने के पहले ही समाप्त हो जाए।

*__SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL):__ I am thankful to the Chairman for giving me this opportunity to mention about a major issue in my constituency Dhenkanal. It is regarding the National Highway No 55 from Cuttack to Mayurbhanj which has become a virtual deathtrap. Many people are dying due to accidents in this area. There has been multiple discussions between ministers in this regard. At the behest of my senior leader Sri Bhatruhari Mahtab, we met Nitin Gadkari ji and held many such meetings to deliberate on this issue. It has been five years since this work started but till date there is very little progress. There seems no possibility of its completion by 2024. All of us know it is like a lifeline passing through Cuttack and acts as a primary route between coastal and western Odisha. But the basic question remains that the constituency that

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

generates 1 lakh crore revenue for the State even with guarantee by Modi ji is still in Limbo! I am hopeful this Government will definitely take concrete steps in this direction. Jai jaganatha, vande utkal janani.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, मेरे चुनाव क्षेत्र में पनवेल से कर्जन तक नए रेल मार्ग का काम चल रहा है। वर्ष 2017 में लोनावला से पुणे तक तीसरे और चौथे ट्रैक को मंजूरी मिली थी। अगर कर्जन से लोनावला तक रेलवे मार्ग का सर्वे करके लाइन बना दी जाए तो अभी जो नया एयरपोर्ट पनवेल में बन रहा है, पनवेल से सीधा पुणे तक फास्ट ट्रेन या लोकल ट्रेन चलाई जा सकेगी। अगर कर्जन से लोनावला तक नए मार्ग का डीपीआर बनाकर रेल विभाग कार्रवाई करेगा तो निश्चित रूप से यहां के प्रवासियों को राहत मिल सकेगी। धन्यवाद।

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती का बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यहां जनपद बलरामपुर के विकाखंड पचपेड़वा, हरैया, सतघरवा, तुलसीपुर, जो नेपाल सीमा से सटे हुए गांव हैं, इन क्षेत्रों में जंगली तेंदुओं का आतंक बढ़ गया है। जंगली तेंदुए ने ग्राम लाल नगर सिपहिया की पांच वर्षीय बंदनी, 11 नवंबर को ग्राम लाल नगर सिपहिया के 6 वर्षीय अरुण वर्मा, 16 नवंबर को ग्राम बेलवा के 7 वर्षीय विकास, 24 नवंबर को ग्राम बनकटवा निवासी पांच वर्षीय रितेश, 25 नवंबर को गांव जोगिहवा निवासी सात वर्षीय मुकेश, 3 दिसंबर को भगवानपुर कोडर निवासी सात वर्षीय अनुष्का जैसे 10-12 बच्चों पर हमला किया और बुरी तरह से घायल कर दिया।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवारों को कम से कम 25 लाख मुआवज़ा दिया जाए और नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जनपदों जैसे श्रावस्ती, बनरामपुर के जंगल के किनारे गांवों में हाई मास्क लाइट बेरिकेटिंग लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि जंगली जानवरों का आतंक बंद हो सके। इससे यहां के लोगों के जान-माल की और आम जनमानस की जंगली जानवरों की सुरक्षा हो सकेगी।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, the Union Government owns more than 14,000 acres of salt-producing land in Tamil Nadu.

The land is leased and further sub-leased. Since the price of lease is unaffordable, the lease holders do not pay the workers enough and they are treated like bondage workers. Most of them lack any targeted social security scheme. They do not have basic amenities in the saltpan such as clean bathrooms etc. They suffer from many occupational diseases. And women workers especially develop many health issues relating to uterus and other complications because of their working conditions.

The Union Government under the Salt Cess Act, 1953 used to levy the Salt Cess of one per cent on salt rate. It was later abolished. This was used for the saltpan workers. I would request the Government to create a separate fund for the welfare of the saltpan workers so that the funds could be used in certain beneficial projects for these workers and their children. This fund can also be used for the treatment of occupational health hazard diseases. I request the Government to also ensure that saltpan leases are given at an affordable price to the workers' cooperatives, specifically to the women cooperatives.

Thank you.

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shrimati Rekha Arun Verma Sushri Sunita Duggal Shri Nihal Chand Chouhan Shri Kamlesh Paswan Dr. Ram Shankar Katheria Shri Santosh Pandey Shri Sanjay Jadhav Shri Rajkumar Chahar Shri Devaji Patel Shri Bhartruhari Mahtab Shri Sunil Kumar Singh Shri Shrirang Appa Barne Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Ram Kripal Yadav Shri Janardan Singh Sigriwal Shri Ritesh Pandey Shrimati Ranjeeta Koli Shri Krishnapalsingh Yadav Dr. Umesh G. Jadav Shrimati Sangeeta Azad Dr. Nishikant Dubey Shri Dinesh Chandra Yadav Dr. Sukanta Majumdar Shri Vivek Narayan Shejwalkar Shri Jagdambika Pal Shri Subhash Chandra Baheria Dr. Sanghamitra Maurya Shrimati Jaskaur Meena Shri Sangam Lal Gupta	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Ravneet Singh Shri Jugal Kishore Sharma Shrimati Keshari Devi Patel Shrimati Navneet Ravi Rana Shri Satish Kumar Gautam Shri Anil Firojiya Shri Bidyut Baran Mahato Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava Shri Rahul Kaswan Shrimati Kavita Singh Shri Rajendra Agrawal Shri Khagen Murmu Shri Jasbir Singh Gill Shri Malook Nagar Dr. Arvind Kumar Sharma Shri Bhola Singh Dr. Dhal Singh Bisen Shri Bhagirath Choudhary Shri Tapir Gao Shrimati Rama Devi Shri Durga Das Uikey Shri Ajay Nishad Shri P. P. Chaudhary Shri Hemant Patil Dr. Manoj Rajoria Shri Mukesh Rajput Shri Sunil Kumar Soni Shri Dilip Saikia Shri Dileshwar Kamait Shri Ravindra Kushawaha Shri Rodmal Nagar Shri Vinod Kumar Sonkar Shri Gajendra Umrao Singh Patel	

Dr. Rajdeep Roy Shrimati Sandhya Ray Shri Prataprao Patil Chikhlikar Shri Gajanan Kirtikar Shri Sanjay Seth	
Shri Ritesh Pandey Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava Shri Vinod Kumar Sonkar Shri Bhola Singh Dr. Manoj Rajoria	Shri Jagdambika Pal
Shri Dhanush M. Kumar Shri K. Navaskani Dr. A. Chellakumar Shri Karti P. Chidambaram Shri D.M. Kathir Anand Shri Kodikunnil Suresh Shri E. T. Mohammed Basheer	Dr. Dnv Senthilkumar S
Shri A. Raja Shri N. K. Premachandran	Shri B. Manickam Tagore
Shri Gajanan Kirtikar	Shri Bhartruhari Mahtab Shri Shrirang Appa Barne
Shri Ramesh Bidhuri	Shri Parvesh Sahib Singh Verma Shri S.C. Udasi
Shri Su. Thirunavukkarasar	Dr. Dnv Senthilkumar S Shri B. Manickam Tagore
Shri T. R. Baalu	Shri B. Manickam Tagore Dr. Dnv Senthilkumar S Shri Dhanush M. Kumar
Dr. Nishikant Dubey	Shri S.C. Udasi
Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Jagdambika Pal	Shri Malook Nagar

Dr. K. Jayakumar Dr. Sukanta Majumdar Shrimati Satabdi Roy (Banerjee) Dr. Ram Shankar Katheria Shri Kamlesh Paswan Shri Sushil Kumar Rinku Shri Nihal Chand Chouhan Sushri Sunita Duggal Shrimati Aparupa Poddar Shri Arvind Sawant Shrimati Pratima Mondal Shri Ram Kripal Yadav Shri Kuldeep Rai Sharma Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar Shrimati Rekha Arun Verma Shrimati Ranjeeta Koli Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu Shri Vincent H. Pala Dr. Amar Singh Shri Girish Chandra	
Shri Sudip Bandyopadhyay	Shri N.K. Premachandran

14.43 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the Table of House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i) Need to introduce ropeway system for visiting Mundeshwari Dham

श्री छेदी पासवान (सासाराम): बिहार राज्य के कैमूर जिला अंतर्गत मुण्डेश्वरी धाम में (भूतल से पहाड़ पर स्थित धाम तक) प्रस्तावित रोप-वे मार्ग का निर्माण अति आवश्यक हैं। ज्ञातव्य हो कि माँ मुण्डेश्वरी धाम 6 हजार वर्ष से भी पुराना तीर्थ स्थल है, जिनके दर्शनार्थ देश-विदेश के पर्यटक एवं श्रद्धालु आते हैं। बताना चाहूंगा कि माँ मुण्डेश्वरी धाम पर प्रस्तावित रोप-वे के निर्माण हेतु मंत्रालय को पत्र के माध्यम से तथा सदन के माध्यम से भी अनुरोध किया गया है, परन्तु बिलम्ब के कारण पर्यटकों को काफी कठिनाई हो रही है। रोप-वे के निर्माण से पर्यटकों मे काफी आकर्षण बढेगा एवं सरकार को राजस्व की प्राप्ति के साथ साथ काफी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार की भी संभावना बढ़ेगी। अतः सरकार से अनुरोध है, कि उपर्युक्त धरोहर पर पहुंचने के लिए रोपवे (झूलामार्ग) का निर्माण कराने हेतु पर्यटन मंत्रालय को निर्देशित किया जाए।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Regarding inclusion of temples of cultural and historical importance in Kerala under PRASAD Scheme

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): I earnestly request the inclusion of Vadakkumnathan Temple in Thrissur, Sreeramaswamy Temple in Triprayar, and Koodalmanikyam Temple in Irinjalakkuda under the Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) scheme. These temples, nestled in the heart of Kerala, hold immense cultural and historical importance. Vadakkumnatha Temple, with its ancient architecture and rituals, is a symbol of the rich cultural heritage of Thrissur. Sreeramaswamy Temple in Triprayar and Koodalmanikyam Temple in Irinjalakkuda are revered for their spiritual significance and are integral to the cultural fabric of the region. The PRASAD scheme, aimed at preserving and promoting India's rich heritage, would greatly contribute to the upkeep and development of these temples. It would enhance the overall experience for pilgrims and tourists, fostering spiritual and cultural understanding. I kindly urge the Hon’ble Minister to consider this matter with due diligence and take necessary steps to include Vadakkumnatha Temple, Sreeramaswamy Temple, and Koodalmanikyam Temple under the PRASAD scheme. This initiative will not only preserve our cultural legacy but also boost tourism, thereby contributing to the economic development of the region.

(iii) Need to provide stoppage for Mumbai – Solapur Vande Bharat Express at Lonavala Railway Station

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजनाओं मे से एक वंदे भारत ट्रेन अपनी उच्च तकनीकी के लिए जानी जाती है। वर्तमान में मुंबई से पूना होते हुए सोलापुर तक वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाता है और इस ट्रेन को मुंबई के बाद पहला स्टॉपेज ठाणे स्टेशन और इसके बाद अगला स्टॉपेज कल्याण स्टेशन पर दिया गया है, जबकि ठाणे स्टेशन से कल्याण स्टेशन के बीच की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है जबकि कल्याण के बाद अगला स्टॉपेज सीधे पूना रेलवे स्टेशन पर दिया गया है और कल्याण से पूना स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। कल्याण से पूना के बीच मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पनवेल, लोनावाला, पिंपरी चिंचवड और दापोडी रेलवे स्टेशन हैं। लोनावाला एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन होने से प्रतिवर्ष यहाँ लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं, यहाँ पर भी वंदे भारत ट्रेन को ठहराव नहीं दिया गया है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से मुंबई से सोलापुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को लोनावाला स्टेशन पर स्टॉपेज दिए जाने की मांग करता हूँ।

(iv) Need to include Members of Parliament and State Legislatures in the protocol for flag hoisting/unfurling on the occasion of Republic Day and Independence Day

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): गृह मंत्रालय का ध्यान जिला स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय पर्वों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस) पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को भी शामिल किये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस पर गृह मंत्रालय द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाता है जिसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजा जाता है। इसकी एक प्रति राज्य सरकारों/संघ राज्य को भी भेजी जाती है। स्वतंत्रता दिवस पर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के परामर्श से स्वतंत्रता दिवस मनाये जाने के संबंध में निर्देश जारी करता है। निर्देशों का आधार लम्बे समय से चली आ रही परम्परा है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी; राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी; जिला स्तर पर मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, लेकिन लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रोटोकोल में शामिल नहीं किया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को जिला स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण के प्रोटोकॉल में शामिल किया जाए तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निर्देश जारी किये जाएं।

(v) Need to resolve the electricity shortage in Jammu and Kashmir

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Jammu and Kashmir is grappling with a severe electricity crisis, marked by a significant gap between demand and supply. The shortfall is especially evident during harsh winters and results in prolonged power outages, causing significant hardships for residents. Presently, only 150 MWs are generated from the State pool out of a total capacity of 2800 MWs, with the rest sourced from the central pool, including recent Power Purchase Agreements (PPAs) by the JKPDD. Jammu and Kashmir predominantly relies on hydel power, which witnesses seasonal variations, leading to a substantial power deficit, especially during the high-demand winter months. The gravity of the situation necessitates immediate intervention to address the gap between power supply and demand. It is imperative that we explore alternative renewable sources, such as wind energy, to bridge this alarming shortfall. To address this crisis, it is imperative to bridge the gap between power demand and supply. Exploring alternative renewable resources, such as wind energy, becomes crucial in meeting the region's growing electricity needs. Therefore, I earnestly urge upon the Minister to intervene swiftly, devising comprehensive strategies to alleviate the suffering of the people in Jammu and Kashmir.

(vi) Need for additional allotment of wheat, rice and Tur dal (pulse) for Tamil Nadu

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution towards the shortage and increase of prices of many essential food commodities including Rice, Wheat, Tur dal, Urad dal and vegetables. This causes serious food insecurity to the weaker sections of the society who remain dependent on supply of essential food items under PDS in Tamil Nadu. There is urgent need for Union Government assistance to overcome the shortage in supply of essential food items to feed the poorest section of the society in the State. In this regard, I urge upon the Hon'ble Minister to arrange for additional allotment of adequate quantity each of wheat, rice and Tur dal each month to Tamil Nadu from the Central Stock to be sold through co-operative outlets which will control the increasing prices of essential food items and ensure food security to targeted group.

(vii) Need to set up a Welfare Board for Brahmins

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Brahmin is a varna as well as a caste within Hindu society. The traditional occupation of Brahmins is that of priesthood at Hindu temples or at socio-religious ceremonies, and the performing of rite of passage rituals such as solemnizing a wedding and other ceremonies/functions with hymns and prayers. In practice, Indian texts suggest that some Brahmins historically also became agriculturalists, warriors, traders, and had also held other occupations in the Indian subcontinent.

According to 2007 reports, Brahmins in India are about 5% of the total population. The percentage of population may vary from State to State relative to the total Hindus of respective States. According to the Center for the Study of Developing Societies, in 2004, about 65% of Brahmin households in India earned less than $100 a month compared to other castes/communities in the country.

In the present economic scenario, the Brahmins are unable to cope up with various problems and demands like reservation of 10% under EWS for admission in school/colleges, employments, reservation of some parliamentary constituencies exclusively to them to contest in the general election in all State etc. So, a Welfare Board is necessary and must for Brahmin community to take care of their welfare with higher authorities and for fulfillment of their demands.

Hence, I urge upon the Union Government to take necessary action at the earliest to set up a Brahmin's Welfare Board by Union Government as well as by every State Government on the lines of Social Welfare Board and other Minority Welfare Board/Commission.

(viii) Need to address the grievances of cotton farmers of Ganganagar Parliamentary Constituency

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र गंगानगर, राजस्थान के अंतर्गत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ वह अनूपगढ़ जिलों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो कि कृषि प्रधान जिले हैं और यहां पर नरमा/कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है।

पहले यहां के किसानों को बीज कंपनियों द्वारा BT व नाँन BT बीजों को अलग-अलग पैकिंग में दिया जाता था, जिस कारण किसान BT बीजों को खेतों के चारों ओर बोते थे और नाँन BT बीजों को बीच खेतों में बोया जाता था, जिस कारण फसलों को कम नुकसान होता था, लेकिन अब दोनों बीजों की एक साथ पैकिंग में किसानों को दोनों बीजों में फर्क करना मुश्किल हो गया है, जिस कारण फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है।

इस वर्ष नरमा/कपास की फसल पर खराब मौसम और गुलाबी सुंडी (कीड़े) की मार पड़ने के कारण हमारे क्षेत्र में पैदावार में काफी कमी आई है, जिस कारण यहां के किसान पहले से परेशान थे और वर्तमान में यहां नरमा/कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से लगभग ₹1000/- से ₹1500/- प्रति क्विटल कम के भाव में बिक रहा है, जिस कारण स्थानीय किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है और यह लोग मानसिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करते हुए इस विषय में कंपनियों व संबंधित विभागों को उचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें, ताकि नरमा के इन किसानों को भविष्य में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

(ix) Need to provide irrigation facility to marginal farmers in the country and also encourage them towards cattle rearing

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): भारत सरकार द्वारा किसानों को समृद्ध करने के लिए लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देश में खेती की पद्धतियों के आधुनिकीकरण के साथ ही सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को वरीयता दी जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है कि जब तक भारत के किसानों को सुविधा संपन्न और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाया जाएगा तब तक भारत को विकसित करने के सारे प्रयास नाकाफी होंगे। आज दुनिया के सभी प्रगतिशील देश कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को न सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि उन्हें सिंचाई सुविधाओं से भी लैस कर रहे हैं। हमारे देश में आजादी के सात दशक बाद भी कृषि का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई से वंचित है देश में सिंचाई की समस्या को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता सर्वविदित है और उनका मानना है कि जब तक देश में हर खेत को पानी नहीं मिलेगा तब तक ना तो भरपूर उत्पादन हो सकता है और ना ही किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। प्रधानमंत्री जी की इसी चिंता को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। उपरोक्त महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के परिपेक्ष में मेरा सरकार से आग्रह है कि देश के सीमांत किसानों के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के साथ ही उन्हें पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहायता हेतु समुचित प्रबंध किए जाने चाहिए।

(x) Need to conduct a national survey to collect data on migrant workers working in each state

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Migration rate for Bihar is as high as 57%. Districts like Saran and Munger have been traditional pockets of out migration. Poverty, lack of opportunities, unemployment and underdevelopment, poor economic conditions, and scarcity of cultivatable land push these people to migrate out of Bihar. They move to places with better job opportunities, higher wages, access to better medical, educational and other civic amenities. Among those who migrate 90% migrate in search of employment and 8% for better educational opportunities. Major destinations of migration are Delhi, Punjab, Gujarat, Maharashtra and South Indian States. A study shows that 70% of migrant workers of Delhi are from Bihar & UP. And three fourth of them earn less than Rs. 20,000 per month. 59% migrants are engaged in some form of private jobs and 29% are casual wage labourers. Most of the people who migrate are men, leaving behind their family. Interestingly, 70% of the people who migrate have received some form of education. They are not illiterate.

I request the Government to conduct a National Survey to collect data on migrant workers working in each State.

14.44hrs

CONSTITUTION (SCHDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2024 AND CONSTITUTION (SCHDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (AMENDMENT) BILL, 2024

AS PASSED BY RAJYA SABHA

HON. CHAIRPERSON: Item nos. 34 and 35 to be taken up together for discussion. Now, the hon. Minister.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार): श्री अर्जुन मुंडा जी की ओर से, मैं प्रस्ताव* करती हूं:-

> "कि आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, अनुसूचित जनजातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

और

> "कि ओडिशा राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर हम आज विचार करेंगे।

आदरणीय महोदय, उसके साथ ही मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि ओडिशा राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए संविधान

---

* Moved with the recommendation of the President.

(अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

महोदय, इस देश में जनजाति क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए अनेक योजनाएं गत् 10 वर्षों से चली आ रही हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलता हुआ विकसित भारत हम देख रहे हैं और इस दिशा में जब दूर-दूर के गांवों में हमारे ऐसे ग्रुप से, जो अति पिछड़े हैं और जिनको हम प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में जानते हैं, जो कि पर्टिकुलरली वर्नलेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी हैं। हमारे ऐसे जनजातीय क्षेत्र में जो ट्राइबल्स हैं, वे अभी भी इस पीवीटीजी की लिस्ट में नहीं आए हैं।

महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य के इस विधेयक के द्वारा राज्य के 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पीवीटीजी, जिनका अभी तक इस जनजातीय क्षेणी में समावेश नहीं हो पाया है, ऐसे तीन समुदाय जैसे कि बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा, कोंडा सावरा को जनजाति समुदाय में शामिल करने हेतु और ऐसे ही ओडिशा के हमारे ओडि भुइयां, चुगत्याबुंजा, बोंडो और खड़िया ऐसे हमारे ओडिशा के संबंध में संविधान में आज इस आदेश के द्वारा विधेयक के रूप में वर्ष 2024 के विचारार्थ इस विधेयक के जरिए हमारे दोनों राज्यों में ऐसे रहने वाले समुदाय, जो आजादी के बाद इतने लंबे कालखंड के उपरांत भी अपनी पहचान जनजातीय समुदाय के रूप में नहीं बना पाए, आज उनके समावेश का प्रस्ताव है।

महोदय, मैं चर्चा के बाद विशेष रूप से और जानकारी सदन को जरूर दूंगी। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि इस पर चर्चा और विचार करें तथा सब मिलकर एक साथ इस बिल को पारित करें, ताकि पीवीटीजी ग्रुप को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक नए रूप में प्रधान मंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष रूप में बजट भी दिया है और उनके विकास के लिए एक संकल्प लिया है। मुझे लगता है कि सभी इसके साथ जुड़ें और इस पर विचार करके इस बिल को पारित करें।

HON. CHAIRPERSON : Motions moved:

> "That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in relation to the State of Andhra Pradesh, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

and

> "That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to the State of Odisha, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Hon. Chairperson, Sir, I rise to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024 which categorise certain tribes from Andhra Pradesh and Odisha as Scheduled Tribes, including some PVTGs.

Before I start on this Bill, I would like to request this Government, through you, that we need special category status for Andhra Pradesh. We have been demanding this for multiple times and the Central Government has been ignoring the genuine demand of Andhra Pradesh. Because of the AP Reorganisation Act, we need the special category status to and special focus on the State of Andhra Pradesh.

Sir, now I come to the Bill. Let me give the background first. In India, we have around 730 Scheduled Tribes according to Article 342 and 75 PVTGs which constitute 8.6 per cent of the population as per Census 2011. If we look at the total population of 140 crore, it means there are around 12 crore *adivasis* throughout the country.

There were specific criteria of who can be a Scheduled Tribe. I will list them. They are: indication of primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with the community at large and backwardness. We were in the Government previously also. There used to be a procedure where a JPC would be constituted and MPs of both the Houses would be its Members.

They used to visit places and undertake site visits. They used to check these criteria and would recommend who is a Scheduled Tribe and who is not. What I have been seeing for the last four to five years is that we started with Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and by now, I think, we have included almost 150 to 200 tribes as Scheduled Tribes.

I will talk about Odisha now. Anyone who goes to Odisha Government to demand a tribal status, they recommend it and send it to the Central Government. The Odisha Government has sent about 180 tribes to be considered as Scheduled Tribes.

This naturally raises a concern if all the cases are genuine or not. I will explain the process and how it happens. It is first recommended by the State Government. Then, it is concurred by the Registrar General of India (RGI) and the

National Commission for STs. Then, the Ministry comes with a Bill where a Scheduled Tribe status can be accorded to a particular tribe.

Previously, I have raised this concern about Himachal Pradesh also. In the Bill, they mentioned that this section of people from this community are Scheduled Tribe and this section of people do not want to be Scheduled Tribe, consider them Scheduled Caste. How is it possible? Is there proper verification happening? This is a concern of all tribals. If you make everyone tribal, where will the tribals go? Whether due consideration, due norms have been followed or not is the main concern for us.

In this particular Bill, I will talk about Jhodia community. I have raised this issue of Jhodia community multiple times. They have been demanding inclusion of Jhodia as synonym of Paroja at serial No. 55 in Schedule Tribes list of Odisha. There are about one lakh people in undivided Koraput district and some parts of Kalahandi who are from Jhodia tribe. They used to get tribal status till 1997.

What happened in 1997? Due to industrialisation, you cannot acquire the tribal land. So, in the registry, the tehsildar and the officers used to write they are non-tribals and because of that they have been removed from the list. They are same as Jhodia Paroja. At serial No. 55, they have included 'Solia Paroja …. Barong Jhodia Paroja'. In Barong Jhodia Paroja, there is spelling correction. But if you look, the middle word is 'Jhodia'. If you do not include Jhodia in this particular list, this tribal community will never get the tribal status. They are genuine tribals. Their inclusion in entry No. 55 of the list has been required.

I welcome Dhurva and Nuka Dora and all of undivided Koraput district. They have been also demanding. This is a genuine demand. I would request, through you, that a proper verification needs to be done whether all the cases are genuine or not. This concern is there. We have a limit on reservation and it is 50 per cent limit, comprising SCs, STs, and OBCs. EWS is separate. There is no inclusion of financial memorandum also. They are saying with the same budget we will go ahead. If the tribal population goes up from 12 crores to 15 crores, then we need equal representation as well.

I will talk about a few issues. These people are now tribals but I want to explain what is happening in this country. It will take cognisance of the fact as to what will happen to them. The biggest problem for tribals is displacement, land alienation. जल, जंगल, जमीन, जो हम लोग कहते हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है । मैं आपको आंकड़ा देता हूं । 80 परसेंट लोग जो डिसप्लेस होते हैं, वे आदिवासी ही होते हैं । हम लोगों का टोटल पॉपुलेशन में जो भागीदारी है, वह केवल 8.6 परसेंट है । We are only 8.6 per cent tribals but 80 per cent of the tribals get displaced because of development projects. What is happening? From 2014, they have tried to dilute the Land Acquisition Act.

They have tried to dilute it. They were stopped. Now, they are diluting Forest Rights Act. The Forest Rights Act was a flagship programme of UPA Government where we used to give land to the tribals. If they are cultivating in a particular land or if they are staying in a forest land, we used to give them FRA. What is happening now? In the last ten years, they have come up with CAMPA, compensatory afforestation, and climate change. They are not settling the forest

rights' claims. There has been 80 per cent rejection of claims. This is dramatically happening after 2014.

The third important attack is the privatisation of PSUs. We have tribal reservation policy in jobs and all. But if you do not have PSUs, then there is no way you will utilise your reservation. They are trying to disinvest Nagarnar Steel Plant, NDMC, Bastar. They are trying to disinvest the steel plant in Vizag. If you talk about NALCO, they are trying to disinvest that through direct means. We created PSUs. The Congress Party created PSUs so that we can take care of the tribals, SCs, minorities, and all. This is one big attack on the tribals.

Sir, then there is the issue of closure of schools. What is happening is small schools are making clusters. They are closing the schools. They have developed a model called Factory School. We have read recently in Canada and Australia, the Government apologised to the indigenous people because they were brought out and sent to the boarding schools. There is a town. They were brought out of the villages. They were given education in boarding school. They lost their identity completely. They lost their culture completely. In this concept of factory schools, they take the tribal children from villages, from the interior areas. They get them educated in cities.

The sponsors of these schools is mining mafias and big industrialists like Ambanis and Adanis. They sponsor these big factory schools and slowly our culture is getting diluted.

As regards implementation of roster system, this is a very important point and it has always been the demand of the ST, SC and OBC people. Now, if we

have some vacancy in a Central University, or any opportunity, this roster system was always subdued and someway what they will do is that if in this seat ST/SC is available and under roster system it is not filled, then they say that they did not find qualified people. In turn, what they do is that they take general people in it.

I think that the Government is claiming that they have started enforcing the roster system after 2019, but I doubt it. Now, what is happening is that if they do not get permanent employees, then they go in for contractual employees. Again, in contractual employees they do not have any reservation system for SC/ST/OBC people.

The biggest fraud which is happening here is the Budgetary allocation in Tribal Sub Plan, the ST Sub Plan and the SC Sub Plan. I have checked with various Ministries and found that in 50 per cent of schemes in 46 schemes which are general in nature with no physical targets for SC and ST. This is meant for Tribal Sub Plan, Tribal ST Sub Plan, and it is meant that you need to have physical target, which will cater to ST and SC people. But unfortunately, this is not happening. They have schemes and the Ministry is utilising the money, but nothing is there.

As regards higher education, Rs. 200 crore or Rs. 250 crore have been sanctioned for IIT's to ensure that Ph.D. students get educated. Nearly, 85 to 90 per cent of the Ph.D. seats for SCs and STs are vacant. Where is the money going? Since there is no physical target, one cannot compare. So, that is going waste.

The biggest challenge is the diversion of SC/ST Welfare Funds as deemed exception. If you see a particular project like if it is supposed to be for SC/ST, this will be diverted to other area where flyovers, roads, etc. will be built and they would say that this is a deemed expenditure which is happening again in the background.

The other important point and attack is the lack of legislative framework for implementation of SC/ST schemes. This has led to lack of implementation of almost all the schemes. We need a legislative framework and also a tribal policy. We have been demanding this multiple times. As regards Eklavya Model School, around 75 per cent vacancies are there. We have buildings, but no teachers are available there. Inclusion in the finance system is also a very important point. As a tribal, I cannot sell my land to a non-tribal and that is fine.

मैं उससे सहमत हूं कि हमें भूमिहीन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे बैंक लोन नहीं दे रहा है। मेरे पास जगह है, मैं उसको डेवलेप नहीं कर पा रहा हूं। पढ़ाई के लिए लोन नहीं मिल रहा है, शादी के लिए लोन नहीं मिल रहा है, इंटरप्रेन्योर के लिए लोन नहीं मिल रहा है। आपको कहीं पर भी एक भी आदिवासी इंटरप्रेन्योर नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस नहीं है। That is fine. You come with some policy. But what happened is that हमारी राज्य सरकार यह बोले कि सारे आदिवासी नॉन आदिवासियों को अपनी जमीन बेच दो। ये क्या समाधान है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कभी बैठक ही नहीं करती है। They sit once a year or once in five years. Nobody knows what is happening in the Tribal Advisory Council. The Tribal Advisory Council supposedly recommended that tribals can sell land to non-tribals. We condemn it. This is not the solution. The problem needs to be understood.

नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगे। आपको प्रॉब्लम भी समझनी पड़ेगी। मेरी जगह है, वह पड़ी रहती है। कम से कम सरकार को आगे बढ़कर हम लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार भी वही कर रही है land acquisition for Bharat Mala, mining projects, industries. … (*Interruptions*) आप हमारी जगह तो ले रहे हैं। आप एक एकड़ को 50,000 रुपये में खरीद रहे हैं। एक आदिवासी को अपनी जगह को डेवलेप करना है, तो हमें बैंक की तरफ से नहीं, तो सरकार की तरफ से कुछ दीजिए।

Sir, I am the first speaker. Please give me five minutes and I will complete my speech. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He is making pertinent points. Let him continue.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): He is from a tribal community.… (*Interruptions*)

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: Sir, I am from a tribal community, but I am telling the problems being faced. These 10 important points the Central Government has been trying to minimise and dilute all the laws. They are trying to dilute PESA and Forest Rights Act. Now, fake Gram Sabhas are happening.

In Chhattisgarh, when the Government came into power, immediately they started deforestation in Hasdeo region. यही हो रहा है। ट्राइबल्स को ऊपर चढ़ा देते हैं कि हमने आपको ये-ये पद दिए हैं, एक-एक करके हमारे सारे अधिकार हटाए जा रहे हैं। The last nail in the coffin will be Uniform Civil Code. ये लोग उत्तराखंड में इसको लाए हैं। जब यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति पूरी खत्म हो जाएगी।

15.00 hrs

हमारी 750 ट्राइब्स हैं, लगभग 80 पीवीटीज़ हैं, हमारी सम्पति है, सभ्यता है, कल्चर है, परम्परा है, भाषा है, हमारा नाच-गाना है और जो मैंने दस पॉइंट्स बोले हैं, आप देख रहे हैं कि ये कैसे खत्म होगा। आप रिज़र्वेशन को डायरेक्टली खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह चल रहा है कि जितनी भी डिमाण्ड्स आई हैं, सबको आदिवासी बना दो। Yes, there should be checks and balances. With this, I welcome their decision to include Durua, Dora, etc. आप लोग यह कीजिए। आइडेंटिकली यह बिल हर सदन में आता है तो what I say is that you should constitute a JPC. एट लीस्ट एमपीज़ को उसका मैंबर बनाइए। पूरे देश में हर जगह जो ये जैनुइन डिमाण्ड्स हैं, इनको कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि कौन आदिवासी हैं और कौन नहीं है। इससे चैक्स एंड बैलेंस भी होगा। अभी मुझे पता नहीं है कि आरजीआई ने क्या दिया है, क्योंकि इलेक्शन से पहले स्टेट का बिल आ जाता है।

I do not exactly know what happens. I am sure the Government will take cognisance of it. The hon. Minister is a tribal leader. He will take cognisance of it and ensure that the tribals are not facing any injustice. With these words, I would like to thank you for giving me the opportunity to speak.

HON. CHAIRPERSON: Now, the hon. Minister wants to intervene.

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : सभापति जी, थैन्क यू । आज सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जो राज्य सभा में पारित हुआ है। यहां दो विधेयकों को इकट्ठे चर्चा के लिए सदन के सामने रखा गया है।

चेयरमैन सर, संविधान सुधार में कुछ एसटी कम्युनिटीज़ को सूची में पीवीटीज ग्रुप में एनरोलमेंट किया गया । ओडिशा की कुछ कम्युनिटीज़ लगभग 15 कम्युनिटीज़ को थोड़ा टाइपोग्राफिक करेक्शन के साथ और 50 सब ग्रुप्स की लंबे समय से जो अनोमलीज़ थीं, उनको सुधार के लिए इस सदन के सामने दो स्पेसिफिक प्रस्ताव हैं। इसमें चार पीवीटीजी और 15 कम्युनिटीज़, जिसमें 50 सब ग्रुप्स लाभार्थी होंगे, एक विधेयक ओडीशा के संबंध में लाया गया है, जो आन्ध्र प्रदेश में भी लाया गया है।

चेयरमैन सर, मैं इस विषय को दो-तीन शब्दों में वर्णन करूंगा। अभी मेरे मित्र सप्तगिरी उलाका जी, जो हमारे देश के एक बहुत महत्वपूर्ण ट्राइबल संसदीय क्षेत्र कोरापुट के प्रतिनिधि भी हैं, वह बड़े पेशनेलट्ली कुछ विषयों का उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने कुछ विषय सही भी कहे हैं कि किसी भी व्यवस्था में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन व्यवस्था है, उसका सभी को पालन करना चाहिए। वह चाहे राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, एज ए रिप्रेजेंटेटिव सभी को पालन करना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार के बारे में मैं दो-तीन विषय कहूंगा। इसी सदन में जिस महत्व के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया, वैसे ही ऐतिहासिक है।

मैं ओडिशा से आता हूं। आज चार प्रिमिटिव ट्राइब्स का इन्क्लूजन और 50 सब ग्रुप्स का एनोमली करेक्शन उतना ही महत्वपूर्ण है। जब देश की राष्ट्रपति ओडिशा की एक आदिवासी घर की महिला हैं, उसी समय में इस प्रकार के महत्वपूर्ण संशोधन लाना सरकार की मंशा के इंटेंशन के बारे में इंडीकेशन करता है।

सभापति जी, सरकार ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए कमिटेड है, सरकार गरीब कल्याण के लिए कमिटेड है। मैं उसके दो-तीन एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूं। सप्तगिरी जी कई प्रकार की

एनोमलीज़ के बारे में बात कह रहे थे। एनोमलीज की बात तो ठीक है, लेकिन आप जिस पार्टी से आते हो, इस पार्टी ने देश पर लंबे समय तक शासन किया है।

आपकी कई पीढ़ियों ने राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व किया, भारत सरकार में भी आपने प्रतिनिधत्व किया और अब खुद यहां आ गए हैं। ओडिशा का जो जनजातीय समुदाय है, उसकी एनोमलीज़ कब ठीक हुई, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। यह मसला कब से चल रहा है? ओडिशा सरकार में 169 जातियों की कई प्रकार की एनोमलीज़ हैं। ऑन रिकॉर्ड जो मिल पा रहा है, तो यह विषय वर्ष 1979 से लगभग 40-45 सालों से चल रहा है।

जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने तो वर्ष 2002 में ओडिशा की एनोमलीज़ में संशोधन करने का पहला प्रयास था। आपकी पीढ़ी-दर-पीढ़ी की सरकार दिल्ली में भी रही और राज्य में भी रही, लेकिन संशोधन नहीं हुआ। अब आप बोल रहे हैं कि इस सरकार ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया।

दूसरी बार कब संशोधन हो रहा है? वर्ष 2024 में। मैं तो ओडिशा की ओर से, ओडिशा की ट्राइबल कम्युनिटी की ओर से प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, अर्जुन मुंडा जी का आभार प्रकट करता हूं, भारती जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल और कदम इस एनोमलीज को खत्म करने के लिए उठाया है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने नवम्बर, 2015 में अनाउंस किया था कि देश में जो पीवीटीजी की 75 कम्यूनिटी है। There are only 75 tribal PVTG communities all over the country. Their number is around 35 lakhs. वह कह रहे थे कि चुनाव आने से होता है। इसमें वोट कोई मायने नहीं रखता है।

We are spending a budget of Rs. 24,000 crore. The Government has come out with a scheme, the Pradhan Mantri JANMAN Scheme. This is the commitment of Prime Minister Modi for the tribal community of the country. यह हमारी प्रतिबद्धता है। हम एक चरणबद्ध तरीके से हर विषय के समाधान का रास्ता निकालते हैं।

हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्राप्त करना। सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी सरकार हम चलाते हैं।

आज एस्पिरेशनल ब्लॉक्स ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कदम है। 112 जिलों को एस्पिरेशनल जिले के रूप में फोकस तरीके से डेवलप करना, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कहूंगा। वर्ष 2013-14 में यूपीए सरकार के आखिरी साल में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बजट का साइज 4300 करोड़ रुपये था।

Now, in the recently tabled Budget 2024-25, the allocation is Rs. 13,000 crore. There is an increase of three times. वह आपकी प्रतिबद्धता थी, यह मेरी प्रतिबद्धता है। यह सब कुछ प्रमाणित करती है। ये जो आंकड़े हैं, यही तथ्य है।

एकलव्य विद्यालय पहले वर्ष 2014 में 100 के लगभग थे। आज 400 एकलव्य विद्यालय खुल चुके हैं और 740 तक यह संख्या पहुंचेगी। लगभग 29 हजार करोड़ रुपये का खर्च करके ट्राइबल स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए यह व्यवस्था की गयी है। हायर एजुकेशन में ट्राइबल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है। पीएचडी में ट्राइबल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है।

स्टीम एजुकेशन में ट्राइबल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है। यह प्रमाणित करता है कि पिछले दस साल में हमारी सरकार एक सिस्टेमेटिक तरीके से ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए, भारत की राष्ट्रपति जी से लेकर के गांव-देहात में रहने वाले, आज पहली बार, अभी ये ट्राइबल प्रोड्यूस की बात कह रहे थे। मैं आपको जिम्मेवारी के साथ एक चुनौती देता हूं कि किस सरकार के समय में फोरेस्ट प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की घोषणा की गयी थी? वह मोदी सरकार द्वारा की गयी थी।

आपने भाषण दिया है, ट्राइबल पोलिटिक्स की है, ट्राइबल सेंटिमेंट को आपने गुमराह किया है। आपने कुछ नहीं किया है। करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाद में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को मिला है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Are you yielding?

… (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। मैं इस बिल का ओडिशा की ओर से, साढ़े चार करोड़ जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। देश की ट्राइबल कम्युनिटी की ओर से आभार प्रकट करता हूं। इस हिस्टोरिकल निर्णय को, इन एनोमलीज को ठीक करना और मैंने जिस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एमएलए के रूप में किया है, एमपी के रूप में किया है, वहां पावड़ी भुइयां के नाम की कम्युनिटी है।

They all stay in the hills of a very remote area. वह ट्राइबल कम्युनिटी है, लेकिन उसको मान्यता नहीं थी। कोई व्यवस्था ही नहीं थी। पहली बार नरेन्द्र मोदी सरकार ने उनको जनजाति की मान्यता दी। जिसके लिए उनको खुशी होनी चाहिए। आपने नहीं किया।

You ruled this country for decades. आपके कई प्रधान मंत्री रहे हैं। आपको यह सब करने से किसने मना किया था। अगर यह सरकार कर रही है तो यह प्रशंसा की पात्र है, समर्थन की पात्र है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सभी से इसके साथ जुड़ने की अपील करता हूं। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Before calling Mr. Senthilkumar, two important points have been made by Shri Saptagiri.

One is deforestation for industrialisation, industrial purpose, relocation and another is closure of PSUs which will have a negative impact on the employment opportunities of tribals. It should be kept in mind by the Government.

I would appreciate any message taken by the Government. These two important points he made before the House.

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, Chairperson. Thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024.

At the outset, I would like to support and welcome this Bill. Whenever certain communities want to come into the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order, it is always a welcome move. That is because, the facilities which the privileged society people have been enjoying, the facilities which were being denied to these people so far, the facilities of reservation in education and jobs will be given to them now. Many youths would be benefited from this.

Similarly, in Tamil Nadu Government, our Chief Minister Thiru M.K. Stalin had given suggestions to the Union Government to include the Narikuravan and Kurivikkaran communities. We thank the Tribal Affairs Minister for inclusion of those communities under the ST list. You are well aware that many more communities deserve a rightful place in this Scheduled Castes and Scheduled Tribes Bill. For instance, your own constituency Nilgiris, the Badaga community has been asking to be included in the Scheduled Tribes list for a very, very long time. Kurumbars have 13 synonyms in my constituency. Also, Lambadis are there from my constituency. Tamil Nadu Government has sent a detailed report for inclusion of 13 Kurumbar communities in the Scheduled Tribes list. We urge upon the Government, through you, to include these 13 communities and also the Lambadi community and other communities at the earliest. DMK has always been a voice of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and of the

minorities. We have done a lot for these people and we are very proud in doing this.

Regarding the Arunthathiyar community which is a Scheduled Caste community, it is the DMK Government under the great visionary leader Dr. Kalaignar Karunanidhi who had given, among the reservation of 69 per cent, 3.5 per cent special reservation within the reservation for this very backward class which has been brought under the Scheduled Caste list and Arunthathiyar community has been benefiting out of this. It has always been within the DNA of DMK to support the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes not just in words. You would be aware that when DMK had a representation within the Union Government it had always given importance to Scheduled Caste people, dalit people within the community which were holding important portfolios. You are very much aware that the Minister of State for Health and the Minister of Information and Broadcasting was none other than A. Raja who is now in the Chair presiding over here. It is not only regarding this; it is always within the DMK organisational body also. Right from the village level to the organisational body, we have always reserved one seat for the Scheduled Castes and one for women. It is a very good thing that out of our five deputy organisational secretaries, two belong to the Scheduled Caste community. I am insisting on all this because just a few days back in this very House, a demand for national disaster relief was made in this House for Tamil Nadu. We would very much welcome it if the MoS of that Department replies to it. But a Minister from Tamil Nadu, out of turn, had got up to speak.

HON. CHAIRPERSON: Come to the subject.

DR. DNV SENTHILKUMAR S.: Sir, I am coming to the subject. We welcome it to fight against ideologies; we welcome it to fight against principles, but we do not want a caste colour to be attributed for each and everything. That day, it was just a discussion asking for a relief fund. But on the video and outside, it was publicised by the Treasury Benches by saying that the Minister was belonging to a dalit community and that is why DMK is against him. It is not so. You can go through the records again. Not in one place was it mentioned.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. DNV SENTHILKUMAR S.: Please fight with us on ideologies. Please fight with us on principles. But do not attribute a Scheduled Caste colour or a dalit colour to everybody and make things unpleasant.

Thank you for giving me this opportunity, Sir.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, I rise to speak in support of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024. Both these Bills are being taken together.

The first Bill relates to the inclusion of certain tribes in the list of Scheduled Tribes in Andhra Pradesh. The second Bill relates to exclusion of some tribes from Scheduled Castes and their inclusion in Scheduled Tribes community. Shri Saptagiri Sankar Ulaka spoke very well. He belongs to the tribal community. He is an Engineer. He understands the pain because he is from Koraput. But the fact is that Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are still being neglected throughout the country. You are including a few tribes in the list of Scheduled Tribes as per Article 341 and Article 342, as is the Order. There is no problem regarding that. We all support that.

Sir, in every State, there are separate lists of Scheduled Tribes. So, in the case of Andhra Pradesh and Odisha, this list has been amended. But it would have been very good if the hon. Minister of Tribal Affairs was here. He is not here. And one hon. Minister from Rajya Sabha came and made the same speech that he made in Rajya Sabha. He is Shri Dharmendra Pradhan. I was expecting Dr. Bharati Pravin Pawar to speak. As she is a junior Minister, she has not spoken yet.

HON. CHAIRPERSON: No, she will speak.

PROF. SOUGATA RAY: She will reply. But why did Shri Dharmendra Pradhan have to speak on this Bill?

Sir, I still want to say that the conditions of tribes in this country are still not up to the mark. You know where the main Maoist insurgency is taking place. It is taking place in Bijapur in Chhattisgarh and Gadchiroli in Maharashtra. We have not been able to wean off the Scheduled Tribes from the path of violence. Certain amount of development was called for but that has not happened. This year in the Budget, the allocation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been reduced by this Government, which I totally criticise.

Hon. Chairperson, Sir, Mr. Dharmendra Pradhan was saying that only the Modi Government has done certain things. One of the good things which UPA did -- they did many mistakes also -- is that they brought the Forest Rights Act. This was the first comprehensive Bill on the Forest Rights Act and the right of the tribals to collect minor forest produce. But that has not happened. We can say that -- whereas Chhattisgarh has failed; whereas Maharashtra has not succeeded; whereas Telangana still has some problems -- West Bengal has shown a lot of success especially in the west of the State which was Maoist infested. There we have brought total peace just by giving more jobs and bringing more development. Even before the Government introduced it, we gave free ration to the tribals. That is the way it should have been done.

Hon. Chairperson, Sir, you are from Nilgiris. So, you know the problems of Badagas, non-Badagas. There are problems in Nilgiris also.

HON. CHAIRPERSON: Yes.

PROF. SOUGATA RAY: But the main problem is that the big multinationals are eyeing these forest areas. It is because Chattisgarh has the maximum deposits of

bauxite and so is Odisha. Dharmendra Pradhan did not speak about it. Malkangiri district is full of bauxite and other minerals.

Now, there is Scheduled Tribe Order in the Constitution. It says that you cannot acquire tribal land without the permission from the Gram Sabhas. But an attempt is being made by the big multinationals to take over the forest lands. Vedanta is a case in point. They are constantly making efforts for taking these bauxite mines over for manufacturing aluminium. Other big multinationals are also in the race. We have seen there has been some inclusions and some exclusions. In Andhra Pradesh, the inclusions are for Entry 25 and for Entry 28, certain changes have been made.

In case of Odisha, names of two communities listed as Scheduled Castes are being eliminated/omitted and they are included in the Scheduled Tribe. So, that is a big change. The other point that I want to mention to you is that at present the process of including the name of a Tribe in Scheduled Tribe is rather cumbersome. What you have to do is that first the State Government has to recommend. Then, it will go to the Registrar General of India. After getting the permission of Registrar General of India, the Government of India will give the Order. Then, it will come to Parliament in the form of an Amendment Bill.

HON. CHAIRPERSON: It will go to the National Commission also.

PROF. SOUGATA RAY: Yes, you are absolutely right. So, this process must be simplified. The process of including the names of Tribes in the list of Scheduled Tribes should be streamlined and it takes years and years together for this streamlining to take place.

I shall request the Minister to visit the tribal areas of West Bengal and find out where Chhattisgarh has failed, where Maharashtra has failed in Gadchiroli, where Odisha has failed in Malkangiri and how West Bengal has succeeded in Jangal Mahal to bring peace and prosperity by improving them. The tribals do not have many demands. They want two square meals a day. They want some work. I think when West Bengal gives work to tribals under MGNREGA, the Centre will not release the money. Rs. 7,300 crore are pending. The Centre is using MGNREGA as a weapon to twist the arm of West Bengal. I totally condemn this.

Let us deal with the problem of Scheduled Tribes with compassion and sympathy.

With these words, I support both the Bills. I hope Dr. Bharti Pawar will give a fitting reply.

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Thank you very much Sir for giving me this opportunity.

Firstly, I would like to thank the hon. Chairman for allowing me to share a few thoughts on the proposed amendments.

I would like to thank the Government for the inclusion of certain communities in the lists of Scheduled Tribes in Andhra Pradesh. We have had multiple legislations in the past seven decades on this very important subject, considering the SC and ST communities as a priority to be taken up in this Session. I would like to discuss a few of them. Firstly, I would speak on the budget allocation for tribal affairs. Following the goal of *Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas,* there are over 705 Scheduled Tribes in India, and the preservation of their cultural legacy and tribal development have taken precedence through the implementation of important schemes such as the Van Dhan Vikas Karyakram, Eklavya Schools and Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan.

In this regard, I appeal to the Government to create a tribal-inclusive Budget. In the interim Budget of 2024-25, the Government has allocated Rs.13,000 crore to the Tribal Affairs Ministry, a significant increase of 70 per cent above the amount provided in 2023-24, which was Rs. 7,605 crore.

Certain crucial schemes have also received an increase in allocation which are essential components for the development of tribal population. For the establishment of Eklavya Model Residential Schools, the Government has allocated Rs. 6,399 crore in 2024-25, a 150 per cent increase over

Rs 2,471.81 crore allocated for this purpose in 2023-24. The Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana now has an increased allocation of Rs. 1,000 crore instead of Rs. 300 crore. I appreciate that the expenditure on research institutes for tribal studies has been increased from Rs. 50 crore in 2023-24 to Rs. 111 crore in 2024-25. But Andhra Pradesh Tribal University did not receive any allocation in this Interim Budget as opposed to the previous allocation. Additionally, in terms of spending on higher education, the National Tribal Fellowship and National Scholarship for higher education of ST students have received a reduced allocation of Rs. 165 crore in 2024 25 instead of Rs. 230 crore allocated in 2023-24. Therefore, I urge the Centre to ensure that the budgetary allocations for the schemes are increased by a large margin.

A new obstacle has been hovering in the development process of Particularly Vulnerable Tribal Groups which is creating difficulty in obtaining reliable and updated information. Reports suggest that there were about 27.6 lakh people who had been registered in the 2001 Census, but there is no definitive way to verify this number.

In addition, Ministry of Tribal Affairs is still conducting baseline surveys, but it has not yet produced an accurate and current record for PVTG inhabitants. The population figures of 2022 that were submitted to the Parliamentary Standing Committee were based on the 2011 Census, which did not account for the entire population across the country. Thus, there is an urgent need for a precise evaluation of the requirements and advancement of PVTG communities as advised by the National Advisory Council, 2013 to ensure the availability of

comprehensive data on housing, health, and education for the inclusive development of the communities. There are currently 1,262 de-notified tribes, nomadic and semi-nomadic tribes and these groups are still marginalised in socioeconomic terms. Many committees for de-notified tribes were previously established to locate these groups and create State-by-State lists of various castes of de-notified tribes. The Government should prioritise the creation of a permanent commission for de-notified, semi-nomadic and nomadic tribes, modelled after commissions for SCs, STs and OBCs.

To further benefit the tribal population, extensive research should be done to determine which denotified tribes should be included in the ST list. There should be uniformity in categorization and educating the DNT, NT, and SNT populations. They should be made aware the need for their participation in the mainstream so that the development goals set for their development can be achieved.

Lastly, I would like to add that the Centre is championing the cause of tribals through various initiatives but many more gaps need to be addressed through targeted measures for the tribal community to ensure their inclusive development in the *Amrit Kaal*.

With these words, I support this Bill. Thank you.

*__SHRI RAMESH CHANDRA MAJHI (NABARANGPUR):__ Hon. Chairperson, sir,

I stand here to support the Constitution (SC/ST) Amendment Bill 2024 brought by our hon. Minister of State, Dr. A. Bharti Pawar. Especially, I want to highlight here that, out of 169 communities, 15 tribal communities have been recommended to the Centre to be accorded ST status.

Our CM Naveen Patnaik has recommended 169 communities from Odisha to the centre to be included in the ST list. From among them 15 communities are going to avail the status. By this sir, 50 subcastes from among these communities will also be benefitted. For this I express my gratitude before the Union Govt, that they considered this matter with all seriousness. In my district, Nabarangapur, Jharia, Konda Reddy communities exist. We feel so happy that this Bill has been passed in the Upper House and our demands are going to be fulfilled soon.

In Odisha, hon. CM Shri Naveen Patnaik is very much sensitive towards the development of tribal communities. So special tribal councils have been constituted in 23 districts to speed up the development initiatives targeted for these communities. Paidi bhuyan, Chultia Bhunjia, Binda, Mankaria communities are included in the Tribe list.

I want to urge the Central Government to include the left out communities in this list also.

Along with this ‘Tamadia SC communities are uplifted to ST status as per the recommendation of the State Government. Similarly, Bhanja Pueanand Tamedia Puran communities are also going to be included in the ST list

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

Today we can see in Odisha, 6000 hostels are dedicated to the ST communities and by this, 6 lakh students are getting benefitted every year.

In my State, 4 lakh tribes are allowed forest rights.

I again thank the Govt for bringing such a reformative Bill in the interest of the tribal communities of our state.

Thank you

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और साथ ही बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, मैं सरकार के इस फैसले स्वागत करता हूँ कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कुछ जातियों जैसे पोरजा, परन्जी पेरजा, सवरस, कापू सवरस, मलिया सवरस, खुटटो सवरस जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

महोदय, मेरा मानना है कि मात्र कागजों में अनूसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लेने से किसी जाति का समग्र विकास होना असंभव है। जब तक कि उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की व्यवस्था न दी जाए। मेरा मानना है कि अनुसूचति जनजातियों के क्षेत्र शिक्षा से बहुत पिछड़े हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि अगर आप अनुसूचित जनजातियों के लोगों का समग्र विकास चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएं, जाहं पर उनके रहने और भोजन की व्यस्था हो और वहां पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था निशुल्क होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से अनुसूचित जनजाति का ज्यादा विकास कर पाएंगे।

महोदय, मुख्य्य रूप से भारत में रहने वाले जनजाति वर्ग में धन का अभाव रहता है, जिसकी वजह से इन वर्ग के लोगों को समाज में भी तिरस्कृत दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि यह वर्ग अपनी बेसिक नीड्स जैसे भोजन, कपड़ा और मकान को भी दरिद्रता के चलते नहीं पूरा नहीं कर पाता है। अनसूचित जनजाति के लोग देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रो में रहते हैं जैसे साउथ इण्डिया, नार्थ इण्डिया और वेस्टर्न इण्डिया। भाषाओं में अंतर, रहन-सहन में अंतर और सांस्कृतिक कियाकलापों में अंतर, इन्हीं कारणों के चलते इनकी समस्या अलग और जटिल है।

देश के विभिन्न भागों में ट्राइबल लोग कानिक इन्फेक्शन और रोगों से पीड़ित है, जिसमें ज्यादातर जल-जनित रोग है जो उनके जीवन को नष्ट कर रहे है। अनुसूचित जनजाति के लोगों का कंट्रोल प्राकृतिक संसाधनों पर से घटता जा रहा है, जैसे खेती, जंगल, जल आदि-आदि। यह इनकी

मूल समस्या है, क्योंकि इनकी जमीनों को दूसरे लोग हथियाने का काम कर रहे हैं, जिससे इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है।

तीसरा, जो सबसे बड़ी समस्या है वह अंधाधुंध नॉन-ट्राइबल लोगों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का क्षय करना और वहा रह रहे ट्राइबल लोगों को कहीं अन्यत्र जाने के लिए मजबूर करना।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ यदि वास्तव में सरकार अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, तो पूरे देश में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जो रिक्त पद हैं, उनको शीघ्र भर कर बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने का काम करना चाहिए। अगर सरकार पूरा बैकलॉग भरेगी तो निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है, उसमें भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आरक्षण के मुताबिक नौकरियां प्रदान की जाएं। साथ, परम पूज्म बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था दी है, 15 पर्सेंट अनुसूचित जाति के लिए और 7.5 पर्सेंट अनुसूचित जनजाति के लिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के हिसाब से प्राइवेट सैक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अगर सरकार सभी सरकारी विभागों का प्राइवेटाइज़ेशन कर देगी, तब तो आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, इसलिए मेरी मांग है कि प्राइवेट सैक्टर में भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राएं टॉपर स्थान प्राप्त करते हैं। यूपीएससी में टॉपर स्थान प्राप्त करने का काम भी अनुसूचित जाति की बहन-बेटियाँ करती हैं। आज अनुसूचित जाति के लोग यूपीएससी की परीक्षा में पास करके देश के सर्वोच्च नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम सिस्टम है, वह खत्म हो। अगर जज की नियुक्ति हो तो वहां भी यूपीएससी की तरह एक परीक्षा हो। उसमें जो बच्चे पास करके आएं, चाहे वे एससी-एसटी के लोग हो,

उन्हें भी मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट में भी उनको जाने का मौका मिले। उन्हें भी जज बनने का मौका मिले। मैं आपके माध्यम से ऐसी मांग रखना चाहता हूं। यूपीएससी की तर्ज पर अलग से एक कमीशन बनाकर विधि के क्षेत्र में भी नियुक्ति की जाए, जिससे समस्त वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here in support of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024 in respect of Andhra Pradesh and Odisha.

Sir, my friend Saptagiri Ulaka has spoken extensively and extraordinarily well today about the entire problem of SC and ST communities. I cannot understand one thing, and with full humility I would like to ask the Government in this regard. आप हमेशा एससी-एसटी के लिए अनेक राज्यों के बिल लाते हैं। दो दिन पहले आप जम्मू-कश्मीर का बिल लाये थे। आज आप ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बिल लाये हैं। आज की मंत्री महोदया महाराष्ट्र से हैं। मैं इनसे विनती करूंगी, क्योंकि वह खुद महाराष्ट्र से आती है।

सर, उनको पता है कि हमारे राज्य में अगर सबसे ज्यादा आंदोलन किसी चीज के लिए चल रहा है तो किसान की न्याय मांगने के लिए चल रहा है। किसान के ऋण माफ हो, इसकी मांग के लिए आंदोलन चल रहा है। दूसरा, मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, टाकारी और वैजयंती की भामटा और रामोशी समाज के लिए आरक्षण की मांग चल रही है। हमारा महाराष्ट्र का एक भाई है, वह युवा नेता के रूप में उभर रहा है। उनका नाम जारांगे पाटिल है। आज वह मराठा आंदोलन में बहुत लड़ रहा है। उसके बाद धनगर समाज का बहुत दिनों की मांग है, भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी, तब उन्होंने दस साल पहले वायदा किया था कि वह धनगर समाज को आरक्षण देंगे, उसका क्या हुआ? अगर आंध्र प्रदेश में हो सकता है, अगर ओडिशा में हो सकता है, अगर जम्मू-कश्मीर में हो सकता है तो महाराष्ट्र में यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? यह सरकार महाराष्ट्र से क्यों नाराज है? यह 10 साल की मांग है। आज महाराष्ट्र में उनके 200 एमएलएज़ हैं और यहां 300 एमपीज़ है, तो फिर दिक्कत क्या है? अर्जुन मुंडा जी आज यहां नहीं है। वह हमेशा बहुत अच्छी तरह से हमारी बात भी सुन लेते हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। वे कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा है। आज दोनों जगह आपकी सरकार है। आप हर रैली में कहते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण

देंगे, धनगर समाज को आरक्षण देंगे, मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे, लिंगायत समाज को आरक्षण देंगे, रामोशी और भामटा समाज सहित सभी को आरक्षण देंगे, लेकिन फिर इसका प्रोसेस क्या है?

अभी प्रो. सौगत राय जी कह रहे थे कि क्यों न आप पूरे देश के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए और हर राज्य से एक ही बार अच्छी तरह से प्रस्ताव लाए। आरक्षण के जो छोटे-छोटे नए बिल हर हफ्ते आते हैं, उससे अच्छा है कि आप राज्यों से मांगें कि उनका प्रस्ताव क्या है। यदि सब ने प्रस्ताव दिया तो उस पर आप विचार करें। यह सिर्फ पोलिटिकल नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को न्याय मिलने की जरुरत है, धनगर समाज के बारे में बहुत सारे आंदोलन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि मराठा समाज के आरक्षण के बारे में शायद चेन्नई के पेपर में भी न्यूज आयी है। अभी कनिमोझी जी मुझसे कह रही थी कि आरक्षण के बहुत सारे मामलों के बारे में देश के जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बातें हो रही हैं। इसके बारे में सरकार को महाराष्ट्र से क्या नराजगी है, यह मुझे पता नहीं, लेकिन इनको सोचना चाहिए। अगर आज भारती जी रिप्लाई में बोलेंगी तो हम सब की महाराष्ट्र से अपेक्षा ज्यादा है कि वह महाराष्ट्र को न्याय दें।

सर, अंत में, मैं दो छोटे प्वाइंट्स बोल कर अपनी बात खत्म करूंगी। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलें कि आज तक इस देश में एससी-एसटी के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहती हूं। आपने सुना होगा कि डीएमके के वरिष्ठ नेता कलैग्नार करूणानिधि जी है। सर, आप भी उसी पार्टी से हैं। जब वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एससी-एसटी के लिए कितना काम किया था। श्री शरद पवार जी, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आदिवासियों के लिए अलग बजट बनाया था। आज भी महाराष्ट्र में उनके लिए अलग बजट बनता है। ऐसा नहीं है कि पहले किसी राज्य में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आरक्षण का जो मामला है, उसे राज्य नहीं सुलझा सकती है, वह दिल्ली में ही आता है और यहां पार्लियामेंट में संविधान संशोधन करना पड़ेगा।

महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस सरकार से कह रही हूं कि आपके पास बहुत बड़ा नंबर है। यहां पर आपके 300 एमपीज़ हैं। आप मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, टाकारी और वैजयंती के भामटा तथा रामोशी समाज की जो मांग है, उसके बारे में प्लीज सोचिए।

मैं बहुत विनम्रता से फिर एक बार विनती करती हूं कि यह सरकार इस बारे में सोचे और कोई निर्णय ले। सिर्फ राज्य की रैलियों में ये कहते हैं कि आरक्षण देंगे, लेकिन जब करने की बात होती है, तो यह सरकार कुछ नहीं करती है। यह सरकार महाराष्ट्र के सारे समाज के खिलाफ है, ऐसा हमारा सरकार पर आरोप है।… (व्यवधान) To just clear the record, it is Maratha, Dhangar, Lingayat, Muslim, Takari, Vijyanti, Bhamta and Ramoshi Samaj, सबका नाम मैंने लिया। So, the record is straight.… (व्यवधान) मराठा पर चर्चा करेंगे। सर, अगर आप एक मिनट दें तो मैं बोल सकती हूं। मराठा समाज की भी मांग हो रही है। … (व्यवधान)

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Not now.

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं आज ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो अमेंडमेंट लाए हैं, दि कांस्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2024 आंध्र प्रदेश के लिए और दि कांस्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर्स अमेंडमेंट बिल, 2024 ओडिशा के लिए लाए हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। आज यह सदन और यह देश इसका गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब-जब सरकार आती है, वह इस देश के ट्राइबल्स के लिए अच्छा काम करती है । पहले यह ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने के बाद अलग से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्रिएट करके बना दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। उस समय यह था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन हुआ करता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में the Scheduled Caste Commission and the Scheduled Tribe Commission have been separated. सौभाग्य से उस समय मैं ट्राइबल कमीशन में वाइस चेयरमैन था। मोदी जी के आने के बाद भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिन को इस देश में ट्राइबल दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह ट्राइबल्स के लिए बहुत गौरवशाली दिन है।

मैं कांग्रेस के वक्ता की बात सुन रहा था । जहां ट्राइबल है, वहां जल, जंगल, जमीन है । जहां ट्राइबल नहीं हैं, सब डेजर्ट हो गए हैं। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल जंगल कहीं डिसप्लेस हुआ है तो पहले की कांग्रेस की सरकार में ही हुआ है। ट्राइबल्स का एविक्शन हुआ, ट्राइबल्स की लैंड छीनी गई, वहां इंडस्ट्री बैठाई गई, वहां फैक्ट्री बैठाई गई, ट्राइबल्स के राइट को छीना गया तो वह कांग्रेस सरकार के समय में हुआ। हमारे दोस्त बिष्ट जी बोल रहे थे कि एजुकेशन एक बहुत इंपोर्टेंट विषय है। देश भर में मोर दैन 400 एकलव्य रेजीडेंशियल मॉडल स्कूल्स हैं। अभी मंत्री जी बता रहे थे कि वर्ष के अंत तक 700 एकलव्य रेजीडेंशियल मॉडल स्कूल्स देश भर में होंगे । इसमें खाना, पीना, रहना, किताब, हॉस्टल सारा कुछ फ्री है। यह मोदी जी की गारंटी है।

मैं डॉ. भारती जी को एक चीज कहना चाहूंगा। रेजीडेंशियल मॉडल स्कूल में जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, इसको हमें घटाना पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश नार्थ ईस्ट तक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम है।

उसमें एकलव्य रेसिडेन्शियल मॉडल स्कूल बनाने में तकलीफ है। एकलव्य रेसिडेन्शियल मॉडल स्कूल बनाने का जो क्राइटेरिया है, इसको आप घटा देंगे तो ठीक होगा। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति हो गयी है और नक्सल एरिया में भी शांति आ रही है।

Hon. Chairman, Sir, tribals are very emotional and very sentimental. पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत एक्सट्रिमिस्ट था, सेंट्रल इंडिया में बहुत नक्सलाइट था। आज मोदी जी द्वारा उस एक्सट्रिमिज्म की अच्छे से सुनवाई हुई, पूर्वोत्तर के जितने भी उग्रवादी हैं वे सब मोदी जी के नेतृत्व में मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। वे सब ट्राइबल थे, ट्राइबल को डेवलपमेंट चाहिए, ट्राइबल की आवाज को आप इमोशनली सुनेंगे और इमोशनली उसके इश्यूज को टैकल करेंगे तो ट्राइबल इस देश से वादा करता है कि ट्राइबल इस देश के लिए अच्छा नागरिक बन सकता है। आज नक्सलिज्म को रोकने में गति आ रही है, मोदी जी द्वारा उसकी सुनवाई हो रही है। पूर्वोत्तर में जितने भी उग्रवादी थे, एक-दो आर्गेनाइजेशन को छोड़कर सब मेन स्ट्रीम में आ गए। यह मोदी जी की ट्राइबल वेलफेयर की पॉलिसी है।

अभी ओडिशा में जितनी एनोमलीज थी, उसको करेक्शन करके यहां लाया, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कुछ ट्राइब्स का इनक्लूजन हुआ। मैं मंत्री जी और इस सदन से कहना चाहूंगा कि प्रिमिटिव ट्राइव शब्द को खत्म करना होगा। आखिर वे इंसान है, उसको 70 साल तक प्रिमिटिव बनाकर रखना उन पार्टियों की कमी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में प्रिमिटिव शब्द को इस डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा। इंसान को इंसानियत में लाना होगा, सभी को ट्राइबल बना दीजिए, वे एजुकेशन में आएंगे, एकलव्य स्कूल में पढ़ेंगे, फ्री-राइज दे रहे हैं। 75 साल की आजादी के बाद प्रिमिटिव शब्द को हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री तापिर गाव: महोदय, अंडमान निकोबार आइलैंड में सेंटीनेल है, सेंटीनेल आइलैंड आज तक दुनिया से डिसकनेक्ट होकर बैठा है। वह भी हमारा ट्राइबल है। इसको कांग्रेस सरकार ने उन लोगों को प्रिवेंट करके रखा है कि किसी को भी उस आइलैंड में नहीं जाना चाहिए। No communication should be made to the Sentinelese. वह नोटिफिकेशन आज तक है। सेंटीनल्स को एक म्यूजियम का स्पेसिमेन बनाकर रखा हुआ। मेरी सरकार से अपील है, We should make efforts now. सेंटीनल आइलैंड को, सेंटीनल्स ग्रुप को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। ट्राइबल एक्टिविटिज, ट्राइवल डेवलपमेंट देना होगा, उसको दुनिया के साथ जोड़ना होगा। कांग्रेस ने जो कानून बनाकर रखा था, उस कानून को बदल कर सेंटीनल्स को भी हमको लाना होगा।

HON. CHAIRPERSON: Please wind up your speech.

SHRI TAPIR GAO: Yes, Sir, I am concluding within a few seconds. अरूणाचल प्रदेश से जितना स्टेट गवर्नमेंट ने सिफारिश किया, रजिस्ट्रारर जनरल ऑफ इंडिया से भी सर्टिफाइड है, एसटी ट्राइबल कमीशन से भी सर्टिफाइड है, मिनिस्ट्री में फाइल आया हुआ है। योबिन समाज आज तक एसटी लिस्ट में नहीं आया है, इसको भी लाना चाहिए। मेरी मिनिस्ट्री से यही दरख्वास्त है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोनों बिल्स का समर्थन करता हूं। नमस्कार, थैंक्यू।

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ समुदायों को जनजाति का दर्जा देने के लिए यह बिल लाया गया है। इसके पहले सत्रहवीं लोक सभा में छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ समुदायों को एसटी का दर्जा देने के लिए बिल लाया गया था। हमारे देश में एसटी के दर्जे के लिए जितनी कम्युनिटीज़ मांग कर रही हैं, मेरी मांग है कि इन सबके लिए एक जेपीसी होनी चाहिए।

महोदय, असम में एक समुदाय है जो काफी दिनों से एसटी के दर्जे के लिए डिमांड कर रहा है और केंद्र सरकार वादा कर रही है कि एसटी का दर्जा दे देंगे लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। असम में बीजेपी सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के दो मैम्बर इस हाउस के भी मैम्बर हैं लेकिन अभी तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिऑर्गेनाइज भी नहीं किया गया।

महोदय, एक समुदाय कोच राजवंशी है, इनको पश्चिम बंगाल में एससी, मेघालय में एसटी और असम में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। माननीय अर्जुन मुंडा जी इस समय हाउस में नहीं हैं, असम और टी गार्डन में मुंडा लोगों को एसटी का दर्जा नहीं मिला है, उरांव और कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिला है। हमारे यहां आदिवासी, जो टी गार्डन में हैं, अहोम कम्युनिटी की भी यही मांग है। गोरिया मुसलमान, देसी मुसलमान और कलिता कम्युनिटी भी एसटी दर्जे के लिए मांग कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस बारे में अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। मणिपुर के पंगल मुस्लिम्स की ट्राइबल्स के साथ काफी सिमीलेरिटीज़ हैं। ये काफी दिनों से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं, इस पर भी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि एक जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बननी चाहिए और जो भी समुदाय मांग कर रहे हैं, इनको एक साथ लेना चाहिए। एक पोलिटिकल लक्ष्य रखा जा रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है।

एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में तापिर गाव जी ने भी कहा है। इसका जो क्राइटेरिया है, उसे घटाना चाहिए क्योंकि किसी ब्लॉक में तो 50 परसेंट पापुलेशन ही है। इससे ट्राइबल्स को फायदा नहीं

हो रहा है इसलिए इस क्राइटेरिया को घटाना चाहिए । इसके साथ ही, मैं मांग करता हूं कि एसटीज़ और एसटीज़ के लिए जो बजट है, उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए ।

अंत में, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, मैं अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से बात रख रहा हूं।

महोदय, दोनों विधेयक ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति की सूची में कई नए समुदायों को जोड़ने और शामिल करने वाले हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसी अनुसूचित जातियां हैं जो पहाड़ों में रहती हैं। उनको केवल आरक्षण से संरक्षण नहीं चाहिए बल्कि सुविधाओं से संरक्षण भी मिलना चाहिए। जहां ये लोग रहते हैं, वहां कोई रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है और यहां तक कि शिक्षा की सुविधा भी नहीं मिलती है। इस समुदाय के लोग काफी संख्या में जंगलों में रहते हैं। ये लोग अपने निर्वाह के लिए पूरी तरह से जंगलों में ही खेती करते हैं। इनको कोई सुविधा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है।

महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं देश में कई जातियां हैं, जिनको केवल आरक्षण देने या केवल अनुसूची में शामिल करने से न्याय नहीं दिया जा सकता, उनको न्याय देने के लिए असल में वहां की समस्याओं को जानकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अधीन लाना होगा।

महोदय, ओबीसी समाज की काफी संख्या में रिजर्वेशन है। महाराष्ट्र में जो मुद्दा चल रहा है, उस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। ओबीसी मराठा समाज के आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, केद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

16.00 hrs

मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दौरान आदिवासियों के उत्थान के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित करके इस विभाग का बजट 6 गुना बढ़ा है। केवल बजट बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि यह बजट उन लोगों तक जाना चाहिए तथा उन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, यह बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। धन्यवाद।

16.01 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति विधेयक, जो माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। बिहार राज्य की कुछ जातियां, जो विसंगति के कारण पूर्व से छूटी हुई हैं, माननीय मंत्री जी से हम उनके लिए मांग करना चाहते हैं और उसमें से कुछ के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की बिहार सरकार ने इन जातियों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के पास भी प्रस्ताव भेजा है। इनमें लोहार और लोहारा हैं। जब जाति आधारित गणना हो रही थी और जातियों का विभाजन हो रहा था, उस समय अंग्रेज सरकार द्वारा लोहारा को अंग्रेजी में राइट-अप किया गया। उसमें R के बाद A पड़ता है। अत: लोहारा, जिनके लिए हिंदी में लिखा गया, वे तो अनुसूचित जनजाति में हैं, लेकिन जो लोहार में है, वह पिछड़ा वर्ग में आ गया। अत**:** एक ही परिवार, जाति, एक ही संस्कार, एक ही भाव के बावजूद लोहारा तो अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ ले रहा है, लेकिन लोहार को किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से बिहार, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है। जो बंगाली हैं, वे समझते होंगे कि किसान का अर्थ है कृषक, जो कृषि करते हैं तथा चसोर का अर्थ हुआ चासी, जो किसान के नीचे होते हैं। वे जोत आबाद करते हैं। बिहार में किसान जाति को अनुसूचित जनजाति में आपने लिया है, लेकिन चसोर, जो बंगाल से आकर बिहार में बसे हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अत: मैं यह चाहता हूं कि चसोर जाति को भी आने वाले दिन में जनजाति में जोड़ना चाहिए। उसी तरह से हम लोग बंगाल के बॉर्डर में हैं। वहां एक राजवंशी जाति है, जिसको बंगाल में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्राप्त है, लेकिन राजवंशी, जो बॉर्डर में हैं, बंगाल-बिहार से जिनका रिश्ता-नाता, रोटी-बेटी का संबंध है, लेकिन बिहार में उनको अनुसूचित जनजाति का कोई लाभ नहीं है। अत: मैं इनके लिए भी केंद्र सरकार से मांग करता हूं। इसके अलावा, जो प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा भी

था, जिसके लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। यह जो मल्लाह जाति है, जिसको हम मछुआरा कहते हैं, इसके लिए बार-बार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को याचना भेजी है कि मल्लाह, मछुआरा जाति को भी इसमें शामिल करना चाहिए। वर्ष 2019 में सांसद बनने के बाद केंद्र सरकार की जो नीति है, देश के विभिन्न प्रांतों में जो अनुसूचित जनजाति की छूटी हुई उप जातियां हैं, आप उनको संकलित करके और उनकी विसंगतियों को दूर कर रहे हैं, तो मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग है कि बिहार में जो भी विसंगतियां उप जातियों के साथ हैं, कृपा करके बिहार पर ध्यान देकर इसको भी दूर करने का काम करें, जिससे बिहार में ऐसी अनुसूचित जनजातियों को लाभ मिलेगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

*__SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM):__ Hon Chairman Sir, Vanakkam. I thank you for giving me the opportunity to speak on the amendment bill for inclusion of some communities of Andhra Pradesh and Odisha in the SC/ST list. I am thankful to you for considering these backward communities for inclusion as they can get reservation and ensuring their socio-economic development. I thank you for including Narikkuravar and Kuruvikkarar communities of Tamil Nadu in the ST list earlier on a demand of the State government of Tamil Nadu. In Tamil Nadu, people belonging to the fishermen community live in large numbers in our Ramanathapuram area who are educationally and economically backward. There is a long pending demand from this community for inclusion in the list of STs. I urge that you should consider for including the fishermen community of our area in the list of STs. Even after 75 years of Indian Independence, we have been including the backward communities in the lists of SCs and STs for ensuring their development. Can you clarify that how many more will be included in this list and which are the communities to be included? On one side, this Government is ensuring this reservation so that these communities get educational and employment opportunities for their socio-economic development. On the other side, year after year, this Government has been reducing the allocation of funds meant for education and scholarships of SCs and STs. You have been privatising our PSUs. The people of these communities get employment only in these PSUs through reservation and if you start privatising them, their future becomes gloomy. The Government is not providing them the Scholarships. This Government on the

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

other side is misleading in the pretext of providing employment by extending reservation to these communities by including them in the lists of SCs and STs. This is for sure to prove the double standards of the present Government. I condemn this. This government must ensure whether the concessions given to SCs and STs are fully utilised by them besides implementing their reservation in due manner. I demand that even if there is privatisation of PSUs, benefits of reservations are to be extended to these communities without fail. Thank you for this opportunity.

***श्री एस. मुनिस्वामी (कोलार):** Hon'ble speaker Sir, thank you for giving me the opportunity to speak The Constitution (scheduled castes and scheduled tribes) orders (amendment) bill, 2024. This bill is about providing reservation for inclusion of (i) Bondo Porja, (ii) Khond Porja, and (iii) Konda Savaras into the list of scheduled tribes.

This is the vision of Shri Narendra Modi ji. He has given us a slogan of Sabka Saath Sabka Vikas. With this noble objective the honble Prime Minister is ruling the country for the past 10 years. We have our first women scheduled tribe woman Smt Draupadi Murmu as the President of India. The Congress party shown disrespect and speaking low for our honorable Rashtrapati ji.

On 22nd January 2024 we installed the Lord Ram in Ayodhya Ram Mandir. The government has renamed the airport at Ayodhya after Valmiki in the respect to the Scheduled tribe community.

The Congress party, from the beginning ruled the country for 60 years. They just planted the seed of poison amongst all the communities. They have been continuously following the British policy of divide and rule in the country as was done by the colonial period.

They say that BJP brought this bill at the time of election. They are opposing for our claim of 400 seats. Just after 3 months they will understand what their position would be.

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

Prime Minister Modi has given funds to the state of Karnataka we should remember this. In the states of Andhra Pradesh, Odisha these three communities are living. Now they are being included in the scheduled tribe list.

From the last 60 years they they have ruled the country and established only 100 Ekalavya residential schools. But now 600 Ekalavya residential schools have been sanctioned and 400 schools are functioning. Our honble Minister Shri Arjun Munda ji and Smt Bharati madam have done tremendous work in this regard. As a result the schools are functioning very well and imparting quality education to the tribal students. Today the Congress say that they are pro dalits and pro scheduled castes. However Dr Babasaheb Ambedkar was not given the due respect by the Congress party.

Even when he contested elections the Congress made all efforts to defeat him. This was the insult the congress did to the tall leader of the scheduled castes. You gave Bharat Ratna to Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru and Rajiv Gandhi but the person who is considered as the founding father of the Constitution Dr Baba Saheb Ambekar was not given the Bharat Ratna. It was during V P Singh government, the Bharat Ratna was awarded to Dr. B R Ambekar. That is the respect we give to Ambedkar.

When Hindu code bill came up for the discussion the Congress disrespected Ambedkar. The Congress people disrespected him and also defeated him in the elections. Congress did not give Bharat Ratna to Ambedkar. Instead the Congress gave Padma Bhushan award to the candidate, who defeated Dr. Babasaheb Ambedkar.

In this scenario when we are trying to give justice to the scheduled castes and scheduled tribes under the leadership of Modi the congress gives election colours to it. Under Jan dhan yojana Modiji ensured social justice to all the communities.

Today, Shri Narendra Modi has given benefits to all the communities and equal justice to all. The objective of his initiative is to empower the people.

Yesterday we saw the tallest leaders of Congress from Karnataka are bombarding in Delhi that Karnataka has been meted out injustice and lost about Rs.8,000 crore in 10 years.

From 2014-2024 the Centre has given ₹ 281000 crore for developmental works. Be it the functioning of local panchayat, construction of houses, toilet construction or free food grains to the poor, the distribution of Ujwala Gas, the gram sadak yojana, the highway construction for the development of Karnataka with the said funds.

The opposition questioning us about dalits, but they themselves have disrespected the dalits. I belong to a Dalit community from Kolar district of Karnataka and I have stood here with my self respect.

In Kolar district of Karnataka state Channa dasari, Gonda- kuruba and other communities have not received the community/caste certificate. Due to this they have failed to enjoy the benefits due to the scheduled caste and scheduled tribes including reservation benefits.

Today Shri Arjun Munda Sir and Smt Bharati Madam have brought this bill and are thriving to bring justice to these communities. In the coming days these communities will also receive better education and other facilities.

This is my request that when the BJP was in power in the staof Karnataka, 17% reservation given to st community. For which the due credit should be given to former Chief minister Shri Basavaraj Bommai ji and Yediyurappa ji.

Similarly for the SC community the reservation was enhanced from 3% to 7% during the tenure of Bommai ji. The opposition doesn't recognise the same, but they are talking disrespectful towards the community and spreading communal ideas inside and outside the Parliament.

We removed article 370 of Jammu and Kashmir, removed triple talaq for Muslim women. In Jammu and Kashmir now a Muslim woman would say I have not seen God but seeing god in Modiji. Women wish to see shri Narendra Modi ji as Prime Minister and blessing him.

We used to hear sounds bombs every day in Kashmir but now we see peaceful life.

The people of Jammu and Kashmir are saying next time also BJP should come to power to make India a developed nation.

And Congress should remove the seeds of poison from the society. They should work for the development of the country and should not talk about the division of the country. Yesterday Mr. D K Suresh spoke of the same. He should apologize to the Parliament.

Today our Union Government brought this bill to give reservation to scheduled tribes. For this I once again thank and support the bill. Dhanyavad, Jai Bharat.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, हमें यह बात समझ में नहीं आ रही है और हमें इसका तर्क बताना चाहिए कि हर लोक सभा के अधिवेशन के अंदर आप ये कॉन्स्टीट्यूशन शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल अलग-अलग राज्यों के लेकर आते हैं। आप कभी कर्नाटक का लेकर आते हैं, कभी जम्मू और कश्मीर का लेकर आते हैं तथा आज आप ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश का लेकर आए हैं। ये बहुत अहम मुद्दे हैं, जहां पर आप कॉन्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं और किसी ट्राइब को इन्क्लूड कर रहे हैं। आप पूरे देश का एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेकर आइए। टुकड़ों-टुकड़ों में लाने का हमें भी कुछ तर्क समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे आपका क्या मकसद है।

सभापति महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार को किसी को कुछ देना नहीं होता है तो सबसे आसान तरीका यह होता है कि कमेटी बना लीजिए। मैं किस मुद्दे के ऊपर यह बात कर रहा हूं और हमारी भारती पवार मैडम महाराष्ट्र से आती हैं, वह भी अच्छी तरह से जानती हैं कि वर्ष 1955 से महाराष्ट्र का एक धनगर समाज गुहार लगा रहा है। सरकारें कितनी आईं और चली गईं। उनकी यह मांग है कि हमें शैड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर इन्क्लूड किया जाए। महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज को एनटी के अंदर इन्क्लूड किया गया है और सेंट्रल लिस्ट के अंदर उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया है। यह अजीब तरह का तर्क है। आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि धनगर और धनगढ़ एक ही हैं। धनगर समाज के लोगों का भी कहना है कि दूसरे राज्यों के अंदर, चूंकि वहां पर धनगढ़ लिखा हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर इन्हें धनगर बुलाया जाता है तो महाराष्ट्र की सरकारों ने इन धनगरों के साथ कैसी नाइंसाफी की है। वह कहते हैं कि यह स्पैलिंग मिस्टेक है। आप धनगढ़ नहीं है तो हम आपको एसटी के अंदर इन्क्लूड नहीं कर सकते हैं।

राणे साहब आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मराठाओं को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए और किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया है। जरांगे पाटील का हम सम्मान करते हैं कि एक छोटे से गांव के सामान्य आदमी ने पूरे महाराष्ट्र सरकार की नाक में दम कर दिया कि मेरे समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। दुर्भाग्यवश आप लोगों ने धनगर समाज का कोई

नेता तैयार नहीं होने दिया और सिर्फ अपने राजनैतिक स्वार्थ के खातिर ऐसा किया। धनगरों की आबादी कितनी है? धनगरों की 45 ट्राइबल्स महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा। कोई कहता है कि चार परसेंट है और कोई कहता है कि दस परसेंट है, क्योंकि वर्ष 2011 के सेंसस के हिसाब से ये बातें चली आ रही हैं। इसलिए जब कास्ट सेंसस होगा तो इनका डेवलपमेंट उसी के हिसाब से होगा कि इनकी आबादी कितनी है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसके हिसाब से ही सब काम चलता है। हमारा यह कहना है कि महाराष्ट्र सरकार इनको कुछ नहीं दे रही है तो राणे साहब, 20 नवंबर, 2023 को एक बार फिर से धनगरों के हाथ में एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं।

वह कमेटी यह तय करेगी कि दूसरे राज्यों के अंदर तुमको जो बेनीफिट दिए जा रहे हैं, वह महाराष्ट्र के अंदर कैसे देना है तो यह कमेटी बना दी है। कमेटी के बारे में आपको मालूम है कि कमेटी के ऊपर कमेटी, कमेटी के ऊपर कमेटी और कमेटी के ऊपर कमेटी। यह आप भुगत चुके हैं। आप देख चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार को जब मराठाओं को रिजर्वेशन देना था तो कितनी सारी कमेटी बना दीं। आखिर लोगों ने बोला कि हम सड़क के ऊपर आएंगे। आप धनगरों के साथ क्यों इस तरह की नाइंसाफी कर रहे हैं। जब कुछ नहीं देना होता है तो होता यह है कि केन्द्र सरकार कहती है कि हमारे पास राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जबकि श्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस के नेता और लीडर्स यह मांग करते हैं कि इनको देना चाहिए। उस वक्त उन्होंने झूठ कहा था कि हमने ऑलरेडी केन्द्र सरकार को भेज दिया है कि धनगरों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पृथ्वीराज चव्हाण साहब, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने झूठ बोला था। कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। अब तो आपकी ही सरकार महाराष्ट्र के अंदर है। आप केंद्र में भी बैठे हुए हैं और महाराष्ट्र में भी आप बैठे हुए हैं। अब तो एक-दूसरे के ऊपर इलजाम लगाने का कोई मतलब नहीं है। आपको अगर सही मायनों में इंसाफ देना है तो दे सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर आपको मालूम है कि अगर हम 48 लोक सभा सीटों की बात करते हैं तो चार लोक सभा की सीटों के अंदर तो सिवाय धनगर के कोई आना ही नहीं चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बारामती में उनका टोटल इनफ्लुएंस है। माधा, पूरा धनगर समाज

का है, वहां से आना चाहिए। इसके अलावा शोलापुर और सतारा है। ये चार लोक सभा की सीटें हैं। 280 विधान सभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 35 से 40 विधान सभा की ऐसी सीटें हैं, जहां पर सिर्फ धनगर समाज का ही प्रतिनिधि चुनकर आ सकता है। धनगर समाज का इतिहास रहा है। अहिल्याबाई होल्कर जी का आपने नाम सुना होगा। 18वीं सदी में एक महारानी थीं, जिन्होंने अपने समाज के लिए काम किया। लेकिन उनकी पहचान महारानी की नहीं है। उन्होंने अपने समाज के लिए और अपनी जेनरोसिटी के लिए जानी जाती थीं। आज धनगर समाज कई सालों से जालना जिले के अंदर अहिल्याबाई होल्कर के लिए जगह मांग रहा है और आप वह जगह भी नहीं दे रहे हैं। अपने समाज के लिए इतना काम करने वालीं हैं। हम महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द अहिल्याबाई होल्कर के स्मारक के लिए बड़ी जगह दी जाए।

महोदय, सांसद कहते हैं कि मुसलमानों को भी आरक्षण देना चाहिए। लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मुझे आपसे मांगना मतलब अपना सिर दीवार के ऊपर फोड़ना है, क्योंकि आप लोगों ने तो हमारे साथ एक ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया है कि हम आपको सांस लेने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपसे रिजर्वेशन कैसे मांग सकता हूं? लेकिन इस मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि मुसलमान भी इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अगर आप सभी समाजों को साथ में लेकर जाएंगे, राणे साहब, जिस्म का अगर एक हिस्सा कमजोर हो गया तो वह ताकतवर जिस्म नहीं कहलाता है। वह अपाहिज हो जाता है, वह हेण्डिकैप्ड हो जाता है। इसीलिए अगर आपको इंसाफ करना है, तो आप जिस तरह से आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एड कर रहे हैं तो मेरी यह मांग है कि धनगरों को भी आप महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द रिजर्वेशन देने का फैसला करिएगा और कुछ इंसाफ मुसलमानों के साथ भी करेंगे। कभी न कभी तो करेंगे। एक न एक दिन आपको यह एहसास होगा कि यह भी मेरा एक भाई है और इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you Sir for giving me this opportunity.

Sir, I stand here to support both the Bills namely, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024. India has an ancient civilisation with rich culture and heritage of unity and diversity. Indians cherish the values of religious harmony, non-violence and peace which are enshrined in the Constitution of India. India has made a tremendous advancement in scientific, technological, economic and many other fields for which we feel proud of. All this has happened with the contributions of each and every citizen of India.

Sir, the Government has brought this Bill for Andhra Pradesh and Odisha.

A Bill for amending of the Sixth Scheduled has been there for the last five years. The Committee had been constituted for this. The Committee visited all the North-Eastern States. But till now, the Bill has not been brought back to the Parliament.

The people under Sixth Schedule Areas are hundred per cent tribals. Why has that Bill been shelved? Why has that Bill not been brought? I demand from the Government that the Bill for amending the Sixth Schedule should be brought back and passed in this House.

There is another important aspect. The Baite community in Meghalaya is a tribal community. But it is tagged as a part of Kuki community. Last time, the hon. Minister assured us that the North-Eastern Hill University has been entrusted with

of job of research in relation to this. But till now, it has not given any report. I demand from the Government that the Baite community should also be given a tribal status.

I am here as a tribal; I am here as a Christian. Crores of our Dalit Christians have been denied the rights of the Scheduled Castes or of the Scheduled Tribes. Therefore, I request the Government to see and do equitable justice to the Dalit Christians and they should be brought under the Scheduled Castes. The benefits of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes should also be given to Dalit Christians. Catholic Bishops' Conference of India has exactly moved on this line in order for India to grow. In order for people to grow, we have to see that the issue of Scheduled Castes should not be mixed with religion.

Shri Tapir Gao has said that this Government has solved lot of problems of the Scheduled Tribes. The Framework Agreement has been signed between the Government of India and NSCN-IM. Till now, the issues have not been solved. Until and unless the issues between the Government and NSCN-IM are settled, the entire North-East will remain disturbed and it will not get peace. Therefore, I demand from the Government that the solution should be brought as soon as possible. Then only we can say that the Tribals in the North-East will be developed.

There are Autonomous District Councils in North East India. For the last one year, these Councils have not got their salaries. Why? It is because there is no direct funding from the Government. Only adding the Tribals in the List is of no use until and unless we provide them with funds.

Therefore, I demand from the Government that direct funding should be given to the Autonomous District Councils in Meghalaya and the rest of the North-Eastern States so that the salaries can be paid and the people can also enjoy the benefits of being a tribal. With these words, I conclude my speech and I support the Bill. Thank you.

माननीय सभापति : श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मुझे भी बोलने के लिए मौका दीजिए। मुझे पार्टी की तरफ से बोलने के लिए समय दिया गया था। यह क्या बात है?… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के काफी लोग बोल चुके हैं।

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, listen to the hon. Minister.

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय सभापति महोदय, आज के जो बिल हैं, वे आंध्र प्रदेश और ओड़िशा के संबंध में है। संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 और संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पर इस सदन में अच्छी चर्चा हुई। यहां पर काफी गंभीर तथा अच्छी चर्चा की गई, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ।

जिसमें आदरणीय सांसद श्री सप्तगिरी शंकर उलाका और आदरणीय मंत्री, धर्मेन्द्र प्रधान जी ने इस पर बहुत अच्छा विवरण भी दिया। डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. एस, प्रोफेसर सौगत दादा, श्री एन. रेड़डप्प, श्री रमेश चन्द्र माझी, श्री गिरीश चन्द्र, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री तापिर गाव, श्री अब्दुल खालेक, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, श्री के. नवासखनी, श्री एस. मुनिस्वामी और श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील भाई ने चर्चा में भाग लिया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चर्चा इस माध्यम से हुई है। मैं एक बार फिर बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि आप इस चर्चा को सुने की पीवीटीजी क्या है? आज जिनको सम्मिलित किया गया है, यह पीवीटीजी क्या है? एक प्रोसिजर होती है और उस प्रोसिजर से कई आदरणीय सांसदों ने कहा है कि इन्हें सम्मिलित किया जाए। हर एक राज्य से अलग-अलग माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। इसकी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को भी जानना बहुत आवश्यक है। शेड्युल्ड ट्राइब के संशोधन के अनुसार कुछ तौर-तरीके भी निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार उस राज्य में, उन प्रस्तावों पर संशोधन किया जाता है। उसके बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित और उसे उचित ठहराया जाता है एवं उसके बाद भारत के रजिस्ट्रार जनरल, आरजीआई के बाद उसे एनसीएसटी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सहमति दी जाती है। मुझे लगता है कि आप सभी इस पर जरूर गौर करेंगे। इस प्रोसीजर को समझेंगे और शेड्युल्ड ट्राइब की लिस्ट में लाने के लिए आज का विषय बहुत ही स्पेसिफिक है। उसमें आपके बहुत अलग-अलग सुझाव मिले हैं कि इसको सम्मिलित किया जाए। हर एक राज्य के सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र के बारे में कहा है, लेकिन आज स्पेसिफिक जनजाति का विषय है, उसमें भी जो हमारे प्रीमिटिव्स हैं, वे कम होते जा रहे हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ऐसे

प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ जनजातियों की ही नहीं बल्कि उसमें भी अतिपिछड़े जनजाति पर गौर किया। उनको ढूंढा। उनकी संख्या कम होती जा रही है और अभी इस दृष्टि से उनका विकास होना जरूरी है।

16.33 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

इस दिशा में प्रधानमंत्री जन मन विकास के योजना से एक बजट दिया। बजट की सिर्फ घोषणा नहीं हुई, बल्कि उस बजट को तुरंत लागू किया गया। 24 हजार करोड़ रुपए का अलग बजट दिया गया। हमने रूरल डेवलपमेंट की बात कही थी, एक लाख घरों के लिए भी बजट दे दिया गया है। इसके अलावा हमने 1200 किलोमीटर रोड भी सैंक्शन किया है। जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ऐसे 1830 घरों तक इस स्कीम से वाटर सप्लाई पहुंचाने का काम जारी है। जैसे-जैसे डिमांड आएगी, वैसे-वैसे बजट बढ़ेगा। इसके अलावा हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें, तो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स मुख्य हैं। जैसा कि तापिर भाई ने कहा है कि हमारे ईएमआर स्कूल्स के लिए कुछ अलग से नॉर्म्स बनाइए। हमारे जनजाति समुदाय के भाई पहाड़ी इलाको में रहते हैं। हम उसमें मेडिकल यूनिट्स को भी ऑपरेशनल कर रहे हैं। लगभग 100 एजुकेशन फंड के माध्यम से हॉस्टल्स सैंक्शन हो रहे हैं। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के माध्यम से 900 आंगनवाड़ियां सैंक्शन हो चुकी हैं। जिनके लिए बजट भी दे दिया गया है। ट्राइबल अफेयर के माध्यम बीडीवीकेज, बंधन केन्द्र भी सैंक्शन हुए हैं। उनके अलावा मल्टी परपस सेंटर्स सैंक्शन हुए हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि इसके अलावा आदि आदर्श ग्राम योजना जैसी योजना भी है। जनजातीय विकास मिशन ट्राइफेड के माध्यम से चल रहा है। हमारे साथी ने कहा है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है, आप एन्टरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ कहिए। आदि महोत्सव जैसा बड़ा मेला भी लगता है। जिसमें हमारे ट्राइबल के आर्टिजंस को भी परखा जाता है। उनको मेले में प्राइज भी मिलता है, तो मुझे लगता है कि एन्टरप्रेन्योरशिप पर भी इस सरकार का ध्यान है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद भी देती हूं।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आदि आदर्श ग्राम योजना क्या है?…(व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : अधीर रंजन जी, अगर मैं कल की बात कहूं।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अंडमान निकोबार के लोगों इसमें शामिल नहीं किया जाता।...(व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने चिंता की है। पीएम जनमन के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे 18 राज्य और एक यूटी, जिसमें अंडमान-निकोबार को बजट दिया गया है। शायद आपने वह बजट पढ़ा नहीं है।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : पीवीटीजी में शामिल नहीं किया है।... (व्यवधान) आप देख लीजिए।...(व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : पीवीटीजी में ही किया है।... (व्यवधान) आप पढ़िये। आप मेरे मंत्रालय में आइये।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : फंड काफी बाकी रह गया है।... (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि जनजाति के लोगों का इतना विकास हो रहा है कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार महामहिम राष्ट्रपति बनी हैं। इस बात का आपको स्वागत करना चाहिए।... (व्यवधान) मुझे लगता है कि उसके अलावा... (व्यवधान) जनजातीय मामलों का मंत्रालय स्वतंत्रता के बाद सितंबर, 1985 तक गृह मंत्रालय में था। फिर हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री 1985 से 1998 तक सामाजिक न्याय मंत्रालय में थी, तब तक हमारा विचार नहीं हुआ। जब स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने हमारी संस्कृति और रक्षण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बजट भी दिया। यह बात आप भली-भांति जानते हैं कि वह बजट भी बढ़ा है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी सहमत हैं।

डॉ. भारती प्रवीण पवार : कई सारे सांसदों ने कहा कि बजट का क्या, फाइनेंस का क्या, लेकिन यह बजट बढ़ा है। दो बजट के अलावा, 'पीएम जनमन' का तीसरा बजट अलग है। यह 24 हजार 500

करोड़ रुपये का बजट है और वह हमारी अलग-अलग मिनिस्ट्री से ट्राइबल वेलफेयर के लिए जाता है। आज वह बजट बढ़ा है और वह 1 लाख 17 हजार करोड़ रुपये हुआ है। बजट पांच गुना ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का बजट तीन गुना बढ़ा है। आज वह 4200 करोड़ रुपये से 12 हजार 400 करोड़ रुपये हुआ है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, सात गुना बजट बढ़ गया है**,** क्या आपको उस पर कुछ कहना है?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : मुझे लगता है कि ऐसी कई सारी बातें हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सात गुना बढ़ गया है, उस पर आपको कुछ कहना है?

प्रो. सौगत राय : यह अच्छी बात है।… (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज ऐसी कई बातें हैं, चाहे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की बात हो या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उस पर काम करना शुरू किया है। अभी एस्पिरेशन टू इंस्पिरेशन की ओर काम करने की सरकार की मंशा है और इस दिशा में पूरी तरह से यह सरकार प्रतिबद्ध है। यहां बहुत सारी चर्चाएं अच्छी हुई हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद भी देती हूं। कई सदस्यों ने सवाल जरूर किए हैं, लेकिन सभी ने अपने सुझाव… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ बोल रहे थे? मंत्री जी, एक मिनट रुकिये। आप इनका क्लेरिफिकेशन दे दीजिए।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील : मैडम, आप महाराष्ट्र से आती हैं। आप धनगरों के बारे में भी बोलिये।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको इजाज़त नहीं दी है।

… (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही शुरुआत में यह कहा… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, एक मिनट रुकिये। आप मसूदी जी के सवाल का जवाब दीजिएगा।

… (व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, आपने मुझे इजाज़त दी, उसके लिए आपको शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष : यह जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी : सर, यह तो पूरे मुल्क के लिए है। मेरी यह गुजारिश है कि यह सही बात है कि हम इससे एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी जो कुछ कम्यूनिटीज़ हैं, वे तरक्की की दौड में पीछे रह गई हैं। यह उनको लेवल पर लाने का एक अफर्मेटिव एक्शन प्लान है, लेकिन वास्तव में कुछ होना चाहिए।… (व्यवधान) अब देखिए, मैं दो मिनट में जम्मू कश्मीर का हिसाब रख दूंगा। वहां पर हमारे देश की जो आबादी जाती है, जम्मू से श्रीनगर जाते हैं, उनके लिए हमने एजुकेशन सेन्टर्स बनाए हैं। वे सीजनल हैं और पिछले आठ-दस सालों से उनके जो टीचर्स हैं, उनको डिसएंगेज किया जाता है। वहां पर ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर रेन शेडो एरियाज़ हैं। वहां पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है।

जनाब, आज डिजिटल एजुकेशन का जमाना है। वहां पर रेन शेडो एरियाज़ हैं, जहां पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तकरीबन उन सभी एरियाज़ में यह कम्यूनिटी रहती है। इससे उनके बच्चों को डिजिटल एजुकेशन की एक्सेस नहीं रहती है। दूसरी बात यह है कि इसी साल 17 फीसदी कम बजट दिया गया है। जनाब, हेल्थ केयर के हवाले से, उज्ज्वला के हवाले से जो भी प्रधान मंत्री जी ने सराहनीय स्कीम्स बनाई हैं, उनकी शुरुआत की है। लेकिन उनको इन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा है और न ही उनको डिजिटल एजुकेशन की एक्सेस है। वास्तव में इस रियलिटी को देखकर उनके लिए एकदामात उठाने की जरूरत है। यह अपनी जगह है कि आपने किसको इनक्लूड किया, किसको नहीं किया है। लेकिन आप नोट कर लीजिए कि ये जो हमारे सीजनल एजुकेशन सेन्टर्स हैं, 10 साल से डिसएंगेज के लिए हमारा यह मुतालबा था कि जम्मू और कश्मीर में उनको स्कूल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि टीचर्स की ट्रेनिंग हो जाए। वहां पर ट्रेनिंग नहीं होती है।

डॉ. भारती प्रवीण पवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने जो चिन्ता जताई है, सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन आप पहले समझ लें कि जनजातीय मंत्रालय अलग होना और उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करना, सिर्फ बजट देना ही नहीं, बल्कि उसे अलग-अलग मंत्रालयों

से भी जोड़ना, उसके बाद प्रधानमंत्री जन-मन का कार्यक्रम आना, जो अति पिछड़े हैं, विशेष तौर पर वल्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उनके विकास के लिए यह सरकार काम कर रही है।

आज भी, जहाँ आन्ध्र प्रदेश के तीन समुदाय- बोंडो पोर्जा, खोंड पोर्जा और कोंडा सवारा को पीवीटीजीज को तथा ओडिशा की पौड़ी भूइयाँ, चुक्तिया भूइयाँ, बोंडा और मंकिडी समुदाय वंचित थे। इनकी तरफ वे कभी नहीं आए, उन्होंने कभी मांग भी नहीं की। वे ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, वे जंगल, जमीन से जुड़े हुए हैं और राष्ट्र भक्त की तरह वे अपना काम समर्पित भाव से कर रहे हैं। वे ऐसी पिछड़ी जनजातियाँ हैं कि उनको आज तक न्याय नहीं मिला।

यह आज का संशोधन है, जो उनको न्याय देने की दिशा में है। आज जरूर इस पर चर्चा करें, लेकिन आप उनके समर्थन में उनके साथ खड़े रहें ताकि जो 70 साल से वंचित थे, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। अगर आज यह बिल पारित होता है, तो उनके लिए घर, पानी की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि सभी दृष्टियों से उनको न्याय मिलेगा।

मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय अर्जुन मुंडा जी के दिशा-निर्देश में इस मंत्रालय की तरफ से पूरा न्याय मिलेगा।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 34.

प्रश्न यह है:

"कि आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, अनुसूचित जनजातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1,अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

डॉ. भारती प्रवीण पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 35.

प्रश्न यह है:

"कि ओडिशा राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 और

(अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची 1 विधेयक में जोड़ दी गई।

अनुसूची 2 विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

डॉ. भारती प्रवीण पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16.44 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE… Contd.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the White Paper on the Indian Economy (Hindi and English Versions).

[Placed in Library, See No. LT 11350A/17/24]

16.45 hrs

WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) AMENDMENT BILL, 2024

AS PASSED BY RAJYA SABHA

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ?

माननीय अध्यक्ष : हाँ, कह दीजिए, थोड़ा हल्का सा बोल लीजिए।

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, उससे न सिर्फ उद्योगों को गति मिलेगी, अपितु ये बदलाव पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होंगे। हमारे देश में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना, संचालन, आवश्यक अनुमतियाँ, उल्लंघन पर कार्रवाई आदि की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए इन बदलावों को किया जा रहा है। इसके साथ ही सामान्य गलतियों के लिए उद्यमियों को जो कारावास की सजा दी जाती है, उसको पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तावित संशोधन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यापार की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में से ही एक कड़ी है।

महोदय, वर्तमान में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत के प्रावधानों में धारा 41 से लेकर धारा 45ए तक, धारा 47 और धारा 48 में विभिन्न छोटी-छोटी चीजों में दंड का प्रावधान किया गया है और उनका वर्णन किया गया है। अब नये संशोधनों में धारा 25 और 26 के प्रावधानों के उल्लंघन, जुर्माना या अतिरिक्त जुर्माना देने की विफलता को छोड़कर सभी प्रावधानों से कारावास देने का जो प्रावधान था, उसको समाप्त किया जा रहा है। अब यह आज जो

जल प्रदूषण निवारण अधिनियम विधेयक है, इसके जो समान विधेयक जो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण विधेयक, 1981 है, उसके प्रावधानों को पहले ही जन विश्वास बिल, 2023 के अंतर्गत स्वीकृत इस सदन के द्वारा किया जा चुका है। चूँकि वर्तमान जो जल अधिनियम संशोधन विधेयक है, राज्यों के पास भी जल का विषय आता है और जल संशोधन विधेयक जो है, वह संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। इसलिए उस समय जन विश्वास विधेयक पर इस पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए इसको अभी दो राज्यों के द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद इस सदन के समक्ष रखा गया है।

मुख्यत: तीन प्रमुख विषय मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद माननीय सदस्यों के जो भी विचार, सुझाव, राय आएगी, उस पर भी मैं अंत में अपना स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। तीन प्रमुख विषय इस अधिनियम के अंतर्गत संबोधित किए गए हैं। पहला, राज्य के बोर्डों में जो प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति है, उसको सुव्यवस्थित करना। अभी तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है, उनकी योग्यता, उनके तरीके को एक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, एक समान बनाने के लिए इस संशोधन में धारा 4 के अंतर्गत संशोधन किया गया है। धारा 4 के अंतर्गत जो संशोधन/अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट से सभी राज्यों के बोर्डों के अध्यक्षों की निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और उनके लिए एक निश्चित अनिवार्य योग्यता, अनुभव और प्रक्रिया को भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

दूसरा जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस संशोधन के द्वारा किया गया है, वह पहले भी मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि ईज ऑफ लिविंग बिजनेस करना और जो अनावश्यक दंड के प्रावधान हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया है और इसलिए सैक्शन 25 और 26 को छोड़कर बाकी जितनी भी धाराएं, जो अदालतों में अभियोजन लगाकर के, प्रक्रिया चलाकर के जो एक तरीके से सजा देने के प्रावधान थे, उनको हटाने का प्रस्ताव किया गया है।

उस पर जो जुर्माना है, उसको लगाने के लिए एक एडजूडिकेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। जुर्माने की विफलता जैसे मामले में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। जो फाइन लगाया गया है, उसके

लिए एक पर्यावरण कोष बनाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि उस पर लगाया गया जुर्माना ठीक नहीं है, तो फिर उसमें अपील का अधिकार भी एनजीटी के माध्यम से करने का प्रस्ताव किया गया है। एक सेल्फ रेग्युलेशन सिस्टम को बनाने का प्रयास इस संशोधन के द्वारा किया गया है। तीसरा, इस समय जब हम किसी भी राज्य में उद्योग लगाने जाते हैं तो कंसेंट टू स्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है, हम जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों में उसके द्वारा तकलीफ दी जाती है और एक तरह का भ्रष्टाचार किया जाता है। लेकिन वर्तमान में इसके जो कंसेंट टू इस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है, उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार को, किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना के पहले पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता से कुछ श्रेणियों के उद्योगों को छूट देने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार होगा, जिससे राज्यों को, जो अपनी ग्रीन इंडस्ट्री लगाते हैं, उनको कई तरह की प्रशासनिक जकड़नों से बचाया जा सकेगा। इससे कई बार, केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद कुछ राज्यों में अलग से जो कंसेंट लेनी पड़ती है, वह जो दोहराव होता था, वह कम होगा और रेग्युलेटरी बॉडीज़ का बोझ भी कम होगा। दूसरा, केंद्र सरकार किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना और संचालन के लिए किसी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने पर इनकार करने या रद्द करने से संबंधित मामलों पर दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगी और इन सभी प्रक्रियाओं में एक समान सिस्टम सब जगहों पर लागू होगा। जो उद्योग ऑल इंडिया लैवल पर चलते हैं, उनमें लंबे समय से उनके द्वारा जो मांग की जा रही थी कि एक राज्य में उनको अलग तकलीफ होती है, दूसरे राज्य में अलग तकलीफ होती है, उनके लिए एक समान रूप से मैकेनिज्म का काम करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए और देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने इस होने वाले संशोधनों के प्रावधानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं चाहूंगा कि सदस्य इस पर समर्थन दें और अपने विचार रखते समय अगर कोई स्पष्टीकरण होगा तो अंत में मैं उसको रखने का प्रयास करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए"।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, thank you, for giving me the opportunity to speak on the discussion on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

I stand here to raise my concerns regarding this Bill that amends one of the very core environment Acts of this country, which is the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. The intent of this Government to bring this Bill is very clear – decriminalise and let go of the violators that pollute the water resources of our country. This is a Bill against the children of our country. This is a Bill against the culture of India itself where we worship environment as God. This Bill is against the federal nature of this country itself.

Sir, it has not been long since this Government passed the Jan Vishwas Bill which contained similar provisions that decriminalised violations of the Act governing air pollution. We all know air pollution is a very big issue in Delhi. I doubt what the Government is proposing to do in the name of Ease of Doing Business. I vehemently stand today to warn the Union Government that the opportunity cost of passing this Bill is the access of our future generations to a pollution-free and disease-free life.

With the recent laws being introduced and passed by this Government, it is evident that the Government has no respect for the environment of this country. Therefore, I may take this moment to remind this Government of the Subhash

Kumar vs. State of Bihar case in 1991. The Supreme Court in this case had strongly ruled out that the right to pollution-free water and air is a fundamental right under Article 21. Subsequently, the right to a pollution-free environment was incorporated in the Constitution's Right to Life, and all the law courts within the Indian territory are bound to follow the same.

I am surprised that this Government has no regard for this verdict. I would like to state that the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024 is just another attempt to align the 1974 Water Act with the current anarchist policies of the Government and that is to disarm the State Governments, to bring everything under the Central Government's control and under the control of Delhi. Now, the new Bill is aimed at shifting the powers of the State Governments to the Central Government regarding the Constitution of the SPCBs.

Let me explain that these powers in terms of appointment of Chairman of SPCBs, terms and conditions of service of the SPCB Chairman, and appointment of Adjudicating Officers will now be vested with the Central Government. The major issue of this shift is that the elected State Governments will be losing their authority over critical decisions that impact the functionality of the Bill.

Further, the Bill has been amended in Section 27 of the principal Act to insert a provision that gives the Union Government the ultimate power to issue guidelines regarding matters relating to grants, refusal or cancellation of consent given by any State Board for the establishment of any industry, its operation or process or treatment and disposal system. It is also mentioned in the Bill that every State Government should act according to orders/guidelines issued by the

Central Government. This is a clear move to overpower the decisions of the State Governments.

The proposed Bill grants the Central Government the authority to exempt certain industry categories from the obligatory need to obtain consent for discharging industrial waste into water bodies. This highlights a concern that the current Government, for its own interests, might enable influential industries in polluting water bodies similar to the perceived empowerment of individuals like Adani Group who are accused of exploiting people and resources for personal gain.

Further, granting certain industries exemptions by the Central Government to release industrial waste into water bodies raises growing environmental concerns. With minimal oversight and these exemptions, the unrestricted discharge of industrial waste poses a significant risk of water contamination in lakes, rivers, and groundwater. This could eventually render the water unsafe for the surrounding communities and pose threats to any nearby forest cover or the wildlife dependent on these water bodies.

One of the major concerns the Bill poses is the omission of imprisonment for repeated offenders under Sections 24, 25 or 27, which previously ranged from two to seven years of imprisonment. This removal raises concerns about the effectiveness of State-level deterrence against industrial pollution and provides big leeway for repeated offenders. In the earlier draft of the Act, imprisonment of repeated offenders served as stringent consequence for violating environmental laws, compelling industries to take compliance seriously. With the absence of

such stringent punishment currently, there is a risk of diminished accountability allowing offenders to potentially evade significantly by merely paying substantial fines.

I am surprised that the Government has decriminalized serious offenses such as failure to comply with such orders issued by a State Board or courts on emergency measures in case of pollution of a stream or a well. Also, offenses such as failure to intimate the occurrence of any accident or other unforeseen events and damages caused to any work or property belonging to the Pollution Control Boards, etc., which are grave in nature have been replaced with penalties. It means that those who have money can get away with the consequences. In the name of building a spirit of ease of living and ease of doing business, the Government is surrendering the shield against environmental pollution.

The Statement of Objects and Reasons of the Bill states that: "… the cornerstone of democratic governance lies in the Government trusting its own people and institutions…". But decriminalization of serious offenses in this Bill suggests otherwise that this Government is entrusting the country's environment with their business friends. We all know how strong Modi ji's friendship exists with the crony capitalists.

17.00 hrs

The current Government often highlights the 'Namami Gange' initiative as one of its initial commitments, with Prime Minister Modi expressing a personal duty to serve *Maa Ganga* by aiming to clean the sacred river. Unfortunately, it

appears that these efforts have fallen short, and the condition of the Ganga remains a cause for concern. Despite promises, Ganga stands as one of the world's most polluted rivers, with approximately 80 per cent of pollutants originating from untreated industrial and household effluents.

According to the Central Pollution Control Board (CPCB), a mere 37 out of 222 monitoring sites along the Ganga give water suitable for bathing. This is how their deceptive promises made to the citizens of India work? It is noteworthy that, despite consistent expressions of concern by the Supreme Court, the Delhi High Court, and the principal bench of the National Green Tribunal (NGT) regarding environmental issues in the National Capital Region, including the state of the Yamuna river, air pollution, and waste management, only one conviction under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, took place in 2017. The limited number of convictions suggests that the fear of criminal prosecution is not serving as a sufficient deterrent.

Given the highlighted concerns in the draft Bill, it appears that the intended purpose of the amendment may not be fulfilled. But the need of the hour is to evaluate the existing structure and institutional capabilities of SPCBs rather than diluting the battle against pollution itself. Also, the Government should note that merely increasing the Centre's powers with the SPCBs is not the right path, and will not render effective without addressing the basic problem. Without enhancing their institutional capacity and competence to exercise these powers, no amendments in the Bill will prove effective.

Therefore, I end my speech by suggesting this Government to focus on addressing the shortcomings in existing regulatory institutions, instead of constantly coming up with new hollow laws that derail the entire governance structure.

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जल प्रदूषण के संबंध में यह विधेयक लाया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वायु का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है। हमने देखा है कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से वायु प्रदूषण कम हुआ है और स्वच्छता अभियान से एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर हुई है। इसके कारण एयर इंडेक्स क्वॉलिटी में इंदौर नंबर वन है।

<u>17.03 hrs</u> **(**Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

जिस प्रकार माननीय प्रधान मंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर काम किया है, उससे पूरे देश में एयर पोल्यूशन कम होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है और हमारी एयर इंडेक्स क्वॉलिटी भी बेहतर होती जा रही है। हम देखें कि रेलवे में जिस प्रकार से कोयले का इंजन बंद हुआ है और रेलवे का 100 पर्सेंट इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने जा रहा है, उससे पोल्यूशन कम हुआ है। अब तो रेलवे सोलर एनर्जी पर आ रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अयोध्या से आने के बाद प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना लागू की, जिससे देश में सोलर एनर्जी में नई क्रांति आई है। हमारे इंदौर में भी इस अभियान में तेजी आई है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री भूपेन्द्र यादव जी लाये हैं, यह उसी क्रम में है जिसमें माननीय मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कई कानून समाप्त किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उद्योगों की परेशानी किस प्रकार से कम हो, यह सरकार मूल मंत्र है। माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया कि सामान्य गलती पर, पर्यावरण और मानव को नुकसान नहीं हो ऐसी गलती पर भी उद्योगपतियों को पहले जेल भेजा जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था और इंडस्ट्री बंद की जाती थी। इस विधेयक में दंड का प्रावधान लाया गया है, जो कि उद्योगों के लिए बहुत ही हितकारी है। उद्योग हमेशा यही चाहते थे कि इस प्रकार का प्रावधान लाया जाए। अगर दंड प्रावधान के बाद भी उद्योगों को असहमति है, तो अपील के लिए एनजीटी में वे जा सकते हैं।

केंद्र सरकार इंडस्ट्री की कुछ श्रेणियों को धारा 25 में छूट भी दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में राज्यों को एडवाइजरी भी जारी करेगी। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्य के

पोल्यूशन बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति की भी गाइडलाइन यहां से जारी होगी और राज्य के पोल्यूशन बोर्ड किस प्रकार से चलें, इसकी गाइडलाइन भी यहां से जारी की जाएगी।

इसमें एक बात और अच्छी की गई है कि जो दंड आएगा, वह दंड पर्यावरण संरक्षण के उपयोग में ही लाया जाएगा। इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

Sir, though this Bill has been brought in consonance with air pollution, when you read between the lines, the clauses of the Bill suggest that it really is a draconian law. I know that the Bill will be applicable in the States of Himachal Pradesh, Rajasthan and the Union Territories, but I know for sure that this Bill is going to be amended or expanded to other States in India.

I will go into it clause-by-clause. The first issue is about the consent for exemptions for industries. The Bill specifies that the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, may exempt certain categories of industrial plants from obtaining such consent. In any State, whenever they have to start an industry, they will approach the State Pollution Control Board. The State Pollution Control Board will look into the possibilities and feasibilities and the water pollution measures; then only they will give the consent. Now, they say that the Central Pollution Control Board simply can issue an order. If at all the Government of India proposes to issue a pollution certificate to an industry which is set up in a State, and if that plant causes any pollution discomforts or water pollution, who is answerable? The State is answerable. The public will walk into the premises of the State Government or the State authorities or the Panchayat and they will be questioned. But the Central Government will keep quiet and they will not interfere into these kinds of things. So, this is a draconian law that says that the Central Government can issue any kind of a

consent to any industry without the consent of the State Pollution Control Board. This is a very bad thing in this Bill.

Secondly, the Bill also adds that the Central Government may issue guidelines for the grant, refusal or cancellation of the consent granted by the State Pollution Control Board. If at all a State Pollution Control Board has already given a consent to an industry, that consent can also be cancelled by the Central Pollution Control Board. What is this? Where are we going? Now, the Central Government is acting to crush the State's autonomy. Any pollution control consent given by the State Pollution Control Board, after taking into account all the rules and regulations can be cancelled by the Central Pollution Control Board. So, this is a draconian law.

Thirdly, I come to the issue of Chairman of the State Board. The State Pollution Control Board is an autonomous body. Now, the Central Pollution Control Board will come to the State and say, `this is how you have to appoint a Chairman of the Board'. What is this? So, the Governor will come, he will choose who is going to be a Vice Chancellor or a Chancellor of a University. Then the next person from the Central Government will come and he will say, `this is how you have to work'. Now, even for the State Pollution Control Board's Chairman, the Central Government is going to tell, this is how you have to appoint the Chairman of the State Pollution Control Board. So, this is a draconian law. You are taking away all the rights of the States.

Another point is that the State Pollution Control Board will issue directions to immediately restrain any activity which is leading to discharge of polluting

material in the water bodies. Whenever there is a mishap in a State, the State Pollution Control Board impose a fine or penalty or even imprisonment depending upon the crime situation or depending on the incident happening. Because of this Act, the Central Pollution Control Board will walk into the State and say, `no hereafter you will not impose any kind of an imprisonment.'

All you can do is only impose a fine of Rs.10,000 to Rs.15 lakh. So, they are now taking away the punishment category also. Regarding the penalty for offences, under the Act, an offence for which the punishment is not explicitly specified is punishable with an imprisonment up to three months or a fine up to Rs.10,000 or both. Whenever something happens in the State, that is against the State Pollution Control Board, they will impose a fine of Rs.10,000 or both or whatever it is. Again, the Central Pollution Control Board is walking into the shoes of the State Pollution Control Board and they are saying that no, we will only prescribe what is going to be in the provisions. You cannot arrest anyone even if there is a great calamity or whatever else has happened.

This Bill allows the Central Government to appoint adjudicating officers to determine the penalty. They are going to appoint adjudicating officers to examine what has happened. The officers must be of the level of a Joint Secretary to the Central Government or the Secretary to the State Government. What is the role of the State Government in appointment of the adjudicating officers? The Union Government's big brother attitude is unwarranted. They have stepped in again saying who is going to be the adjudicating officer. Now, tell me, I am asking this august House. A State is autonomous which is taking care of its own business.

But the Centre is walking into each and every parameter, each and every instance of a State. They are infringing upon its autonomy. Regarding the entire constitution which is happening, we are demoralised.

Now, I come to cognisance of offences which is a very interesting part of the Act. Whenever any fault or malpractice occurs in the State Pollution Control Board, earlier the officers who were all connected with the crime used to be punished. Now, under the new amendment Bill, the Central Pollution Control Board is telling the State that if at all there is a crime or if at all there is a fault in the Pollution Control Board in granting licences or whatever it is, the action will be taken only on the Chairman of the Board where he will be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary. So, there is no punishment. Even 10 officers may have jointly done the crime. Still the punishment is going to be the basic salary.

Running a State is difficult. In each and every State, they are going here and there to bring in investments, bring in funds and other things. But the Centre is infringing upon all the things. They introduced GST and took away all our money. They introduced NEET and took away all our autonomy in giving medical seats. Take for example Dam Safety Bill, National Education Policy, Citizenship Amendment Bill, three farm Bills, Multi-State Co-operative Societies Bill, Criminal Procedure identification Bill, Electricity Amendment Bill, Delhi Municipality Bill, Indian System of Medicine Bill, National Medical Commission Bill, Airports Authority Bill, Major Port Authorities Bill and Motor Vehicle Bill. They are taking away all the rights of the State.

Our Chief Minister of Tamil Nadu is travelling here and there to invite investors to the State. I am talking generally for other States also. Chief Minister of each and ever State, the State Cabinet run here and there to invite people to come and invest, to start industries in their State. But if this kind of a big brother attitude is there where they say you can do this, you cannot do this, then how will the investors walk into the States without the States' autonomy? It is not possible. Therefore, I would request the Minister to recall this Bill and make amendments in such a way that the State's authority is not questioned.

In Tamil they used to say; my Chief Minister always says:

*"The State Governments only do all the welfare measures for the people. People expect only the State Governments for their day-to-day needs. The Central Government is putting spokes." *

If this kind of a big brother attitude is going to continue, then you will lose all the States. Today, you may be a big brother. You are very powerful. But tomorrow, you may need to sit this side while we will sit there. You will again face the same thing.

I will finally conclude with four lines in Tamil. … (*Interruptions*)

*Do not think those who cheat will always have good time. Do not forget how many days lies will support you. One day the situation will change. Election will bring that change.

Thank you. *Vanakkam.* *

..... English translation of this part of the speech originally delivered in Tamil.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill, out of turn on my request.

Sir, I strongly and vehemently oppose this Bill. This is a draconian legislation as far as environmental protection is concerned. So, I fully support my learned brother who has just now spoken about it. This Bill is being introduced, and also being taken for discussion, in a very light manner. I have gone through the debates of the Rajya Sabha also. Unfortunately, it is missing. I would like to know from the hon. Minister what is the intent of the Bill. In the name of ease of doing business and in the name of ease of living, you are taking away the entire federal principles of the country, the Constitution. Also, environmental protection laws and ecological protection laws are being violated. That is the reason why I strongly oppose this Bill. This is a very simple way in which it is being introduced but its impact and consequences will be very high. The ramifications will also be very high.

Hon. Chairperson, Sir, if you go through the history to know why this law was enacted, it is very clear that on the basis of the United Nations Conference on the Human Environment held in the year June 1972, three Acts were enacted -- Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, Environment (Protection) Act, 1986. Those were the landmark legislations the Parliament had passed subsequent to the Independence and subsequent to this international conference. Also, this Bill is coming to the House on the basis of the resolutions passed by two Legislative

Assemblies -- Rajasthan Legislative Assembly and Himachal Pradesh Legislative Assembly. They have passed resolutions. I would like to know from the hon. Minister when these resolutions were passed. Normally, this comes in the Statement of Objects and Reasons. When were the resolutions passed by the Himachal Pradesh and Rajasthan State Assemblies? Politically, I would like to know about it. It is not there in the file. It is not there in the record. It is not there in the Statement of Objects and Reasons. They are also relinquishing their rights and powers to have their control over prevention and control of water pollution.

Hon. Chairperson, Sir, I am opposing this Bill on two counts. The first one is that the principles of federalism are violated, and second one is that the environmental protection laws are being violated. Now, the whole world is sensitive to ecological and environmental protection. Strong demand is coming from the public to have stringent environmental laws so as to protect the nature as well as to meet the requirements in future. All the hon. Ministers were very vocal in supporting the protection of environment and ecology. I had attended the UNFCCC Conference also. After that also, we had a discussion under Rule 193 in which you appeared to be a very strong advocate for environmental protection. But we have never expected such a law from the hon. Minister like Shri Bhupender Yadav ji.

Hon. Chairperson, Sir, global warming and climate change are the hot topics for discussion in international forums. In the United Nations Framework Convention on Climate Change conference, all the nations including India took pledge to mitigate carbon emission. We have decided to reach zero carbon

emission stage by 2070 and we are planning our programmes to achieve that target. Even the hon. Prime Minister has made a very specific statement in the UNFCCC where we are committed to have zero carbon emission by 2070 and the programes are being planned.

Carbon emission can be abated by mitigating the pollution, both water pollution and air pollution. Both water pollution and air pollution are having their own impacts on the carbon emission. There is no doubt about it. But it is surprising to note that the Government is coming up with a legislation to dilute the law relating to the prevention and control of water pollution just to satisfy the interest of the industry in the name of ease of doing business.

See, if you go through the entire legislations particularly during the time of NDA Government of the last ten years, almost all the legislations are in the name of Ease of Doing Business. The Environment Protection Act, 1986, Forest Conservation Act, Wildlife Protection Act and the Water Act have already said that these are all the landmark legislations of Independent India. We are able to protect the existing forest coverage only because of the stringent provisions of the Forest Conservation Act. Similarly, we have the Environment Protection Act and the Wildlife Protection Act.

Suppose you think that there was no Forest Conservation Act, if there was no Environment Protection Act, what would be status of the Indian forests now? In the Wildlife Protection Act, stringent and strict provisions are there. That is the only reason by which the forest coverage area is protected to an extent and also

Wildlife Protection Act is still there. Otherwise, the situation would have been different.

But here in this Bill, you are decriminalising the offences coming under the Water Act. The dilution of these Acts are being done in the name of Ease of Doing Business and Ease of Living. If you critically examine the ten years of BJP Government in office, the Ease of Doing Business is done at the cost of environment and at the cost of the labour. It is quite incidental that both Ministries are being held by the hon. Minister. All these Ease of Doing Businesses are at the cost of the labour and at the cost of the environmental laws. Here also, the same thing is happening. So, I would like to know from the hon. Minister whether you are interested in protecting the labour or capital over the environment or the business community or the industry. Why is this legislation coming? Only one answer is to safeguard the industry, that means it is for Ease of Doing Business.

Sir, now I come to the provisions. By virtue of various provisions in the Amendment Bill, all penal provisions have been freed from imprisonment and will be replaced by penalty except Sections 25 and 26. That means they are totally decriminalising the penal provisions of the existing bill. What is the need of imprisonment? You are well aware as a learned lawyer because it is a deterrent punishment. Imprisonment is a strong and stringent punishment so that the persons will be deterred from doing a crime against the ecology, environment and against humanity. That is the reason for which imprisonment is taken away except in the case of Sections 25 and 26. It reads:

"The Central Government shall be empowered to exempt certain categories of industries from the requirement of prior consent before establishment of an industrial unit."

It is an absolute discretion with the Central Government. That is why, my learned friend is just saying that the decriminalisation or requirement of getting prior permission before starting an industry, permission has to be obtained from the State Pollution Control Board. That is not required. The Central Government is empowered to exempt the requirement of getting prior permission so as to start an industry in my district Kollam. What does it mean, Sir? This is a centralisation of power.

Sir, you also belong to my district. In my district, if an industry has to be started and if that industry is exempted from getting the prior permission from the concerned authority, then that can be decided from Delhi. What does that mean? What is the intent of the Bill? Let the hon. Minister explain. Whom are you protecting? Which industry do you have to protect? That is why, I am using the saying that it is draconian. The grant, refusal or cancellation of consent by any State Board to establish and operate any industrial unit, Central Government is authorised to issue the guidelines. That is also there which I have already explained.

An order of adjudicating officer is there. Adjudicating officers are appointed by the Central Government. Adjudicating officer is a rank which is just below the rank of a Joint Secretary. Such an officer is being appointed by the Central Government and there is no limit for the number of adjudicating officers. The Bill is

also very vague. It can be interpreted in any way. How many adjudicating officers will be there? Kindly see this. An appeal from the adjudicating officer will lie to the National Green Tribunal. If a common person approaches the National Green Tribunal, how much cost does he have to incur? These are all the issues. The water borne diseases in India is increasing day by day.

Sir, not less than four crore Indians are suffering from these diseases, leading to nearly four lakh fatalities every year. Water pollution is the main reason for this. This is the right time to protect the environment. We have to make the environment related laws more strict and stringent so as to protect the environment, ecology and also the pure water. Right to save water is a fundamental right. The Right to Life is envisaged in Article 21 of the Constitution. When the time has come for having a stringent legislation for protection of environment and prevention of water pollution, this Government and this Parliament are passing a law only just to dilute the water pollution law and decriminalise it. The industries are being pleased by this step.

Therefore, I strongly oppose this Bill. I urge upon the Government and the Minister to kindly send this Bill to the Parliamentary Standing Committee to have a close scrutiny of the Bill. With these words, I conclude my speech. Thank you.

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, I convey my thanks to my leader Shri P.V. Midhun Reddy for giving me this opportunity to speak on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024. I support this Bill. It is a very important Bill because all the people, farmers and animals are facing the problem of water contamination.

Many hon. Members have raised many issues. I would like to give some suggestions. First and foremost, we must establish a strict enforcement mechanism to hold industries accountable for their actions. It is essential to implement stringent penalties for those found violating environmental standards including fines, suspension of operations and even criminal charges for repeated offenders.

Furthermore, we must empower our regulatory bodies with necessary resources, authority of monitoring, enforcement and compliance of laws effectively. Promoting pollution prevention technologies is a paramount need in our efforts to minimise the discharge of pollution into water bodies. By encouraging industries to adopt environment-friendly practices and technologies, we can significantly reduce the impact of pollution on our water resources. This could be achieved through incentives such as tax breaks and subsidies for companies investing in sustainable practices.

Sir, we must prioritise the protection of our citizens from contaminated water. Utilising penalties collected under this Bill to fund initiatives aimed at de-polluting water bodies and addressing water-borne diseases is essential.

Allocating money to the Environmental Protection Fund for this purpose will ensure that resources are allocated effectively to tackle this critical issue.

Integration of existing programmes relating to environment is crucial for maximising our impact and leveraging available resources. By aligning with initiatives like National Clean Air Programme (NCAP), we can effectively coordinate our efforts and ensure a unified approach towards environmental protection. Collaboration between different Government Departments, agencies and stakeholders is key to the success of our endeavours.

Lastly, establishing robust monitoring and reporting requirements is essential for tracking progress and promoting transparency. Mandating regular monitoring and reporting of water quality parameters will enable us to measure the effectiveness of our pollution-reducing efforts. Furthermore, establishing mechanism for public access to water quality data and information will foster accountability and trust among the public. Thank you, Sir.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, on behalf of my party All India Trinamool Congress, I strongly oppose this draconian Bill, the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

Sir, the country has seen the quality of its water bodies drastically decline due to unfettered urbanisation, industrialisation and resulting discharge of waste and toxic pollutants over the past decades. Many articles and research papers have been published over many years showing innumerable water bodies across India becoming toxic and simply poisonous. The rivers like Ganga, Yamuna, Godavari, Ghaggar, and Gomti are the most polluted rivers in India. Under the Ganga Rejuvenation Programme, despite spending over Rs. 32,000 crore since 2014, the latest revelation by the Jal Shakti Ministry holds that 71 per cent of the monitoring stations in Ganga have reported very high levels of fecal coliform earlier this year. The National Green Tribunal found that untreated waste water or sewage continues to be discharged in the holy river Ganga unabatedly.

Back in 2018, the Composite Water Management Index released by the then Minister for Water Resources Mr. Nitin Gadkari ji had stated: "India is suffering from "the worst water crisis" in its history with about 60 crore people facing high to extreme water stress, about two lakh people dying every year due to inadequate access to safe water, and the situation has only going to get worse over the years."

Sir, in 1988, some amendments were made to bring in stringent penalties like an increase in fines and imprisonment under Section 41 of the Water Act. But the amendments were proposed to reduce the burden of compliance,

decriminalise environment violations by removing imprisonment as a penalty or punishment, the rationale being “to weed out the fear of imprisonment” for simple infractions.

So, my question to the hon. Minister is this. What constitutes a simple infraction? The Bill says, ‘simple infringement is when injury to human is not caused’. But, how do you determine injury and over what period of time? There have been cases of children being born with disabilities due to their proximity to polluted water bodies as well as increasing cases of cancer which manifest after months and years of a water body being polluted. This is a question of national public health, and the lives of Indians are at risk. So, please help me to understand hon. Minister, how do you determine a simple infraction and over what period of time when it comes to polluting such a valuable resource as water without which life itself is impossible.

My second question to the hon. Minister is this. Will the proposed increase in fine increase the cost of non-compliance over the cost of compliance? The upper limit for the penalty specified in the amendments is not enough to deter polluters with enormous resources from polluting. My request to the hon. Minister is that it should be not less than Rs. 10 lakh which may extend upto Rs. 50 lakh. It is also not clear how the penalties will be calculated as the revisions have not established any formula or guidance. While higher penalties are definitely required, penalties alone will not be sufficient. These amendments, if passed, will bring about a situation where polluters will continue to pollute and simply pay the fines instead of investing in proper waste management and waste treatment

facilities. That is why, it is important that imprisonment must be there, at least in extreme cases where damages done to any water body are irreversible and there are clear cases of people in the surrounding areas developing serious illness due to consumption of water from that waterbody.

Sir, the amendment also proposes to create a water pollution remediation fund from the penalties collected from the violators, while a part of the fund can be used for the purpose of providing compensation to the affected parties.

Sir, how do you determine affected parties in case irreversible damage is done to a water body rendering it unfit for consumption? … (*Interruptions*) Once it is polluted and the damage is irreversible, the toxic substances filter into the ground water as well as the soil, penetrating the whole connected ecosystem. So, affected parties cannot just be the people who suffered the consequences immediately but also the future generations who will be impacted in the decades to follow. Therefore, we need laws and amendments that will oblige companies to mandatorily treat their waste, and if they do not do so, they shall not only pay fines but also go to prison in extreme cases.

Sir, when it comes to funds from penalties collected, they shall be dedicated not only to compensate all the affected parties adequately but also towards building new infrastructure and technology that can restore the quality of water in our lakes, rivers as well as the ground water.

Sir, I would like to conclude by reminding this Government that uncontrolled growth is never a good thing. For example, in human body, uncontrolled growth is synonymous of cancer. In the same way, the pursuit of unchecked

industrialisation and economic growth, no matter whatever price we pay, is cancerous for the future of our country. The present Government is concerned only with short-term gains and passing amendments like this. It will only make it easier for industries to pollute our precious water bodies, endanger more and more species of flora and fauna and risk the health of crores of Indians. We are sitting on a public health time bomb, and the current Government is leading us into a very dark and worrisome future by multiplying and adding to the already existing problems instead of solving them.

Our fellow Members from the Opposition mentioned about the power to issue guidelines. I can only say that the intention of the Government is only to centralize power by snatching the power from the State Government which is not a good sign for democracy. So, Sir, I once again must say that we the Members of Trinamool Congress strongly oppose this draconian Bill.

Thank you.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 के समर्थन में मैं मेरी पार्टी शिव सेना की तरफ से खड़ा हूं।

अध्यक्ष जी, आज भू-जल, नदियां, कुएं और समुद्र तक का जल प्रदूषण देखा जाए तो यह एक गम्भीर समस्या है। यह समस्या केवल एक राज्य की नहीं है। यह समस्या पूरे देश की है।

महोदय, भारत में भयानक रूप से फैला हुआ जल प्रदूषण एक कठिन चुनौती है। देश में 1,95,813 बस्तियों और गांवों में पानी की गुणवत्ता खराब है। यह एक बड़ी आबादी के लिए गम्भीर चुनौती पैदा कर रहा है। लेटेस्ट अध्ययन के अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण वर्ष 2019 में 2.3 मिलियन से अधिक लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। आज नगरों और महानगरों का चहुमुखी विकास हो रहा है। कोई भी आवासीय परियोजना या औद्योगिक परियोजना सीवरेज उपचार संयत्र के बिना पूरी नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद नदियों और जलाश्यों में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि देश में लगभग 70 प्रतिशत सीवरेज उपचार संयत्र, एसटीपी, निष्क्रिय हैं।

सभापति महोदय, केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सीवरेज उपचार संयत्रों का निरीक्षण नहीं किया जाता है।

कई बार कई महानगर इसके ऊपर रोकथाम लगाते हैं और नियंत्रण करते हैं, लेकिन ऐसी कई संस्थाएं हैं, जो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। इनमें हाउसिंग सोसायटीज़, उद्योग, होटल्स, सरकारी कॉलोनीज़ हैं। ये कई सारी ऐसी बड़ी बस्तियां होती हैं, जिनमें ज्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान कार्यरत नहीं होता है।

सभापति महोदय, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना एक महंगा काम है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की लागत कहीं ज्यादा होने के कारण इसमें बिजली की आपूर्ति, जनरेटर का स्थापन तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करने का प्रावधान होता है। लेकिन कई सोसायटीज़ यह काम नहीं करती हैं। इसके रखरखाव के लिए भी ज्यादा लागत लगती है। भारत में 1100 से अधिक एसटीपीज़ चालू हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सीवेज उपचार की अपनी क्षमता को पूरा नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के लिए 1920 स्थानों पर 603 नदियों के जल गुणवत्ता के डेटा के विश्लेषण के आधार पर सीपीसीबी ने वर्ष 2022 में जैविक प्रदूषण के संकेत, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर देश के 30 राज्यों में, केन्द्र शासित प्रदेशों में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की थी। पहचान किए गए खंडों पर जल प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। आशा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण के कई कारण हैं जैसे खेतों में पानी छोड़ना, छोटे और नियंत्रित उद्योगों से आने वाले पानी को सीधे नदी या नाले में छोड़ना। आज के समय में यह हालत गंभीर है। देश में ऐसा कोई भी जलस्रोत नहीं है, जो प्रदूषित नहीं है और हकीकत यह है कि देश में 80 प्रतिशत से ज्यादा जल स्रोत बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। इसमें भी वे जल स्रोत ज्यादा प्रदूषित हैं, जिनके आस-पास बड़ी संख्या में आबादी है। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पानी की क्वालिटी में गिरावट है, जिसके पीने से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देश में, खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के स्तर का एक बड़ा कारण जल प्रदूषण है। दूषित पानी की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। भारत में 80 प्रतिशत से अधिक मरीज पेट के विकार से पीड़ित है, जिसकी वजह प्रदूषित जल है। देश में हर साल साफ पानी न मिलने की वजह से दो लाख लोगों की मौत हो जाती है।

सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, 'हर घर जल।' 'हर घर जल', जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में पानी देने की एक सुविधा है। अगर जल शुद्ध नहीं होगा तो हर घर जल कैसे पहुंचेगा। यह बड़ी कठिनाई है। केवल जल प्रदूषण ही नहीं, बल्कि जैसे ज्यादा बारिश होने से तालाबों में, बड़े नालों में मिट्टी जाती है, उससे भी प्रदूषण बढ़ जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर देश के लोगों की हेल्थ सुधारनी है तो शुद्ध पानी देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बिल रखते हुए कहा था कि प्रदूषण बोर्ड की नियुक्ति ज्यादातर हर राज्यों में होती है। ये राजनीतिक तौर पर उसकी नियुक्ति करते हैं। जो इसके जानकार

हैं, इसमें उनकी नियुक्ति होना आवश्यक है। इन मामलों पर तत्काल कार्रवाई होने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में जितनी नदियां हैं, वे पूरी तरह खराब हो गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र का केमिकल का पानी नदियों में जाता है। संत ज्ञानेश्वर की आलंदी, जगत गुरु संत तुकाराम महाराष्ट्र का देहू के क्षेत्र पूरी तरह से दूषित हो गए हैं। अगर इन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन) विधेयक, 2024 पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने हेतु इसे वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम कुछ औद्योगिक गतिविधियों के व्यक्तियों द्वारा पानी की खपत पर उपकर लगाने के लिए 1977 में अधिनियमित किया गया था। यह उपकर जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत जल प्रदूषण के नियंत्रण और हस्तक्षेप के लिए गठित केन्द्रीय बोर्ड के संसाधनों और राज्य सरकार के विकास की दृष्टि से एक जगह किया गया था।

महोदय, 03 दिसम्बर, 2019 को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मेरे लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकिनगर के चम्पापुर गांव से ही 'जल जीवन हरियाली योजना' की शुरुआत की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी द्वारा तालाब और नदी का निरीक्षण किया गया था। यह भी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण में बहुत कारगर साबित हुआ। जल बचाना, जल को प्रदूषण से मुक्त करना, जल का नियंत्रण और बटवारा, हर देशवासियों का लक्ष्य होना चाहिए। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण तथा न्यूनीकरण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना भी है। यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन का काम करता है तथा मंत्रालय को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाए भी प्रदान करता है।

महोदय जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन बिल, 2024 को 5 फ़रवरी 2024 को राज्य सभा में पेश किया गया। बिल कई उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाता है और इसके बदले जुर्माना लगाता है | यह शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केन्दे शासित प्रदेशों में लागू होगा। अन्य राज्य अपने यहां इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि उद्योग स्थापित करने के लिए सहमति छूट, राज्य बोर्ड के अध्यक्ष - एक्ट के तहत एसपीसीबी के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। बिल में कहा गया है कि केंद्र सरकार अध्यक्ष के

नामांकन के तरीके और सेवा के शर्तो को निर्धारित करेगी। प्रदूषित पदार्थ का बहना एक्ट के तहत एसपीसीबी ऐसी किसी भी गतिविधि को तुरंत रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है जिससे जलाशयों में हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थ बहता हो। अन्य अपराधों पर दंड एक्ट के तहत ऐसा अपराध जिसके लिए सजा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है। तीन महीने तक की कैद या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। दंड निर्धारित करने वाले अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव स्तर तक का होना चाहिए। अगर अपराधों का संज्ञान CPCB या SPCB ने कोई शिकायत की है या बोर्ड को नोटिस देकर किसी व्यक्ति ने शिकायत की है तो अदालत अपराध का संज्ञान ले सकती है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध - एक्ट के तहत सरकारी विभागों द्वारा किये गए अपराधों के लिए उस विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा, बशर्ते की वह साबित करे कि इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए सम्यक किया गया था।

माननीय उपरोक्त तथ्यों का महत्व, दूरगामी परिणाम और देश के भविष्य को देखते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जल से ही हरियाली है और हरियाली है तो जीवन है।

अतः मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, today I am standing here on behalf of my Party the Biju Janata Dal to speak on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

Sir, this amendment has come after 50 long years. I welcome it on behalf of my Party. But at the same time, I have a few suggestions to make here, through you, to the hon. Minister. मैं पहला स्पीकर जरूर हूं, लेकिन मेरी पार्टी में दूसरी स्पीकर भी मेरे बाद बोलेंगी, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा । I will just in brief point out some recommendations and suggestions. A recent RTI reply revealed that no penalties have been collected under the Water Act for two years from 2020 to 2022 in Kerala. This corelates with the National Crime Records Bureau's data which shows that no cases have been lodged under the Water Act over the past two years in the State. This is really surprising as this means that no violations of the Water Act have been reported over two years. This raises concern about the state of enforcement and monitoring of the Pollution Control Boards in the country.

The Environment Relief Fund under the Public Liability Insurance Act, 1991 has a corpus of Rs. 810 crore lying unutilised. Similarly, Rs. 410 crore collected as Goa Iron Ore Permanent Fund is also untouched. It is surprising. It is clear that what is needed is not new funds but a mechanism to ensure proper utilisation of the collected funds. Hence, as per the amendments, crediting of penalties to EPF is a step in the right direction. However, efforts must be made to ensure funds are efficiently utilised. A three-tier model can be used to access the penalty amount which considers the history of violation, unlawful gains from the act of pollution,

and pollution clean up cost for calculating the penalty. Thus, the proposed penalty has components of environmental compensation and punitive deterrents in addition to statutory penalties which are prescribed by the law. What I have understood 'by the law' is that certain mistakes, certain wrongs are done knowingly and certain unknowingly. Perhaps, the hon. Minister wants to convey to us, or through this amendment wants to bring a change that any person who is unknowingly doing any mistake which is not harmful to the humanity or to the environment may be penalised by an amount but not be imprisoned as it used to be till today. But I have a concern from my side. हम लोगों ने एक बहुत अच्छी कहावत बचपन में सुनी थी और पढ़ी भी थी । ऑनरेबल मिनिस्टर को तो ज्यादा पता होगा । Justice delayed is justice denied. जो पैनल्टी लगाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी से नीचे न हो । सर, वह फैसला करेंगे कि कौन सा जुर्म कितना पीनलाइज किया जाएगा? अगर उनसे कोई अग्रीव्ड है, जिनको पीनलाइज किया गया है, तो वह एनजीटी को एप्रोच करे । But at the same time, if you believe in 'justice delayed is justice denied', केसेस पेंडिंग न रहे, लेकिन यहां पर कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है । ऐसे केसेस में, जिसमें किसी निर्दोष को दोषी ठहराया जाता है या दंडित किया जाता है और वह यदि एनजीटी में जाता है तो किस टाइम फ्रेम के अंदर न्याय पाएगा? Kindly look into this matter also. There has to be a timeframe to this.

While reconsidering that penalties are important, another point is that penalties must not become an excuse to pollute. It is not like that these amendments advocate a pay-and-pollute principle. That has effectively become pay-and-pollute principle and that is why it is important that imprisonment must be a possibility at least for extreme and very, very extreme crimes or mistakes.

Sharing of data and coordination between bodies responsible for addressing ground water pollution, such as State Government departments, Pollution Control Boards and agencies, such as CGWA must be encouraged.

While finishing my speech, Sir, I would just like to point out one or two things. While we are talking on prevention of pollution or checking pollution of water and environment, we must also talk about saving water. इन 75 वर्षों में, हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने अमृत सरोवर की घोषणा की थी । If I am not wrong, as I got to know from the speech of hon. Minister in the other House, the Rajya Sabha, that he is very happy that the target has been achieved by the Government of India.

I would like to know what is the target for it. It will be very good if the hon. Minister gives a clarification and data on this issue.

We humans, ऐसे कितने भी लॉज़ बन जाएं, ऐसे कितने भी अमेंडमेंट्स क्यों न आ जाएं, unless and until we are aware and we are committed to ourselves कि हमारा भी कर्त्तव्य बनता है कि हम लोग भी इसमें चेक करें कि कैसे पल्यूशन को कम किया जाए और कैसे हम पिनलाइज न हो, हमसे कोई गलती न हो । इस पर भी हम लोग सोचें, क्योंकि we all are public representatives and elected representatives. So, on behalf of all of us, I would like to convey an overall message to the nation that we also must support the Government in such an Act, and if such amendments are coming, which are for the betterment of the society and the environment, then we also must make a collective effort from our end by checking pollution and checking crime. Thank you so much. Jai Hind! Vande Matram!

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : माननीय सभापति महोदय, आज जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण (संशोधन) बिल, 2024 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं।

जैसा कि विदित है कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन बिल, 2024; 5 फरवरी, 2024 को राज्य सभा में पेश किया गया था और यह 6 फरवरी, 2024 को पास पास हुआ था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और राज्य संघ क्षेत्रों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए पहले से बने हुए कानून को और सशक्त बनाकर पूरे देश में बढ़ रहे जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है। यदि कोई व्यक्ति जल प्रदूषण करता है, तो पहले डेढ़ वर्ष की जेल और फाइन दोनों सजा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में इस बिल का मकसद जेल की सजा को हटाकर उसके स्थान पर आर्थिक दण्ड के रूप में 10 हजार रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक करने का प्रावधान है।

महोदय, मेरा मानना है कि जल प्रदूषण दो प्रकार से होता है। एक तो मानवीय और दूसरा प्राकृतिक रूप से। मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती है, जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, पिछड़े जनपदों- श्रावस्ती, रामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर के साथ-साथ अन्य जनपद भी आते हैं। हमारे यहाँ जब राप्ती नदी में बाढ़ आती है तो इतनी गंभीर समस्या पैदा कर देती है, जैसे किसानों की फसलों का नुकसान होना, इसके साथ-साथ इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि तमाम किसानों के जानवर, जीव-जंतु आदि की मृत्यु हो जाती है और उसके कारण नदी में भयंकर प्रदूषण हो जाता है।

इसलिए पूरे देश समेत, इस प्रदेश की स्थिति को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से चाहूंगा कि वे ऐसी भयंकर स्थिति से निपटने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो पिछड़े जनपद हैं, के अंतर्गत आने वाली राप्ती नदी के दोनों किनारे पर ऊँचे बांध बनाकर और पानी को रोकने का प्रयास किया जाए। हमें लगता है कि हर साल आने वाली बाढ़ से कई हजार घर नदी में समा जाते हैं और काफी संख्या में किसानों के जानवरों की भी मृत्यु हो जाती है। जब वर्ष 2021 में बाढ़ आई थी, तो मैं स्वयं वहाँ गया था। वहाँ मैंने देखा था कि गांवों के तमाम जानवर नदी में बह गये थे। ऐसी स्थिति

में सरकार की जो मंशा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि यदि जल प्रदूषण को रोकना है, तो इस तरह के कदम उठाने होंगे।

इसलिए मैं भारत सरकार से यह मांग करते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और मेरी पार्टी भी इस बिल का समर्थन करती है।

जिस तरह से, हमारे क्षेत्र में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि यदि उसे रोकने का काम किया जाता है, हमने नदी के दोनों किनारे पर बांध बांधने की जो बात कही है, उसे बनाए जाएं ताकि लोगों में जल-जनित रोगों की वृद्धि न हो सके।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

18.00 hrs

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I am in a dilemma and I hope the Chair will guide me and the hon. Minister in his reply will give clarification for all of us because he is a very effective Minister. Even if I am in opposition, I must compliment him. अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए । He is a very competent Minister.

HON. CHAIRPERSON: He is a very competent Minister.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I can expect a little more of him because he is very competent, but the Bill he has brought is not making me feel that confident. I would ask him some questions. I am not taking away from the intent. As I always say, नीयत हर सरकार की अच्छी होती है । But what matters is how you implement it and what the outcomes are.

I appreciate the Bill but I feel it is like a toothless tiger because it really has no power and I would like to make some comparison. I would like to take it back to the National Water Academy, Central Water Commission जो पूना में है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही है । This is a very good academy but the problem in this academy is that it does not have enough staff. How is this Government mapping pollution and water? I think we need to start from the base. बेस में ही जाना चाहिए, आगे सरकार क्या करेगी, इंडस्ट्री क्या करेगी, वह सब होगा । Has the Government mapped all the pollution? नॉर्मली किसी भी न्यूजपेपर में आ जाता है कि this is red or this is green. So, whenever I visit the National Water Academy, the first complaint is that they do not have enough staff. What is the role and the scope of this entire Commission? What is the outcome of this Commission? Today, this question is related to this Bill.

The first impact that comes to me is on cooperative federalism. हमारे पुराने हाउस में Arun Jaitley ji's entire focus used to be on cooperative federalism. He was a great supporter and a champion of cooperative federalism every time. After Arun ji, I must say that this Government is not as proactive in cooperative federalism as it used to be. Now, this entire Bill is actually taking away a lot of powers from the States. That is very, very alarming to me. There is a sort of an unsaid rule that comes to my mind. By taking away the power from the States to reject or to accept, I appreciate your standardization, such things should be standardized, is it going to be crony capitalism? It is something that worries me.

HON. CHAIRPERSON: If the House agrees, we may extend the time of the House till this Bill gets passed.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, if the State takes a decision, the Centre will supersede it. I am playing devil's advocate in this situation. What if there is a State which may be of a different ideology than yours? Let us not make this law where it is a tug of war between the two different ideologies and the outcomes will be hurting the industry.

I come from one of the most industrialised States in the country. So, we support the industry and I am never ashamed of saying that this is good. इंडस्ट्री होनी ही चाहिए, उनको सपोर्ट करना ही चाहिए, because they create wealth and jobs. All the jobs cannot be done by the Government. The Government also creates jobs like it has brought Mudra, but the industry also contributes extraordinarily in creating wealth and jobs. So, we must support them. My question to the

Government is how will they manage this balance between the States and the Centre.

The other thing is that it is completely anti-federal now. I just seek clarification. I understand from whatever I have read in the Bill that your intention is that the Chairman will be decided by the State, but the rules and regulations will be decided by you. There is no nomination or any role. I just seek clarification on that point. The second thing is that you are talking about imposing a penalty of Rs. 15 lakhs and the punishment has been removed. I am a big supporter for removing imprisonment because by putting people in jail, solutions do not come out. There are so many companies involved in financial frauds.

आप जेल में डाल देते हैं, बैंक डूब जाता है और वह बेचारा जेल में पड़ा रहता है। So, I feel some financial frauds need to be brought up in this House. There are so many intelligent minds sitting on both the sides and I want to ask them if imprisonment a solution to every crime. Three days ago, in the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill which was passed, there is a provision for fine of Rs. 1 crore if there is a syndicate which is involved in copying. I am not asking for imprisonment at all. I am against that. But the whole point is that if you copy, the fine imposed is Rs. 1 crore, but if you pollute, it is so less.

Can we at least connect it to the size of the pollution? It could be a very big organization which is just polluting. It could be a big multinational which is polluting. उनके लिए 15 लाख रुपये कुछ नहीं होंगे, वे भर देंगे और आगे निकल जाएंगे। So, can you explain to us the mechanism to control this pollution? In my Parliamentary constituency, there are two places where pollution is reaching an all-time high.

One is Ujjani and there is another place called Kurkumbh which is a chemical area. All the big boys have invested there. A lot of pharmaceutical companies are there. There is always a tug-of-war. फार्मास्यूटिकल कम्पनीज कहती हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। बाहर का किसान कहता है कि यह प्रदूषित पानी है और हमारी जमीन खराब हो रही है। What are the checks and balances for this?

The other big gap which I feel is missing in this is urbanization. Sir, you see buildings are coming up everywhere. All the sewage coming out of all the societies goes untreated. Khadakwasla Dam is one of the biggest dams in Pune city which supplies drinking water to Pune city.

All the people who are living in new societies or coming over there and there is no control on the sewage. I have spoken to the hon. Minister and he has been very indulgent and helpful in supporting Pune Municipal Corporation in solving that problem. So, why should this be limited only to industry? Why can we not expand the role to all these municipalities because municipalities today are getting away with murder on polluting. Pune city today is destroyed because of urbanization. Mumbai water is destroyed because of urbanization.

Urbanization is a huge opportunity. With bridges and metros, the cities do get made. But if the city has a beautiful metro, beautiful bridges, beautiful roads, and polluted water, what is the point of it? The whole game of this infrastructure does not help. So, I request the hon. Minister to clarify some of our doubts. If he clarifies it, we will be happy to support him because I trust the Minister. I am not sure about the whole Government, but I am very confident that he is a very good and a kind Minister. So, he could kindly clear our doubts and ensure that

industries, societies and buildings are held accountable. There has to be a mass movement in this country about awareness. I moved a Private Members' Bill on this because drinking water is somebody's basic right.

In 21st century there is so much artificial intelligence. I would like to make one last point. In farming we are using a lot of AI. To check pollution, is it possible to use Artificial Intelligence? We are using it in Baramati. We are trying AI with Oxford and Microsoft to help us improve farming and improving growth and development. Is there a possibility that the same technology can be used for water? I just want these small clarifications.

Thank you.

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति जी, यह जो संशोधन कानून लाया गया है, यह जल प्रदूषण के साथ संपर्क रखता है । यह बहुत अफसोस की बात है कि बार-बार केंद्र सरकार कहती है कि आर्थिक व्यवस्था में देश आज विश्व गुरु बन चुका है लेकिन यह दुख के साथ कहना पड़ेगा कि प्रदूषण के मामले में भी आज हमारा भारत देश एक विश्व गुरु बन चुका है। यदि वायु प्रदूषण की बात करें तो दुनिया में सबसे 10 जहरीले शहर, जहां सांस लेना भी जान को जोखिम में डालना होता है, उनमें भारत भी है। यदि जल प्रदूषण की बात करें, तो नीति आयोग ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में कबूल किया है कि दुनिया भर के 122 देशों में जहां जल प्रदूषण एक संवेदनशील मामला है, उन 122 देशों में इंडिया का रैंक 120वां है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि यहां 70 प्रतिशत सरफेस वॉटर यदि हम पीते हैं, तो वह हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। गंगा, जिसकी हम सब पूजा करते हैं, माँ गंगा में लगभग 40 हजार मिट्रिक टन का सिवेज जाता है। यमुना में जहां लोग छठ पूजा के लिए जाते हैं, तो हमने वह चित्र देखा है कि चारों तरफ प्रदूषित झाग है और इस प्रदूषित झाग में हम छठ देवताओं को पूजते हैं। यह कितने दु:ख की बात है।

सर, असम में भी हमारे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि 10 नदियों में ऐसे 11 स्ट्रेचेज हैं, जो बहुत प्रदूषित हैं। उन नदियों में भाराली, बेगा, धनसिरी, खरसांग, मोरा भराली हैं। यह बहुत दु:ख की बात है कि भारत नदियों का देश है और इस नदियों के देश में हम अपनी नदियों में हर दिन बिना ट्रीटमेंट किया हुआ कचरा, चाहे वह इंडस्ट्री का हो, चाहे हमारे घरों का हो, उसे डाल रहे हैं।

बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार नदियों में या वॉटर बॉडीज़ में जितना यह कचरा डालता है, हमारा भारत देश उसमें से केवल 13 प्रतिशत कचरे को ही ट्रीट कर पाता है। यह जो हम सबसे चूक हो रही है, इसमें मैं राजनीति नहीं लाना चाहूंगा, पर, इस चूक का क्या प्रभाव हो रहा है? इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। आज उन्हें टायफॉयड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो रही हैं। हम खुद इसे असम और पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि आर्सेनिक के कारण कितनी बीमारियां हो रही हैं। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में लोग ऐसा पानी पी रहे हैं, जिसमें कार्सिनोजेनिक तत्व पाए गए हैं।

इसके कारण लोगों की किडनी की बीमारी हो रही है और इसके कारण उन्हें अपने मेडिकल पर बहुत खर्च करना पड़ रहा है।

महोदय, इस संदर्भ में मैं बहुत दुविधा के साथ यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में एक रिपोर्ट के हिसाब से यह बताया गया था कि वर्ष 2017 में चम्पानगर में माँ गंगा में लगभग 21,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर फीकल बैक्टीरिया मिला था। वर्ष 2021 में यह बढ़ गया। वर्ष 2021 में उसी स्थान पर माँ गंगा में यह फीकल बैक्टीरिया 21,000 से बढ़ कर 31,500 एमपीएन प्रति 100 एम.एल. मिला। यह कितने दु:ख की बात है। उसके बावजूद भी सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। वह कहती है कि काम हुआ है, इसमें प्रगति हुई है। क्या प्रगति हुई है? वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 351 पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज मिले और वर्ष 2022 में वही 351 पॉल्यूटेज स्ट्रेचेज 311 हो गए। बस इतना ही कम हुआ। इसी को लेकर ये खुश हो रहे हैं कि चार सालों में 351 से 311 हो गए। मुझे लगता है कि इसे लेकर सरकार को अपनी पीठ थपथपानी नहीं चाहिए, बल्कि आपको और सतर्क हो जाना चाहिए। इसीलिए, हम अपेक्षा करते थे, जैसा कि आदरणीय सुप्रिया जी ने कहा कि हमारे जो मंत्री जी हैं, उन सभी के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन उनका जो विभाग है, वह अब पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि उनका विभाग अब उद्योगों की रक्षा का विभाग बन चुका है, ताकि उद्योगों की रक्षा हो और उन्हें आसानी से और ज्यादा क्लियरेंसेज मिलते जाएं, जल्दी क्लियरेंसेज मिलते जाएं। यह पूरा विभाग पर्यावरण संरक्षण से हट कर अब उद्योग के संरक्षण का विभाग बन चुका है। यह हो सकता है कि वे इतने सज्जन हैं, इसलिए उनका मिस-यूज किया जा रहा है। अगर उनकी वाणी में हमारे प्रति कटुता होती, हमें गाली देते, तो शायद उन्हें एक और शक्तिशाली विभाग मिलता और उन्हें और शक्ति मिलती। पर, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वे सज्जन हैं। सज्जन व्यक्ति होने के नाते उन्हें एक कमजोर मंत्रालय और एक कमजोर कानून की जिम्मेदारी मिली है।

सर, वर्ष 2018 में माँ गंगा में क्या हो रहा था?… (व्यवधान) हमें बोलने दीजिए। हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं। गंगा की बात तो सुनिए। 'नमामि गंगे' पर आपने कितने करोड़ रुपये खर्च कर दिए, पर क्या हो रहा है? वर्ष 2018 में 'नमामि गंगे' में लिखा गया – out of the 10 river systems in

the world, the river Ganga carries 93 per cent of the plastics which ends up directly in the oceans. बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं।… (व्यवधान) आप इसके बारे में तथ्य दे दीजिए। मैं तथ्य मांगता हूं। 'नमामि गंगे' में आपने लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं, उसका विवरण दीजिए।

महोदय, इसके साथ ही साथ मैं इसकी सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर नहीं डालना चाहता हूं। माँ गंगा के तट पर बहुत-से छोटे-छोटे उद्योग हैं, छोटे-छोटे टैनरीज हैं।… (व्यवधान)

Sir, I am not yielding. … (*Interruptions*) No, I am not yielding. He is not quoting a Rule.

HON. CHAIRPERSON: Rudy ji, he is not yielding. You can speak later.

… (*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई : माँ गंगा के तट पर बहुत सी टेनेरीज़ हैं, कैमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्लॉटर हाऊसेज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आदि ये छोटे-छोटे उद्योग हैं। इनको भी अपना इंडस्ट्री एमिशन साफ करना है तो इनको भी मदद चाहिए, पैसे चाहिए, क्रेडिट चाहिए, टैक्नोलॉजी चाहिए। इसलिए ऐसे-ऐसे छोटे उद्योगों को तो हम पनिश नहीं कर सकते हैं या माइक्रो, मीडियम और स्माल इंडस्ट्रीज़ को पनिश नहीं कर सकते हैं। ऐसे छोटे और मध्यम उद्योगों को केंद्र सरकार क्या मदद करेगी हम वह भी जानना चाहते हैं। साथ ही, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये बड़े उद्योगों पर कितनी सतर्कता से अपनी नज़र रखेंगे। आज कॉपर में पानी का बहुत इस्तेमाल होता है और बहुत सारा इंडस्ट्री एमिशन होता है। सर, दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर मैनुफैक्चरिंग प्लांट, कच्छ कॉपर लिमिटिड कुछ ही महीनों पहले उद्घाटन हुआ, जिसमें एक मिलियन टन कॉपर का प्रोडक्शन होता है, जिसका मालिक वर्तमान सरकार के बहुत करीब है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, सब समझ चुके हैं, जो सरकार के सबसे करीबी उद्योगपति हैं, यह उन्हीं की फैक्ट्री है। ऐसे कॉपर प्लांट पर केंद्र सरकार क्या निगरानी रखेगी, यह हम जानना चाहते हैं। सर, वैसे तो यह बिल राज्य सरकार की ताकत को कम करने वाला है, लेकिन इसके जो दो मूल उद्देश्य हैं, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। जो हाथी के दांत छुपाए हुए हैं, वह

सैक्शन 4 में है। It says, 'Provided that the Central Government, by notification in the Official Gazette, exempt certain categories of industrial plants from the provisions of this sub-section'. ये कैटेगरीज़ कौन सी हैं, इसका कोई विवरण नहीं है। कब पता चलेगा, इसका कोई पता नहीं है। दूसरा, सैक्शन 5 में यह है कि Section 5 says, 'Notwithstanding anything in this Act, the Central Government in consultation with the Central Board, may, by notification in the Official Gazette, issue guidelines on the matters relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any State Board'. तो बीच-बीच में ये नोटिफिकेशन निकालेंगे और स्टेट बोर्ड ने अगर कोई कदम लिया, जो इनको मंजूर नहीं है तो स्टेट बोर्ड की परमिशन कैंसल कर सकते हैं। इसलिए ये दो मेन चीज़े हैं। हम तो इन पर विवरण चाहेंगे कि क्या रूल्स हैं? क्या यह पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है? केंद्र सरकार बार-बार ऐसे वेग कानून लाती है, और पूरी रूल मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्मेंट के किसी कर्मचारी को दे देते हैं या जॉइंट सैक्रेट्री को दे देते हैं और बीच-बीच में गज़ेट नोटिफिकेशन निकाल कर पूरी इंडस्ट्री का रेग्युलेशन आज बिल के द्वारा नहीं गज़ट नोटिफिकेशन के द्वारा हो रहा है। तो हम लोग यहां पर किस लिए हैं? क्या हम यहां पर सिर्फ डिबेट करने के लिए हैं? हम कोई रूल नहीं बना रहे हैं, हम कैटेगरीज़ लिस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि बिल में और डीटेल्स लाइए। Give us the list of the categories. What are those rules? Why do you not put them in this Bill? That is what we want. सर, इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि इसमें राज्य सरकार का उल्लेख क्यों नहीं है। सैक्शन 4 और सैक्शन 5 में कहीं नहीं लिखा कि 'Provided that the Central Government in consultation with the State Government'. आपको एग्ज़ंप्ट करना है तो कीजिए, गज़ट नोटिफिकेशन निकालना है तो निकालिए, लेकिन राज्य सरकार के साथ कंसल्टेशन कर के तो कीजिए। क्या राज्य सरकार सक्षम नहीं हैं, कुछ इंडस्ट्री कैटेगरी को एग्ज़म्प्ट करने के लिए? क्या राज्य सरकार सक्षम नहीं हैं कि वॉटर, जो स्टेट का विषय है, उसके लिए ऑफिशल नोटिफिकशन लाने के लिए? आप इस प्रकार के कानून क्यों ला रहे हैं? अगर आपको वास्तव में जल प्रदूषण की

चिंता होती तो आप सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड को मज़बूत करते। वहां पर जो पद रिक्त हैं, उनको भरते। अगर आप सचमुच में सतर्क होते तो सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड को और फंडिंग देते। अगर आप सचमुच में सतर्क होते ता रिसर्च पर ध्यान देते। डेटा, वॉटर पॉलयुशन, हाटस्पॉट्, मॉड्यूलिंग जिसका उल्लेख सुप्रिया जी ने किया है, उस पर ध्यान देते।

अंत में अगर आप सचमुच में सतर्क होते तो कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देते। ये जो विभिन्न कानून हैं, इसके जो छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स हैं, सैक्शंस हैं, अगर आप लोकल पंचायत में जाएंगे, लोकल अर्बन बॉडीज़ में जाएंगे, म्यूनिसिपल बॉडीज़ में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो उनको कुछ भी पता नहीं है, तो किस प्रकार से आप इंडस्ट्री और लोकल सरकार के बीच में, लोगों के बीच में किस प्रकार से अवेयरनेस करेंगे?

अगर आप इस प्रकार के कानून लाते हैं, तो आज हमारा देश, जिसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर और शहरीकरण हो रहा होगा। इस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए आप एक ठोस कानून लाते, न कि ऐसा कमज़ोर जो आप ला रहे हैं, उसको लाते, इसका हम घोर विरोध करते हैं।

धन्यवाद।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं (जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 का, जो राज्य सभा से पारित होकर यहां पर माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक की सबसे खास बात यह है कि जहां (जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान करेगा और उद्यमी को भी संरक्षण प्रदान करेगा।

महोदय, इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नियुक्ति प्रक्रिया को भी डिफाइन किया गया है। जिन उद्योगपतियों को सजा का डर रहता था, जेल जाने का डर रहता था, उससे मुक्ति देकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जुर्माना राशि होगी, वह पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी।

महोदय, वैसे तो यह बात सही है कि जल संविधान की सातवीं सूची के अनुसार राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार को दो से अधिक राज्य अगर अपनी विधान परिषद में संकल्प पारित करते हैं तो उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसमें जल अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अनुसरण में अर्थात् असम, बिहार, गुजरात, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के राज्य परिषदों ने बकायदा प्रस्ताव पारित करके भेजा है। इस अधिनियम में आठ अध्याय और 64 धाराएं हैं। केंद्र सरकार ने इसमें नोटिस लिया और इसका संशोधन विधेयक लेकर आई है। इसमें अभी तक जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के बारे में मैं बता दूं। अभी गौरव गोगोई यहां कह रहे थे, मुझे लगता है कि वह उद्योग के विरोधी हैं। ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्या देश के विकास में उद्योगों की जरुरत नहीं है? हालांकि वह बड़े उद्योगों का विरोध कर रहे थे और छोटे उद्योगों की बात पूछ रहे थे। मौजूदा अधिनियम में विभिन्न दण्डात्मक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, जो वर्तमान के कानून में था। धारा 20, 32 और 33ए के तहत जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को तीन

महीने तक की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता था। धारा 30 और 31ए का उल्लंघन करने पर एक साल की अवधि के लिए दंडित किया जा सकता था। ऐसी अवधि जो एक वर्ष या छह महीने से कम नहीं होगी। इसे छह साल तक बढ़ाया जा सकता है। उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि विफलता जारी रहती है तो अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। ऐसी विफलता जारी रहने पर इस विफलता को दोषी ठहराने के बाद किया जाता है। यदि उल्लिखित विफलता दोष सिद्धि की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि से अधिक जारी रहती है तो दोषी पाए जाने पर अपराधी के कारावास की सजा होगी, जो दो साल से कम नहीं होगी। इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है।

महोदय, यह इतना कठोर कानून था, जिसमें तमाम सारे उद्योगों को बड़ी कठिनाई हो रही थी। हमारी सरकार इसमें कुछ नए संशोधन लाकर, इसे राज्य सभा में पारित करके लोक सभा में लेकर आई है। जल प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रस्तावित संशोधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार है- "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके और योग्यता को एक समान बनाने और प्रक्रिया में सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है।" अभी तक अलग-अलग राज्यों के नियम है, अलग-अलग प्रदूषण बोर्ड बने हुए हैं, अलग तरीके के उनके नियम कानून हैं।

दूसरा, वायु प्रदूषण की रोकथाम के नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन या गैर अनुपालन के एक निर्णायक अधिकारी द्वारा जुर्माना लगा कर निपटाया जाएगा। हालांकि लोगों को स्थापित और संचालित करने के लिए पूर्व सहमति से संबंधित अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत घोर उल्लंघन करने से रोकने के लिए धारा 25 और 26 के तहत अभियोजन के प्रावधान को बरकरार रखने की आवश्यकता है, जो आपराधिक दायित्व को आकर्षित करता है। इसमें प्रावधान किया गया है। धारा 25 और 26 के तहत अभियोजन का प्रावधान एक नई धारा 45(ङ) डालकर निपटाया जाएगा। धारा 20, 24, 32, 33ए, 42, 45ए और 48 से संबंधित उल्लंघनों को अदालत में अभियोजन के स्थान पर वित्तीय दंड के आधार पर निपटाने का प्रावधान किया गया है। मैं मानता हूं कि यह बहुत सराहनीय कदम है। इसे माननीय मंत्री जी बिल में प्रावधान करके लाए हैं।

महोदय, यह संशोधन छोटे अपराधों के लिए कारावास के डर को खत्म कर देगा और व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम है। प्रस्तावित दंड छोटे उल्लंघनों में अभियोजन के उत्पीड़न के बिना उल्लंघनों के खिलाफ एक निवारक भी साबित होंगे।

ये प्रस्ताव सभी न्याय क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को एक समान बना देंगे, ताकि उद्योगों को कई अलग-अलग अनुपालनों का पालन न करना पड़े। यह वाकई में एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। यह बात सही है कि जल एक बड़ा विषय है। जल प्रदूषण, जल का संरक्षण और उद्योगों से निकलने वाले जल का ट्रीटमेंट कैसे हो, यह बहुत बड़ा विषय है। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसे बहुत गम्भीरता से लिया और अलग जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, जलजीवन मिशन योजना बनाई। उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए हर जिले में जो प्रावधान किया, उसके बहुत सार्थक परिणाम आए हैं। अभी पूछा जा रहा था कि इसके क्या परिणाम हैं? माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे। सच्चाई यह है कि गांव-गांव में इतना जबरदस्त इसका प्रचार हुआ कि बरसात के पानी को कैसे रोका जाए, जल संरक्षित किया जाए और अमृत सरोवर बहुत सार्थक तरीके से पूरे देश में बनाए गए हैं। मैं मानता हूं कि जिन राज्यों में दूसरी विचारधारा की सरकारें हैं, वहां उतना अपेक्षित सहयोग नहीं मिला होगा और हो सकता है कि वहां कुछ कमी रह गई होगी।

जहां तक नमामि गंगे योजना का सवाल है, तो नमामि गंगे योजना में बहुत बेहतर तरीके से काम चल रहा है। मैं गौरव गोगोई जी से कहना चाहता हूं, वर्ष 2004 से 2014, दस सालों तक उनकी सरकार थी और दस सालों में वे भी सांसद थे, मैं भी सांसद थे, लेकिन इस तरह की कोई योजना बनाने का कभी भी कोई प्रयास नहीं हुआ। न तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय किए गए, न जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय किए गए। ऐसा कोई कानून बनाने का काम नहीं हुआ। आज यहां पर जो वे कह रहे हैं, चूंकि उनको विरोध करना ही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। नमामि गंगे के संबंध में एक बात मैं जरूर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने बहुत काम किया है। झीलों के संरक्षण में रामसर साइट्स देखिए। आजादी के 75 वर्ष होने पर भारत की 75

वॉटर बॉडीज़ को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। उसमें एक-दो साइट्स हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं।

गंगा नदी में सहायक नदियां मिलती हैं। मेरा लोक सभा क्षेत्र सतना, मध्य प्रदेश है। टमस नदी और सतना नदी, ये दोनों शहर के पास निकलती हैं और जाकर गंगा नदी में प्रयागराज में मिलती हैं। आज वहां बहुत बड़ी मात्रा में जलकुम्भी हो गई, जल प्रदूषित हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? गुजरात में साबरमती नदी का जिस तरह से ट्रीटमेंट हमारे उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी जब थे, उन्होंने तब किया था। वाकई में वह देखने लायक है। वह देश में एक मॉडल टाइप का है। सभी नदियों का उस तरह से कैसे संरक्षण किया जा सकता है? हालांकि यह मामला माननीय मंत्री जी के विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, यह जल शक्ति मंत्रालय का विषय है। वही इसे करेंगे। जल संरक्षण के मामले में बात हो रही है, जल प्रदूषण के मामले में बात हो रही है। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारी जमीन के नीचे जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है और प्रदूषित जल आ रहा है। आज इसीलिए हमारे प्रधान मंत्री जी जलजीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल से जल पहुंचे, शुद्ध जल लोगों को पीने के लिए मिले, एक विशेष बड़ा अभियान पूरे देश में चला रहे हैं। बहुत सफल तरीके से, अब तक लगभग 11 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंच चुका है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में बाणसागर से एक-एक गांव में, एक-एक घर में नल से जल पहुंचाने के लिए साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये की एक स्कीम चल रही है, जो लगभग 70 पर्सेंट पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में जब वह पूरी होगी, तब हम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम कर सकेंगे। वाकई में उद्योगों के समक्ष कठिनाई है। उद्योगों का जो प्रदूषित जल निकलता है, वह कहीं न कहीं से नदियों में पहुंचता है। उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इजरायल जैसा छोटा देश 62 पर्सेंट जल का उपयोग ट्रीटमेंट जल से कर रहा है। हमारे यहां हालांकि 4 पर्सेंट पानी है। देश की आबादी 17 पर्सेंट है, लेकिन पानी हमारे पास कम है, 4 ही पर्सेंट है। हमें कहीं न कहीं पानी के संरक्षण के बारे में भी काम करना पड़ेगा। हमारी सरकार बेहतर तरीके से इसमें काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि इसमें

और विशेष रूप से कुछ प्रावधान किए जाएं। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से सदन में एक महत्वपूर्ण विषय डिस्कशन के लिए आया है। आज वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसके साथ-साथ जल प्रदूषण भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोनों प्रदूषण के दुष्परिणाम मानवीय जीवन पर होता है। खासकर जलवायु प्रदूषण का विपरीत परिणाम जिस भारी मात्रा से मानवीय जीवन पर हो रहा है, इसके साथ-साथ सामाजिक जीवन पर भी हो हो रहा है।

माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल लाए हैं, उसका हम समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन जरूर रहेगा कि इस बिल को आज मंजूरी न करते हुए पार्लियामेंटरी कमेटी के पास भेजें और इस पर भारी चर्चा करें। प्रदूषण के खिलाफ और पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट्स की राय इस बिल के माध्यम से लेने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, खासकर वॉटर पोल्यूशन में कई तरह के होते हैं। मानव निर्मित वॉटर पोल्यूशन एक गंभीर गुनाह होना चाहिए। मानव निर्मित वॉटर पोल्यूशन को अनदेखा या छुटकारा देने की कोशिश यदि इस बिल के माध्यम से होती है तो मानव जाति या देशवासी के साथ बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा।

सभापति महोदय, कई जगह पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज होती है, केमिकल फैक्ट्री होती है। ऐसे केमिकल फैक्ट्रीज में एसटीपी प्लांट लगाने की आवश्यकता होती है। अगर मुझसे पूछें, मेरे क्षेत्र रत्नागिरी में लोटे परशुराम की कमेकिल प्लांट है, वहां से हर वर्ष भारी मात्रा में प्रदूषित पानी नदी में छोड़ा जाता है जिससे भारी संख्या में मछलियां मर जाती हैं और लोगों को बीमारी भी सहन करनी पड़ती है। ठाणे, पालघर जिले में बोईसर जैसी बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है। वहां समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहां भी ऐसी स्थिति होती है। पानी प्रदूषण के दुष्पारिणाम को देखें तो मानवीय जीवन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बुरा असर करने वाला प्रदूषण जल प्रदूषण होता है। ऐसे जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

… (*Interruptions*)

श्री विनायक भाउराव राऊत : सभापति महोदय, सिर्फ हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को देखकर अगर कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका इम्पिलिमेन्टेशन तो सारे देश में होगा। इसका अमल पूरे देश में होने वाला है। अगर ऐसे चोर लोगों को पनिशमेंट करने की बजाए छुटकारा देने का कानून तैयार करते हैं तो चोरी करने वाला और आगे जाएगा। पानी की शुद्धता और पानी शुद्धता का महत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने समझाया है इसीलिए उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया। आज वैसे ही कई जगहों पर शुद्ध पानी की आवश्यकता है, ऐसी पानी देने की बजाए जल प्रदूषण करने वाले लोगों को कारावास दें, ऐसा मेरा नहीं कहना है।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

… (*Interruptions*)

श्री विनायक भाउराव राऊत : सभापति महोदय, लेकिन जो ऐसे गुनाह करने वाले हैं, उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दस हजार रुपये, पन्द्रह हजार रुपये भरेंगे और छूट जाएंगे तो ऐसे गुनाह करने वालो और आगे जाएंगे, ऐसा न हो। इसमें अपीलीय अथॉरिटी एनजीटी को रखिए। आज इस बिल में एनजीटी का महत्व बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ। डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें कोई ऑफिसर आ जाएगा कि पन्द्रह हजार रुपये की पैनल्टी लगानी चाहिए, इसके लिए जो ऑफिसर आएगा, उसको संभालने के लिए देना-लेना होगा, वह काम ज्यादा होगा। कई जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर ऑफिसर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कार्रवाई के खिलाफ एनजीटी के पास गए, ऐसे ऑफिसर के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसे भी जानने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, thank you for allowing me to speak on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024 on behalf of CPI(M).

Sir, all of us know that the amount of clean water sources on Earth is alarmingly decreasing. According to the WHO report, many people do not have access to clean water. But the trend of polluting drinking water sources is increasing. It is a truth, Sir. It is important to keep the drinking water clean. But at the same time, industrialisation should also take place for the growth of the country. The State Pollution Control Boards are working to reconcile these two goals. For this purpose, the Government of Kerala has started an initiative known as 'Haritha Keralam', that is, the Green Kerala Project. Under this, various activities are going on in the State of Kerala.

18.36 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

Sir, almost every State of our country is promoting ease of doing business. So, we should understand one thing. All the matters relating to water conservation except inter-State water conservation, come under the State jurisdiction. It is unconstitutional to encroach upon the powers of the State Pollution Control Boards beyond what is stated in a general standard. Sir, this Bill is actually drafted in such a way that it interferes with the guidelines of the State Pollution Control Boards. The Central Pollution Control Board shall not be empowered to cancel the license granted by the State Pollution Control Boards. Therefore, the State Governments are the main stakeholders, and they are the

real owners of the water bodies in the States. So, bringing any amendment against the interests of the State Governments means concentration of the power at the Centre.

Sir, after this Government came into power, the Central Government has enacted a lot of legislations on various matters falling under the jurisdiction of State Governments as specified in the Constitution. I am not going into much detail because of the time constraint. So, I am of the opinion that this legislation should not be passed now. This should be sent to the concerned Standing Committee again for further discussion. With these words, I conclude my speech.

Thank you.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी, पिछले सत्र में माननीय अमित शाह जी भारतीय न्याय संहिता, 2023 बिल लेकर आए थे। उसमें हिट एंड रन का कानून था कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट में सामने वाला मर गया, ड्राईवर भाग गया, डर या किसी और वजह से चला गया तो उसके लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान था। देश भर में जब उसका विरोध हुआ तो आपने कहा कि इसे रोक देते हैं। अब आप जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक लेकर आए हैं, इसके अंदर जितने भी गुनाह करने वाले लोग हैं आप उनको डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। एक्सीडेंट तो दो लोगों के बीच की बात थी लेकिन पॉल्यूशन तो उससे भी गंभीर बात है। इसका प्रभाव कितने लोगों पर पड़ता है, इसे आप भी अच्छे से जानते हैं। आप इस बिल के ज़रिए कहना चाहते हैं कि 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये तक फाइन भरिए, चलते रहिए, काम चलाते रहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉल्यूशन और पर्यावरण एक बहुत बड़ी चिंता का मुद्दा बन गया है। आप भी इंटरनेशनल और नेशनल लैवल कांफ्रेंसेज़ अटैंड करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून तो आना ही चाहिए। यह ऐसा मुद्दा है जिसके प्रति लोगों में अवेयरनेस, चेतना और जागरुकता होनी चाहिए और इसलिए सरकार को इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

आज इस देश के अंदर एनवायरमेंट और पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि केवल इस इश्यू पर सेपरेट कोर्ट्स बनाए जाएंगे, लेकिन आज ये ट्रिब्यूनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा आपसे यह अनुरोध है कि अब इसका स्कोप बढ़ाया जाए और इसके जितने कोर्ट्स हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम बिल के बारे में बात करते हैं, तो सेक्शन-48(1), जिसके अंदर ऑफेंसेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत आपने यह कहा है कि अगर कोई सरकारी विभाग इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पर कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई इतनी बड़ी होगी कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको केवल एक महीने की जो बेसिक सैलरी है, उसे देना पड़ेगा। अगर यही तर्क लगया जाए, तो

कोई बड़ी फैक्ट्री या कंपनी यदि इसका उल्लंघन करती है, तो हमें मालूम है कि आपके स्टेट बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड जाता है किसी बेचारे सुपरवाइजर या छोटे-मोटे मैनेजर को नोटिस जाता है। अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, तो किसी बड़ी कंपनी या फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन को इसके तहत क्यों आरोपी नहीं बनाया जा सकता है? वरना आप कहेंगे कि नहीं, आपकी भी एक महीने की बेसिक सैलरी दे दीजिएगा और मामला खत्म हो जाएगा। … (व्यवधान)

मंत्री जी, मैं पूना से आता हूं और यह मुद्दा किसी जाति, मजहब से ताल्लुक नहीं रखता है। मैंने बहुत पॉजिटिव चेंज देखे हुए हैं। मैं पहले पत्रकार था। जब गणेश जी का त्यौहार आता है, तो महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं जब कवर करता था, तो लोग कहते थे कि नहीं साहब, ये हमारे धर्म से जुड़ा है, गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन हम नदियों में ही करते हैं। फिर भी आप कोई कानून लेकर नहीं आए। उसके बावजूद भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट पूना जैसे शहरों में देखने को मिलता है। मेरे अपने शहर औरंगाबाद में आर्टिफिशियल लेक्स, पाँड्स बनाए जाते हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं और उन मूर्तियों को उनके अंदर डालते हैं। यह एक सोशल अवेयरनेस का नतीजा है कि यहां पर इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है।

माननीय सभापति : कृपया कनक्लूड करें।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील : सर, दूसरी बात यह है कि आप हर घर नल से जल दे रहे हैं। वह जल जो आप दे रहे हैं, वह पॉल्यूटेड है या नहीं है? आप कहेंगे कि नहीं, इसकी जिम्मेवारी फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की है, महा-नगर पालिकाओं की है, नगर पालिकाओं की है। आपके पास यह पॉवर है कि आप देश भर में अपने स्टेट बोर्ड्स को यह कहें कि बड़े-बड़े शहरों, गांवों में एक मुहिम चलाएं और आप देखेंगे कि जा जल आप हमें दे रहे हैं और जिसका जमकर प्रचार हो रहा है कि हर घर नल। तो नल में जो जल आ रहा है, क्या वह भी पॉल्यूशन फ्री है, इस बारे में जरा देखें। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताता हूं। औरंगाबाद एक ऐतिहासिक सिटी है। अजंता, एलोरा, शिरडी के सांई बाबा के दर्शन के लिए लोग आते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से सुबह फ्लाइट उतरती है, लोग बाहर निकलते हैं तो

उनको अपनी नाक बंद करनी पड़ती है, क्योंकि औरंगाबाद बियर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र हो गया है, क्योंकि बहुत सारी बियर फैक्ट्रीज एयरपोर्ट के करीब में हैं। सुबह इतना पॉल्यूशन होता है कि लोगों को अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। मुझे यदि बू आ सकती है, तो आपके स्टेट बोर्ड के अधिकारी ऐसी कौन-सी दफ्ती लगाए हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही अनुरोध है। धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया ब्रीफ में बोलें। मुझे टोकने की आवश्यकता न पड़े।

*SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. I thank you for giving me the opportunity to speak on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill. This Amendment Bill is presented in a way proving BJP Government to be against the people and environment. I oppose this Bill as this paves way for easy environmental degradation. This Bill ends in making irregularities legal. This Government, from the day it came to power, has been diluting several Acts besides bringing amendments to make irregularities legal. This bill which you have taken for consideration is the basis of the livelihood of every citizen. If we do not control water pollution, if we do not punish those who exploit natural resources through stringent laws, we would have been seen as disloyal to our future generations. Through this Bill, if you provide concessions to those who engage in irregularities History will not forgive you. The punishment given and the severity of the irregularity has a mismatch. If you permit this, water which is the central point of environment will be polluted once for all.

Through this Bill it is seen that the Government is encouraging everyone to pollute our water bodies. Some of the powers of the State Government have been snatched away through some restrictions. The Central Government wants to prove that it wants to take all the powers in its hands. It is aimed at bringing all the Bills with this motive of centralization of powers. Only when protection of natural resources lies in the hands of State Government it can be effective. As per Section-21 of the existing Act, the State Governments and State Boards have powers. With the amendments being made by you through Sections 25, 26 and

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

27 you have ensured centralization of powers. You have diluted all the Sections which are against the nature. It has been proposed in this Bill many exemptions from punishment than ensuring punishments to those who act against environment and environment protection zones. This Government wants to acquire all the powers by bringing a post in the name of Adjudicative Officer. This Officer can be an Officer of the State or Central Government. The Union Government, through this amendment, holds all the powers unilaterally, as it can decide whether an Adjudicative Officer of a State Government can be appointed or not. Through Section 45 C of this Bill, against the actions and judgements of the Adjudicative Officer, one can approach the National Green Tribunal and appeal directly. Hence it is dangerous as a common man has to reach the NGT for redressal of complaints against a big organisation engaged in polluting water bodies.

This Government should understand the limits of a common man in reaching the NGT against the mighty companies involved in pollution related activities. The level of expenditure to be incurred by a common man in his fight against big companies should be considered by the Government. Therefore, this Government should set up a separate Tribunal in this regard. Moreover, the imprisonment clause of this Bill, from 2 years up to 7 years, seems to be less and unclear. As these acts are against humanity and Mother Nature, the term of punishment should be severe and for many years. It is not apt to provide a lesser punishment. Although the existing severe punishments are unable to tackle this issue, it would not be apt to minimize the years of imprisonment. It is said that

those who throw polythene bags are also punished. On one side, you have allowed manufacturing of polythene bags and on the other hand you are punishing those who use it and throw.

I urge that such polythene bag manufacturing industries should be banned permanently rather punishing the general public. As per the 1986 Act, the industries which allow their effluents to be released into a river can be punished. I want to know from you that how many polluting industries have been punished under this provision. This Act should be implemented effectively. I urge upon this Government to increase the fine amount up to 20 lakhs. I also request that a compensation should be provided to those affected victims of environmental pollution, only by collecting this amount from those persons or organisation who commit this mistake. For rejuvenation and cleaning river Ganges, this Government has spent Rs. 12000 Crore. Environmental activists say that even now, river Ganges is in polluted condition. If that is so, what happened to the Rs 12000 Crore spent by this Government in cleaning river Ganges? If you increase the water flow of this river, cleaning will happen so naturally. This was stated by a Professor of Banaras Hindu University named P.T. Tripathi. Ganges flows in several parts of north India. But it gets importance when it flows in Varanasi, as it is the Constituency of Hon Prime Minister. There are several examples to prove that this Government has failed in cleaning river Ganga. National Mission for Clean Ganga, NMCG was set up by the Ministry of Water Resources as per the Environmental Protection Act of August 2021. NMCG faced several challenges. On an experimental basis, a Scheme was implemented in Mathura, to tackle the

various types of effluents and industrial wastes flowing into river Ganges. This Scheme was to purify the polluted river water of Ganges and ensure its reuse by these Industries. I want to ask what the outcome of this Scheme is. How much money was spent under this Scheme? Urge that the way this Union Government gives importance to river Ganges of the north, the south Indian rivers like Cauvery should also be given importance. I want this Bill to be looking into all aspects of prevention and control of water pollution. Thank you for this opportunity.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : आदरणीय सभापति जी, मुझे इस बिल पर बोलने का समय देने के लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 पर बोलते हुए मुझे वह दिन याद आ रहा है, आज से लगभग एक वर्ष पहले आप स्वयं हाथ में कुदाल और फावड़ा लेकर कृष्णा नदी का प्रदूषण दूर करने में लगे थे, इसलिए मैं आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।

आदरणीय सभापति जी, जब से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने तीन बातों पर बहुत जोर दिया है। शासन में पारदर्शिता हो, सब जगह स्वच्छता हो और हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास की ओर बढ़ें। उसी के तहत जब वह वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, अभी यहां पर गौरव गोगोई जी जिस गंगा नदी का जिक्र कर रहे थे, गंगा नदी की स्वच्छता के लिए हजारों-करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मैं इस देश के आदरणीय जल शक्ति मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक गंगा नदी को पवित्र किया गया है, शायद आज एक भी गंदा नाला गंगा नदी में नहीं गिरता है। आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी पर्यावरण मंत्री होने के नाते, वे जिस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से दूर कर रहे हैं, इस बिल को लाने के लिए मैं उनका भी बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।

आदरणीय सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि जब नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (नमामि गंगे) चलाया गया था। उसमें हमें जो सफलता मिली है, न केवल गंगा नदी, बल्कि उसके बेसिन की जितनी भी नदियां हैं, उन सबको साफ करने का अभियान चलाया गया है। वर्ष 2019 में एक नया मंत्रालय भी बनाया गया। अभी गौरव गोगोई जी यह कह रहे थे कि हजारों-करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए जो 'गंगा रिजूवनेशन प्लान' बनाया गया था, उसके ऊपर भी एक 'श्वेत पत्र' (व्हाइट पेपर) जारी करने की जरूरत है, ताकि पता चले कि वह पैसा कहां गया। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया था और

उसका परिणाम क्या निकला। हमने कहां पैसा खर्च किया है, आज उसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने है।

आदरणीय सभापति जी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। अगर हम विशेष रूप से उस जमाने की बात करें, तो उन्होंने कहा था कि तीन तरह के प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और जमीन का प्रदूषण। उन्होंने कहा था कि इन तीनों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। यहां पर आदरणीय पर्यावरण मंत्री जी बैठे हुए हैं। हम तीनों प्रदूषणों को अलग-अलग टैकल नहीं कर सकते हैं। अगर वायु प्रदूषण होता है, तो हम कम साधनों से उस प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। अगर जल प्रदूषण होता है, तो उस प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर जमीन का प्रदूषण हो जाए, तो उस प्रदूषण को दूर करने में वर्षों लग जाते हैं।

कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि वायु प्रदूषण करने वाले, जल प्रदूषण करने वाले या जमीन का प्रदूषण करने वाले लोगों को क्या-क्या सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हमें अर्थशास्त्र को भी देखना चाहिए कि उस जमाने में चाणक्य ने जो बात कही थी, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था। अगर वायु गंदी या प्रदूषित होगी, तो जल भी प्रदूषित होगा। अगर जल प्रदूषित होगा, तो भी वायु प्रदूषित होगी। अगर जल और वायु दोनों प्रदूषित है, तो जमीन भी प्रदूषित होगी। हमें इस बात को अपने ध्यान में रखने की जरूरत है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति और गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह जितनी भी गंदगी करता है, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा हो, कोई कितने ही बड़े पद पर बैठा हो, वह रोज पर्यावरण को गंदा करता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि रोजाना यज्ञ या अग्निहोत्र करना चाहिए।

कुछ लोगों को लगता होगा कि अग्निहोत्र एक धार्मिक चीज है। ये पर्यवारण को साफ करने या पर्यावरण की सफाई करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। ये हजारों-लाखों वर्षों से हो रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि पांच तत्व होते हैं। दुनिया पांच तत्वों से बनी है। आप जल को प्रदूषित कर सकते हो, वायु को प्रदूषित कर सकते हो, आप जमीन/पृथ्वी को प्रदूषित कर सकते हो,

आज आकाश भी प्रदूषित हो रहा है, इतने सैटेलाइट्स इत्यादि चल रहे हैं, लेकिन चाहते हुए भी इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अग्नि को प्रदूषित नहीं कर सकता है।

इसलिए प्रदूषण को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि अग्नि का प्रयोग करना चाहिए और उन्होंने यज्ञ के लिए कहा। हमारे शास्त्रकार कहते थे कि देवानाम अग्निमुखम, देवों का जो मुख है, वह अग्नि है। हमें उसमें भोग लगाने की जरूरत है। हमारे गुप्त काल में कालिदास ने लिखा है, जिसको इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं। उस जमाने में स्वच्छता थी, पर्यावरण साफ था। वे उस जमाने में कहते थे कि – मलीनता हर्वि धूर्मेषू। केवल यज्ञ मात्र के धुएं से … (व्यवधान)

माननीय सभापति : सात मिनट हो चुके हैं।

… (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : अभी तो प्रस्तावना है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, विद्वान व्यक्ति हैं, वह बहुत बोल सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है।

डॉ. सत्यपाल सिंह : सर, मैं समय कम कर रहा हूं। जो मूल समस्या मैं कह रहा था और मुझ से पहले वक्तओं ने इस बात को कहा है कि उद्योगों की समस्या है, इंडस्ट्रीज़ की समस्या है, क्योंकि उनका प्रदूषण जाता है। हम लोगों ने एसटीपी की बात की है, लेकिन यह बात भी सही है कि बहुत जगहों पर एसटीपी चलना चाहिए, लेकिन वह नहीं चलता है। दिन में एसटीपी चलता है, रात को एसटीपी बंद कर देते हैं। कैमिकल इंडस्ट्रीज़ है, फार्मा की इंडस्ट्रीज हैं, शुगर की इंडस्ट्रीज हैं, पेपर की इंडस्ट्रीज हैं। पेपर की इंडस्ट्री पानी को बहुत प्रदूषित करती है। तालाब की बात करते हैं, तो गांवों में तालाब आजकल गंदे हो गए हैं, क्योंकि घरों की गंदगी उसके अंदर जाती है। हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, यहां फर्टिलाइजर पेस्टीसाइड्स का जिक्र किया है। आज वह जमीन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। जैसा मैंने कहा है कि अगर जमीन प्रदूषित होगी तो जल भी प्रदूषित होता है। हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मृत शरीर को कुछ जगहों पर करते हैं। यहां पर आदरणीय मंत्री

महोदय बैठे हुए हैं । हम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये बात प्रैक्टिस में देखी गई है कि जिस प्रकार से जो इंडस्ट्री जल को प्रदूषित करेगी, उसके लिए हम लोगों ने सजा का प्रावधान किया है। हमारे अधिकारी हैं, जिनकी कॉग्निजेंस में है, अमरोहा के पास में एक बहुत बड़ी कैमिकल इंडस्ट्री है । उसका डिस्चार्ज जिस प्रकार से जमीन के अंदर जाता है, इसको भी हमें देखने की जरूरत है । कई बार डेटा फज किए जाते हैं । हमारे इस कानून के अंदर इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, मैं बागपत की एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। हमारे यहां हिंडन और कृष्णा नदी है । वहां 6 जिलों के अंदर 122 गांव हैं । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि वहां ग्राउण्ड वाटर इतना कंटेमिनेटेड हो गया है कि लोगों के अंदर अलग-अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं। वहां पर हैंडपंप उखाड़े जा रहे हैं। वहां पर कुछ व्यवस्था की जाए। … (व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। दुनिया में जितने भी प्रदूषण हैं, अगर सबसे बड़ा कोई प्रदूषण दुनिया के अंदर है, वह माइंड का पॉल्यूशन है और इसलिए ही तो गड़बड़ हुई है । उन्होंने 60 साल में जितना प्रदूषण किया है, उसको निकालने के लिए समय तो लगेगा ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब प्रदूषणों का इलाज करना चाहिए, लेकिन माइंड के प्रदूषण का भी इलाज करें। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, जिससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया जाए, संस्कारों पर ध्यान दिया जाए। … (व्यवधान) मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

*SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR):** I thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

Sir, water pollution is due to effluents of industries, garbage of Municipal Corporations and residential pollutants and dairy pollutants flowing into river waters via drains. Sir, the Government has done away with jail term and imposed a penalty on water pollution. You have provided the industries a free hand to spill their effluents anywhere in the water. Sir, today in Punjab, Buddha Nullah in Ludhiana is there. The Beas and Sutlej rivers are being polluted. The factories are openly discharging their polluted chemical effluents in our rivers.

In Amritsar too, several drains are there. These drains are also spilling pollutants in the water. Municipal Corporation is there. Pollution checking department too is there. But, on one is trying to control water pollution.

That Ministry is considered good which has a huge budget. Because corruption and misappropriation of funds happens in such a Ministry. If Departments check pollution, there would be no dirty drains in the country. In Delhi, some stench-filled drains are there in Paharganj and other areas. Same is the condition of Mumbai.

Sir, 10 years have passed. The Government claims that it has cleaned rivers Ganga and Yamuna. But the Government has done nothing to check the source of pollution. The pollution checking department officials should be

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

penalized. Those who are not doing their jobs properly, their jobs should be terminated. Useless officials in this department should be suspended.

Sir, Punjab is the land of five rivers. The SYL issue is a major issue in Punjab. In 1955, we had several billion cubic metric water with us. In 1966, Punjab was divided and Haryana came into existence. They demanded 5.9 billion cubic metric water. At that time, we had ample water. But, now, water has got reduced in Punjab. Sir, I am speaking on a relevant issue. It pertains to this Bill. The NGT should intervene and issue directives.

Sir, our dirty drains in Punjab should be cleaned. The Bhakra dam is there. It should be desilted. Rivers too should be desilted. A 1700 crore project is there. Silt adds to the pollution.

Sir, the rights of States should be protected.

Thank you.

19.00 hrs

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this important legislation.

Since 1974, when the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted, no comprehensive efforts have been made till date to address the loopholes in the law vis-à-vis the present challenges. The primary objectives of the Act were to provide for the prevention of water pollution, and cater to the maintenance and restoration of the water bodies. However, the Act suffers from various drawbacks. It is silent about the groundwater management policies, and fails to deal with the indiscriminate tapping of ground water.

Over the past few decades, the country has seen rapid urbanisation and industrialisation causing pollution loads which are higher than ever. Subsequently, the quality of Indian water bodies has declined drastically and many water bodies have been lost or have shrunk considerably due to encroachment or pollution-induced eutrophication.

Therefore, this Amendment Bill is very relevant. Under the Indian Constitution, the Judiciary has included the right to clean water and environment under the ambit of articles 21, 48, and 51(g) of the Constitution of India. The court has observed that right to clean water is a part of the basic necessity of the human right to life and the State is duty-bound to prevent water from getting polluted. In the leading case of M. C. Mehta versus the Union of India, the court held that preventing water of river Ganga from being polluted was the need of the hour.

In 2021, the Parliamentary Standing Committee on Water Resources had flagged the fact that as many as 48,900 rural habitations were affected by water contamination due to arsenic, fluoride, iron, nitrates, heavy metals and high salinity. The Parliamentary Panel recommended the Department to focus its attention on these habitations.

On these backgrounds, the Amendment Bill seeks to find remedies in the existing law. Firstly, the Bill intends to streamline the appointment of key officials of the State Board. The second major Amendment is to decriminalise the penal provisions, allowing citizens and businesses to function without fear of imprisonment for minor technical or procedural errors. I welcome these provisions on behalf of my Party, Biju Janta Dal.

In this regard, I would like to say that we should not stop with this legislation. We should be proactive so far as protecting our water bodies is concerned. The State Government of Odisha under the able leadership of hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has initiated the process to set up a State Water Informatics Centre (SIIC), a body dedicated to handle and monitor water resources data from flood water, ground water, surface water and rainwater among others. The State Government is also actively working on rolling out safe drinking tap water supplies.

Water Corporation of Odisha (WATCO), an ISO certified, Government of Odisha owned, not-for-profit company started its journey working with only three Urban Local Bodies in 2019. By March 2023, it is now operational in 29 Urban

Local Bodies covering more than 65 per cent of total urban population of the State towards drinking water supply and sewage management.

It is likely to cover all 115 ULBs of the State in the following years.

Sir, there is an urgent need for preventing our streams, reservoirs, rivers, lakes from being polluted. If the systemic weaknesses associated with the governance structure are not addressed, there is not going to be any benefit from any amendments. India needs a robust monitoring and enforcement system that can detect and arrest pollution at the source. The Government must ensure strong, transparent, and accountable mechanisms that strengthen the policy and achieve its objectives.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम जानते हैं कि हम सब के लिए जल कितना उपयोगी है। हम सभी के जीवन में जल बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिवेश में जल संरक्षण एवं जल प्रदूषण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। केन्द्र सरकार ने इस बिल के माध्यम से इन दोनों मुद्दों के स्थायी समाधान की एक नई दिशा दी है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इस बिल के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करके इसे जल के क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं के उचित समाधान हेतु पहले से ज्यादा कामगार बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार चाहे उद्योग हो या चाहे संयंत्रों की स्थापना हो, उनके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति आवश्यक है। इसके लिए जल निकाय सीवर या भूमि सीवरेज के होने की संभावना है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा मनोनित किया जाएगा। नए विधेयक के प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष की सेवा और शर्तों को केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी। इस विधेयक के अंतर्गत जलाशयों के लिए प्रदूषण तत्वों को छोड़ने से जुड़े हुए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

सभापति जी, यह विधेयक बहुत जरूरी है। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि केन्द्र की सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर पंजाब की सतलुज नदी को साफ करने के लिए, उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने के लिए 774 करोड़ रुपये की राशि दी थी। सतलुज नदी पर आज एक भी एसटीपी प्लांट नहीं लगा है। एनजीटी के बार-बार आग्रह करने के बाद भी पंजाब सरकार ने प्लांट नहीं लगाया। जब आपकी सरकार थी और आज जो सरकार है, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। वहां पर एक प्लांट भी नहीं लगने के कारण सतलुज नदी का पूरा पानी खराब हो रहा है। वहां पर एक शुगर मिल बनी हुई है। उसका एक बार बायलर फटा, जिससे इतना प्रदूषण हुआ कि पूरा केमिकलयुक्त गंदा पानी नदी में आ गया और नदी की सारी की सारी मछलियों की मौत हो गई। आज उसका पानी पूरा राजस्थान पीता है। आज राजस्थान के अंदर गंग, भाखड़ा और राजस्थान कैनाल, तीनों का पानी हम पंजाब से ले रहे हैं। आज पंजाब में जितने भी सीवेज के प्लांट्स लगे हैं, उनमें से एक प्लांट पर भी एसटीपी का

काम पूरा नहीं हुआ। यह कानून इसलिए बना है, क्योंकि उनको पाबंद किया जाए और सभी स्टेट्स को शुद्ध पानी मिले।

धारा 25 और 27 का इसमें प्रावधान किया गया है। उस पर और ज्यादा कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बिल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी का यहां पर राज रहा तो दिल्ली में एक सहाबी नदी थी, वह आज नाला बनकर रह गई है। मुम्बई में एक मीठी नदी थी, वह आज नाला बनकर रह गई है। पूरे हिन्दुस्तान के अंदर चैन्नई एक ऐसी जगह है, जहां पर अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो गया है। वहां पर एक हजार फीट तक बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर 9 में से एक व्यक्ति को पीने का पानी, जो असुरक्षित स्रोतों से मिलता है, उसको अगर ठीक करने का काम करें तो आज जो बिल आ रहा है, वह भी ठीक प्रकार से काम करेगा। इसके अलावा 90 प्रतिशत सीवेज, जो जल निकायों से प्रवाहित किया जाता है, उसे भी ठीक करने का काम करेगा। हर दिन 2 मिलियन टन सीवेज और अन्य पदार्थ जल निकायों में छोड़े जाते हैं, उसको भी यह ठीक करने का काम करेगा।

अनुमानित हर साल तीन सौ से चार सौ मेगाटन औद्योगिक कचरा निकायों में छोड़ा जाता है, यह उसको भी ठीक करेगा।

सभापति जी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी के अनुसार 61 प्रतिशत शहरी सिवरेज के बिना उपचार की नदियों और अन्य निकायों को छोड़ दिया जाता है, उसको ठीक करने का काम यह बिल करेगा। सीपीसीबी के अनुसार भारत के 276 जिले हैं, उनके नीचे के पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक आ गया है, उसको यह ठीक करेगा। इसलिए इस बिल का होना बहुत जरूरी है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): सम्माननीय सभापति महोदय, आज इस महत्वपूर्ण विधेयक पर 21 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। सभी ने पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदना और विषयों को लेकर चिंता जाहिर की है। सबसे पहले मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इसके विरोध में बोला तो उनके मन में एक संशय था। वह संशय यह था कि क्या इस बिल के माध्यम हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रावधानों को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? क्या यह बिल फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर तो नहीं कर रहा है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और संघीय ढांचे की बुनियाद को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और दोनों ही विषयों का हमने इस बिल में पूरा ध्यान रखा है। हम वर्ष 1974 में जो कानून लेकर आए। इस कानून में एक ऐसा प्रोविजन किया गया था कि जो साधारण प्रवृत्ति के भी जो उल्लंघन थे या जो सामान्य प्रकृति के जो उल्लंघन थे, उसमें भी सजा का प्रावधान था। हम लोग गरिमापूर्ण जीवन के लिए, यह ठीक है कि सभी लोगों को अवसर दें, लेकिन अवसरों को कानूनी मकड़जाल से भी निकालना चाहिए। जैसे अब धारा 20 में प्रावधान था कि अगर जल निकासी से संबंधित जानकारी आपने अपने फॉर्म में नहीं भरी, तो आपके लिए जेल का प्रावधान है। धारा 32, 33 और 33(ए) के अंतर्गत जारी आदेशों का उल्लंघन, जो यद्यपि सामान्य प्रकृति से थोड़ा हो सकता है, लेकिन हर चीज के लिए कोर्ट में जाना और कोर्ट में जाना मतलब कितना चक्कर लगाना पड़ता है, कितने ऐप्लिकेशंस लगाने पड़ते हैं और उसका सॉल्युशन क्या है? इसलिए हमने जानकारियों के जो सामान्य विषय हैं, उनको कोर्ट के सजा के प्रावधान को निकाल कर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते उस पर दंड लगाने का प्रावधान किया है। अभी कई लोगों के मन में यह प्रश्न आया। प्रतिमा मंडल जी भाषण दे रही थीं, तब वह यह विषय उठा रही थीं कि इसमें नॉन-कॉम्पलायंस होगा। सामान्यत: यह कहा जाता है कि न्याय मिलने में देर है, पर अंधेर नहीं। पर वास्तव में, देर अपने-आप में ही अंधेर है। देर भी क्यों होनी चाहिए? जो भी प्रकियाओं

का पालन नहीं किया है, तो डिक्रिमिनलाइजेशन से कानूनी डर, केवल जेल दिखा देने से डर नहीं है। अगर ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग है, तो लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लोगों को कानून के साथ चलने के लिए एक भावना जागृत करनी पड़ेगी। इसलिए हमने इसमें केवल पेनाल्टी का प्रावधान किया है। जब पेनाल्टी के प्रावधान पर चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों को लगता है कि इसमें अधिकारियों को शक्ति तो नहीं आ जाएगी या पेनाल्टी का मनमाना प्रयोग तो नहीं करेंगे। गोगोई जी कह रहे थे कि आप रूल्स बताइए। आप पुराने माननीय सांसद हैं। आप संसदीय प्रक्रिया को जानते हैं। आपको पता है कि कानून के द्वारा संसद सरकार को शक्ति देती है। अगर हम कोई रूल भी लेकर आएंगे तो वह भी संसद से बाहर कैसे ला सकते हैं? वह तो सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन होता ही है। उसकी प्रक्रिया है। अगर आप हर बार छोड़ कर, वाक आउट करके हंगामा ही करते रहोगे तो प्रक्रिया पढ़ने का समय भी आपको कब मिलेगा? आप प्रक्रिया पढ़िये। प्रक्रिया के अनुसार जब सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन रखा जाता है, तो उस समय भी विषय रखा जाता है। लेकिन मैं यह पूरे तरीके से आश्वास्त करना चाहता हूं कि जो भी नियम इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, उसमें पूरी जांच-पड़ताल होगी। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके जो एविडेंस है, उससे पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद और हमारे रूल्स में संबंधित व्यक्ति को सुनवाई के पूरे तरीके से अवसर दिए जाने के प्रावधान किए जाएंगे। इसलिए जब रूल्स में ये प्रावधान किए जाएंगे तो यह नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है कि ऐसे रूल्स बनाने के बाद फिर भी अगर किसी व्यक्ति का ग्रीवेंस है, तो उसके अपीलेट राइट होने चाहिए। जब हम कोई भी कानून बनाते हैं, तो उसके इम्प्लिमेंटेशन, एग्जिक्यूशन के बाद किसी व्यक्ति को अपीलेट अथॉरिटी में जाने का अवसर होना चाहिए। अपीलेट अथॉरिटी में जाने का अर्थ यह है कि अपीलेट अथॉरिटी के अधिकार को एनजीटी को देने का काम किया गया है।

<u>19.16 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

जो एडजुडिकेटिंग अधिकारी है, वह भी जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर का बनाने का प्रावधान किया गया है। देश में जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन को संभालते हैं तो वह एसडीएम, डीसी, डायरेक्टर लेवल पर आने के बाद जब जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर पर आते हैं तो एक तरीके से उनके

अंतर्गत उनकी प्रशासनिक क्षमताओं में अपीलेट बॉडी की पूरे तरीके से क्षमता की जाएगी। अपीलेट को चीजें डिसाइड करने की क्षमता होती है, इसलिए अधिकारी का चुनाव हमने इसके अंतर्गत जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का किया है।

फिर यह प्रश्न उठता है कि जब आपने पूरे तरीके से डीक्रिमिनलाइज कर दिया तो फिर एक सेक्शन को क्यों छोड़ दिया। हमारा यह मानना है कि कानून का पालन करने के बाद सभी लोगों को उसको पूरे तरीके से लागू करने का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कोई व्यक्ति कानून ही अपने हाथ में ले लें। उसका अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जब वह इंडस्ट्रियल वेस्ट का, ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन करता है तो उसको अपनी पूरी क्षमताओं को देना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बिना सरकार की जानकारी के, बिना कंसेंट टू ऑपरेट के अपने आप ही इंडस्ट्री शुरू कर दे। हमने केवल ऐसे विषयों को सजा के अंतर्गत रखा है।

डीएमके के कथीर आनन्द जी एक विषय के बारे में कह रहे थे। वह कह रहे थे कि आप तो स्टेट के जो पॉल्यूशन बोर्ड्स हैं, उनको गाइडलाइन दे रहे हो। आप उनके ऊपर फोर्स कर रहे हो। उनके चेयरमैन कौन होंगे, वह फोर्स कर रहे हो। ऐसा नहीं किया जा रहा है। केवल एक गाइडलाइन और मानक तय किए जा रहे हैं। आखिर देश में हम ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग का काम करना चाहते हैं और देश में सब जगह स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड – यह कोई पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जरूर है। लेकिन अगर हमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कम्पीटेंट लोग, एक स्टैंडर्ड के लोग, एक योग्यता वाले लोग, केवल मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि अगर उसका एक समकक्ष, एक समान प्रावधान होगा तो अच्छा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ही सेक्टर में, एक ही जगह क्यों नहीं होना चाहिए? हमें पूरे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहिए और उस स्टैंडर्ड के लोग आने चाहिए। हमने केवल मानक तय किए हैं कि जो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे, उनकी योग्यता यह होनी चाहिए। उस योग्यता में नियुक्ति का अधिकार तो राज्य सरकारों को ही रहने वाला है। लेकिन उसके लिए एक गाइडलाइन तय करने का विषय है।

फिर गोगोई जी कह रहे थे कि आप किसको एग्जम्प्शन करेंगे। हम कुछ इंडस्ट्रीज़, जो केवल ग्रीन इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उनको एग्जम्प्शन देंगे, लेकिन वह एग्जम्प्शन भी पूरे तरीके से नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। वह एग्जम्प्शन मनमाना नहीं है। यही तो रूल्स हैं। यही हमारा सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन है।

एक आशंका और उठती है और कई सदस्यों ने अपनी बातचीत में भी यह कहा कि यह जो फाइन आएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। हमारी सरकार पूरे तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करती है। जो भी पैसा आएगा, उसका 75 प्रतिशत पैसा पुन: राज्यों को ही दिया जाएगा। राज्यों से अपेक्षा की जाएगी कि यह जो पैसा आया है, जो नियम है, अपने नियमों के अंतर्गत उस पैसे को अपने राज्य में लगाने के विषय को आगे बढ़ाए।

फिर एक विषय आया कि इतना अमेंडमेंट करने के बाद हम इस रेगुलेटरी मेकेनिज्म को कैसे आगे ले जाएंगे? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस मेकेनिज्म के साथ हमने जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का प्रावधान किया है, उस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को यह पावर होगी कि वह रेगुलेशन वगैरह निकाले।

श्री प्रेमचन्द्रन जी बहुत ही सीनियर मेम्बर हैं। वे कह रहे थे कि आपने तो बताया ही नहीं कि किन राज्यों ने पास किया, कब पास किया। मुझे लगता है कि वे तो सबसे ज्यादा बिल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। जब उन्होंने बिल को पढ़ा होगा, तो जो बिल का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि

> "And whereas in pursuance of clause (1) of Article 252 of the Constitution read with Clause (2) thereof, Resolutions have been passed by the Legislative Assemblies of the States of Himachal Pradesh and Rajasthan to the effect that the said Act should be amended by an Act of Parliament for the purposes hereinafter appearing."

इसमें तो लिखा है। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है और वहाँ हाल ही में दिसम्बर में पास हुआ है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है। इसलिए यह कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : वहाँ तो कांग्रेस की सरकार के समय ही उन्होंने पास किया था।

श्री भूपेन्द्र यादव : नहीं, अभी किया गया है।

माननीय अध्यक्ष : अभी किया गया है।

श्री भूपेन्द्र यादव : इसी बजट सेशन में पास किया गया है।

यह कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। राज्य सरकारों को भी पता है कि कंसेंट टू ऑपरेट के लिए किस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं और इंडस्ट्रीज को किस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। ओवरऑल वॉटर को मेनटेन करने का जो विषय है, जैसा कि पंजाब के गुरजीत जी कह रहे थे, वह मुख्यत: जल शक्ति मंत्रालय का विषय है। यहाँ केवल वॉटर के पॉल्यूशन के संबंध में जो विषय है, हमारा उतना ही लिमिटेड विषय है। इसलिए यह सभी राज्यों के द्वारा एक लम्बे समय से मांग की जा रही थी और इस मांग को पूरा करते हुए ही हम लोगों ने इस विषय को आगे बढ़ाया है।

मैं माननीय सांसदों से कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण एक बड़ा विषय है। जैसा कि सुप्रिया जी बोल रही थीं कि हमें एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि एआई से ज्यादा ईक्यू होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ईक्यू का अर्थ है कि जब तक हमारे मन में एंवायरमेंटल कांससनेस नहीं आएगी, तब तक एआई का कोई फायदा नहीं होगा। देश के स्कूल्स में, देश के कॉलेजेज में एंवायरमेंटल कांससनेस होनी चाहिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : ईसी होनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र यादव : जी हाँ, ईसी होनी चाहिए। कॉससनेस से ज्यादा कांससनेस होनी चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ग्लासगो में, पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण के लिए 'मिशन लाइफ' का मंत्र दिया। उन्होंने एंवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल की बात की।

हम यह जानते हैं मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लागू किये जा सकते हैं। सोसायटीज के द्वारा भी एडेप्टेशन मेजर्स किये जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में, एंवायरमेंट को बचाने का जो विषय

है, वह इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा mindful consumption rather than mindless consumption की तरफ हम जा रहे हैं। इसलिए Mindful utilisation of natural resources, यह बहुत बड़ा विषय है।

इसलिए जल प्रदूषण केवल इंडस्ट्रीज के कारण ही नहीं है, बल्कि यह माइक्रो प्लास्टिक्स, गांवों में तालाबों के प्रदूषित होने के कारण भी है। जैसा कि माननीय सांसद इम्तियाज जलील जी अपने क्षेत्र में बीयर फैक्ट्री के कारण पानी की दुर्गंध के विषय में कह रहे थे, जो इंडस्ट्री के द्वारा जरूरत से ज्यादा पानी लेने, जल प्रदूषण की मॉनिटरिंग और वेस्ट पर नियंत्रण न होने के कारण है।

माननीय सदस्यों की जो चिन्ताएं हैं, वास्तव में ये चिन्ताएं एक सामन्य नागरिक की भी है। मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। इसके लिए हमारे मंत्रालय के द्वारा जो विशेष रूप से काम किया गया है, उसके तहत हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रिवाइज़ और अपडेट कर रहे हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत भी बहुत बड़े फंड का प्रावधान किया गया है। गंगाजी के एवं बाकी जगहों के बारे में आप जो समस्याएं बता रहे हैं, उनके लिए लिक्विड डिस्चार्ज से संबंधित रूल्स पर भी हमारा मंत्रालय काम कर रहा है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जल प्रदूषण को हम और भी कारगर तरीके से रोक पाएंगे, विशेष रूप से श्मशान भूमि के आसपास नदियों में होने वाले प्रदूषण के लिए भी नियम बनाये जा रहे हैं। जहाँ जागरुकता फैलाने का प्रश्न है, तो हम 'मिशन लाइफ' के लिए काम कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा है कि वर्ष 2014 में, जब से 'नमामि गंगे' प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, श्री गोगोई जी ने बार-बार उसका उल्लेख किया है। 'नमामि गंगे' प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने एक कंप्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है। मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्सेज उस विषय पर काम कर रही है। लेकिन उसमें भी monitoring of water quality,

performance of sewage treatment plant, common effluent treatment plant etc., जो विषय हैं, उनको पूरी तरह से लागू करने का हमने प्रयास किया है।

एक विशेष योजना जो सरकार के द्वारा दी गई थी। जल जीवन मिशन से लेकर, जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई अभियान, अटल भू-जल योजना, मिशन को तो किया ही है, लेकिन आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत सरोवर के एक विशेष अभियान को दिया गया था। हर जिले में 75 अमृत सरोवर की बात की गई थी। अमृत सरोवर के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ और एक लाख 9 हजार ऐसी वाटर बॉडीज चिन्हित की हैं। भारत दुनिया के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। यही कारण है कि दुनिया में अच्छी झीलों के संरक्षण के लिए जो रामसर साइट्स की जो कन्वेंशन है, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आजादी के जब 75 वर्ष हुए तो हमारे देश की जो 75 लेक्स हैं, उनको हमने रामसर साइट्स का दर्जा दिलाया। इस बात तो 2 तारीख को जब वर्ल्ड वेटलैंड डे हुआ तो इंदौर शहर को हमने वेटलैंड सिटी के रूप में दर्ज कराया। यह वेटलैंड हमारे देश के जल संरक्षण, जल की धरोहर को बचाने के लिए, फ्लड से किसी भी शहर को बचाने के लिए, आपके असम में गुवाहटी के पास जो दीपोर बिल लेक है, ब्रह्मपुत्र के पानी का, जो पूरे लेक के वाटर का एयर एरिया बनता है, वहाँ पर भी विशेष रूप से कार्य करने का काम हम लोग कर रहे हैं। बंगाल में भी कर रहे हैं, पूरे देश भर में कर रहे हैं। यह जो पूरा बिल है, यह जल के प्रदूषण में इंडस्ट्रीज को हमने जो जकड़कर रखा था, उस जकड़न को निकालने के लिए हमने एक ईजी-वे दिया है। मेरा यह मानना है कि यह एक ऐसा बिल है, जिसके द्वारा हम किसी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, हम देश में रोजगार बढ़ाते हुए ईज ऑफ लिविंग के मानकों को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो गलतियाँ हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जल संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए हॉल ऑफ दी गवर्नमेंट की जो एप्रोच माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की है, सभी मंत्रालय मिलकर उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप सबका समर्थन इस बिल को मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप कुछ क्लेरिफिकेशन चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मेरी दो-तीन बातें हैं। भूपेन्द्र यादव जी बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गीता की एक बात कहता हूँ। गीता में यह लिखा गया है: "Amongst purifiers, I am the wind; amongst wielders of weapons, I am Lord Ram; of water creatures, I am the crocodile; and of flowing rivers, I am the Ganges."

गंगा को अविरल, निर्मल बनाने के लिए वर्ष 2022 तक एक मकसद रखते हुए, एक ऑब्जेक्टिव रखते हुए इस सरकार ने ऐलान किया था कि कोई म्युनिसिपल वेस्ट, कोई इंडस्ट्रियल एफ्लूएंट वर्ष 2020 के बाद गंगा में नहीं गिरेगा। अब वर्ष 2024 आ गया है। 32 हजार करोड़ रुपये का बजट आउट-ले हो गया है और इसके बाद क्या नतीजा निकला कि 71 मॉनीटरिंग स्टेशंस पर फीकल कोलीफॉर्म परमिसेबल लिमिट से बाहर है और बाकी बीओडी छोड़ ही दीजिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन छोड़ दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : यह जल संसाधन का मामला है। यह इनका विषय नहीं है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, इन्होंने यह बताया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन 32 हजार करोड़ रुपये का खर्चा तो हो गया, वर्ष 2024 भी आ गया है और अभी गंगा पूरी दुनिया में 5वीं प्रदूषित नदी बनकर रह गई है। हमारी 40 परसेंट आबादी गंगा के पानी का इस्तेमाल करती है। हम गंगा-गंगा करते हैं, लेकिन गंगा नदी मैली नदी से बाहर नहीं आ पाती है। भूपेन्द्र यादव जी, दूसरी बात इस बिल के मुद्दे पर हम यही कहना चाहते हैं कि Clause 4 of the Bill grants sweeping power – हमारी आपत्ति इसमें है – grants sweeping power to the Central Government to exempt certain categories of industrial plants from the requirement of obtaining consent from SPCB. This move undermines the crucial role of SPCB in regulating industrial activities to prevent water pollution. By allowing exemption, the Bill risks compromising environmental protection standards and potentially exacerbating pollution level.

Clause 5 of the Bill enables the Central Government to issue guidelines on matters related to the grant, refusal or cancellation of consent by SPCB. This provision certainly centralises decision-making authority, diminishing the authority of SPCB. This is my contention. Thank you, Sir.

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी ने दो प्रश्न उठाए हैं। आपने भगवद गीता का उल्लेख किया है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में मैं माघ मास हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं और नदियों में मैं गंगा हूं। हमारा डीप रूटेड प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ एकात्मकता को दर्शाता है। आप तो गंगा नदी के किनारे भगीरथी के पास रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिबद्ध है। जहां तक हमारे मंत्रालय के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की बात है:

> "Central Pollution Control Board (CPCB) has formulated charter based participatory approach to facilitate the industries for water recycling and pollution prevention in major industrial sectors like Pulp & Paper, Sugar, Distillery, Textile and Tannery in river Ganga main stem states emphasizing on technological upgradation, waste minimization practices, augmentation of effluent treatment plants and reuse/recycle of treated effluents which resulted in reduction in specific fresh water consumption, waste water discharge & pollution load and improvement in compliance."

हमारी सरकार वन ऑफ दि गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलती है और मैंने सैंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल का विषय आपको बताया है। इसमें राज्य सरकारों का भी सहयोग है, जिन राज्यों से गंगा निकलती है। हमारा जल शक्ति मंत्रालय उसे पूरी तरह से देखता है। आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि हम सभी लोग नमामि गंगे प्रोजेक्ट को जनांदोलन बनाएं और सरकार की मंशा को भी पूरा करें। आपको यह जानकार गर्व होगा कि जब हम 'बॉयोडायवर्सिटी कॉप'

में गए थे, वहां संयुक्त राष्ट्र संस्थान ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को वॉटर रेजुवेनेशन के लिए वन ऑफ दि बेस्ट प्रोजेक्ट करके अभिनंदित किया गया था। इस पर आपको और हम सभी को गर्व होना चाहिए। यह सब प्रधान मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। … (व्यवधान) यह पुरस्कार वर्ष 2014 के बाद मिला है लेकिन पॉल्यूशन वर्ष 2014 से पहले का है और उसे ठीक करने का काम अब हो रहा है। इतना तो आपको मानना चाहिए।… (व्यवधान) कुछ लोग काम करते हैं, वे हम हैं लेकिन कुछ लोग काम तमाम करते हैं, वे आप हैं।

आपने दूसरा विषय उठाया है कि हम जो गाइडलाइन्स इश्यू करेंगे, उनमें राज्यों के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगे या उनके अधिकारों को तो नहीं लेंगे। इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि हम कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं करेंगे, जिसमें यह लगे कि हम उनके अधिकार अपने हाथ में ले रहे हैं। हम वही गाइडलाइन्स जारी करेंगे जो पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त, नियमों का सरलीकरण और आम आदमी की सहायता करने वाली गाइडलाइन्स हों। वे गाइडलाइन्स ही ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लीविंग के पैमाने पर जो प्रधान मंत्री जी का संकल्प है, उसे आगे बढ़ाने वाली होगी। उसे संघीय ढांचे के अनुरूप ही किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

Clause 4 Amendment of section 25

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मंडल जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

"Page 2, line 19,-

for "certain categories of industrial plants"

substitute "essential categories of industrial plants"." (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 Substitution of new sections 41 and 41A for section 41

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मण्डल, क्या आप संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

"Page 2, *for* lines 40 and 41,-

substitute "be less than one lakh rupees, but which may extent to fifty lakh rupees."." (4)

"Page 2, lines 43 and 44,-

for "he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees every day during which such contravention continues"

substitute "he or she shall be liable to pay an additional penalty of one lakh rupees every day during which such contravention continues."." (5)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 Substitution of new sections for section 43 and 44

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मण्डल, क्या आप संशोधन संख्या 6 और 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, बी.जे.पी. में पहले यह सब पनिशमेंट होता था, पर अभी 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' के नाम पर सब पनिशमेंट छोड़ दिया जा रहा है।

Sir, I beg to move:

"Page 3, *for* lines 24 to 28,-

substitute "43. Whoever contravenes the provisions of section 24, shall be liable to pay the penalty which shall not be less than one lakh rupees, but which may extend to fifty lakh rupees and where such contravention continues, he or she shall be pay an additional penalty of fifty thousand rupees every day during which such contravention continues."." (6)

"Page 3, *for* lines 34 and 35,-

substitute "measuring correctly shall be liable to pay penalty which shall not be less than one lakh rupees, but which may extend to ten lakh rupees."." (7)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 और 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

Clause 10 Substitution of new sections 45A to 45E for section 45A

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मण्डल, क्या आप संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

"Page 4, line 30,-

for "ten per cent."

substitute "twenty-five per cent."." (8)

"Page 4, lines 45 and 46,-

for "shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine."

substitute "shall not be less than five years but which may extend to ten years with fine."." (9)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 और 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

Clause 12 Substitution of new section for section 48

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 11 और 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move:

"Page 5, line 32,-

for	"one month"	
substitute	"one year"."	(11)

"Page 5, line 32,-

after	"basic salary"	
insert	"and imprisonment up to a period of one year"."	(12)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 और 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 और 14 विधेयक में जोड़ दिये गये।

… (व्यवधान)

Clause 15 Amendment of section 64

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move:

"Page 6, line 13,-

for "member-secretary"

substitute "chairman"." (13)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 15 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 Shor title application and commencement

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 2, *for* line 1 to 4,-

Substitute "(*2*) it applies to the entire nation". (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मण्डल क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 2, *for* lines 5 to 8,-

Substitute "(*3*) It shall come into force, the State Governments and Union Territories adopt this Act under clause (1) of article 252 of the Constitution read with clause (2) thereof on the date of such adoption.". (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, 09 फरवरी, 2024 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

20.45 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, February 09, 2024/Magha 20, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following address:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)